चतुर्दश माला, खंड 29, अंक 13

शुक्रवार, 31 अगस्त, 2007
9 भाद्रपद, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 64
Dated 19 Aug 2008

(खण्ड 29 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 29, ग्यारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)]

अंक 13, शुक्रवार, 31 अगस्त, 2007/9 भाद्रपद, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा निवेदन	
भारत अमरीका असैनिक नाभिकीय करार के मुद्दे पर सरकार द्वारा सभा का सत्र जारी रहते हुए भी संसद के बाहर दिए गए वक्तव्य के संदर्भ में उक्त करार के विभिन्न पहलुओं की जांच करने हेतु संयुक्त संसदीय समिति गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में	1-10
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 261 से 280	11-51
अतारांकित प्रश्न संख्या 2595 से 2751	51-302
सभा पटल पर रखे गए पत्र	303-313
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	313
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	
सभा की बैठक रद्द करना	314
लोक लेखा समिति	
विवरण	314
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
बीसवां प्रतिवेदम	316
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
(एक) भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के बारे में न्यायमूर्ति रजिन्दर सच्चर की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही	
श्री ए.आर. अंतुले	316-323

विषय कॉलम

(दो) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित भारत निर्माण के घटकों के कार्यान्वयन की स्थिति

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 323-328

(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एन.आर.ई.जी.ए.) के कार्यान्वयन की स्थिति

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 328-333

(चार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के एक सौ सत्तरवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री कपिल सिब्बल 334

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

आठवां प्रतिवेदन 334

सभा का कार्य 335-342

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

(एक) व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना तैयार करना और उसे लागू करना

श्री फ्रांसिस फैन्थम 343

श्रीमती अर्चना नायक 345

श्री अधीर चौधरी 346

श्रीमती करूणा शुक्ला 350

श्री राम कृपाल यादव 354

श्री देवव्रत सिंह 364

डा. रामकृष्ण कुसमरिया 368

डा. अखिलेश प्रसाद. 371

श्री नवीन जिन्दल 376

विषय	कॉलम
(दो) देश में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा उपलब्ध कराना	
श्री राम कृपाल यादव	394
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	405-406
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	405-416
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	417-418
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	417-420

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 31 अगस्त, 2007/9 भाद्रपद, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

सदस्यों द्वारा निवेदन

भारत अमरीका असैनिक नाभिकीय करार के मुद्दे पर सरकार द्वारा सभा का सत्र जारी रहते हुए भी संसद के बाहर दिए गए वक्तव्य के संदर्भ में उक्त करार के विभिन्न पहलुओं की जांच करने हेतु संयुक्त संसदीय समिति गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैंने आपके यहां प्रिवलेज मोशन का नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी तो हमें मिला नहीं है, लेकिन

[अनुवाद]

मेरे पास आएगा तो मैं उसे देखूंगा। इस मामले के संबंध में जब तक कि मैं इस मामले को यहां उठाने के लिए न कहूं इस पर यहां निर्णय नहीं लिया जाएगा। यह विशेषाधिकार का मामला है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने आपके आफिस में आज 9.30 बजे दिया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह आपका अधिकार है!

[हिन्दी]

यह क्या हो रहा है? हम किसको सुनेंगे? आपको प्रिवलेज मोशन देने का हक है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इस हाउस की इतनी इनसल्ट हुई है, कल प्रणब मुखर्जी ने बयान दिया कि भारत अमेरिका...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल यह कह रहा हूं कि इस मामले पर यहां चर्चा नही होनी चाहिए। आप इसके बारे में भली भांति जानते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर अवश्य ध्यान दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर विचार करने दीजिए। मैं इस पर विचार करूंगा। आप प्रश्नकाल के पश्चात् इसका उल्लेख कर सकते हैं। मैं उसका उल्लेख करने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : संसद चल रही है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्नकाल पर चर्चा की जाए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्वैश्चन ऑवर क्या करेगा, सारे देश में चर्चा है कि इस राष्ट्रहित के मामले में कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां मिलकर आपस में फैसला कर रही हैं कि हम इसको होल्ड करेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अच्छा दो मिनट में एक-एक करके बोलिये। आप बैठिये। आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिये।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर पिछले कितने ही दिनों से लगातार भारत अमेरिका परमाणु

करार के बारे में हाउस के अंदर चर्चा हो रही है। यह तय हुआ था कि इस विषय पर डिबेट होगी। डिबेट करने से पहले यहां पर कई मांगें आपके सामने रखी गईं, लेकिन कल प्रणव मुखर्जी साहब ने कम्युनिष्ट पार्टियों से बात करके बाहर एक स्टेटमेंट दे दिया। हाउस सैशन में है, हाउस चल रहा है, लेकिन उन्होंने यहां पर नहीं कहा। बाहर यह कहा गया कि इसका ऑपरेशनलाइजेशन बंद कर रहे हैं और इसको होल्ड पर रख दिया है। कांग्रेस और कम्युनिष्ट पार्टी के ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे, संसद के सत्र के दोरान सभा के बाहर भारत-अमरीका परमाणु करार का क्रियान्वयन रोकने तथा संयुक्त समिति गठित करने के विषय में सरकार और वामदलों के बीच हुए समझौते की घोषणा के संबंध में 31, अगस्त 2007 को दिये गए विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना प्राप्त हुई है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह 'आपरेशनलाइजेशन' है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे पर दया करो, मैं यह साधारण सी बात भी पढ़ नहीं पा रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह मामला अभी मेरे विचाराधीन है

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह आपके कन्सीडेशन में है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, मैंने आपको सुना है, अब इनको सुनेंगे, आप बैठिए, उनको बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे हमारे विपक्ष के सम्माननीय सदस्यों में से एक हैं।

...*(व्यवधान)*

आप बोलिये। आपको भी बुलाएंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी। उसमें भी यह चर्चा हुई थी कि इस विषय पर हम लोग 10 तारीख को चर्चा करेंगे। प्रियरंजन दासमुंशी जी ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री जी से बात करके समय तय कर देंगे। इस बीच में सदन में भी कई बार इस पर चर्चा चली, कभी अमेरिका में भारत के राजदूत के बयान पर, कभी न्यूक्लियर डील पर और देश इस डील को लेकर पूरी तरह सशंकित है।

मैं समझता हूं कि यह पारिवारिक मामला नहीं है, यह देश का मामला है। अगर पारिवारिक मामला होता, तो मनमोहन सिंह जी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आपस में बैठकर बात कर लेते और पारिवारिक मामला सुलझा लेते, लेकिन यह मामला जब देश से जुड़ा हुआ है और सदन चल रहा है, तो ऐसी परिसिति में किसी कमेटी की घोषणा करना सदन का अपमान है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम देखेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अध्यक्ष के विशेषाधिकार का उपयोग कीजिए। सदन में जेपीसी बनाकर इस मामले को देखा जाना चाहिए। इसके लिए अलग से कोई कमेटी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि यह देश से जुड़ा हुआ मामला है। धन्यवाद।

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, कल ही कार्य मंत्रणा समिति में फैसला किया गया कि 10 तारीख को न्यूक्लियर डील पर चर्चा होगी। इस संबंध में सभी दलों की अपनी-अपनी शंकायें हैं और उनके निवारण के लिए बहुत आवश्यक है कि अगर कोई कमेटी बननी है, तो ऐसी कमेटी बने, जिसे सभी दलों का विश्वास अर्जित हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को कोई कमेटी ही बनानी है तो जेपीसी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरा आग्रह है कि अगर इस पर कोई कमेटी बननी है, तो जेपीसी ही बन सकती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : बीते समय में कई बार सभा में ऐसी चर्चाएं हुई हैं। विभिन्न अवसरों पर अध्यक्ष ने विनिर्णय दिया है कि जब सभा का सत्र चल रहा हो तो महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों और अन्य महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में सभा के बाहर घोषणा नहीं की जानी चाहिए। अब न केवल सभा का सत्र चल रहा है बल्कि यहां भी यही मामलो छाया हुआ है। आपने सरकार को सही तरीके से इस बारे में निदेशक दिये है और सभी माननीय सदस्य इस पर शीघ्रातिशीघ्र चर्चा कराये जाने को सहमत हो गए हैं जैसा कि मैं समझता हूं यह चर्चा 10 या 11 सितम्बर को होगी। जब सभा का सत्र चल रहा है और सभा में भी यही मुद्दा छाया हुआ है तो सरकार सभा के बाहर किस प्रकार एक विशिष्ट समिति के गठन की घोषणा कर सकती है। यह घोषणा सभा के भीतर क्यों नहीं की गयी। सरकार सभा के अंदर ऐसी समिति के गठन की घोषणा करने में क्यों डर रही है? अत: यह सही मायने में विशेषाधिकार का मामला है और मै आपसे इस पर विनिर्णय देने का आग्रह करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं इस पर विचार करूंगा। आपको यह मुद्दा उठाने का अधिकार है और मैं इस पर विचार करूंगा।

[हिन्दी]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाना) : अध्यक्ष महोदय, प्रभुनाथ सिंह जी ने जो मुद्दा यहां उठाया है कि कल लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस ने एक कमेटी एप्वाइंट कर दी है, न्यूक्लियर डील के बारे में, इंडो-यूएस डील के मामले में, मैं भी उनके साथ जुड़ते हुए कहना चाहता हूं कि यह मामला देश का है। यदि देश का मामला है, तो सभी पार्टियों को विश्वास में लेना जरूरी है। इसके पहले भी जो-जो मुद्दे उठाए गए, उनके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एप्वाइंट की गई, हम चाहते हैं कि इस विषय में भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नियुक्त हो जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले पर विचार करूंगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, क्या सरकार समिति को रद्द करेगी?

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कैसे कह सकता हूं? मैंने आपकी बात सुन ली है। मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या गवर्नमेंट इसे विदड्रा करके, जेपीसी बनाने की बात करेगी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे कुछ कहना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरपूर्वक समस्त सभा से कहना चाहता हूं कि परमाणु सौदे जैसे अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर माननीय प्रधान मंत्री ने जैसे कई अवसर मिला इस सभा में एक वक्तव्य दिया तथा इस वक्तव्य के आधार पर यह भी वचन दिया कि जिस विषय पर भी आवश्यक हुआ सभा में चर्चा कराई जाएगी तथा सरकार सभी आशंकाओं का उत्तर देगी। यह प्रथम भाग है।

दूसरा भाग यह है कि प्रत्येक गठबंधनों में चर्चा की संभावना रहती है। मैं तीन उदाहरण दे सकता हूं। यदि गठबंधन के घटकों में राजनीतिक यह किसी भी अन्य स्तर पर किसी मुद्दे पर मतभेद है जो घटक दल बैठ कर मतभेद दूर कर सकते हैं। पहला उदाहरण 'पोटा' का है। मैं संसद के समक्ष अनगिनत रिपोर्टों का उदाहरण दे सकता हूं।...*(व्यवधान)* महोदय, क्या मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप उनको जवाब देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनको बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जब आपने बोला तो हमनें सुना, आप हमें बोलने क्यों नहीं देंगे।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात है? आप उनको बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा मैंने और सभा ने आपकी बात सुनी। अब मंत्री उत्तर देना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आरक्षण के मुद्दे पर मुझे याद है सभा का सत्र चल रहा था तथा टी.डी.पी. के चन्द्रबाबू नायडू तथा डी.एम.के. के बीच लंबी चर्चा के बाद सरकार इस बात के बावजूद कि सभा का सत्र चल रहा था संयुक्त सत्र के लिए सहमत हो गई थी...*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुने अन्यथा मैं बैठ जाऊंगा। मैं उत्तर नहीं दूंगा। आप जो चाहें कर सकते हैं, जब मंत्री उत्तर दे रहे हैं तो आप उन्हें कम से कम बोलने देने की भद्रता तो करते।

महोदय, निश्चय ही यह सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। सभा का पूरा सम्मान करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि सभा में प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर ही चर्चा की जानी चाहिए। सभी संबंधित लोगों के प्रश्नों के उत्तर सरकार द्वारा सभा में ही दिये जाने चाहिए। परंतु यदि सरकार तथा इसके समर्थक घटक दल यदि हम इस मुद्दे का समाधान कर लेते हैं तो मेरी समझ में यह नहीं आता है कि इससे भाजपा का क्या लेना-देना है?...*(व्यवधान)* भाजपा का इससे कुछ भी लेना-देना नहीं है। यह कोई सरकारी समिति तो है नहीं, मैं माननीय प्रधान मंत्री की तरफ से वचन तथा आश्वासन देता हूं कि चर्चा करने तथा उत्तर देने से पहले प्रतिपक्ष के नेता तथा सभी पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित कर के बताया जाएगा कि इस चरण में हम क्या करेंगे।

दूसरी बात आज मैं सभा को इस बात की अनिवार्यत: जानकारी देना चाहूंगा कि...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, इस पर जे.पी.सी. बननी चाहिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति के गठन के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया है। यू.पी.ए. तथा वामपंथी दल सभा में पेश किए जाने से पूर्व किसी भी विधेयक पर हजार बार चर्चा कर सकते हैं। इससे क्या अंतर पड़ता है? जब सभा या सरकार समिति गठित करेगी तो सभी दल को विश्वास में लिया जाएगा, यह सरकार द्वारा गठित समिति नहीं है। इस बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। न ही इस बारे में मंत्री ने कोई निर्देश दिया है न ही सरकार ने कोई अधिसूचना जारी की है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : अध्यक्ष महोदय, यह देश का मामला है, यूपीए एक मामला नही हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगुसराय) : आपने पत्रकारों को क्यों संबोधित किया?...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैंने ऐसा नहीं किया। मैं इसका खंडन करता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा के नेता बोलेंगे। कृपया उनकी बात धैर्य से सुने।

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, मैं आदरपूर्वक यह कहना चाहूंगा, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है तथा कभी-कभी सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, परंतु इस मुद्दे पर तथा आपके विनिर्णय के अनुसार भी सांवैधानिक स्थिति स्पष्ट है। 26 जनवरी, 1950 से जब हमने संविधान को स्वीकार किया तब से हमने अनगिनत अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए है परंतु किसी भी समझौते को किसी भी संसदीय समिति में संवीक्षा नहीं की गई है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लें। मैं पांच मिनट से अधिक नहीं बोलूंगा। 1971 में भी भारत-सोवियत मैत्री संधि के बारे में भी संधि पूरी हो जाने के बाद सभा को सूचना मात्र दी गई थी। अत:, यदि सरकार ने कोई समिति यदि गठित की होती तो निश्चय ही सभा में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के विचार आमंत्रित किए जाते। परंतु यह यू.पी.ए. तथा इसके समर्थकों का आंतरिक मामला है...*(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : यह कोई घरेलू मामला नहीं है। यह देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : हां, यह आंतरिक व्यवस्था है। भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर संयुक्त संसदीय समिति के गठन का मैं कड़ा विरोध करता हूं। जिस अधिकार का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है संसद, सदस्य इसको सभा में शोर-गुल तथा व्यवधान डाल-डाल कर संभव नहीं कर सकते हैं। मैं सरकार की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर संयुक्त संसदीय समिति गठित नहीं की जाएगी। मेरा यही निवेदन है... *(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : हम इस बात से सहमत नहीं हैं।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मोहम्मद सलीम, कृपया बैठ जाइए। श्री मिस्त्री कृपया बैठ जाएं। कृपया बैठ जाएं, आप क्या कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सलीम, कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा जी, कृपया मुझे बोलने दें। आप चाहते थे कि मैं टिप्पणी करूं। टिप्पणी कर दी गई है तथा मैने अन्य माननीय सदस्यों जो इस विषय पर बोलना चाहते थे, को भी अनुमति दी है। आज, आपने विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैने कहा था कि कृपया मुझे इसे पढ़ने का अवसर दें। मैं निश्चित ही कोई निर्णय लूंगा। मैं तुरंत कुछ नहीं कह सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मामला यह है कि हाऊस की कमेटी बनेगी या नहीं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि सदन की कार्यवाही चलने दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : आपने सपोर्ट किया था।... *(व्यवधान)* बीजेपी ने सपोर्ट किया था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आपने समर्थन दिया था...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रश्नकाल की कार्यवाही चलने दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप नहीं चाहते कि सदन की कार्यवाही चले?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नही चाहते कि सदन की कार्यवाही चले। मैं क्या कर सकता हूं?

पूर्वाह्न 11.16 बजे

(इस समय, श्री डी.वी. सदानन्द गौड तथा अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरी में वृद्धि

***261. श्री राम कृपाल यादव :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरी के रूप में भुगतान की जा रही राशि सभी राज्यों में एकसमान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके अंतर्गत भुगतान की जाने वाली मजदूरी में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 6(1) में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के प्रयोजनार्थ मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकती है। धारा 6(2) में आगे यह प्रावधान है कि किसी राज्य में किसी क्षेत्र के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा कोई मजदूरी दर नियत किए जाने के समय तक कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 2 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी उस क्षेत्र को लागू मजदूरी दर समझी जाएगी। केंद्रीय सरकार ने किसी भी राज्य के लिए एनआरईजीए के अंतर्गत मजदूरी दर निर्धारित नहीं की है। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत कृषि श्रमिकों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए लागू होगी। इस प्रकार, एनआरईजीए के अंतर्गत मजदूरी सभी राज्यों में समान नहीं है। राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कृषि श्रमिकों के लिए अधिसूचित तथा इस प्रकार, विभिन्न राज्यों में एनआरईजीए के लिए लागू विद्यमान न्यूनतम मजदूरी को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत मजदूरी दर का निर्धारण राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/जिला का नाम	2007-08 एनआरईजीए के अंतर्गत मौजूदा मजदूरी दर
1	2	3
1.	असम	66.00 रुपये
2.	आंध्र प्रदेश	80 रुपये

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

1	2	3
3.	अरूणाचल प्रदेश	क्षेत्र-I 65 रुपये क्षेत्र-II 67 रुपये
4.	बिहार	77.00 रुपये
5.	गुजरात	50 रुपये
6.	हरियाणा	99.21 रुपये
7.	हिमाचल प्रदेश	75.00 रुपये
8.	जम्मू और कश्मीर	70.00 रुपये
9.	कर्नाटक	74.00 रुपये
10.	केरल	125 रुपये
11.	मध्य प्रदेश	67.00 रुपये
12.	महाराष्ट्र	75 रुपये, 70 रुपये, 68 और 66 रुपये क्रमशः जोन I, II, III, IV के लिए
13.	मणिपुर	81.40 रुपये पर्वतीय और घाटी क्षेत्रों के लिए
14.	मेघालय	70.00 रुपये
15.	मिजोरम	91.00 रुपये
16.	नागालैण्ड	100.00 रुपये
17.	उड़ीसा	70.00 रुपये
18.	पंजाब	
	होशियारपुर	95.00 रुपये
	जालंधर	93 रुपये
	नवांशहर	94.91 रुपये
	अमृतसर	95.00 रुपये
19.	राजस्थान	73.00 रुपये
20.	सिक्किम	85.00 रुपये
21.	तमिलनाडु	80.00 रुपये
22.	त्रिपुरा	60.00 रुपये
23.	उत्तर प्रदेश	100.00 रुपये
24.	पश्चिम बंगाल	70.00 रुपये
25.	छत्तीसगढ़	66.70 रुपये
26.	झारखण्ड	76.68 रुपये
27.	उत्तरांचल	73.00 रुपये

सामुदायिक स्वच्छता परिसर

***262. श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समग्र स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) के अंतर्गत प्रत्येक गाँव में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परिवारों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को कोई वरीयता दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। प्रत्येक गांव में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की स्थापना

करने का प्रस्ताव नहीं हैं संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) को प्राथमिकता दी जाती है। तथापि केवल उसी अवस्था में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जा सकता हे जब गांव में पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए जगह की कमी हो। ऐसे परिसरों का निर्माण सार्वजनिक स्थलों, बाजारों आदि में भी किया जा सकता है जहां लोगों की काफी अधिक भीड़-भाड़ होती है। इसका रख-रखाव ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना होता है या उसे ग्राम स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी होती हैं। स्वच्छता परिसर के लिए निर्धारित अधिकतम इकाई लागत 2 लाख रुपए तक है जिसमें केन्द्र, राज्य और समुदाय के बीच 60 : 20 : 20 के आधार पर निधियों को वहन किया जाता है। पंचायत भी सामुदायिक अंशदान कर सकती हैं। इस प्रयोजनार्थ कोई विदेशी सहायता नहीं ली जाती है।

(ग) और (घ) संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाओं के अंतर्गत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को शौचालय मुहैया कराए जाने होते हैं। इस योजना में शौचालयों के निर्माण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित बीपीएल परिवारों के लिए सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। 1500 रुपए तक की लागत वाले शौचालयों के लिए केन्द्र, राज्य और लाभार्थी के बीच लागत को 60:20:20 के आधार पर वहन किया जाता है।

क्रेडिट कार्ड कंपनियों द्वारा अधिक प्रभार की वसूली

*263. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां/बैंक शेष राशि पर अधिक ब्याज दरें तथा अपनी सेवाओं के लिए बहुत अधिक प्रभार वसूल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने आम आदमी को शोषण से बचाने के लिए क्रेडिट कार्ड कंपनियों/बैंकों के लिए इस संबंध में कोई मानदण्ड एवं शुल्क संबंधी उच्चतम सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा क्रेडिट कार्ड कंपनियों/बैंकों को उचित प्रभार वसूल करने के लिए निदेश जारी करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालन, जिनमें ब्याज दरें और अन्य प्रभार शामिल हैं, अविनियमित कर दिए गए हैं सिवाए इसके कि बैंकों के पास, स्वतंत्र रूप से अथवा अन्य बैंकों से साझेदारी करके, यह व्यवसाय करने के लिए, न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की निवल मालियत होनी चाहिए। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपने क्रेडिट कार्ड परिचालन न्यायपूर्ण और विनियमित तरीके से चलाएं, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2 जुलाई, 2007 को ''क्रेडिट कार्ड परिचालन संबंधी एक मास्टर परिपत्र'' जारी किया है। इन दिशानिर्देशों में क्रेडिट कार्ड परिचालनों हेतु उचित व्यवहार संहिता अपनाना, बयाज दरें एवं अन्य प्रभार, गलत बिल से ग्राहकों को बचाना, बैंकों की उनके द्वारा रखे गए प्रत्यक्ष विक्रय अभिकर्ताओं (डीएसए)/प्रत्यक्ष विपणन अभिकर्ताओं (डीएमए)/वसूली अभिकर्ताओं के प्रति देयताएं तथा जिम्मेदारियां, ग्राहक अधिकारों की सुरक्षा, शिकायतों का निवारण धोखाधड़ियों से निपटने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करना आदि जैसे क्रेडिट कार्ड परिचालन संबंधी विभिन्न मुद्दे शामिल हैं।

(ग) से (ङ) बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आरबीआई ने 16 मई, 2006 को बैंकों को निदेश जारी किए हैं कि वे अपनी वेबसाइटों पर ओर अपने कार्यालयों/शाखाओं में निर्धारित प्रपत्र में विभिन्न सेवा प्रभारों का ब्यौरा प्रदर्शित करें और उसे अद्यतन करें। सेवा प्रभार निर्धारित करते समय, बैंकों से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि प्रभार युक्तियुक्त हों, सेवाएं उपलब्ध कराने में होने वाली लागत से संगत हों और यह कि कम मूल्य/मात्रा के लेन-देन करने वाले ग्राहकों को इससे कोई हानि न हो। इसके अलावा, 20 जुलाई, 2006 के अपने निदेशों के तहत, आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि सेवा प्रभार तथा शुल्क ''सेवा प्रभार तथा शुल्क'' शीर्षक के अंतर्गत, प्रमुख स्थान पर, अपनी वेबसाइटों के मुख पृष्ठ पर प्रदर्शित किए जाएं, जिससे ये बैंक के ग्राहकों को आसानी से उपलब्ध हो सकें। बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे मुख पृष्ठ पर ही, शिकायत के निवारण के लिए नोडल अधिकारी के नाम सहित, शिकायत प्रपत्र भी उपलब्ध कराएं, जिससे ग्राहकों के लिए शिकायत प्रस्तुत करना सुविधाजनक हो।

आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि कार्ड जारीकर्ता बैंकों को अपनी ''स्वागत विवरणिका'' और मासिक विवरण में वार्षिकीकृत

प्रतिशतता दर (एपीआर), एपीआर की गणना का तरीका, गणना के तरीके सहित विलम्ब भुगतान प्रभार और क्रेडिट कार्ड अतिदेयों पर ब्याज आदि की गणना के लिए बकाया भुगतान न की गई राशि को शामिल करने का तरीका प्रदर्शित करने चाहिएं। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे क्रेडिट कार्ड अतिदेयों पर ब्याज दर/सेवा प्रभार निर्धारित करने में पारदर्शिता बरतें और उन्हें "महत्वपूर्ण निबंधन एवं शर्तें" (एमआईटीसी) में शामिल करें। इसके अतिरिक्त, आरबीआई द्वारा क्रेडिट कार्ड परिदृश्य की लगातार निगरानी की जा रही है और सतत आधार पर, बैंकों को उनके क्रेडिट कार्ड परिचालनों संबंधी निदेश दिए जाते हैं।

ग्राहक को पूर्व सूचना दिए बिना सेवा प्रभार लगाना, बैंकों द्वारा यथा अपनाए गए "उचित व्यवहार संहिता" का बैंकों द्वारा गैर-अनुपालन, क्रेडिट कार्ड संबंधी शिकायतें, बैंकों द्वारा अपने अभिकर्ताओं के जरिए आश्वासित सेवाएं उपलब्ध कराने में कमी, जैसे क्षेत्रों में ग्राहक शिकायतों को शामिल करने के लिए योजना का विस्तार करते हुए 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी रूप से बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना, 2006 अधिसूचित की गई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय

*264. **श्री सुब्रत बोस :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का विलय किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बैंकों का विलय कब तक प्रभावी होगा;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान हुए इस प्रकार के किसी विलय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का ऐसे बैंकों के पणधारकों तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा किस प्रकार करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) और (ङ) बैंकिंग क्षेत्र सुधार संबंधी समिति (नरसिम्हन समिति) ने, व्यापक वित्तीय क्षेत्र सुधारों के एक भाग के रूप में, बैंकिंग क्षेत्र के समेकन की सिफारिश की थी। सरकार का ऐसा मत है कि सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक के सरकारी क्षेत्र के ही किसी दूसरे बैंक के साथ विलय आदि के जरिए समेकन का कोई भी प्रस्ताव संबंधित बैंकों की तरफ से ही आना चाहिए और इसमें सरकार आम शेयरधारक के रूप में समर्थनकारी भूमिका निभाएगी। विलय के किसी प्रस्ताव का समर्थन करते समय, सरकार सुनिश्चित करेगी कि विलयित होने वाले बैंकों के पणधारकों और कर्मचारियों के हित पर्याप्त रूप से सुरक्षित रहें। दिनांक 25.8.2007 को, एसबीआई बोर्ड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र को अपने साथ विलयित करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया है। स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के बोर्ड ने भी उसी दिन बैठक आयोजित करके बैंक को भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलयित करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का किसी और राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ विलय नहीं हुआ है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संबंधी कृतिक बल की स्थापना

*265. **श्री मोहन रावले :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संचालनात्मक कार्यकुशलताओं में वृद्धि के लिए उपायों का सुझाव देने हेतु एक कृतिक बल की स्थापना की है;

(ख) क्या कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) के बोर्डों को परिचालनात्मक कुशलता देने के लिए शक्तियां प्रदान करने के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए डा. के.जी. कर्माकर, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन दिनांक 11.9.2006 के पत्र के तहत किया था।

(ख) कार्यदल ने दिनांक 12.2.2007 को भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कार्यदल की कुछ मुख्य सिफारिशें नीचें दी गई हैं:—

(1) समामेलन के पश्चात सृजित बड़े आकार के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में आरआरबी के बोर्डों में निदेशकों की संख्या चयनात्मक आधार पर बढ़ाकर 15 करना।

(2) आरआरबी के अध्यक्ष का अर्हताप्राप्त अधिकारियों के एक पैनल में से योग्यता के आधार पर चयन।

(3) अध्यक्ष के लिए 2 वर्ष का न्यूनतम तथा 5 वर्ष का अधिकतम कार्यकाल।

(4) नामिती निदेशकों की अवधि प्रत्येक दो वर्ष की दो अवधियों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(5) आरआरबी के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों को आरआरबी के प्रकार्यों तथा नामिती निदेशकों के रूप में उनकी जिम्मेदारियों को निभाने के अनुकूल करने की आवश्यकता।

(6) आरआरबी को समामेलन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात पूंजी पर्याप्तता के संबंध में उसी स्तर की सुविधाएं एवं विनियामक मानदण्ड के अध्यधीन रखना चाहिए जो वाणिज्यिक बैंकों पर लागू हैं।

(7) आरआरबी में निम्नलिखित समितियां होनी चाहिएं : (i) जोखिम प्रबंधन समिति, (ii) प्रबंध समिति, (iii) निवेश, मानव संसाधन तथा आईटी समिति तथा (iv) लेखापरीक्षा समिति।

(8) आरआरबी के अध्यक्षों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) के सदस्यों के रूप में नियुक्त भी किया जाना चाहिए।

(9) शाखाओं के वर्गीकरण, स्टाफिंग मानदण्ड एवं प्रोन्नति नीतियों तथा अन्य मानव संसाधन मामलों से संबंधित सभी मामलों का गहराई से अध्ययन भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार (जीओआई) द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित समिति/कार्यदल द्वारा किया जाए।

(10) आरआरबी को एक कार्य योजना अपनाकर अगले तीन वर्षों में परिचालन के मुख्य क्षेत्रों का कंप्यूटरीकरण, शाखाओं, नियंत्रण कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) स्थापित करना आवश्यक है।

(11) आरआरबी को प्रयोजक बैंक के साथ मिलकर अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना (एनआरई) विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता [एफसीएनआर(बी)]/वायदा ठेका विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), जमा प्रमाण पत्र, आदि में संव्यवहार करने की अनुमति तथा किसी भी बैंक में सावधि जमा में अपना धन रखने की स्वतंत्रता दी जाए।

(12) आरआरबी सरकारी क्षेत्र के बैंकों/विकास वित्तीय संस्थाओं (डीएफआई) के साथ संघीय सहायता वित्त में शामिल हो सकते हैं।

(13) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 को आरआरबी पर भी लागू किया जाए।

(14) आयकर अधिनियम की धारा 80(त) के उपबंध आगे 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा पुनर्गठन प्रक्रिया पूरी होने तक, जो भी पहले हो, जारी रखे जाएं।

(घ) यह रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है। तथापि, कुछ सिफारिशें जैसे अध्यक्ष के लिए दो वर्ष का न्यूनतम कार्यकाल, मानव संसाधन नीति हेतु समिति का गठन, आरआरबी का कंप्यूटरीकरण, आरआरबी द्वारा एनआरई/एफसीएनआर जमाराशियां स्वीकार करना, आरआरबी द्वारा संघीय सहायता वित्त के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ शामिल होना, आरआरबी पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 लागू करना, आदि का कार्यान्वयन पहले से ही किया जा चुका है।

अवसंरचना वित्तपोषण संबंधी दीपक पारेख समिति

*266. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री के.एस. राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री दीपक पारेख की अध्यक्षता वाली अवसंरचना वित्तपोषण संबंधी समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विदेशी मुद्रा भंडारों का उपयोग करने के विरुद्ध किसी सुरक्षोपाय की अभिकल्पना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) श्री दीपक पारेख की अध्यक्षता में बनी अवसंरचना वित्तपोषण संबंधी समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में घरेलू ऋण पूंजी बाजार विकसित करने, बीमा क्षेत्र की क्षमता को उपयोग में लाने, अवसंरचना वित्तपोषण में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बड़े एनबीएफसी की भागीदारी को बढ़ाने, अवसंरचना में ईक्विटी के प्रवाहों को सुसाध्य बनाने, अवसंरचना में विदेशी निवेशों को प्रोत्साहित करने और अवसंरचना विकास के लिए विदेशी मुद्रा भंडारों का उपयोग में लाने संबंधी उपायों की सिफारिशें की गयी हैं। रिपोर्ट में अवसंरचना में निजी वित्त निवेशों को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक राजकोषीय सिफारिशें भी की गयी हैं।

रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों का परीक्षण करने हेतु वित्त सचिव की अध्यक्षता में 11 जुलाई, 2007 को बैठक आयोजित की गयी थी। इस बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, आईआरडीए, वित्तीय सेवा विभाग और पूंजी बाजार प्रभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बैठक में कुछ प्रमुख सिफारिशों पर विचार-विमर्श करके कार्रवाई संबंधी मुद्दों को अंतिम रूप दिया गया।

(ग) और (घ) विदेशी मुद्रा भंडारों को उपयोग में लाने के प्रस्ताव में यह उल्लेख है कि भारतीय रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा निधियों को प्राप्त करने हेतु एसपीवी स्थापित किया जाए और उससे भारत में अवसंरचना परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली भारतीय कंपनियों को उधार दिया जाए अथवा अनन्य रूप से भारत से बाहर व्यय करने हेतु ऐसी परियोजनाओं के लिए उनके ईसीबी को सह-वित्तपोषित किया जाए। हालांकि इस प्रस्ताव में मौद्रिक विस्तार को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं, फिर भी यह समझा जाता है कि इस समग्र ढांचे को विधिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है जिसमें राजकोषीय विवेक स्पष्ट दिखायी दे, भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित हो और यह विश्व की सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप हो। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्णीत तौर-तरीकों में आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय पूरी तरह से समाविष्ट हों।

किसानों को निःशुल्क बिजली देने के लिए केंद्रीय राजसहायता

***267. डा. एम. जगन्नाथ :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से किसानों तथा गरीब परिवारों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति के मामले में राजसहायता का पूरा भार वहन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : (क) और (ख) विद्युत मंत्री ने विद्युत क्षेत्र संबंधी मुद्दों पर मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन 28 मई, 2007 को बुलाया था। सम्मेलन में राज्यों ने किसानों और गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत आपूर्ति के लिए सब्सिडी का भार केन्द्र सरकार द्वारा वहन किये जाने की मांग नहीं उठाई।

राष्ट्रीय विद्युत नीति (विद्युत अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा फरवरी 2005 में अधिसूचित) के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र को सतत् निर्वहनीय बनाने के लिए उपभाक्ताओं से सेवा लागत की वसूली सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए यह प्रावधान किया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और एक विनिर्दिष्ट स्तर अर्थात क्रास सब्सिडाईज्ड टैरिफों की शर्त में 30 यूनिट/माह तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए सहायता का न्यूनतम स्तर अपेक्षित है तथापि ऐसे उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ भी आपूर्ति की औसत (समग्र) लागत का कम से कम 50% होनी चाहिए।

नीति में प्रावधान है कि राज्य सरकारें किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं की श्रेणी को एक सीमा जिसे कि वे उपयुक्त समझे, अधिनियम की धारा 65 की शर्तों के अनुसार सब्सिडी प्रदान कर सकती है। इसके लिए अग्रिम में आवश्यक बजट प्रावधान किये जाने की आवश्यकता होगी ताकि यूटीलिटी को उन वित्तीय समस्याओं का सामना न करना पड़े जिससे कि उसका प्रचालन प्रभावित होता हो। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये जायेगे कि ये सब्सिडी अति पारदर्शी व कुशल तरीके में लक्षित लाभभोगियों तक पहुंच सके।

28 मई, 2007 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि जहां भी उपभोक्ताओं के किसी वर्ग को निःशुल्क या सब्सिडी प्राप्त विद्युत प्रदान की जाती है

वहां राज्य सरकार यूटीलिटियों को इसका अग्रिम भुगतान सुनिश्चित करेगी।

छोटे एवं मझोले नगरों का एकीकृत विकास

*268. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से छोटे एवं मझोले नगरों के एकीकृत विकास संबंधी परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) शहरी विकास राज्यों का विषय है। तथापि, भारत सरकार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। छोटे एवं मझोले कस्बों के एकीकृत विकास की योजना (आईडीएसएमटी), एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है 1979-80 (VI पंचवर्षीय योजना) के दौरान शुरू की गई थी और मार्च, 2007 तक जारी रही। आईडीएसएमटी के अंतर्गत कुल 1854 कस्बे शामिल किए गए है और 1069.90 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई है तथा राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उन्होंने इसमें से 1505.84 करोड़ रु. का व्यय किया है। 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई क्योंकि आईडीएसएमटी को दिसंबर, 2005 में शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) में शामिल कर लिया गया है। जेएनएनयूआरएम का एक घटक छोटे व मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) है। जेएनएनयूआरएम के शहरी अवस्थापना एवं शासन (यूआईजी) घटक के तहत शामिल 63 नगरों को छोड़कर 2001 की जनगणना के अनुसार शेष सभी कस्बे वे शहर यूआईडीएसएसएमटी में शामिल हैं।

यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति समितियों द्वारा जुलाई, 2007 तक 7347.66 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत से 365 नगरों/कस्बों में कुल 452 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। योजना के प्रारंभ से जुलाई, 2007 तक 269 कस्बों में 329 परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की 1728.01 करोड़ रु. की पहली किस्त जारी कर दी गई है।

[हिन्दी]

मौसम परिवर्तन का अध्ययन

*269. श्री संजय धोत्रे :
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में मौसम के स्वरूप में आए परिवर्तनों के संबंध में कोई अध्ययन कराने के लिए किसी केन्द्र की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, नहीं।

परंतु भारतीय प्रदेश में हो रहे परिवर्तनों और संभावित परिवर्तनों तथा भू-मंडलीय परिवर्तनों से इनके संबंध पर योजनाबद्ध अनुसंधान करने की आवश्यकता पर गहन विचार विमर्श करने के लिए 1 जून 2007 को एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जलवायु परिवर्तन पर कार्य कर रहे प्रमुख विशेषज्ञों और सभी संबद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गैर सरकारी संगठनों और शैक्षणिक तथा वैज्ञानिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।

बैठक में यह स्वीकार किया गया कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विषयों पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है और जलवायु परिवर्तन पर समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ करने की सिफारिश की गई। इस कार्यक्रम के प्रमुख भाग के रूप में इस बैठक में यह सुझाव दिया गया कि जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक पहलुओं पर अनुसंधान करने के लिए भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे में एक समर्पित केंद्र स्थापित किया जाए।

इसके अलावा, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी) का राष्ट्रीय जलवायु केन्द्र (एनसीसी), पुणे मासिक और मौसमी पैमाने पर मौसम संबंधी पैटर्नों में हो रहे परिवर्तनों का विश्लेषण करने का कार्य कर रहे है। एनसीसी भारतीय प्रदेश में मासिक, ऋतुवत तथा वार्षिक मौसम एवं जलवायु पैटर्नों में होने वाले परिवर्तनों का नियमित रूप से मॉनीटरन करता है तथा मासिक, मौसमी और वार्षिक जलवायु डायग्नॉस्टिक बुलेटिन प्रकाशित करता है। इन प्रकाशनों में विभिन्न कालिक और स्थानिक पैमानों पर भारतीय प्रदेश के तापमान, वर्षावृष्टि,

पवन, दाब, बहिर्गामी दीर्घ तरंग विकिरण आदि जैसे मौसम संबंधी घटकों के माध्य पैटर्नों वाले मानचित्र तथा मौसम पैटर्नों में हो रहे परिवर्तनों की गतिकी पर विचार प्रस्तुत किए जाते हैं।

एनसीसी वर्षावृष्टि, तापमान, विषम मौसम आदि जेसी जलवायु की विभिन्न स्थितियों में हो रहे दीर्घ कालिक परिवर्तनों पर भी शोध कार्य कर रहा है। इस कार्य के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के डेटा अभिलेखागार में उपलब्ध विभिन्न लंबी अवधि के जलवायु संबंधी डेटा का प्रयोग किया जाता है।

[अनुवाद]

निजी विद्युत संयंत्र

***270. श्री आलोक कुमार मेहता :**
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में निजी विद्युत संयंत्रों के निर्माण की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में जिन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संयंत्रों की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, थर्मल उत्पादन को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है और थर्मल विद्युत संयंत्रों, जो निजी क्षेत्र में हैं उन सहित; की स्थापना के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति आवश्यक नहीं है। सी ई ए ने विगत 3 वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र में निम्नलिखित हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को सहमति प्रदान की है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे और प्रत्येक परियोजना के संबंध में की गई प्रगति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	योजना/राज्य का नाम	विकासकर्ता का नाम	क्षमता (मे.वा.)	के.वि.प्र. की स्वीकृति की तिथि	की गई प्रगति
1	2	3	4	5	6
1.	तिस्ता स्टेज-III/ सिक्किम	मैसर्स तिस्ता ऊर्जा लिमिटेड	1200 (6x200)	12.05.2006	– वित्तीय समापन दिनांक 14.08.2007 को प्राप्त कर लिया गया। – पर्यावरणीय स्वीकृति अगस्त 2007 में प्राप्त की गई। – परियोजना को टर्न-की आधार पर निष्पादित करने के लिए दिनांक 18.04.07 को आशय पत्र जारी किया गया। – ढांचागत कार्य प्रगति पर हैं। – चालू होने की अवधि: अक्टूबर 2006 से 5 वर्ष
2.	तिस्ता स्टेज-VI/ सिक्किम	मैसर्स लेनको एनर्जी प्रा. लिमिटेड	500 (4x125)	27.12.2006	– वित्तीय समापन जुलाई 2007 में प्राप्त हो गया।

1	2	3	4	5	6
					— चालू होने की अवधि: प्रभावी तारीख से 5 वर्ष
3.	रंगित-IV एचएईपी सिक्किम	मैसर्स जल पावर कॉर्पो. लिमिटेड	120 (3x40)	06.07.2007	— चालू होने की अवधि: प्रभावी तारीख अर्थात् सितम्बर, 2007 से 4-5 वर्ष।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड

*271. **श्री उदय सिंह :**

श्री अधीर चौधरी :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड ने विभिन्न विकास याजनाओं की सिफारीश की है तथा सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बार्ड द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों की जांच कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य करने संबंधी सरकार की क्या नीति है; और

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी), दिल्ली जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ङ) संसद द्वारा अधिनियमित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना तैयार करने तथा क्षेत्र को अव्यवस्थित विकास से बचाने के लिए भू-उपयोगों के नियंत्रण और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थापना विकास के लिए सुसंगत नीतियां बनाने हेतु ऐसी योजना के कार्यान्वयन का समन्वयन करने तथा मानीटरिंग करने के लिए तथा उससे संबंधित और प्रासंगिक मामलों के लिए एक योजना बोर्ड के गठन का प्रावधान है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 में बोर्ड के निम्नलिखित दो मुख्य कार्यों का उल्लेख किया गया है:—

— क्षेत्रीय योजना, कार्यात्मक योजनाएं तैयार करना तथा उप-क्षेत्रीय योजनाएं व परियोजना योजनाएं तैयार करने की व्यवस्था वे समन्वयन करना।

— केन्द्रीय और राज्य योजना धनराशियों तथा अन्य राजस्व स्रोतों के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चुनिंदा विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण की व्यवस्था करना तथा देखरेख करना।

क्षेत्रीय योजना तथा कार्यात्मक योजनाओं का उद्देश्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उन्नत और सुसंगत विकास को बढ़ावा देना है। ये योजनाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, इन योजनाओं के लिए सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए तैयार की गई वर्ष 2001 के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय योजना तथा वर्ष 2021 के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय योजना बोर्ड के अनुमोदन से क्रमशः दिनांक 23.1.1989 तथा 17.9.2005 को अधिसूचित की गई थी बोर्ड ने परिवहन के लिए कार्यात्मक योजनाओं, विद्युत पर कार्यात्मक योजना, दूरसंचार पर कार्यात्मक योजना तथा उद्योग पर कार्यात्मक योजना जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी कार्यात्मक योजना तैयार की थी। उप क्षेत्रीय योजना के संबंध में, सहभागी राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश जैसा भी मामला हो, बोर्ड द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद यह सुनिश्चित करते हुए उप-क्षेत्रीय योजना को अंतिम रूप देंगे कि यह क्षेत्रीय योजना

के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान नामक दो सहभागी राज्यों ने भी अपनी-अपनी उप-क्षेत्रीय योजनाएं तैयार की थी। सहभागी राज्यों के प्रमुख शहरों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए मास्टर प्लान और अवस्थापना विकास हेतु विभिन्न परियोजना योजनाएं तैयार की गई है।

दिनांक 31.3.2007 की स्थिति अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 171 अवस्थापना परियोजनाओं के लिए 2628 करोड़ रु. की ऋण राशि वितरित की है। 171 अवस्थापना परियोजनाओं में से 109 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा 62 परियोजनाएं विभिन्न कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। ये परियोजनाएं, भूमि विकास, जल आपूर्ति, विद्युत, परिवहन, सीवरेज व जल निकासी तथा अन्य अवस्थापना विकास क्षेत्रों से संबंधित हैं।

अपारम्परिक ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

*272. श्री अनंत कुमार :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने में अन्य देशों से पीछे है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में विश्व के विभिन्न देशों की तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को हाल ही में देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी नहीं।

(ख) दिनांक 30.6.2007 की स्थिति के अनुसार देश में 10,467 मेगावाट की ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता संस्थापित की गई है जिसमें पवन विद्युत से 7231 मेगावाट, लघु पनबिजली से 2013 मेगावाट, बायो-विद्युत से 1221 मेगावाट और सौर विद्युत से 2 मेगावाट शामिल है जिससे देश इस क्षेत्र में विशेषकर अनुमानित संभाव्यता के दोहन के संबंध में एक प्रमुख देश बन गया है ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पवन विद्युत और लघु पनबिजली संस्थापना के मामले में देश का विश्व में क्रमशः चौथा और दसवां स्थान है। खोई सह-उत्पादन की संस्थापना में देश सबसे अग्रणी है। तथापि, ग्रिड-इंटरएक्टिव सौर विद्युत, जिसकी उत्पादन की यूनिट लागत लगभग 20 रु./किवा.घं. होने का अनुमान है, को अभी मौजूदा दशाओं में आर्थिक व्यवहार्यता प्राप्त करनी है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अनुदान हेतु राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र से नियमित आधार पर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। कभी-कभी ये प्रस्ताव अपूर्ण होते हैं अथवा इन स्कीमों/कार्यक्रमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं होते हैं। पूर्ण प्रस्तावों पर बजट प्रावधानों के अध्यधीन विचार और अनुमोदन किया जाता है।

विवरण

दिनांक 30.6.2007 की स्थिति के अनुसार देश में ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत की अनुमानित संभाव्यता और संस्थापना के विवरण

क्र. सं.	अक्षय स्रोत	अनुमानित संभाव्यता (मेगावाट में)	उपलब्धियां (30.06.2007 के अनुसार) (मेगावाट में)
1	2	3	4
1.	पवन विद्युत	45,195[1]	7,230.99
2.	लघु पनबिजली (25 मेगावाट तक)	15,000[2]	2,013.17
3.	बायो विद्युत		
	– कृषि अवशिष्ट और प्लांटेशन	16,881[3]	542.80
	– सह उतपादन - खोई	5,000[4]	634.83

1	2	3	4
	– शहरी और औद्योगिक अवशिष्ट से ऊर्जा	2,700[5]	43.45
			1,221.08
4.	सौर विद्युत	–	2.12
	कुल (मेगावाट में)	84,776[6]	10467.36

नोट:-

1. संभाव्यता वाले क्षेत्रों में 1 प्रतिशत की दर पर भूमि उपलब्धता और पवन फार्मों के लिए 12 हेक्टेअर/मेगावाट की आवश्यकता को मानते हुए 200 वाट/मी² से अधिक पवन विद्युत घनत्व (डब्ल्यू पी डी) वाले क्षेत्रों पर आधारित संभाव्यता जिसमें से संपूर्ण संभाव्यता ग्रिड-इंटरएक्टिव पवन विद्युत के लिए तकनीकी दृष्टि से संभाव्य और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं हो सकती। 300 वाट/मी² से अधिक डब्ल्यू पी डी वाले स्थलों पर ग्रिड-इंटरएक्टिव पवन विद्युत प्रणालियों की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के अनुसार, संभाव्यता का अनुमान 5000 मेगावाट लगाया गया है। यहां तक कि यदि 250 वाट/मी² से अधिक डब्ल्यूपीडी वाले स्थलों को भी लिया जाए तो संभाव्यता 15,000 मेगावाट होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, इस समय प्रारंभिक सर्वेक्षण में पर्याप्त ग्रिड-इंटरएक्टिव अपतटीय पवन विद्युत संभाव्यता का अनुमान नहीं है। इसकी तुलना में, यूएसए में 25 प्रतिशत की दर पर पीएलएफ मानते हुए 300 वाट/मी² से अधिक डब्ल्यूपीडी वाले स्थलों पर विचार करते हुए पवन विद्युत संभाव्यता 2.0-7.6 मिलियन मेगावाट होने का अनुमान है जो भूमि उपयोग प्रतिबंधों की सीमाओं पर निर्भर करता है। यूएसए में 0.17-0.64 प्रतिशत के संभाव्यता दोहन स्तर के अनुरूप संस्थापना 12,736 मेगावाट रखी गई है। यूरोप में 300 वाट/मी² से अधिक डब्ल्यूपीडी वाले स्थलों के लिए संभाव्यता दोहन स्तर लगभग 1-3 प्रतिशत होने का अनुमान हे जो भूमि उपयोग प्रतिबंधों की सीमा पर निर्भर करता है। इनकी तुलना में, देश में 200 वाट/मी² के अपेक्षाकृत निम्न डब्ल्यूपीडी के होते हुए भी 16 प्रतिशत के संभाव्यता दोहन स्तर को प्राप्त किया गया है जिससे इसका विश्व में चौथा स्थान है।

2. तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य पन बिजली संभाव्यता को सामान्यतया कुल अनुमानित संभाव्यता के 40% पर स्वीकार किया जाता है। तदनुसार, तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य लघु पनबिजली संभाव्यता लगभग 6000 मेगावाट हो सकती है जिसमें से 2000 मेगावाट से अधिक का दोहन पहले ही किया जा चुका है जिससे विश्व भर में भारत का 10वां स्थान हो गया है।

3. यद्यपि यह संभाव्यता अतिरिक्त कृषि अवशिष्टों पर आधारित है, व्यवहार में ऐसे कृषि-अवशिष्टों के संग्रहण और उत्पादन स्थलों ते उन्हें पहुंचाने में कई बाधाएं हैं, और तकनीकी-आर्थिक कारणों से बायोमास विद्युत उत्पादन यूनिटों द्वारा जलावन लकड़ी के प्रयोग को वरीयता दी जाती है। 30% की प्रणाली क्षमता तथा 75% पीएलएफ के साथ 4000 कि.केल/किग्रा. वाले 10 एमटी/एचए वर्ष काष्ठ बायोमास के उत्पादन को मानते हुए लगभग 20 एमएचए बंजर भूमि से 45000 मेवा.ई की संभाव्यता को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस संभाव्यता को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख अंतर-मंत्रालयी पहल करने की आवश्यकता होगी जिसमें अन्य के अलावा पर्यावरण एवं वन, कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त एक बायोमास एटलस भी तैयार किया जा रहा है जिससे कृषि-अवशिष्टों से राज्यवार अक्षय ऊर्जा संभाव्यता का और सटीक मूल्यांकन किए जाने की संभावना है।

4. नई चीनी मिलों की स्थापना और विद्यमान मिलों के आधुनिकीकरण के साथ तकनीकी रूप से व्यवहार्य संभाव्यता 5000 मवा. ई होने का अनुमान लगाया जाता है जिसमें से संपूर्ण संभाव्यता आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त, कई चीनी कंपनियां/कॉआपरेटिव अपनी वित्तीय तथा लिक्विडिटी स्थितियों के कारण भरोसेमंद परियोजनाओं का विकास करने में असमर्थ हैं। फिर भी, खोई सहउत्पादन संस्थापना में देश अग्रणी रहा है।

5. वर्ष 2001 की जनगणना के पश्चात् शहरी जनसंख्या में विस्तार के साथ, इस समय तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य म्युनिसिपल अपशिष्ट से ऊर्जा संभाव्यता के 1700 मेवा. ई होने का अनुमान लगाया जाता है जिसमें से संपूर्ण संभाव्यता आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकती है।

तथापि, म्युनिसिपल अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी संवितरण को मार्च, 2005 में एक जनहित याचिका के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर स्थगित रखा गया था। अब 5 प्रायोगिक परियोजनाओं की स्थापना हेतु इस रोक को हटा लिया गया है।

6. तकनीकी और/अथवा आर्थिक कारणों से अक्षय ऊर्जा की यह संपूर्ण संभाव्यता ग्रिड-इंटरएक्टिव विद्युत हेतु उपयुक्त नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त, इस अनुमान में सौर विद्युत की संभाव्यता शामिल नहीं है जो भावी विकास पर निर्भर है जिससे सौर प्रौद्योगिकी, ग्रिड-इंटरएक्टिव विद्युत उत्पादन अनुप्रयोगों हेतु लागत-प्रतिस्पर्धी बन सकती है।

सहकारी समितियों और बैंकों को कर में छूट

*273. **श्री के. फ्रांसिस जार्ज :**
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केन्द्र सकार को सहकारी समितियों/बैंकों को आयकर/सेवा कर में छूट देने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरमं) : (क) जी, हां।

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 80 त के अंतर्गत कर लाभों, जिन्हें वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा वापस ले लिया गया था, का बहाली के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसी तरह, सहकारी आवासन समितियों द्वारा अपने सदस्यों को प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर से छूट की मांग करने वाले अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं।

(ग) सहकारी बैंकों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 त के अंतर्गत कर लाभ की बहाली के लिए अनुरोध स्वीकार्य नहीं पाया गया है। तथापि, जहां तक सेवा कर से छूट प्रदान करने के अनुरोध का संबंध है, सरकार ने अधिसूचना सं. 8/2007—सेवा कर दिनांक 1.3.2007 जारी की है ताकि इस शर्त के अधीन आवासीय कल्याण संघ द्वारा अपने सदस्यों को प्रदान की गई सेवाओं को पूर्णतः छूट प्रदान की जा सके कि उक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए उक्त संघ द्वारा किसी व्यक्तिगत सदस्य से प्राप्त कुल प्रतिफल प्रतिमाह 3000/- रुपए से अधिक न हो।

किसान क्रेडिट कार्ड

*274. **श्री एन.एस.वी. चित्तन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए हैं;

(ख) आज की तिथि तक किसानों को कुल कितनी धनराशि संवितरित की गई है; और

(ग) 31 मार्च, 2007 तक इस योजना से कुल कितने किसान लाभान्वित हुए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान किसानों की राज्य-वार संख्या, जिन्हें किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) दिया गया है, ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) चूंकि किसान क्रेडिट कार्ड एक परिक्रामी ऋण सीमा सुविधा है, जो स्वीकृत ऋण सीमा के अंदर कितनी बार भी धनराशि जमा करने और आहरण करने की सुविधा देता है, आंकड़ा सूचना प्रणाली किसानों को संवितरित राशि की सूचना नहीं रखती है। तथापि, किसानों के क्रेडिट कार्ड पर स्वीकृत निवल ऋण सीमा 2,34,724.30 करोड़ रुपए (30.6.2007 तक है।)

(ग) दिनांक 31.3.2007 तक जिन किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं, उनकी कुल संख्या करीब 6,65,64,000 है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी किए गए कार्डों की संख्या		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश*	1582480	1345804	1378365
2.	असम	83416	64963	34117

1	2	3	4	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	4345	2173	1409
4.	बिहार*	231781	209249	279376
5.	गुजरात	209758	238534	216758
6.	गोवा	2131	2826	597
7.	हरियाणा	158441	253997	110747
8.	हिमाचल प्रदेश	32191	35170	28908
9.	जम्मू एवं कश्मीर	12678	9056	5165
10.	कर्नाटक	406589	505037	386786
11.	केरल	318899	240090	317523
12.	मध्य प्रदेश	759448	497855	373557
13.	महाराष्ट्र	590723	778374	1087696
14.	मेघालय#	10883	9855	11956
15.	मिजोरम#	3495	3748	446
16.	मणिपुर#	5769	6045	14646
17.	नागालैंड#	4277	4321	3948
18.	उड़ीसा	602605	493979	348726
19.	पंजाब	152243	179235	114108
20.	राजस्थान	875218	346500	264731
21.	सिक्किम#७	1438	1726	685
22.	तमिलनाडु	614641	527892	518203
23.	त्रिपुरा#	10415	11476	9842
24.	उत्तर प्रदेश	1998378	1333064	1358072
25.	पश्चिम बंगाल	498094	479726	181931
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह#७	902	364	466
27.	चण्डीगढ़#७	928	1	0
28.	दमन एवं दीव●#	0	71	22
29.	नई दिल्ली#७	1139	658	1013
30.	दादरा एवं नागर हवेली●७	3	5	12
31.	लक्षद्वीप●#	75	109	67
32.	पांडिचेरी●#	5378	522	7482
33.	झारखण्ड	158472	126633	201057
34.	छत्तीसगढ़	251944	238537	176068
35.	उत्तरांचल	91197	59956	31755
	कुल	9680374	8012251	7470240

\# राज्य सहकारी बैंक सीएफए के रूप में कार्य करते हैं।

\+ अनंतिम आंकड़े।

* मिलान के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं के आंकड़े।

● इन संघ राज्य क्षेत्र में कोई सहकारी बैंक नहीं है।

७ इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है।

[हिन्दी]

बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि दर

*275. डा. राजेश मिश्रा :
श्री जे.एम. आरून रशीद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के क्रियाकलापों की वृद्धि दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बढ़ती ब्याज दरों के कारण वृद्धि दर में गिरावट आई है;

(ग) क्या वित्तीय विशेषज्ञों ने इस संबंध में कोई आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशि वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान वर्षानुवर्ष आधार पर क्रमशः13.0%, 18.1%, और 23.7% तक बढ़ गई है। इस अवधि के दौरान इन बैंकों के अग्रिम क्रमशः 30.9%, 30.8% और 28.0% (वर्षानुवर्ष) तक बढ़ गए हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का लाभ पिछले दो वर्षों के दौरान क्रमशः 16.7% और 24.5% तक बढ़ गया है।

(ख) से (घ) मौद्रिक नीति निर्धारण के कारण ब्याज दरों में वृद्धि से भी वर्ष 2006-07 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिम की वृद्धि दर में गिरावट आई है। यह गिरावट कुल मिलाकर भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमानों के अनुरूप रही है।

[अनुवाद]

विद्युत संयंत्रों में क्षमता वृद्धि

*276. श्री एम. राजमोहन रेड्डी :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कई वर्षों से राज्य संचालित विद्युत संयंत्रों की क्षमता में गैस और कोयले की कम आपूर्ति के कारण कोई वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए ग्यारहवीं योजना में आवश्यक धनराशि का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) 10वीं योजना के दौरान राज्य क्षेत्र में 11,157 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में 6244.6 मेगावाट क्षमता चालू की जा सकी। वे परियोजनाएं, जो 10वीं योजना की मूल सूची में पिछड़ गई थीं, उनमें से कोई परियोजना कोयले की गैर-उपलब्धता के कारण नहीं पिछड़ी है। यद्यपि अपेक्षित गैस समझौते के अभाव में आदेश नही दिए जाने के कारण पुदुचेरी के कराइकल में स्थित एक गैस आधारित परियोजना (100 मेगावाट) को 10वीं योजना से हटा दिया गया था।

जहां तक राज्य क्षेत्र में मौजूदा गैस एवं कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों का संबंध है, विगत तीन वर्षों के दौरान कोयले और गैस के अभाव में विद्युत उत्पादन में हुई हानि निम्नानुसार रही है—

वर्ष	कोयले के अभाव में विद्युत उत्पादन में कमी	गैस की कमी के कारण विद्युत उत्पादन की हानि (मि.यू.)
2004-05	25	2792.92
2005-06	42.66	3874.04
2006-07	शून्य	4328.56

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण वर्ष 2006-07 में कोयले की कमी से राज्य संचालित संयंत्रों में विद्युत उत्पादन की कोई हानि नहीं हुई है। किंतु प्राकृतिक गैस की मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर को दूर करने के लिए भारत सरकार ने बहु-आयामी रणनीति तैयार की, जो निम्नानुसार है—

- घरेलू अन्वेषण एवं उत्पादन (ई एंड पी) कार्यकलापों का सघनीकरण
- कोल बेड मीथेन (सीबीएम) जैसे अपारंपरिक स्रोतों का दोहन
- भूमिगत कोल गैसीफिकेशन।
- हाइड्रेट संसाधनों के मूल्यांकन तथा उनके संभव वाणिज्यिक दोहन के मूल्यांकन के लिए प्राकृतिक गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) कार्यान्वियन।

— तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के रूप में गैस के आयात को प्रोत्साहित करना; और

— पारदेशीय गैस पाइपलाईनों के जरिए गैस की प्राप्ति।

(ग) और (घ) 11वीं योजना (2007-12) हेतु विद्युत संबंधी कार्यकारी समूह ने कुछ आकलन के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि विद्युत क्षेत्र के लिए कुल मिलाकर लगभग 10,31,600 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता होगी। प्रक्षेपित क्षमता अभिवृद्धि के लिए कार्यकारी समूह ने लगभग 4,10,900 करोड़ रुपये की धनराशि की धनराशि की आवश्यकता को आकलन किया है। 30 अगस्त, 2007 की स्थिति के अनुसार लगभग 78,500 मेगावाट की अब प्रस्तावित क्षमता अभिवृद्धि में से 2265 मेगावाट पहले ही चालू कर दी गई है और अन्य 51,680 मेगावाट क्षमता निर्माणाधीन है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि धनराशि की कमी के कारण व्यवहार्य परियोजनाएं प्रभावित न हों, पावर फाइनेंस कारपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ने धनराशि जुटाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र की परियोजनाओं का वित्तीय समापन सुगम बनाने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों को मिलाकर निर्मित एक अंत:सांस्थानिक समूह कार्यरत है। किंतु निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के संबंध में इक्विटी अंशदान के लिए विकासकर्त्ताओं को अपने आंतरिक संसाधनों से प्रबंध करना होगा, जबकि केंद्रीय तथा राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं की इक्विटी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/यूटिलिटियों को अपने आंतरिक संसाधनों और/या बजटीय सहायता से प्रबंध करना होगा।

"कापार्ट" के कार्यालय से फाइलों का गुम होना

*277. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री रघुनाथ झा :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को संवितरित अलेखाकृत धनराशि से संबंधित कुछ फाइलें लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद (कपार्ट) के कार्यालय से गुम हो गई हैं;

(ख) यदि हा, तो क्या इस मामले में कोई जांच की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कपार्ट द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को कितनी धनराशि वितरित की गई और इन गैर-सरकारी संगठनों को निधि प्रदान करने के क्या प्रयोजन हैं; और

(घ) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) कपार्ट के मुख्यालयों/क्षेत्रीय केन्द्रों में फाइलों की वास्तविक जांच के बाद, यह देखा गया है कि 4719 परियोजना फाइलें, जो इलेक्ट्रानिक डाटा बेस में चल रही परियोजनाओं के रूप में दर्शाई गई हैं, वास्तव में कपार्ट के मुख्यालयों के विभिन्न प्रभागों और क्षेत्रीय केन्द्रों में विद्यमान नहीं हैं।

(ख) कपार्ट के विभिन्न प्रभागों/क्षेत्रीय केन्द्रों में वास्तविक रूप से विद्यमान फाइलों और कपार्ट डाटा बेस में दर्शाई गई फाइलों के बीच असमानता को दूर करने के लिए, बाह्य स्वतंत्र एजेंसी अर्थात प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म की सेवाएं ली गई हैं। एजेंसी की रिपोर्ट जल्द ही मिल जाने की संभावना है।

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान कपार्ट द्वारा विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को वितरित/रिलीज की गई निधियों का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। गैर-सरकारी संगठनों का वित्त-पोषण, ग्रामीण समुदायों के लाभ के लिए ग्रामीण विकास परियोजनाएं कार्यान्वित करने के उद्देश्य से किया जाता है।

(घ) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों के दुरूपयोग की जांच के लिए कपार्ट द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:-

— परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय गैर-सरकारी संगठन के पदाधिकारियों का फोटोग्राफ अनिवार्य बनाया गया ताकि सदस्यों को दी गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में उन पर नैतिक दवाब डाला जा सके।

— विषय-वस्तु के विशेषज्ञ/विशेषज्ञों द्वारा वित्त-पोषण पूर्व मूल्यांकन को अनिवार्य बनाया गया।

— गैर-सरकारी संगठन को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है कि संबंधित परियोजना के लिए उसी परियोजना के लिए उन्हीं लाभार्थियों को शामिल कर किसी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय अथवा किसी अन्य

एजेंसी से पूर्णत: अथवा अंशत: निधियां न तो प्राप्त हुई हैं, न ही प्राप्त हो रही हैं और न ही आगे प्राप्त होंगी और न ही निधियां प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जाएगा।

– जिला कलेक्टर/राज्य सरकार के अतिरिक्त संबंधित जन प्रतिनिधियों (संसद सदस्य, विधायक और पंचायत प्रतिनिधियों) को मंजूरी आदेश पृष्ठांकित किए जाते हैं।

– मंजूरी इत्यादि से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर डाली जाती है और कपार्ट समाचार-पत्र में प्रकाशित की जाती है।

– लाभार्थियों के चयन इत्यादि को ग्राम सभा के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाना होता है।

– पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों को परियोजना स्थल पर परियोजना/वित्त-पोषण स्रोत के विवरणों को दर्शाने का अनुदेश दिया गया है।

– सूचीबद्ध संस्थागत निगरानीकर्ताओं द्वारा मध्यावधि मूल्यांकन किए जाते हैं और सुझाए गए संशोधन, यदि कोई हों, किए जाते हैं।

– जुटाए गए स्थानीय अंशदान को दर्शाने वाले उपयुक्त ब्यौरों के साथ संवितरित अनुदान के लिए समेकित लेखा-परीक्षित लेखे प्राप्त किए जाते हैं।

– रिलीज किए गए अनुदान के लिए लेखों के लेखा-परीक्षित विवरण के साथ समापन रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत उत्तर-मूल्यांकन किया जाता है।

– परियोजनाओं की ऑन-लाइन निगरानी शुरू की जा रही है।

– स्वैच्छिक संगठन के मुख्य कार्यकारी द्वारा क्षतिपूर्ति बंध-पत्र को निष्पादित कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

विवरण

विगत 5 वर्षों में स्वैच्छिक संगठनों को रिलीज की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		स्वैच्छिक संगठनों की कुल सं.	जारी धनराशि	स्वैच्छिक संगठनों की कुल सं.	जारी धनराशि	स्वैच्छिक संगठनों की कुल सं.	जारी धनराशि	स्वैच्छिक संगठनों की कुल सं.	जारी धनराशि	स्वैच्छिक संगठनों की कुल सं.	जारी धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	171	56688188	93	64877764	156	44237625	145	49965760	134	36669016
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	3	201675	3	488225	2	170500	1	125725
3.	असम	15	2366435	30	4440141	26	6599337	27	6084763	20	4780419
4.	बिहार	187	86944372	180	90805139	48	15880394	52	23846916	42	11375147
5.	छत्तीसगढ़	3	4207767	3	3601737	3	1186367	7	1796128	10	8176571
6.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	1	125625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	दिल्ली	3	306350	2	340000	2	135000	0	0	0	0
8.	गोवा	1	32500	0	0	1	32500	0	0	0	0
9.	गुजरात	30	13523652	43	21528993	49	22539525	51	24052172	37	18167289
10.	हरियाणा	74	37399357	89	40880872	65	24294371	55	19721689	37	11578899
11.	हिमाचल प्रदेश	33	15894637	35	19729322	36	18913085	24	10424228	19	4909697
12.	जम्मू व कश्मीर	17	8588028	15	6205715	18	5862331	16	7103765	14	3673933
13.	झारखंड	40	16108526	18	15554105	16	11502087	7	3087850	14	14396411
14.	कर्नाटक	1	667171	4	4277158	2	1458107	2	212625	1	4235000
15.	केरल	3	4165305	7	1637955	6	6283292	1	10000	2	1606441
16.	मध्य प्रदेश	12	12693671	31	22224524	25	10739314	28	10536861	30	12069103
17.	महाराष्ट्र	47	38394530.3	60	35333588	67	30022691	55	26221799	35	23427283
18.	मणिपुर	32	4467643	38	9105797	41	7870319	46	9686908	27	3719482
19.	मेघालय	0	0	3	331499	2	266500	2	277000	0	0
20.	मिजोरम	3	412060	4	717040	5	965808	6	730506	5	641575
21.	नागालैंड	6	507437	7	728338	8	1417034	10	2372487	7	2045418
22.	उड़ीसा	105	24152947	85	26840145	63	22204909	88	22083677	64	20247764
23.	पांडिचेरी	2	503120	1	500000	0	0	1	372400	1	62250
24.	पंजाब	10	1826899	14	6160311	12	3623753	7	3122290	6	1814392
25.	राजस्थान	25	27140942	78	41203499	62	24431614	58	13410397	44	13794881
26.	सिक्किम	0	0	1	40000	0	0	2	84000	2	451341
27.	तमिलनाडु	89	34071360	69	23344510	52	17979383	36	12694435	29	7009938
28.	त्रिपुरा	4	2119566	10	945611	4	393040	7	1054713	8	865640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	उत्तर प्रदेश	184	49313489	202	58492087	244	72010289	108	32892623	29	9583884
30.	उत्तरांचल	35	11321097	39	16299931	49	19502675	28	6700746	14	6728163
31.	पश्चिम बंगाल	101	32756043	76	27718923	78	29065802	70	17266510	40	13768159
	कुल	1233	486573092.3	1340	544066379	1143	399905377	941	305983748	673	236049446

[हिन्दी]

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव

***278. श्री मोहन सिंह :**

श्री सज्जन कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई-अगस्त के महीनों में भारतीय सेंसेक्स में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप शेयरधारकों को कितना नुकसान उठाना पड़ा है;

(ग) शेयर बाजार में इस उतार-चढ़ाव के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार स्टॉक मार्किट में हस्तक्षेप करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सेंसेक्स 2 जुलाई, 2007 को कारोबार बंद होने के समय 14,664.26 से बढ़कर 30 अगस्त, 2007 को कारोबार बंद होन के समय 15,121.74 पर पहुंच गया। स्टॉक मूल्यों में उतार-चढ़ाव से होने वाली हानि या लाभ सांकेतिक है।

(ग) बाजार सूचकांकों का उतार-चढ़ाव अथवा किसी विशिष्ट शेयर की कीमत घरेलू तथा विदेशी, खुदरा तथा सांस्थनिक निवेशकों के अर्थव्यवस्था, क्षेत्र तथा कंपनी के बारे में अवबोधनों का कार्य है। यह अवबोधन अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होता है जिनमें वृहद्-आर्थिक माहौल, अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता, कारपोरेट निष्पादन, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं तथा बाजार मनोभाव शामिल हैं।

(घ) और (ङ) प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा एक्सचेंजों ने सुरक्षित, पारदर्शी तथा कुशल बाजार का संवर्धन करने तथा बाजार अखंडता की संख्या करने के लिए प्रणालियां तथा पद्धतियां लागू की हैं। इन प्रणालियों में उन्नत जोखिम प्रबंधन प्रक्रम शामिल हैं। जिनमें ऑनलाईन मानीटरिंग तथा निगरानी, स्थितियों पर विभिन्न सीमाएं, मार्जिन अपेक्षाएं, सर्किट फिल्टर इत्यादि सन्निहित हैं जो बाजार में अत्यधिक उतार-चढ़ाव की गुंजायश को कम कर देते हैं।

[अनुवाद]

बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हेतु मानदंड

***279. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी कॉल सेंटरों के लिए उपकरण खरीदने हेतु विदेशी मुद्रा आहरित करने वाली बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) फर्मों के लिए मानदंड जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य पर अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 25 मई, 2007 के परिपत्र के माध्यम से प्राधिकृत व्यापारियों

को निदेश जारी किए हैं जिनके द्वारा विदेशों में गठित नए अंतर्राष्ट्रीय काल सेंटरों हेतु उपस्कर खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण करने वाली बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियों हेतु मानदंडों को उदार बनाया गया है

(ख) प्राधिकृत व्यापारियों को यह अनुमति दी गई है कि वे निम्नलिखित शर्तों पर भारत में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियों को अपने विदेशी स्थलों पर संस्थापित किए जाने वाले उपस्करों की लागत के लिए विप्रेषण हेतु अनुज्ञा दें:

(i) विदेश में अंतर्राष्ट्रीय काल सेंटर की स्थापना हेतु बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी ने, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य संबंधित प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया हो।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी अपने वाणिज्यिक निर्णय, सौदों की सच्चाई और संविदा की शर्तों के आधार पर ही विप्रेषण अनुमत करें।

(iii) विप्रेषण विदेशी प्रदायकर्ता के खाते में सीधे किया गया हो।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी आयातक कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या लेखापरीक्षक से आयात के साक्ष्य के रूप में प्रमाणपत्र भी प्राप्त करे कि जिन वस्तुओं के लिए विप्रेषण किया गया है, वे वस्तुत: आयात की गई हैं तथा विदेशी स्थलों पर संस्थापित कर दी गई हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की संशोधित नीति में केवल ऐसे सौदे करने की प्रक्रियाओं को केवल सरल बनाया गया है। इससे विदेशी मुद्रा के बहिर्प्रवाह में वृद्धि नहीं होती, बल्कि केवल ऐसे लेनदेनों की प्रक्रियाएं ही सरल होती हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि वास्तविक आयात देश में नहीं किए जाते, भारतीय रिजर्व बैंक के पास बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा किए गए आयातों पर हुए विदेशी मुद्रा व्यय संबंधी अन्य आंकड़े नहीं हैं।

गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

*280. **श्री एम. अप्पादुरई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई चूकों (स्लिपेज) के कारण सरकारी बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों का तत्संबंधी बैंकवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) हमेशा नई चूकें होती हैं, जिनसे बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए) बढ़ जाती हैं। ऐसी नई चूकों के बावजूद सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियों में गिरावट आई है, जो 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार 42,117 करोड़ रुपए से गिरकर 31 मार्च, 2007 को 38,957 करोड़ रुपए हो गई हैं। 31 मार्च, 2006 और 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सकल एवं निवल अनुपयोज्य आस्तियों का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुपयोज्य आस्तियों की शीघ्र वसूली के लिए कुछ उपाय निर्धारित किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों द्वारा वसूली नीति विकसित करना और उसका कार्यान्वयन करना, सिविल अदालतों/ऋण वसूली अधिकरणों में वाद दाखिल करना, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई, समझौता वार्ता द्वारा निपटान, विभिन्न स्तरों पर अनुपयोज्य आस्तियों की निगरानी एवं अनुवर्तन, आदि शामिल हैं। ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 ऋण सूचना कंपनियों के विनियमन हेतु प्रावधान करने तथा ऋण का कुशल संवितरण सुकर बनाने और उसके द्वारा नई अनुपयोज्य आस्तियां बनने से रोकने के लिए अधिनियमित किया गया है। कुछ चुनिंदा बैंकों द्वारा ऋण सूचना ब्यूरो (इंडिया) लि. भी बनाया गया है ताकि बैंकों को ऋणकर्ताओं के संबंध में सूचना दी जा सके, जिससे ऋण के संबंध में अवधारणयुक्त एवं सुविचारित निर्णय ले सकें। ठोस प्रयासों के कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों की निवल अनुपयोज्य आस्तियां 31 मार्च, 2004 को 18,320 करोड़ रुपए (निवल अग्रिमों का 3.11%) से घटकर 31 दिसंबर, 2006 को 14,614 करोड़ रुपए (निवल अग्रिमों का 1.18%) हो गई हैं।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियां और निवल अनुपयोज्य आस्तियां

(रुपए करोड़ में)

बैंक समूह	बैंक का नाम	मार्च 2006		मार्च 2007	
		सकल अनुपयोज्य आस्तियां	निवल अनुपयोज्य आस्तियां	सकल अनुपयोज्य आस्तियां	निवल अनुपयोज्य आस्तियां
1	2	3	4	5	6
राष्ट्रीकृत बैंक	इलाहाबाद बैंक	1184	246	1094	440
	आंध्रा बैंक	437	52	397	47
	बैंक आफ बड़ौदा	2390	518	2092	502
	बैंक आफ इंडिया	2479	970	2100	632
	बैंक आफ महाराष्ट्र	944	334	820	277
	केनरा बैंक	1793	879	1493	927
	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	2684	972	2572	878
	कार्पोरेशन बैंक	626	154	625	0
	देना बैंक	949	433	744	365
	आईडीबीआई लि.	1116	563	1232	722
	इंडियन बैंक	669	177	546	102
	इंडियन ओवरसीज बैंक	1228	224	1120	258
	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	2116	163	1454	216
	पंजाब एंड सिंध बैंक	942	220	291	77
	पंजाब नेशनल बैंक	3138	210	3391	726
	सिंडिकेट बैंक	1506	313	1560	391

1	2	3	4	5	6
	यूको बैंक	1235	785	1506	1006
	यूनियन बैंक आफ इंडिया	2098	834	1873	601
	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	744	303	817	333
	विजया बैंक	540	142	564	144
भारतीय स्टेट बैंक समूह	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	389	187	463	223
	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	453	75	351	61
	भारतीय स्टेट बैंक	10376	4906	9998	5258
	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	363	217	294	159
	स्टेट बैंक आफ मैसूर	398	86	2384	75
	स्टेट बैंक आफ पटियाला	543	220	524	238
	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	168	98	128	78
	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	610	276	540	268
	कुल	42117	14560	38974	15003

[हिन्दी]

एस.जी.एस.वाई के अंतर्गत स्वसहायता समूह

2595. **श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड में एस.जी.एस.वाई के अंतर्गत अब तक सरकार द्वारा कुल कितने स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं;

(ख) उनमें से कितने को श्रेणी एक, दो तथा अन्य में रखा गया है;

(ग) किन श्रेणियों को अब तक ऋण तथा अन्य सहायता नहीं प्रदान की गई तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) परिस्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार झारखंड राज्य में 31.07.2007 तक स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत कुल 37977 स्व-सहायता समूह बनाए गए हैं।

(ख) 31.07.2007 की स्थिति के अनुसार, झारखंड में ग्रेड-I पास करने वाले स्व-सहायता समूहों की संख्या 23720 है और ग्रेड-II पास करने वाले स्व-सहायता समूहों की संख्या 9279 है।

(ग) और (घ) 31.07.2007 तक की स्थिति के अनुसार, झारखंड में वित्तीय सहायता प्रापत करने वाले और आर्थिक कार्यकलाप शुरू

करने वाले स्व-सहायता समूहों की संख्या 15682 है। एसजीएसवाई के तहत वित्तीय सहायता के दो घटक हैं अर्थात् ऋण तथा सब्सिडी। सब्सिडी एक गौण तथा सहायक घटक है, जबकि ऋण (क्रेडिट) मुख्य घटक है। जो एसएचजी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एसजीएसवाई के दिशा-निर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, उन्हें परिक्रामी निधि तथा सब्सिडी प्रदान की जाती है। बैंक संबंधित समूह की उधार लेने की क्षमता तथा उसे चुकाने की विश्वसनीयता के मूल्यांकन के आधार पर ऋण स्वीकृत करते हैं। इस प्रकार, एसएचजी की कवरेज, सरकार के पास निधियों की उपलब्धता तथा बैंकों द्वारा ऋण आवेदनों को स्वीकृत करने हेतु वांछित अपेक्षाओं को समूहों द्वारा पूरा किए जाने पर निर्भर करती है। मंत्रालय ने योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय से 11वीं पंचवर्षीय योजना में एसजीएसवाई के लिए आबंटन बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

केरल में हवाला मामले

2596. श्री प्रह्लाद जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल राज्य में बढ़ते हुए हवाला मामलों से परिचित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) केरल में गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों के अंतर्गत जांच हेतु लिए गए हवाला मामलों का विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	मामलों की संख्या	जब्त की गई भारतीय मुद्रा में राशि (रु. लाखों में)
1	2	3
2004	29	12.90
2005	202	164.97
2006	146	106.44
2007 (31.7.2007 तक)	74	234.05

(ग) हवाला को रोकने के लिए सतत् निवारक संबंधी निगरानी रखी जाती है जो कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध फेमा, 1999 के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जाती है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत निधियां

2597. श्री प्रतीक पी. पाटील : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरु नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के अंतर्गत इसकी स्थापना के समय से सांगली मीराज कुपवाड नगर निगम को निधियां प्रदान की गईं और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यमुना नदी के 300 मीटर के अंदर निर्माणों को गिराया जाना

2598. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओखला में यमुना नदी के 300 मीटर के अंदर सभी निर्माणों को गिराये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उषा मेहरा समिति ने इस संबंध में अपनी सिफारिश दे दी है;

(घ) यदि हां, तो उषा मेहरा समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ङ) इस संबंध में उषा मेहरा समिति की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई; और

(च) प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने जस्टिस (सेवानिवृत्त) उषा मेहरा समिति की सिफारिशों पर रिट याचिका (सी) संख्या 21122/2002 एवं 689/2004 में यमुना नदी के तट से 300 मीटर के दायरे में अनधिकृत संरचनाओं को हटाने का निदेश दिया है। न्यायालय के आदेशों के अनुपालना में दिल्ली विकास प्राधिकरण में अब तक यमुना पुश्ता से लगभग 11,000 झुग्गियों को हटा दिया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने ओखला के संबंध में उपर्युक्त आदेशों पर एक पुनःरीक्षण याचिका दायर की है। केन्द्र सरकार ने भी दिल्ली में अनधिकृत कालानियों के नियमितिकरण के संबंध में वास्तविक स्थिति स्पष्ट करते हुए एक हलफनामा दायर किया है

(च) सरकार की नीति के अनुसार पात्र झुग्गीवासियों को वैकल्पिक भूखण्ड दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

भूमिहीन कृषि श्रमिकों का पुनर्वास

2599. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से भूमिहीन कृषि श्रमिकों के पुनर्वास हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) भूमिहीन कृषि श्रमिकों के पुनर्वास के संबंध में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में उपयुक्त संशोधन करने तथा परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के संबंध में राष्ट्रीय नीति, 2003 को संशोधित करने के बारे में सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इस समय, इस मामले की, इसे मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति तथा भूमि अर्जन से संबंधित मामलों से संबद्ध विधिक उपायों के प्रारूपों को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा गठित मंत्रियों के एक समूह (जी.ओ.एम) द्वारा जांच की जा रही है। प्रारूप पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति में भूमि अर्जन के द्वारा प्रभावित तथा किन्हीं कारणों से अनैच्छिक रूप से विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु उपबंध बनाए गए हैं और समाज के कमजोर वर्गों, विशेषरूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा करने तथा राज्य द्वारा सकारात्मक कार्रवाई किए जाने को सुनिश्चित करने तथा उनको राहत देने के लिए ध्यानपूर्वक और संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही किए जाने के दायित्व राज्यों को सौंपने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

[अनुवाद]

कस्टम क्लियरेंस

2600. श्रीमती सी.एस. सुजाता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी पासपोर्ट धारकों को हवाई अड्डे पर कस्टम क्लियरेंस में हो रही परेशानियों से परिचित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) सरकार के ध्यान में विमानपत्तनों पर सीमा शुल्क की निकासियां प्राप्त करने में विदेशी पासपोर्ट धारकों द्वारा सामना की जा रही परेशानियों का कोई दृष्टांत नहीं आया है।

[हिन्दी]

इलाहाबाद बैंक की शाखाएं खोलना

2001. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद बैंक की और अधिक शाखाएं खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां जैसा कि इलाहाबाद बैंक ने सूचित किया है, उसने भारतीय रिजर्व बैंक से, 2006-07 के लिए अपनी वार्षिक शाखा विस्तारण योजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश में विभिन्न केन्द्रों पर तीन नई शाखाओं का खोलने का प्राधिकार प्राप्त किया है। इन तीन केन्द्रों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	जिले का नाम
1.	भरवाड़ी	कौशाम्बी
2.	रानी बाजार	गोण्डा
3.	नोएडा	गौतमबुद्धनगर

इलाहाबाद बैंक वर्ष 2007-08 के लिए अपनी संशोधित वार्षिक शाखा विस्तारण योजना में, उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर, वाणिज्यिक अर्थक्षमता के अध्यधीन, सात और शाखाएं खोलने का प्रस्ताव करता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम का कारोबार

2002. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम का कारोबार विगत में घटा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसके कारोबार को बढ़ाने तथा देश में निर्माण गतिविधियों की बढ़ती मांग को देखते हुए इसकी श्रमशक्ति में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार ने एनबीसीसी को अपनी कार्यक्षमता बेहतर बनाने के लिए सभी संभव सहायता प्रदान की है। यह सरकार के सहयोग से ही है कि एनबीसीसी ने रियल एस्टेट क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र में कदम रखा है। इन उपायों से एनबीसीसी को कारोबार में सुधार में मदद मिली है। इसके अतिरिक्त इसे सरकार ने हाल ही में एनबीसीसी सहित सभी लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की अनुमति दी है जिससे अनुभवी कर्मचारियों को और दो वर्षों के लिए सेवा में रखा जा सके।

राष्ट्रीय निवेश निधि

2003. श्री एल राजगोपाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय निवेश निधि में जमा राशि के उपयोग हेतु क्या मानदंड तैयार किए गए हैं;

(ख) क्या निधि के एक अंश का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष राशि का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की इक्विटी के विनिवेश से प्राप्त अर्थागम को राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) में जमा कराया जाएगा राष्ट्रीय निवेश कोष का संग्रह स्थायी प्रकृति का होगा। संग्रह को कम किए बिना सरकार को स्थायी आय प्रदान करने के लिए कोष की प्रबंध व्यवस्था व्यावसायिक तौर पर की जाएगी। राष्ट्रीय निवेश कोष के संग्रह की प्रबंध व्यवस्था चुनिन्दा सार्वजनिक क्षेत्र के म्युचुअल फण्डों को सौंपी जाएगी। कोष से होने वाली वार्षिक आय के 75 प्रतिशत हिस्से का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की उन चुनिन्दा योजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए किया जाएगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार को बढ़ावा दें।

(ख) राष्ट्रीय निवेश कोष की शेष 25 प्रतिशत वार्षिक आय का उपयोग लाभप्रद तथा पुनरूद्धार योग्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जो पर्याप्त आय प्रदान करते हैं, की पूंजी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा ताकि

विस्तार/विविधिकरण के वित्त पोषण के लिए उनके पूंजी आधार को बढ़ाया जा सके।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु भूमि

2604. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी :** क्या आवास और शहरी गरीबी उपमशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेट्रो के विकास प्राधिकारियों को आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए सस्ते मूल्य पर 20-25 प्रतिशत भूमि आरक्षित करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विकास प्रधिकारियें द्वारा निम्न आय आवास के लिए प्रति, राजसहायता देने हेतु विधान लाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपमशन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले वैकल्पिक सुधारों के अंतर्गत, जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्गों के लिए परस्पर सब्सिडी की प्रणाली सहित सभी आवासीय परियोजनाओं (सरकारी तथा निजी एजेंसियों) में विकसित भूमि का कम से कम 20-25% भाग नियत किया जाए।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में रिक्त पद

2605. **श्री ई.जी. सुगावनम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में उच्च स्तर की रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की चयन प्रक्रिया संबंधी कोई दिशानिर्देश तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कब तक सभी रिक्त पद भर दिए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विधि महाविद्यालय

2606. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बार काउन्सिल ऑफ इंडिया के पास नए विधि महाविद्यालय खोलने संबंधी स्थानवार तथा राज्यवार कितने प्रस्ताव आज की तिथि के अनुसार लंबित हैं;

(ख) कब तक इन प्रस्तावों को मंजूर कर दिया जाएगा; और

(ग) इन विधि महाविद्यालयों को शीघ्र अनुमोदन दिए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है/उठाया जा रहा है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) 29.08.2007 को भारतीय विधिज्ञ परिषद् के पास लंबित विधि महाविद्यालयों की स्थानवार, राज्यवार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) संबंधन का अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का निपटारा करने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियमो के अधीन कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है। तथापि, भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने यह सूचना दी है कि वे लंबित आवेदनों को यथासंभव शीघ्र निपटाने के लिए अत्यधिक ध्यान दे रहे हैं।

(ग) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 7(1)(ज) और धारा 7(1)(झ) के अनुसार, भारतीय विधिज्ञ परिषद् को विधिक शिक्षा का संवर्धन और ऐसे विश्वविद्यालयों को मान्यता देने का कार्य सौंपा गया है, जिनकी विधि में डिग्री अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए अर्हता होगी और इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालयों का क्रमशः दौरा और निरीक्षण करने का कार्य भी उसे सौंपा गया है।

विवरण

29.08.2007 को निरीक्षण के लिए लंबित विधि महाविद्यालयों की उपांतरित सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	महाविद्यालय का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	श्री बालाजी विधि महाविद्यालय, पुत्तूर, चित्तूर जिला

1	2	3
		विशाखा विधि महाविद्यालय, विशाखापट्टनम
2.	असम, नागालैण्ड और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा आदि	असम विश्वविद्यालय सिलचर विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय, गुवाहटी
3.	बिहार	बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा
		रामकुमारी अयोध्या विधि महाविद्यालय, बेगुसराय
4.	झारखण्ड	टाटा महाविद्यालय चपासा, झारखण्ड
5.	गुजरात	शासकीय विधि महाविद्यालय, अहमदाबाद
6.	कर्नाटक	बस्वेश्वर विधि महाविद्यालय, बीदर
		अरुंधती विधि महाविद्यालय, जिला गुलबर्गा
7.	केरल	स्कूल आफ लीगल स्टडीज, कोचीन यूनीवर्सिटी आफ साइंस एंड टेक्नोलोजी, कोची
8.	मध्य प्रदेश	कटनी कला और वाणिज्य महाविद्यालय, कटनी
		संस्कार विधि महाविद्यालय, अनुपूर, अनुपपूर, म.प्र.
		मायाराम डिग्री महाविद्यालय, सिंगरुली, जिला सीधी
9.	छतीसगढ़	श्री विश्वविद्यालय, रायपुर
		स्वामी विवेकानंद यूनीवर्सिटी आफ साइंस एंड टेक्नोलोजी, रायपुर
10.	महाराष्ट्र और गोवा	बलीराम विधि महाविद्यालय, बरातवाडा, जिला अमरावती
		बलीराम पाटील महाविद्यालय, किनवत जिला नांदेड
		मनगांव पंचकोरशी शिक्षण प्रसारक मंडल सिंधदुर्ग
		पीपुल वेलफेयर सोसाइटी अमरावती महाविद्यालय, अमरावती
		ठाकुर रामनारायण विधि महाविद्यालय, मुंबई
		नवयुग विद्यापीठ न्यास, जिला रालगढ़
		विक्टर दांतास चेरीटेबल एंड एजुकेशनल फाउंडेशन तेल मालवानी, जिला सिंधदुर्ग
		मारकण्डेय पडशाली प्रतिष्ठान, गढ़चिरोली
11.	उड़ीसा	केआईआईटी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
12.	पंजाब और हरियाणा	श्री कृष्णा विधि महाविद्यालय, भिवानी, हरियाणा
		स्वामी सर्वानंद विधि महाविद्यालय, होशियारपुर
		लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, फगवाड़ा
13.	राजस्थान	श्री बजरंग विधि महाविद्यालय, डीग (भरतपुर)
		वीर तेजा विधि महाविद्यालय, नागौर
14.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ विधि महाविद्यालय, लखनऊ
15.	पश्चिम बंगाल	रविन्द्र शिक्षा सम्मिलानी विधि महाविद्यालय, कोलकाता

[हिन्दी]

आयकर विवरणी

2607. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान आयकर के रूप में सरकार ने कितना कर प्राप्त किया तथा उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी कर-विवरणी दाखिल की गई;

(ख) क्या बड़े निगमित घर अपनी आय को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय दर्शाते हैं तथा मामूली कर अदा करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार लोगों द्वारा आयकर विवरणी भरने के लिए कोई चेतना अभियान चलाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) वित्त 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान प्रत्यक्ष करों का कुल संग्रहण क्रमशः 1,65,008 करोड़ रुपए एवं 2,30,091 करोड़ रुपए था। वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 को समाप्त होने वाले वित्त वर्षों के लिए दायर होने वाले वित्त वर्षों के लिए दायर की गई पंजीकृत आयकर विवरणियों की कुल संख्या क्रमशः 2,62,38,582, एवं 2,75,47,599, थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों ही के माध्यम से जनता में आयकर विवरणियों को भरने के लिए जागरूकता फैलाने हेतु व्यापक अभियान चला रही थी।

[अनुवाद]

कावेरी जल विद्युत परियोजना

2608. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कावेरी जल विद्युत परियोजना (सीएचपीपी) के पुनरुद्धार हेतु लंबे समय से मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) परियोजना के पुनरुद्धार का कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है तथा इसके पूरा होने की संभावित समय क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) जनवरी 2001 के दौरान तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर, नैशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) को कावरी बेसिन में 4 जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) अर्थात तमिलनाडु में होगेनकल एचइपी (120 मेगावाट) और रसीमनल जल विद्युत परियोजना (360 मेगावाट) और कर्नाटक में शिवसमुद्रम जल विद्युत परियोजना (270 मेगावाट) और मेकादातू जल विद्युत परियोजना (400 मेगावाट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी का कार्य सौंपा गया था।

इन परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी का कार्य दोनों राज्य सरकारों और एनएचपीसी के बीच हस्ताक्षरित किए जाने वाले "त्रिपक्षीय समझौता प्रारूप" पर तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार के बीच मतभेदों के कारण एनएचपीसी द्वारा शुरू नहीं किया सका था। किंतु अब कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि चूंकि शिवसमुद्रम और मेकादातू की दोनों परियोजनाएं केवल कर्नाटक के क्षेत्र के भीतर आती हैं इसलिए राज्य कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (के पी सी एल) के माध्यम से परियोजनाओं को शीघ्रता से निष्पादित करने का प्रस्ताव करता है। कर्नाटक सरकार ने यह भी सूचित किया है कि केपीसीएल ने कावरी जल विवाद ट्रीब्यूनल द्वारा आदेशित डाऊनस्ट्रीम रीलीज के स्वरूप के अनुसार सर्वेक्षण, भू-तकनीकी जांच, भूमि जांच तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी जैसे प्रारंभिक कार्य पहले से ही शुरू कर दिए हैं।

व्यावसायिक परिसरों का निर्माण

2609. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को असम सरकार से 10 प्रतिशत पूल फंड के अंतर्गत व्यावसायिक परिसरों के निर्माण हेतु प्रस्ताव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार के पास लंबित रहने के कारण परियोजना में विलम्ब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना को स्वीकृति दिए जाने का अनुमानित समय क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) चूंकि इन दोनों ही स्कीमों का प्रयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र की शहरी अवसंरचना में सुधार लाना है, इसलिए व्यय वित्त समिति ने शहरी विकास मंत्रालय की सिफारिश पर जे.एन.एन.यू.आर.एम./यू.आई.डी.एस.एस.टी. स्कीमों के मार्फत इन स्कीमों के सक्रिय होने पर 10 प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान स्कीम लागू करने का निर्णय लिया है।

तथापि, वित्त मंत्रालय को अपने निर्णय की सूचना देते हुए शहरी विकास मंत्रालय ने बताया है कि स्थायी वित्त समिति मैकेनिज़्म के मार्फत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 10 प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान स्कीम की पुरानी पद्धति अभी भी बरकार है। शहरी विकास मंत्रालय को बताया गया है कि अपने निर्णय के अनुसार 10 प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं की क्लीयरेंस के लिए उचित कार्रवाई करे।

तम्बाकू कंपनियों द्वारा उत्पाद शुल्क अपवंचन

2610. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा तम्बाकू कंपनियों से संग्रह किए गए उत्पाद शुल्क का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तम्बाकू कंपनियों द्वारा उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा राशि वसूलने तथा तम्बाकू कंपनियों द्वारा उत्पाद अपवंचन रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) तम्बाकू कम्पनियों (सिगरेट, बीड़ी चबाने वाले तम्बाकू तथा अन्य तम्बाकू युक्त उत्पादों के उत्पादक) से विगत तीन वर्षों के दौरान संग्रहित उत्पाद शुल्क निम्न प्रकार हैं:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	सिगरेट	बीड़ी	चबाने वाले तम्बाकू	तम्बाकू युक्त अन्य उत्पाद
2004-05	5994.85	348.15	577.28	250.56
2005-06	6988.99	370.69	367.82	654.57
2006-07	7701.35	427.57	421.18	647.31

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वित्तीय संस्थानों में अनियमितताओं की जांच

2611. श्री वी.के. ठुम्मर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों ने सरकार को राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों में अनियमितताओं के मामलों की जांच करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस संबंध में राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) राज्य वित्तीय निगमों (एसएफसी) का गठन राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1952 (केन्द्रीय अधिनियम 1951 का 63) के अंतर्गत हुआ है। यह अधिनियम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) को राज्य वित्तीय निगमों के कार्यकलाप में देख-रेख की एक सीमित भूमिका प्रदान करता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने यह सूचित किया है कि राज्य वित्तीय निगमों में अनियमितताओं की जांच करने की घटना के बारे में उन्हें कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में स्वसहायता समूह

2612. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार देश में स्वसहायता समूहों को सर्वाधिक ऋण देती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से कोई सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) स्व-सहायता समूह-बैंक सहवर्ती कार्यक्रम देश में व्यष्टि वित्त का एक मॉडल है ओर वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की इस कार्यक्रम में भागीदारी है। स्व-सहायता समूह बैंक सहवर्ती कार्यक्रम के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में संवर्धित स्व-सहायता समूह को बैंक द्वारा दिया गया उधार देश में सर्वाधिक है। आन्ध्र प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों के सम्पर्क में स्व-सहायता समूह का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

विशिष्ट	2004-05	2005-06	2006-07*
31 मार्च तक वित्तपोषित स्व-सहायता समूह की कुल संख्या	492,927	587,238	683,619
कुल बैंक ऋण (करोड़ रुपए में)	2,746.09	4,345.52	7,120.97

*अनंतिम

न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटारा

2613. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की तिथि के अनुसार विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार इन मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु न्यायिक प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन के लिए विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मामलों के समय पर निपटारे हेतु सरकार द्वारा कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31.12.2006 को विभिन्न न्यायालयों में 2,90,90,293 मामले लंबित थे।

(ख) से (घ) न्यायालयों में लंबित मामलों का शीघ्र और समय पर निपटान का विषय अनन्य रूप से न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तथापि, निचले स्तर पर सामान्य जनता को शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध कराने के विचार से सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित किया है जो इस समय विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास है।

न्याय प्रदाय को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ अन्य उपायों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों का तुरंत भरा जाना, राज्यों में त्वरित निपटान न्यायालयों के प्रचालन के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी रखना, न्यायालयों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासों के संनिर्माण के माध्यम से अवसंरचना के विकास के लिए तथा न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के माध्यम से न्यायिक अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान करना है। सिविल मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के विचार से, सिविल प्रक्रिया संहिता का संशोधन किया गया है और संशोधनों को 1.7.2002 से प्रवृत्त किया गया है जो, अन्य बातों के साथ, किसी पक्षकार को मंजूर किए जाने वाले आस्थगनों की संख्या को तीन तक सीमित करते हैं, स्पीड पोस्ट, कोरियर सेवा, फैक्स या ई-मेल से आदेशिका के शीघ्र तामील के लिए उपबंध करते हैं और न्यायालय को मौखिक बहस आदि के लिए समय-सीमा नियत करने के लिए प्राधिकृत करते हैं। इसके अतिरिक्त, दांडिक मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के विचार से सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता में समुचित परिवर्तन किए हैं, जिनके

अंतर्गत, अन्य बातों के साथ, 'सौदा अभिवाक' की अवधारणा प्रारंभ करना भी है।

राष्ट्रमण्डल खेल-2010 से पहले आवास व्यवस्था

2614. श्री पी.सी. गद्दीगौडर :
श्री एम. शिवन्ना :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि 2009 से पहले दिल्ली तथा उसके आस-पास कम से कम 20,000 और होटल के कमरों की उपलब्धता होनी चाहिए क्योंकि भारत 2010 राष्ट्रमण्डल खेलों का आयोजन कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियां यथा दिल्ली विकास प्राधिकरण, रेल मंत्रालय, नागरिक विमानन मंत्रालय, दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन तथा राज्य सरकार एजेंसियां जैसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एवं दिल्ली के आस-पास होटल आवासों की उपलब्धता बनाने के लिए कदम उठा रही है। कुछ स्थलों पर कार्य प्रगति पर है, कुछ स्थलों की नीलामी/निविदा द्वारा बिक्री कर दी गई है तथा कुछ अन्य स्थलों पर प्लाटों की बिक्री किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

रसोई गैस सिलेंडरों पर "वैट"

2615. श्री धर्मेन्द्र प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा रसोई गैस सिलेंडरों पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि यह लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी हां। दिनांक 18.4.2006 से केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के तहत अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व की वस्तुओं की सूची में "घरेलू उपयोग के लिए रसोई गैस" शामिल करने के परिणामस्वरूप, रसोई गैस सिलेंडरों की बिक्री अथवा खरीद पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए गये मूल्यवर्धित कर के लिए सीमा को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है।

(ग) जी हां। इस संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को केरल सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियां घरेलू रसोई गैस के विपणन में बड़ी मात्रा में कम वसूलियों को वहन कर रही हैं। प्रशासित मूल्य तंत्र को समाप्त करने के परिणामस्वरूप, रसोई गैस के अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों में परिवर्तन का प्रभाव उपभोक्ताओं को देना पड़ता था। तथापि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में भारी वृद्धि के बावजूद वर्ष 2004 के दौरान रसोई गैस के घरेलू मूल्य में आंशिक रूप से वृद्धि की गई थी और दिनांक 5.11.2004 से इसे संशोधित नहीं किया गया है। तेल विपणन कंपनियों को राहत देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा घरेलू रसोई गैस को बजट से आंशिक रूप से राज सहायता प्रदान की गई है। तथापि, तेल विपणन कम्पनियों को रसोई गैस के खुदरा बिक्री मूल्य को रखने की अनुमति दी गई थी। जबकि भारत सरकार ने संघीय बजट 2005 में रसोई गैस (घरेलू) पर सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया था और जून, 2004 के दौरान उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया था तथा संघीय बजट 2005 के दौरान इसे 8 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया था। राज सहायता दिये जाने और तेल विपणन कम्पनियों द्वारा घरेलू रसोई गैस पर घटे सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के कारण होने वाले लाभों को रखने की अनुमति देने के बावजूद, तेल विपणन कम्पनियों की कम वसूलियां अभी भी कहीं अधिक है। अतएव उत्पाद के विपणन में धन वसूलियों और हानियों के संदर्भ में बजट 2006-07 में घरेलू रसोई गैस को घोषित वस्तुओं की श्रेणी में रखे जाने एवं राज्य बिक्री कर/वैट दर को 4 प्रतिशत रखे जाने के बावजूद तेल विपणन कम्पनियां चालू खुदरा बिक्री मूल्य को बनाए रखने के लिए बाध्य है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का समेकन

2616. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच समेकन की प्रक्रिया शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) बैंकिंग क्षेत्र सुधार संबंधी समिति (नरसिम्हन समिति) ने, व्यापक वित्तीय क्षेत्र सुधारों के एक भाग के रूप में, बैंकिंग क्षेत्र के समेकन की सिफारिश की थी। सरकार का ऐसा मत है कि सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक के सरकारी क्षेत्र के ही किसी दूसरे बैंक के साथ विलय, आदि के जरिए, समेकन का कोई भी प्रस्ताव संबंधित बैंकों की तरफ से ही आना चाहिए और इसमें सरकार आम शेयरधारक के रूप में समर्थनकारी भूमिका निभाएगी। विलय के किसी प्रस्ताव का समर्थन करते समय, सरकार सुनिश्चित करेगी कि विलयित होने वाले बैंकों के पणधारकों और कर्मचारियों के हित पर्याप्त रूप से सुरक्षित रहें। दिनांक 25.8.2007 को, एसबीआई बोर्ड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र को अपने साथ विलयित करने का सर्वसम्मत्त निर्णय लिया है। स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के बोर्ड ने भी उसी दिन बैठक आयोजित करके बैंक को भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलयित करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया है।

एलआईसी पॉलिसी

2617. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगल प्रीमियम बीमा प्लस और फ्यूचर प्लस पालिसी के संबंध में कोई अनियमितता सरकार के ध्यान में आयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पॉलिसियों को एक ही वित्तीय वर्ष के भीतर दो/तीन बार समर्पित और पुन: निवेशित किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि सिंगल प्रीमियम बीमा प्लस और फ्यूचर प्लस पालिसियों के संबंध में उसके ध्यान में कोई अनियमितता नहीं आयी है।

(ख) से (घ) एलआईसी ने सूचित किया है कि बीमा प्लस और फ्यूचर प्लस प्लान में अभ्यर्पण शर्त है, जिसमें पालिसी धारक पालिसी की अवधि के आधार पर 1% से 4% की सीमा तक निश्चित जुर्माने के अध्यधीन पालिसी का अभ्यपर्ण कर सकता है। तथापि, पालिसी धारक को अपने प्रयोग के लिए या पुनर्निवेश के लिए निधि को प्राप्त करने के लिए पालिसी अभ्यर्पण करने से रोकने के लिए कोई प्रतिबंधी शर्त नही है। तथापि, एलआईसी ने बीमा प्लस और फ्यूचर प्लस पालिसियों को क्रमश: 16 अक्तूबर, 2005 और 30 जून, 2006 से वापिस ले लिया है।

[हिन्दी]

वाइन और स्पिरिट पर सीमा शुल्क

2618. **श्री रशीद मसूद :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वाइन, स्पिरिट और शराब की विद्यमान सीमा शुल्क की दरें कितनी हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन दरों में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई विवाद है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस मुद्दे को विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान पैनल के पास अग्रेषित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान स्पिरिट/शराब पर 150% का बुनियादी सीमा शुल्क लगता रहा है और वर्तमान दर भी यही है। विगत तीन वर्षों के दौरान और 2 जुलाई, 2007 तक वाइन पर 100% का बुनियादी सीमा शुल्क लगता रहा था जिसे 3 जुलाई, 2007 से बढ़ाकर 150% कर दिया गया है।

इसके अलावा 2 जुलाई, 2007 तक वाइन, स्पिरिट/शराब पर ऐसे ही घरेलू मदों पर उदग्राह्य राज्य उत्पाद शुल्क दरों को ध्यान में रखते

हुए विनिर्दिष्ट दरों पर अतिरिक्त सीमा शुल्क भी लगता था। 2 जुलाई, 2007 तक लागू अतिरिक्त दर संलग्न विवरण में दी गई हैं। तथापि, 3 जुलाई, 2007 से आयातित स्पिरिट/शराब, वाइन तथा बीयर पर इस अतिरिक्त सीमा शुल्क को वापस ले लिया गया है।

दिनांक 1.3.2006 से स्पिरिट/शराब, वाइन तथा बीयर पर 4% का विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क भी लागू है। यह शुल्क अभी भी जारी है।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) यूरोपीय समुदाय और संयुक्त राज्य ने इस संबंध में विश्व व्यापार संगठन में एक विवाद दायर किया है। हालांकि यूरोपीय समुदाय ने अपनी शिकायत निलम्बित कर दी है, परन्तु संयुक्त राज्य ने अल्कोहल युक्त पेय एवं कुछ अन्य उत्पादों के आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने को चुनौती दी है।

विवरण

संयुक्त राज्य डालर में प्रति* कैस सी आई एफ मूल्य	अतिरिक्त सीमा शुल्क दर
वाइन और बीयर	
< 25	75%
> 25 किन्तु <40	50% अथवा 37 डालर प्रति केस, जो भी अधिक हो
> 40	20% अथवा 40 डालर प्रति केस, जो भी अधिक हो
शराब	
< 10	150%
> 10 किंतु < 20	100% अथवा 40 डालर प्रति केस, जो भी अधिक हो
> 20 किंतु <40	50% अथवा 53.2 डालर प्रति केस, जो भी अधिक हो
> 40	25% अथवा 53.2 डालर प्रति केस, जो भी अधिक हो

*केस: 9 लीटर की पैकिंग

[अनुवाद]

एनएएमएमए मैट्रो परियोजना

2619. **श्री एम. शिवन्ना :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन लोगों की "एन ए एम एम ए मेट्रो" परियोजना में 50 प्रतिशत से अधिक की धारिता होगी, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्थल आवंटित किए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पी एस एस थॉमस लैंड कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार क्षतिपूर्ति पैकेज लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण कर्नाटक सरकार द्वारा किया जा रहा है। बंगलौर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) तथा कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि बंगलौर विकास प्राधिकरण (बीडीए) से भूमि का व्यापक स्तर पर आबंटन करने का अनुरोध किया गया है। विशिष्ट लाभार्थियों के लिए मानदण्डों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भूमि का उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए पीएसएस थॉमस लैंड कमेटी का गठन किया गया था तथा कमेटी ने भूमि घटक का उचित बाजार मूल्य निर्धारण करने हेतु विस्तृत मूल्य निर्धारण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। राज्य सरकार को परियोजना के लिए भूमि देने वालों को क्षतिपूर्ति के भुगतान संबंधी सिफारिश प्राप्त हो गई है।

वर्षा के जल में एसिड तत्व

2620. **श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा किए

गए अध्ययन में पूणे और नागपुर में वर्षा के जल में काफी अधिक एसिड तत्व पाए गए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी हां।

(ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग देश भर में फैले ऐसे 10 केंद्रों का नेटवर्क संचालित करता है जहां पर पिछले 26 वर्षों से वर्षा के जल के नमूने इकट्ठे किए जाते हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण से यह पता चलता है कि वर्ष 1997 अर्थात पिछले 10 वर्षों में नागपुर में एकत्र किए गए वर्षा जल के नमूनों में एसिड तत्व पाए गए हैं। परंतु वर्ष 2006 में नागपुर में एकत्र किए गए वर्षा जल के नमूनों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है।

पुणे में लिए गए वर्षा जल के नमूने कुल मिलाकर सुरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) सरकार द्वारा पूरे देश में वाहनों और ऑटोमोबाइल के लिए बहुत कम सल्फर वाले ईंधन का प्रयोग आरम्भ करने से वर्षा के जल में एसिड बनने की प्रवृत्तियों को कम करने में काफी मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

मिथेन से ऊर्जा उत्पादन

2621. **श्री सूरज सिंह :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मिथेन से ऊर्जा पैदा करने की कोई योजना विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं नामतः राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी), ग्राम ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम (वीईएसपी), शहरी अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति पर त्वरित कार्यक्रम, ओद्योगिक एवं वाणिज्यिक अपशिष्टों तथा बहिस्त्रावों से ऊर्जा/विद्युत की प्राप्ति और बायोगैस आधारित संवितरित/ग्रिड उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत मिथेन के उत्पादन हेतु बायोगैस संयंत्रों की संस्थापना में सुगमता प्रदान की जा रही है।

[अनुवाद]

सीएसआईआर का कार्यकरण

2622. **श्री वसुभाई धानाभाई बारड :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मार्च, 2006 की अपनी रिपोर्ट में सीएसआईआर के कार्यकरण पर कई प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी हां। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट लोक सभा में दिनांक 14 मई, 2007 को प्रस्तुत की गई। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत की आवश्यकता पर टिप्पणी की:-

- सरकार से निधियां प्राप्त करने हेतु प्रयोगशालाओं की आवश्यकताओं के संबंध में उचित व्यवहार्यता अध्ययन;
- अनाधिष्ठापन, विलंबित अधिष्ठापन, अधिष्ठापित उपस्कर की मरम्मत न किए जाने के दृष्टांतों को न्यूनतम बनाने हेतु प्रयास;
- कार्यक्रमों के उपयुक्त निष्पादन के लिए प्रभावी मॉनीटरन क्रियाविधि।

(ग) से (ङ) सीएसआईआर ने इन संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया है और इन कमियों में सुधार करने हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी है।

[हिन्दी]

रामगढ़ विद्युत संयंत्र को गैस की आपूर्ति

2623. श्री निखिल चन्द :
श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामगढ़ गैस ताप विद्युत परियोजना (आरजीटीपी) को इस समय कितनी गैस उपलब्ध है;

(ख) संयंत्र को पूरी क्षमता से चलाने के लिए कितनी अतिरिक्त गैस की जरूरत है;

(ग) इस परियोजना हेतु किस एजेंसी को गैस की आपूर्ति करने हेतु प्राधिकृत किया गया है; और

(घ) दोनों गैस टरबाइनों को पूरी क्षमता से चलाने हेतु गैस कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) रामगढ़ गैस ताप विद्युत परियोजना (आरजीटीपी) को वर्तमान में आबंटित गैस की मात्रा 0.75 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) है। वर्ष 2006-07 के दौरान आरजीटीपी को की गई औसत आपूर्ति लगभग 0.66 एमएमएससीएमडी थी।

(ख) संयंत्र को पूर्ण क्षमता पर प्रचालित करने के लिए अपेक्षित गैस की अतिरिक्त मात्रा 0.45 एमएमएससीएमडी है।

(ग) इस परियोजना के लिए मै. ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल) और मै. ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) फील्ड्स से गैस आपूर्ति करने हेतु मै. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (गेल) प्राधिकृत) एजेंसी है।

(घ) ऑयल इंडिया लि. ने अपने डंडेवाला गैस फील्ड्स से राजस्थान में 0.2 एमएमएससीएमडी अतिरिक्त गैस उपलब्धता की सूचना प्रदान की है। विभिन्न पार्टियों आरआरवीयूएनएल, ओआईएल और गेल के बीच वाणिज्यिक व्यवस्थाओं पर बातचीत चल रही है। इसके अतिरिक्त, 6.2 एमएमएससीएमडी के लिए अतिरिक्त सुविधा सृजित करने की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में पीएमजीएसवाई का कार्यान्वयन

2624. श्री अनंत गुढ़े : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत महाराष्ट्र के विदर्भ जिले के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत क्षेत्र में बनाई गई/बनाई जाने वाली सड़कों ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए अभी तक कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई और प्रयोग में लाई गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, हां। सरकार ने अब तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के लिए पांच चरणों (चरण-I से चरण-V) को स्वीकृत किया है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बनाई गई और बनाई जा रही सड़कों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

	सड़कों की संख्या	
चरण	बनाई गई	बनाई जाने वाली
I	234	0
II	189	0
III	58	2
IV	35	9
V	109	427
कुल	625	438

(ग) जून 2007 तक महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराई गई और उपयोग की गई निधियां 235.84 करोड़ रुपए है।

चिट फंड कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी

2625. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री काशीराम राणा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छोटे निवेशकों को चिट फंड कंपनियों की धोखाधड़ी से बचाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान किन-किन चिट फंड कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज कराई गई; और

(घ) सरकार द्वारा छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है और उसके अभी तक क्या परिणाम निकले हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क), (ख) और (घ) चिट फंड कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 के मूल उपबंधों से छूट दी गई है, जिसमें आरबीआई के साथ पंजीकरण शामिल है। राज्य सरकारें इन कंपनियों के चिट व्यवसाय को चिट फंड अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अनुसार विनियमित करती हैं। शिकायतें मिलने पर, संबंधित राज्य सरकारों के चिट रजिस्ट्रार ऐसी चूककर्ता कंपनियों के खिलाफ उचित विनियामक कार्रवाई करते हैं।

(ग) चूंकि चिट फंड कंपनियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विनियमित होती हैं, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की है।

तकनीकी और वाणिज्यिक घाटा

2626. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री सूरज सिंह :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य विकसित देशों की तुलना में देश में इस समय विद्युत क्षेत्र में हुए कुल तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) दसवीं योजना में ऐसे घाटे को कम करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और योजना के अंत में उन्हें कहां तक हासिल किया जा सका;

(ग) योजना के दौरान लक्ष्य प्राप्ति हेतु उन पर राज्यवार कुल कितना व्यय किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में विद्युत के पारेषण और वितरण में निजी क्षेत्र को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : (क) पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पी.एफ.सी.) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट दर्शाती है कि 2005-06 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राज्य विद्युत यूटिलिटियों की सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि 34.54% थी। पारेषण एवं वितरण (टी एंड डी) हानियों में कमी हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, भारतीय स्थिति में अपरिहार्य तकनीकी हानि लगभग 10-15% है। कुछ देशों (जो कि वर्ष 2003 के लिए उपलब्ध है) में पारेषण एवं वितरण हानियां नीचे दी गई हैं—

क्र.सं.	देश का नाम	पारेषण एवं वितरण हानियां(%)
1	2	3
1.	अर्जेंटिना	15
2.	ब्राजील	17
3.	चीन	6
4.	कोलंबिया	19
5.	फ्रांस	6
6.	जर्मनी	5
7.	जापान	5

1	2	3
8.	मैक्सिको	15
9.	मलेशिया	5
10.	पाकिस्तान	25
11.	रुसी परिसंघ	12
12.	यूनाइटेड किंगडम	8
13.	संयुक्त राज्य अमेरिका	7
14.	वेनेजुएला आर.बी.	26

(ख) सरकार ने सुधारों को प्रोत्साहित करने, सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी करने, विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने तथा उपभोक्ता की संतुष्टि के उद्देश्य से वर्ष 2002-03 में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) शुरू किया था। इसका लक्ष्य शहरी और अधिक जनसंख्या वाले उपभोग क्षेत्रों से शुरू करते हुए पांच वर्षों के भीतर 15% तक एटी एंड सी हानियों को कम करना था। शहरी स्तर पर एटी एंड सी हानियों को देश में 215 एपीडीआरपी वाले राज्यों में 20% से नीचे लाया गया है जिसमें से 163 राज्य एटी एंड सी हानियों को 15% से नीचे ले आए हैं।

(ग) भारत सरकार ने एपीडीआरपी के निवेश घटक के अंतर्गत राज्यों को 17033.58 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 571 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। मंजरी दी गई परियोजनाओं तथा जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। नकद हानि कमी की प्राप्ति हेतु एपीडीआरपी के निवेश घटक के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जहां तक पारेषण में निजी निवेश का सबंध है, भारत सरकार ने पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने तथा पारेषण सेवाओं हेतु प्रतियोगी बोली के लिए दिशो-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के उपबंधों के अनुसार गठित एक अधिकार प्राप्त समिति ने टैरिफ आधारित बोली के लिए 14 अंत:राज्यीय पारेषण परियोजनाओं को चिन्हित किया है। 14 परियोजनाओं में से 4 परियोजनाओं जो पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) और रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) द्वारा अधिनिगमित स्पेशल पर्पज व्हीकल द्वारा शुरू की गई हैं, का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत, विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और इन कार्यों के लिए लाइसेंस समुचित विद्युत विनियामक आयोग द्वारा प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में 16 निजी वितरण कंपनियां देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रही हैं। वितरण कंपनियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

मंजूर परियोजनाओं की लागत तथा एपीडीआरपी के निवेश घटक के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	मंजूर परियोजनाओं की सं.	मंजूर परियोजनाओं की लागत	जारी की गई निधियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	100	1127.12	566.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	82.69	36.68
3.	असम	15	650.73	412.89
4.	बिहार	15	823.15	313.18
5.	छत्तीसगढ़	7	353.33	159.21
6.	दिल्ली	2	211.02	105.51
7.	गोवा	7	288.94	113.40
8.	गुजरात	13	1083.22	400.26
9.	हरियाणा	18	431.95	168.99
10.	हिमाचल प्रदेश	12	322.77	306.88
11.	जम्मू व कश्मीर	6	1100.13	593.39
12.	झारखंड	8	423.65	153.87
13.	कर्नाटक	35	1186.31	463.62

1	2	3	4	5
14.	केरल	52	858.50	248.57
15.	मध्य प्रदेश	48	663.20	178.70
16.	महाराष्ट्र	34	1643.12	426.78
17.	मणिपुर	5	141.62	42.76
18.	मेघालय	9	227.44	90.45
19.	मिजोरम	7	108.74	78.01
20.	नागालैंड	3	122.27	71.44
21.	उड़ीसा	4	206.73	74.02
22.	पंजाब	26	715.57	202.67
23.	राजस्थान	29	1193.25	434.28
24.	सिक्किम	3	152.09	154.73
25.	तमिलनाडु	41	948.12	441.82
26.	त्रिपुरा	7	146.74	54.31
27.	उत्तर प्रदेश	35	1069.25	293.70
28.	उत्तरांचल	6	310.08	279.76
29.	पश्चिम बंगाल	20	441.85	92.92
	कुल	571	17033.58	6959.56

विवरण-II

एपीडीआरपी के प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधियां

क्र.सं.	राज्यों के नाम	जारी प्रोत्साहन (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	265.11
2.	गुजरात	533.81
3.	हरियाणा	105.49
4.	केरल	109.27
5.	मध्य प्रदेश	114.95
6.	महाराष्ट्र	137.89
7.	राजस्थान	137.71
8.	पश्चिम बंगाल	410.42
9.	पंजाब	145.05
	कुल	1959.70

विवरण-III

पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) और रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) द्वारा अधिनिगमित स्पेशल पर्पज व्हीकल द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम
	पीएफसी द्वारा
1.	मैथन आर.बी. (1000 मे.वा.), कोडरमा (1000 मे.वा.) तथा बोकारो विस्तार (500 मे.वा.) के लिए इवैक्यूएशन प्रणाली
2.	उत्तरी क्षेत्र द्वारा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (एनईआर)/ईआर सरप्लस) के आयात को सुगम बनाने के लिए योजना
	आरईसी द्वारा
1.	नार्थ करनपुरा (1980 मे.वा.) हेतु इवैक्यूएशन प्रणाली
2.	तालचेर वृद्धि प्रणाली

विवरण-IV

वर्तमान में कार्यरत निजी वितरण कंपनियों की सूची

क्र.सं.	वितरण कंपनी का नाम	राज्य का नाम
1.	अहमदाबाद इलैक्ट्रिसिटी कं.लि.	गुजरात
2.	सूरत इलैक्ट्रिसिटी कं.लि.	गुजरात
3.	कलकत्ता इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कं.	पश्चिम बंगाल
4.	दिशेरगढ़ पावर कं.लि.	पश्चिम बंगाल
5.	नोएडा पावर कं.लि.	उत्तर प्रदेश
6.	नार्थ दिल्ली पावर लि.	दिल्ली
7.	बीएसईएस राजधानी पावर लि.	दिल्ली
8.	बीएसईएस यमुना पावर लि.	दिल्ली
9.	रिलायंस इनर्जी लि. (पूर्व में बी.एस.ई.एस. लि.)	महाराष्ट्र
10.	टाटा पावर कं.लि. (टीपीसी)	महाराष्ट्र
11.	टौरेन्ट पावर लि.	महाराष्ट्र#
12.	सदर्न इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी	उड़ीसा
13.	वेस्टर्न इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी	उड़ीसा
14.	नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी	उड़ीसा
15.	सेन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी	उड़ीसा
16.	टाटा टी.लि.	केरल

राज्य स्वामित्व प्राप्त वितरण यूटिलिटी के फ्रेंचाइजी के रूप में प्रचालनरत।

उत्तर प्रदेश से वित्तीय सहायता के प्रस्ताव

2627. श्री संतोष गंगवार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) स्थानवार कितनी वित्तीय सहायता/ऋण दिया गया?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आईआरडीए द्वारा प्रभारित शुल्क

2628. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) बीमा कंपनियों से शुल्क के रूप में प्रीमियम के प्रतिशत की वसूली कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रकार वसूले गए प्रभार आईआरडीए निधि का एक भाग हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 12 (1) (छ) के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों में—"इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए फीस और अन्य शुल्क की उगाही" सम्मिलित होंगी। इसके अतिरिक्त, आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियां का पंजीकरण) विनियम, 2000 की धारा 20 (1) के अंतर्गत यथा निर्धारित, एक बीमाकर्ता, जिसे आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अंतर्गत एक प्रमाण-पत्र दिया गया है, को प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को प्राधिकरण के समक्ष निर्धारित

फार्म में आवेदन करना होगा, और ऐसे आवेदनों के साथ फीस की अदायगी का प्रमाण संलग्न करना चाहिए जो निम्नलिखित से अधिक होगी—

(i) बीमा कारोबार की प्रत्येक श्रेणी के लिए 50 हजार रुपए, तथा

(ii) जिस वर्ष में नवीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना अपेक्षित है, उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में एक बीमाकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अंकित कुल सकल प्रीमियम के एक प्रतिशत का दसवां भाग, अथवा 5 करोड़ रु., जो भी कम हो

एकत्र की गई फीस का प्रयोग आईआरडीए अधिनियम के तहत आईआरडीए के विभिन्न दायित्वों को निभाने के संबंध में हुए व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) आईआरडीए द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले छः वर्षों के दौरान फीस के रूप में एकत्र की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
2001-2002	23.48
2002-2003	6.39
2003-2004	17.85
2004-2005	21.54
2005-2006	25.31
2006-2007	42.50

निर्यात प्रयोजनों हेतु ऋण सीमा को हटाना

2629. श्री विजय कृष्ण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात क्षेत्र की जरूरत को पूरा करने हेतु बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की सीमा को हटा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) निर्यात क्षेत्र की आवश्यकता पूरी करने के लिए बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जाती।

[हिन्दी]

शहरी क्षेत्र में स्लम आबादी

2630. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के शहरी क्षेत्रों में स्लम में रहने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने शहरों में स्लम में रहने वालों की आबादी 10 लाख से अधिक दर्ज की है; और

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बारे में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (टीसीपीओ) के अनुमानों के अनुसार स्लम आबादी का रुझान निम्नानुसार है:—

वर्ष	स्लम आबादी
1981	27.9 मिलियन
1991	46.2 मिलियन
2001	61.8 मिलियन

(ख) और (ग) वर्ष 2001 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली के संदर्भ में शहर-वार स्लम वासियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

महानगरों में स्लम आबादी

(2001 की जनगणनानुसार)

क्र. सं.	महानगरों के नाम	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल आबादी	कुल स्लम	कुल आबादी में में स्लम आबादी का प्रतिशत
1.	ग्रेटर मुंबई	महाराष्ट्र	11,978,450	6,475,440	54.1
2.	पुणे	महाराष्ट्र	2,538,473	492,179	19.4
3.	नागपुर	महाराष्ट्र	2,052,066	737,219	35.9
4.	थाने	महाराष्ट्र	1,262,551	351,065	27.8
5.	कल्याण-डोम्बीवली	महाराष्ट्र	1,193,512	34,860	2.9
6.	नासिक	महाराष्ट्र	1,077,236	138,797	12.9
7.	पिंपरी चिंचवाड़	महाराष्ट्र	1,012,472	123,957	12.2
8.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	2,551,337	367,980	14.4
9.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	2,185,927	179,176	8.2
10.	आगरा	उत्तर प्रदेश	1,275,134	121,761	9.5
11	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	1,091,918	137,977	12.6
12.	मेरठ	उत्तर प्रदेश	1,068,772	471,581	44.1
13.	इंदौर	मध्य प्रदेश	1,474,968	260,975	17.7
14.	भोपाल	मध्य प्रदेश	1,437,354	125,720	8.7
15.	अहमदाबाद	गुजरात	3,520,085	473,662	13.5
16.	सूरत	गुजरात	2,433,835	508,485	20.9
17.	वड़ोदरा	गुजरात	1,306,227	186,020	14.2
18.	कोलकाता	वेस्ट बंगाल	4,572,876	1,485,309	32.5
19.	हावड़ा	वेस्ट बंगाल	1,007,532	118,286	11.7
20.	दिल्ली	दिल्ली	9,879,172	1,851,231	18.7

[अनुवाद]

सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत परियोजनाएं

2631. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेपाल सरकार से सहयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : (क) और (ख) 1996 की महाकाली संधि के तहत भारत और नेपाल महाकाली नदी पन पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना (5600 मे.वा.) को संयुक्त रूप से विकसित करने पर सहमत हो गए हैं। दोनों सरकारें पंचेश्वर परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में लगी है। इसके अतिरिक्त, सम-कोसी सप्त कोसी परियोजना (लगभग 3300 मे. वा.) की डी.पी.आर.तैयार करने के लिए फील्ड अन्वेषण करने के लिए भारतीय सहायता से एक संयुक्त परियोजना कार्यालय नेपाल में स्थापित किया गया है। नौमूरे जल विद्युत परियोजना की संभाव्यता के बारे में भी प्रारम्भिक विचार-विमर्श किया गया है।

[हिन्दी]

सुदूर और पिछड़े क्षेत्रों हेतु ऋण सुविधाएं

2632. **श्री कीरेन रिजीजू :**
श्री श्रीपाद येसो नायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सुदूर और पिछड़े क्षेत्रों में ऋण सुविधाएं मुहैया कराने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और अधिक सुदृढ़ बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदूर एवं पिछड़े क्षेत्रों में ऋण सुविधाएं प्रदान करने में सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कई उपाय शुरू किए हैं, जैसे:

(i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वर्ष 2007-08 के लिए 7% वार्षिक ब्याज दर प्रति ऋणकर्ता को 3.00 लाख रुपए तक फसल ऋण संवितरित करने में स्वयं की निधियां लगाने के 2% ब्याज अनुदान प्रदान किए जाने की योजना जारी रखना।

(ii) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) 4.5% वार्षिक ब्याज रियायती पुनर्वित्त दर पर मौसमी कृषि परिचालनों (एसएओ) को वित्तपोषित करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्पावधि पुनर्वित्त देता है।

(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संसाधन बढ़ाने के लिए उन्हें अनिवासी बाह्य (एनआरई)/विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमा राशि स्वीकार करने की अनुमति दे दी गई है।

(iv) नाबार्ड के अध्यक्ष से कहा गया है कि संलग्न कारक पर पूर्ण रूप से विचार करते समय विशेष रूप से उन जिलों में, जिनमें शाखाएं नहीं हैं, अधिक से अधिक शाखा विस्तार करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और उनके प्रायोजक बैंकों का पता लगाने के लिए कार्ययोजना तैयार करें ताकि सुदूर एवं पिछड़े क्षेत्रों में ऋण तक पहुंच को सुगम बनाया जा सके।

(v) ऋणात्मक शुद्ध मालियत वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का चरणबद्ध तरीके से पुन: पूंजीकरण करना।

कम्पनियों का गायब होना

2633. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**
श्री बी.के. हुम्मर :

क्या कॉरपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गम्भीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एस.एफ.आई.ओ.) की स्थापना के पश्चात् गायब होने वाली कम्पनियों की संख्या में कमी आयी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कॉरपोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दिनांक 9 जनवरी, 2003 को गंभीर

धोखाधड़ी जांच-पड़ताल कार्यालय (एसएफआईओ) स्थापित करने की स्वीकृति दे दी। तथापि, इसने 1 अक्तूबर, 2003 से कार्य करना शुरू किया।

दोषी कंपनियों/प्रवर्तकों से संबंधित नीतिगत मुद्दों का निपटारा करने तथा लुप्त कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित प्रगति की निगरानी करने हेतु मार्च, 1999 में सचिव, (तब) कम्पनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) एवं अध्यक्ष सेबी की सह-अध्यक्षता में समन्वय एवं निगरानी समिति (सीएमसी) का गठन किया गया। उन कंपनियों में से जो वर्ष 1992-98 के दौरान आईपीओज् के साथ आई थीं, कुल 229 कंपनियों की मूल रूप से पहचान लुप्त कंपनियों के रूप में की गई। सीएमसी के अनवरत प्रयासों से 116 कंपनियों को ढूंढ निकाला गया है जिसके परिणामस्वरूप लुप्त कंपनियों की संख्या घटकर 113 हो गई है। तत्पश्चात्, उन कंपनियों के संबंध में कार्यदलों ने भी इसी तरह का कार्य किया है जो वर्ष 1998-2001 के दौरान आईपीओज् के साथ आई थीं। इसके परिणामस्वरूप, 9 कंपनियों की पहचान लुप्त कंपनियों के रूप में की गई है। इस प्रकार, लुप्त कंपनियों की कुल संख्या अब 122 है।

लुप्त कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की निगरानी के संबंध में गंभीर धोखाधड़ी जांच-पड़ताल कार्यालय (एसएफआईओ) की कोई भूमिका नहीं है।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें

2634. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री वी.के. ठुम्मर :

क्या शहरी विकास मंत्री सी.पी.डब्ल्यू.डी. अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों के बारे में 16 मार्च, 2007 के अतारांकित प्रश्न सं. 2626 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.पी.डब्ल्यू.डी. अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में सूचना अब तक एकत्रित की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो अपेक्षित सूचना एकत्र किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे सभा पटल पर कब तक रखे जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) अतारांकित प्रश्न सं. 2626 के संबंध में सूचना एकत्र कर ली गयी है और संबंधित ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

(क)	क्या सरकार की जानकारी में यह आया है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) सरकारी आवासों का समुचित रूप से रखरखाव नहीं कर रहा है;	(क)	जी, नहीं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी आवासों का अच्छी तरह हालत में रखरखाव किया जा रहा है।
(ख)	यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ कितनी शिकायतें मिली हैं; और	(ख)	वर्ष 2006-07 के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अधिकारियों के खिलाफ 13 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।
(ग)	दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?	(ग)	अभी तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है। तथापि, शिकायत के एक मामले की अभी जांच पड़ताल की जा रही है।

[अनुवाद]

पूंजी जुटाने पर प्रतिबंध

2635. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूंजी जुटाने पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर उक्त प्रतिबंधों की वजह से नकदी की कमी हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजकोषीय घाटे में कमी

2636. श्री सुभाष महरिया :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार राजकोषीय घाटे में कमी के संबंध में राज्य-वार कार्य-निष्पादन कैसा है;

(ख) क्या उक्त कार्य-निष्पादन के संबंध में कोई आकलन करवाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2010 तक राजकोषीय घाटा समाप्त करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) राजकोषीय घाटे में राशियों के स्तर पर तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) की प्रतिशतता के रूप में कमी को दर्शाने वाला राज्य-वार कार्य-निष्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण है। बारहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) की सिफारिशों के अनुसरण में, ऋण राहत प्रदान करने के लिए टी.एफ.सी. अवार्ड अवधि, 2005-10 के लिए वित्त मंत्रालय ने राज्यों की ऋण समेकन तथा राहत सुविधा (डी.सी.आर.एफ.) नाम से एक नई स्कीम तैयार की है। यह सामान्य ऋण राहत राज्यों द्वारा राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबंधन विधान को लागू करने पर निर्भर होगी, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वर्ष 2008-09 तक राजकोषीय घाटे (एफ.डी.)/जी.एस.डी.पी. अनुपात में 3 प्रतिशत कमी लाना भी शामिल है। राजकोषीय कार्य-निष्पादन के आकलन तथा मॉनीटरन के लिए केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय मॉनीटरिंग समिति तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक मॉनीटरिंग समिति का गठन किया गया है। हाल ही में की गई समीक्षा में, अन्य बातों के साथ-साथ, देखा गया है कि राज्यों ने अपने राजकोषीय घाटे में महत्वपूर्ण कटौती करने में सफलता प्राप्त की है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपए में)				सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा			
		2004-05 आधार वर्ष	2005-06	2006-07 (संशो. अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2004-05 आधार वर्ष	2005-06	2006-07 (संशो. अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	8192	8300	7904	8621	3.97	3.62	3.11	3.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	386	256	˙258	140	15.28	8.97	8.03	3.86
3.	असम	2057	*356	3649	2065	4.54	*0.71	6.53	3.3
4.	बिहार	1242	3700	6898	3159	1.77	4.76	8.00	3.30
5.	छत्तीसगढ़	1232	435	1428	1567	3.87	1.23	3.64	3.60
6.	गोवा	551	603	707	742	5.38	5.22	5.43	5.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	गुजरात	8691	6270	6165	5994	4.27	2.73	2.38	2.05
8.	हरियाणा	1206	286	648	1640	1.47	0.31	0.63	1.43
9.	हिमाचल प्रदेश	1810	720	1108	1355	8.99	3.17	4.33	4.69
10.	जम्मू और कश्मीर	1665	2643	1464	2039	5.29	7.56	3.77	4.74
11.	झारखण्ड	2218	5603	5257	4469	5.35	12.17	10.29	7.88
12.	कर्नाटक	3600	3687	5372	6305	2.48	2.25	2.91	3.03
13.	केरल	4452	4182	8331	7425	4.29	3.63	6.51	5.23
14.	मध्य प्रदेश	6492	4572	4533	4655	5.75	3.62	3.20	2.94
15.	महाराष्ट्र	18620	17630	15620	11158	4.94	4.17	3.30	2.11
16.	मणिपुर	449	271	228	106	8.16	4.44	3.36	1.41
17.	मेघालय	313	179	86	83	5.77	2.97	1.28	1.11
18.	मिजोरम	235	397	288	114	7.31	11.11	7.27	2.58
19.	नागालैंड	218	306	392	235	3.13	3.96	4.56	2.46
20.	उड़ीसा	1366	276	921	1025	2.30	0.42	1.26	1.26
21.	पंजाब	4115	2654	5567	5546	4.84	2.81	5.32	4.77
22.	राजस्थान	6146	5150	5003	5322	5.58	4.14	3.57	3.37
23.	सिक्किम	186	149	202	252	11.01	7.88	9.53	10.64
24.	तमिलनाडु	5570	2251	6614	7801	2.96	1.06	2.77	2.89
25.	त्रिपुरा	240	110	472	675	2.13	0.87	3.34	4.27
26.	उत्तर प्रदेश	12998	10078	11090	12485	5.51	3.82	3.75	3.77
27.	उत्तरांखण्ड	2180	1878	1878	1460	9.02	7.00	6.30	4.42
28.	पश्चिम बंगाल	10653	9601	11836	11484	5.70	4.56	4.98	4.28

स्रोत: राज्यों के वित्त लेखे तथा बजट दस्तावेज)2007-08)।

*राजकोषीय अधिशेष।

एनआरईजीएस के अंतर्गत बेहतर कार्य-निष्पादन हेतु पुरस्कार

2637. श्री सुनील खां : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्यों/जिलों/पंचायतों को कुछ पुरस्कार देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा ऋण

2638. श्री के. सुब्बारायन :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान संवितरित विदेशी शिक्षा ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण स्तर पर शिक्षा ऋण के लाभार्थियों का आंकड़ा उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों को संवितरित शिक्षा ऋणों का ब्यौरा इस प्रकार है:

	2004-05	2005-06	2006-07
खातों की संख्या	103736	159537	180954
संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)	833.55	1309.99	1638.70

सभी बैंकों के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा ऋणों के लाभार्थियों के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है।

मुद्रा प्राधिकरण द्वारा अशांकित हस्तक्षेप

2639. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रित करने हेतु किए गए अप्रत्यक्ष उपायों की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि बैंक जमा राशियों और ऋणों दोनों पर ब्याज दर बढ़ा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक कई उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकता को नजरअंदाज कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो मुद्रा प्राधिकरण द्वारा अशांकित हस्तक्षेप को नियंत्रित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति ढांचे के अंतर्गत कार्य करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जुलाई, 2007 को जारी वर्ष 2007-08 के लिए मौद्रिक नीति पर वार्षिक वक्तव्य की अपनी तिमाही समीक्षा में संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर अपने अधिकार वाले नीति साधनों को अपनी मर्जी से प्रयोग करते हुए, आरक्षित नकद निधि अनुपात निर्धारण और खुले बाजार कार्यों के उपयुक्त प्रयोग के जरिए नकदी के सक्रिय मांग, प्रबंधन की अपनी नीति जारी रखेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 अक्तूबर, 1994 से आवास ऋण सहित 2 लाख रुपए से ऊपर के अग्रिम और ब्याज दर को अवनियमित कर दिया है तथा ये ब्याज दरें बैंकों द्वारा अपने बोर्डों के अनुमोदन से निर्धारित की जाती है। 2 लाख रुपए तक की ऋण सीमा के लिए, बैंचमार्क मूल उधार दर को अधिकतम उधार दर के रूप में निर्धारित किया गया है। बैंकों को अपनी सेवाओं की कीमत बैंचमार्क मूल उधार दर से कम या ज्यादा रखने और पारदर्शी तरीके से सेवाओं की चल दर पेश करने की अनुमति भी दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 अक्तूबर, 1997 से वाणिज्यिक बैंकों को अपने बोर्डों के पूर्व अनुमोदन से विभिन्न परिपक्वताओं की घरेलू

सावधिक जमाओं पर ब्याज दर निर्धारित करने की छूट दी है। तथापि बचत बैंक जमाओं पर ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित की जाती रहेंगी।

खाद्येतर ऋण के अभिनियोजन से नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों की वर्ष-दर-वर्ष भिन्नता का पता चलता है:

	क्षेत्र	वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन (%) (26 मई 2006 से 25 मई 2007 तक)
1.	कृषि	32.2
2.	उद्योग (लघु, मझोले और बड़े)	26.4
3.	सेवाएं	26.1
4.	कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण	26.4

ऊपरी तालिका से यह देखा जा सकता है कि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बैंक ऋण में वृद्धि हुई है।

पेयजल योजनाओं में परिवर्तन

2640. डा. टोकचोम मैन्या :
श्री अवतार सिंह भडाना :
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजीव गांधी पेयजल मिशन (आरजीएनडीडब्ल्यूएम) के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में कुछ परिवर्तन लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सुरक्षित पेयजल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे कुछ राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (घ) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान एक ग्रामीण पेयजल योजना कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने, जल स्त्रोतों की निरन्तरता और जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं को हल करने जैसे घटक शामिल हैं। मरूभूमि विकास कार्यक्रम के तहत निर्धारित क्षेत्रों और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों को जल आपूर्ति हेतु विशेष वित्तपोषण जारी रखने का प्रस्ताव है।

चूंकि ग्रामीण पेयजल राज्य का विषय है, इसलिए भारत सरकार किसी भी राज्य के लिए विशेष योजनाएं तैयार नहीं करती है। राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और वे परियोजनाओं की आयोजना करने, उन्हें अनुमोदित करने तथा कार्यान्वित करने के लिए सक्षम हैं।

[हिन्दी]

राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन

2641. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन करने के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अध्ययन की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : (क) केन्द्र सरकार ने वर्ष 2004 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) को राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन के प्रभाव पर अध्ययन करने का काम सौंपा था।

(ख) जी हां।

(ग) देश के विभिन्न क्षेत्रों में 12 बड़े राज्यों में कराए गए अध्ययन से आम निष्कर्ष यह निकला है कि कुछ खामियों के बावजूद पुनर्गठन का समग्र प्रभाव सकारात्मक है और सही दिशा में है।

अध्ययन के अंतर्गत कुछ सिफारिशें भी दी गई हैं जिनकी विद्युत मंत्रालय में समीक्षा की गई है। विभिन्न सिफारिशों तथा विद्युत मंत्रालय

द्वारा इनपर सुझाई गई कार्रवाई को राज्य सरकारों, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों तथा विनियामक मंच को भी भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के साथ सरकारी-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन

2642. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में केन्द्र सरकार से प्राप्त व्यवहार्यता अंतराल सहायता के साथ सरकारी-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने संबंधी योजनाएं विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को सरकारी-निजी भागीदारी परियोजनाओं हेतु विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य को संवितरित सहायता का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी की गति तेज करने और इसकी अभिवृद्धि के लिए अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ स्कीम) को वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीम की भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2005 में घोषणा की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत निधीयन हेतु पात्रता प्राप्त करने के लिए कम से कम 51% निजी इक्विटी वाली किसी कंपनी द्वारा परियोजना अवधि के दौरान ही परियोजना विकास, वित्त पोषण, विनिर्माण, प्रबंधन और प्रचालन किया जाना चाहिए। इस स्कीम के अन्तर्गत कुल व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण सामान्यता परियोजना लागत के 20% तक सीमित होता है। सरकार अथवा सांविधिक कंपनी जो परियोजना को हाथ में लेती है, यदि ऐसा निर्णय करती है, तो कुल परियोजना लागत का बीस प्रतिशत और अपने ही बजट से अतिरिक्त अनुदान मुहैया करा सकती है। तथापि, व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के तहत दी जाने वाली वास्तविक सहायता का निर्णय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत पात्र क्षेत्रों में ये शामिल हैं, नामतः सड़कें और पुल, रेलवे, बंदरगाह, विमानपत्तन, अंतर्देशीय जलमार्ग, विद्युत, शहरी परिवहन, जलापूर्ति, महजल व्यवस्था ठोस कचरा निपटान और शहरी क्षेत्रों में भौतिक अवसंरचना, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र और अन्य पर्यटन अवसंरचना परियोजनाएं अब तक बीजीएफ स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित राज्यों को नीचे दर्शायी गई राशि हेतु अंतिम अथवा सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

राज्य	परियोजनाओं की संख्या	बीजीएफ स्कीम की राशि (करोड़ रु. में)
मध्य प्रदेश	07	245.38
गुजरात	03	365.48
महाराष्ट्र	06	1827.86
राजस्थान	07	251.60

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में संसद सदस्यों हेतु फ्लैट

2643. श्री पुष्प जैन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में संसद सदस्य (एम.पी.) फ्लैटों का निर्माण वर्ष क्या है;

(ख) इन फ्लैटों के उपयोग की निर्धारित अधिकतम अवधि क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार साउथ एवेन्यू और नॉर्थ एवेन्यू के पुराने और जीर्ण शीर्ण फ्लैटों के स्थान पर पर्याप्त जगह वाले आवासों का निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) इन फ्लैटों का निर्माण वर्ष 1951-52 में हुआ था।

(ख) सामान्य दखल एवं रखरखाव स्थितियों में इनकी अनुमानित उपयोग अवधि 55 वर्ष है।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के आलोक में लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

वर्चुअल प्रयोगशालाओं की स्थापना

2644. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण भारत में विद्यार्थियों हेतु वर्चुअल प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय की सहभागिता कितनी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकिंग व्यवसाय का उदारीकरण

2645. श्री एस. अजय कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग सुधारों ने बैंक जोखिम आकलन को मजबूत बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में कमी ने ऋण विस्तार में योग दिया है; और

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में कुल कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। भारत के बैंकिंग क्षेत्र के लिए सामान्यत: और विशेषत: सरकारी क्षेत्र के बैंको की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए और साथ ही, इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक के समकक्ष लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए व्यापक कदम के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने जोखिम आधारित विवेकपूर्ण/पर्यवेक्षण को सशक्त करने, बेसल समिति के मानदंडों के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता मानक लागू करने आदि के लिए उपाय सुझाए हैं। 1990 के दशक की शुरूआत में, सुधार शुरू किए जाने के बाद, बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन में उल्लेखनीय रूप से सुधार आया है। तुलनपत्र और आस्तियों पर प्रतिलाभ, निवल ब्याज मार्जिन, अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) का अनुपात, अनुपयोज्य आस्तियों के लिए प्रावधानन और वर्गीकरण मानदंड, पूंजी पर्याप्तता अनुपात आदि जैसे लाभप्रदता सूचक साबित करते हैं कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र अब वैश्विक न्यूनतम मानदंड के अनुरूप है।

(ग) जी, हां। अनुपयोज्य आस्तियों का निम्नतर स्तर से लाभप्रदता और आरक्षित निधि बढ़ी है और चल-निधि में वृद्धि हुई है, जिससे बैंकों को उनके ऋण संविभाग के संविस्तार में विशेष सुविधा मिली है।

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियां वर्ष 2005-06 के दौरान 23,210 करोड़ रुपए घटी है, जिसमें कोटि उन्नयन (3,787 करोड़ रुपए), समझौता/बट्टा खाते (8,833 करोड़ रुपए) के माध्यम से वसूली और नकद वसूली (10,590 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

भूमि सुधारों के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन

2646. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि सुधार का क्रियान्वयन करने वाले राज्यों को राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान योजना की उपलब्धियां क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सुरक्षा वाटरमार्क का अनुलिपिकरण

2647. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागजात पर सुरक्षा वाटरमार्क बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले साधन का डिजायन भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय द्वारा बनाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे साधन का विनिर्माण करने वाली इकाईयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत वर्ष के दौरान तथा आज की तिथि तक विनिर्माताओं द्वारा ऐसे साधन के दुरूपयोग के कितने मामले सरकार के नोटिस में आए हैं;

(घ) उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) उक्त इकाईयों द्वारा उक्त साधन के अनुलिपि उत्पादन/चोरी/विपथन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत प्रतिभूति मुद्रणालय केवल वाटरमार्क के रूप में कागज में समविष्ट किए जाने वाले चित्रों/रेखाचित्रों को कागज विनिर्माताओं को देता है जो इसके बदले में इनके विनिर्माण में लगी फर्मों से इन रचनाओं (डिवाइस) का विनिर्माण करवाती हैं। भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित दो फर्में ऐसी रचनाओं का विनिर्माण करती है:—

(i) मैसर्स डांडी रोल्स इंडियन प्रा.लि., ए-179, इंडस्ट्रियल एस्टेट, 1 स्टेज, चौथा चौराहा, पीन्या, बंगलौर-560058।

(ii) मैसर्स स्विल लि.; 25, गनेश चन्द्र एवेन्यू, कोलकाता-700013, इसका शाखा कार्यालय कैलाश कला अपार्टमेंट, प्रथम तल, 9ए शानाजाब रोड, लखनऊ-226001 में है।

(ग) शून्य

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वास्तविक विनिर्माण आरम्भ होने से पूर्व रचना के विनिर्माण के ब्यौरे भारत प्रतिभूति मुद्रणालय को अभिलेख के लिए मुहैया कराए जाते हैं। प्रत्येक रचना की पहचान संख्या के बारे में सूचना अभिलेख एवं मानीटरिंग हेतु भारत प्रतिभूति मुद्रणालय को दी जाती है। एक ऐसी क्रियाविधि स्थापित की जाती है जिसके द्वारा भारत प्रतिभूति मुद्रणालय द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर रचना की जांच की जाती है। संविदा के अनुसार कागज आपूर्तिकर्ता द्वारा आदेशित मात्रा का विनिर्माण कर दिए जाने के तुरन्त पश्चात ही भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के अधिकारियों की उपस्थिति में उस रचना को नष्ट/विकृत कर दिया जाता है।

साधारण बीमा कंपनियों का विलय

2648. श्री पन्नियन रवीन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियों के विलय का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के दिशानिर्देशों में परिवर्तन

2649. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के लिए दिशानिर्देशों में कोई परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क)

और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन एवं पर्यवेक्षण लगातार विकसित होनी वाली प्रक्रिया है और सांविधिक उपबंधों के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को समय-समय पर निदेश/दिशानिर्देश जारी करके आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए जारी कुछ मार्गनिर्देशों में उचित व्यवहार संहिता, कंपनी अभिशासन, 100 करोड़ रुपए या इससे अधिक राशि की आस्ति वाली जमा राशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विनियामक एवं पर्यवेक्षण संबंधी ढांचा तथा आस्ति वित्त कंपनियां नामक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की एक नई श्रेणी की पहचान करना शामिल हैं।

विनिवेश नीति

2650. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राइवेट इक्विटी और सरकार की विनिवेश की प्रक्रिया को अभिशासित करने वाली विनिवेश नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एक संशोधित विनिवेश नीति तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार विनिवेश प्रयोजन के लिए तेल क्षेत्र को गैर-रणनीतिक क्षेत्र मानती है; और

(ङ) यदि हां, तो तेल को गैर-रणनीतिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करने का औचित्य क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) विनिवेश सहित सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित नीति, मई, 2004 में सरकार द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिए गए हैः—

"संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार एक ऐसे सुदृढ़ एवं प्रभावशाली सार्वजनिक क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है जिसके सामाजिक उद्देश्यों को इसके वाणिज्यिक कार्यकलापों के द्वारा पूरा किया जाता है। परन्तु इसके लिए चयनात्मकता और रणनीतिक फोकस की आवश्यकता है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में प्रचालित, सफल एवं लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों को पूर्ण प्रबंधकीय एवं वाणिज्यिक स्वायत्तता सौंपना चाहती है। सामान्यतः, लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों का निजीकरण नहीं किया जाएगा।

समस्त निजीकरण मामला-दर-मामला आधार पर पारदर्शी एवं परामर्शी रूप से किया जाएगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार वर्तमान 'नवरत्न' कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए रखेगी जबकि ये कंपनियों संसाधन पूंजी बाजार से जुटाएंगी। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण कंपनियों का आधुनिकीकरण एवं पुनर्संरचना करने तथा रुग्ण उद्योगों का पुनरूद्धार करने का हर सम्भव प्रयास किया जाएगा, लगातार घाटे में चल रही कंपनियों को, उनके कामगारों को उनकी औचित्यपूर्ण बकाया राशियां और मुआवजा मिल जाने के बाद, या तो बेच दिया जाएगा अथवा बंद कर दिया जाएगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार उन कंपनियों के विकास के लिए निजी उद्योग को प्रेरित करेगी जिनके पुनरुद्धार की संभावना है।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार यह विश्वास करती है कि निजीकरण से प्रतिस्पर्धा बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। यह सरकार ऐसे किसी प्रकार के एकाधिकार के प्रादुर्भाव का समर्थन नहीं करेगी जिससे प्रतिस्पर्धा सीमित होती है। यह सरकार यह भी विश्वास करती है कि निजीकरण और सामाजिक आवश्यकताओं के बीच सीधा संबंध होना चाहिए-उदाहरण के लिए निजीकरण से प्राप्त राजस्व का विनिर्दिष्ट सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए उपयोग किया जाना। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को संसाधन जुटाने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करने और छोटे निवेशकों के लिए निवेश के नए अवसर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।"

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शहरी मलिन बस्ती परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

2651. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी मलिन बस्तीयों के सुधार के लिए विदेशी सहायता से चलायी जा रही परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाएं किस तिथि को आरंभ की गई थी: और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन वास्तविक कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) विदेशी सहायता से शहरी स्लम सुधार संबंधी परियोजनाएं, भूमि जुटाव तथा विकास, जल आपूर्ति, परिवहन, सफाई और सीवरेज, जल निकासी तथा शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं का प्रावधान क्षेत्रों में व्यापक सेक्टोरल कार्यक्रमों के भाग के रूप में शुरू की जाती है। संगत ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सेक्टोरल परियोजनाओं का ब्यौरा (अनुदान)

31.3.2007 के अनुसार

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	अनुदान विवरण स्वीकृति तारीख सहित	स्वीकृत अनुदान राशि
1	2	3
1.	एशियाई विकास बैंक (एडीबी) 0005-आईएनडी एशियाई सूनामी कोष अनुदान दिनांक 12.5.05	435.599
	कुल	435.599
2.	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) 00044242 विकेन्द्रीकृत शहरी शासन के लिए क्षमता निर्माण तारीख 1.8.2005	12.988
3.	आईएनडी/03/033 शहरी गरीबों के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति तारीख 14.10.2003	22.356
	कुल	35.344
	यूनाइटेड किंगडम	
4.	यूकेजीजी 017 आंध्र प्रदेश, गरीबों के लिए शहरी सेवाओं का सुधार तारीख 3.6.99	539.221
5.	यूकेजीजी 047 गरीबों के लिए कोलकाता शहरी सेवा कार्यक्रम तारीख 31.12.2003	754.059
6.	यूकेजीजी 063 गरीबों के लिए मध्य प्रदेश शहरी सेवा कार्यक्रम तारीख 10.11.2006*	309.228
	कुल	1602.508
7.	जर्मनी एएल-9765553 2332038ई एचडीएफसी-III (कम लागत आवास) तारीख 25.9.1998	72.051
	कुल	72.051

*हाल ही में स्वीकृत परियोजनाएं जिनमें कार्यान्वयन पूर्व सक्रियाएं चल रही हैं।

[अनुवाद]

स्व-वित्त पोषण योजना

2652. **श्री नरहरि महतो** : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न शहरों में स्व-वित्त पोषण योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शहर-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में योजना के लिए कितनी निधियां स्वीकृत की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) जहां तक आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय का संबंध है, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सीजीईडब्ल्यूएचओ) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्व-वित्तपोषण आधार पर आवास परियोजनाएं शुरू करता है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की आवास की मांग और ऐसे स्थानों पर भूमि की उपलब्धता के आधार पर देश के विभिन्न भागों में समय-समय पर परियोजनाएं शुरू की जाती हैं।

चालू स्कीमों और चालू वित्त वर्ष के दौरान घोषित की जाने वाली संभावित स्कीमों का नगरवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन की स्व-वित्तपोषित परियोजनाओं का वित्तपोषण लाभार्थियों द्वारा किया जाता है और सरकार द्वारा अलग से कोई राशि आवंटित/स्वीकृत नहीं की जाती है।

विवरण

चालू स्कीमों और चालू वित्त वर्ष के दौरान घोषित की जानी वाली संभावित स्कीमों का नगर-वार ब्यौरा इस प्रकार है:—

नगर	बनाई जा रही रिहायशी यूनिटें
लखनऊ	130
चेन्नई (II)	572
हैदराबाद (III)	380
पुणे (II)	148
भुवनेश्वर (I)	256
मोहाली (I)	586
कुल	2072

चालू वित्त वर्ष के दौरान घोषित की जानी वाली संभावित स्कीमें

नगर	बनाई जा रही रिहायशी यूनिटों की संख्या
1	2
मेरठ	100
जयपुर (II)	300
कोलकाता (II)	500
गुड़गांव (III)	900
ग्रेटर नोएडा (I)	900
बंगलौर (II)	600
विशाखापट्टनम	250
खारघर (II), नवी मुंबई	1000
कुल	3650

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निदेश

2653. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न प्राइवेट बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आईसीआईसीआई बैंक, सिटी बैंक और एचएसबीसी को एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार आयोग (एमआरटीपीसी) से अपने क्रेडिट कार्ड कारोबार में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का कथित उल्लंघन करने के लिए जांच पड़ताल संबंधी नोटिस मिला है। इन उल्लंघनों में प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों (डीएसए) के संबंध में यह बताए बिना कि वे स्वतंत्र संविदाकार हैं, उनके जरिए क्रेडिट कार्ड के संबंध में निवेदन करना और क्रेडिट कार्डों की बिक्री बढ़ाना, डीएसए का कथित रूप से अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त होना और आम जनता को क्रेडिट कार्ड सेवाएं प्रदान करते समय ऐसा वादा करना जो बैंक की सीमा से अधिक है, आम जनता को उनकी भाषा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्तों (एमआईटीसी)

के संबंध में जागरूक करते हुए संभावनाएं बताए बिना क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन-पत्र मांगना, एमआईटीसी को आवेदन-पत्र का अभिन्न अंग बनाए बिना क्रेडिट कार्ड सेवाओं हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित करना, आवेदन प्रपत्रों में वर्णमाला के छोटे आकार के अक्षरों का प्रयोग, खातों का विवरण समय पर प्राप्त होना सुनिश्चित किए बिना अर्थदंड लगाना, पावती जारी किए बिना वापसी-अदायगी के लिए चैक स्वीकार करना, आदि शामिल हैं।

(ग) बैंक की चूक सिद्ध हो जाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक इस मामले में उपयुक्त विनियामक कार्रवाई करता है, जिसमें बैंक से अपनी प्रणाली एवं प्रक्रिया में सुधार करने के लिए कहना, बैंक पर अर्थदंड लगाना, आदि शामिल हैं, ताकि ऐसे दृष्टांतों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को विद्युत का आबंटन

2654. श्री गणेश सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश को विंध्याचल तथा कहलगांव ताप विद्युत परियोजनाओं को तृतीय चरण से विद्युत का आबंटन 231 तथा 107 मेगावाट से घटाकर क्रमशः 200 तथा 74 मेगावाट कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) के साथ विद्युत की खरीद हेतु हुए समझौते (पीपीए) के अनुसार विद्युत आबंटन के कब तक बढ़ा दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) एनटीपीसी लिमिटेड और लाभार्थियों के बीच हस्ताक्षरित विद्युत क्रय समझौतों में वर्णित विद्युत का आवंटन केवल सूचनात्मक है और सरकार द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र के आवंटन फार्मूला (गाडगिल फार्मूला) के अनुसार होनेवाले अंतिम आवंटन पर निर्भर है।

विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन चरण-III (2x500 मे.वा.)

केन्द्रीय क्षेत्र के आवंटन फार्मूला (गाडगिल फार्मूला) के अनुसार कोरबा विद्युत संयंत्र से छत्तीसगढ़ को 308 मे.वा. का आवंटन किया जाना है, किन्तु वास्तव में इस 210 मे.वा. विद्युत ही मिल रही है। यह निर्णय उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मांग एवं आपूर्ति की स्थिति के आधार पर वर्ष 2001 में लिया गया था। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ सरकार ने विन्ध्याचल एसटीपीएस चरण-III से और अधिक आवंटन का दावा किया और यह निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के 305 मे.वा. के समग्र आवंटन में से छत्तीसगढ़ को 105 मे.वा. तथा 200 मे.वा म.प्र. को दिया जाएगा।

कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन चरण-II (3x500 मे.वा.)

कहलगांव एसटीपीएस चरण-II को उत्तरी, पश्चिमी एवं पूर्वी क्षेत्रों के लाभार्थियों को विद्युत की आपूर्ति के लिए स्थापित किया गया है। केन्द्रीय क्षेत्र आवंटन फार्मूला (गाडगिल फार्मूला) के आधार पर इस विद्युत संयंत्र से मध्य प्रदेश का हिस्सा 74 मे.वा. है।

बिहार में परियोजनाओं में विलम्ब

2655. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जुलाई, 2007 के हिन्दी दैनिक "दैनिक जागरण" में "विशेष प्रोजेक्ट खस्ताहाल बिहार उनमें सबसे बदहाल" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बिहार सहित 14 राज्यों में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत स्वीकृत विशेष परियोजनाओं, जो कुल मिलाकर एसजीएसवाई के अंतर्गत 150 से अधिक विशेष परियोजनाएं हैं, की केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में समीक्षा की गई थी। इस समीक्षा से यह बात सामने आई कि राज्यों में विशेष परियोजनाएं विलंब के कारण प्रभावित हुई हैं और राज्य सरकारों के ग्रामीण विकास विभागों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित एवं कड़ी निगरानी पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप, परियोजना की प्रगति धीमी हो गई है। समीक्षा के दौरान, संबंधित राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे सभी स्वीकृत विशेष परियोजनाओं के कार्यान्वयन की आवधिक

प्रगति की सूक्षम निगरानी करें ताकि बाधाओं को दूर किया जा सके और परियोजनाओं का समय पर समापन सुनिश्चित हो सके।

[अनुवाद]

भूकम्प जागरूकता सम्बंधी योजना

2656. **श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के जरिए भूकम्प संबंधी जागरुकता फैलाने की एक योजना अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(घ) इसकी वर्तमान स्थिति क्या हे?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (घ) जी हां। भारत मौसम विज्ञान विभाग के सभी राज्य, क्षेत्रीय और केन्द्रीय कार्यालय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (28 फरवरी) और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यू एम ओ) दिवस-23 मार्च के अवसर पर स्कूली बच्चों में भूकंप के साथ-साथ चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए एक सप्ताह का नियमित कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन दोनों अवसरों पर स्थानीय स्कूली बच्चों के लिए प्रदर्शनियां, व्याख्यान, वेधशालाओं का दौरा आदि जैसे कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित किए जाते हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के भूकंपनीयता कार्यक्रम के अंतर्गत भूकंप के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए सामान्यतया 5 प्रायोगिक परियोजनाओं और विशेष रूप से स्कूली बच्चों के लिए 2 परियोजनाओं को वित्तपोषित किया गया है।

मुद्रा विनिमय समझौता

2657. **श्री सुरेश कलमाडी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा जापान ने अपनी मुद्राओं के संबंध में सट्टेबाजी से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा का विनिमय करने के लिए एक मुद्रा विनिमय समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह समझौता जापान के साथ कब तक प्रभावी हो जाएगा;

(घ) क्या भारत ने ऐसा समझौता अन्य देशों के साथ भी किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) भुगतान संतुलन संकट के दौरान अल्पावधि नकदीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय व्यवस्था को लागू करने के लिए भारत तथा जापान के बीच वार्ताएं की जा रही हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ए.टी.एम. सुविधा को आपस में जोड़ा जाना

2658. **श्री रामदास आठवले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में इंटरनेट के जरिए सभी बैंकों के ए.टी.एम. को आपस में जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नोटरी पब्लिक की नियुक्ति

2659. **श्री पी. करुणाकरन : क्या विधि और न्याय मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नोटरी पब्लिक की राज्य-वार विद्यमान संख्या कितनी है;

(ख) नोटेरियों की नियुक्तियों के लिए निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक विभिन्न राज्यों में नोटरी पब्लिक हेतु राज्य-वार कितने अभ्यार्थियों ने आवेदन किया तथा कितनों को नियुक्त किया गया;

(घ) राज्य-वार कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं;

(ङ) विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) लम्बित आवेदनों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्रों के पीएफसी से सहायता

2660. श्री नकुल दास राई : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विद्युत वित्त निगम का विचार सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र की कतिपय ताप विद्युत परियोजनाओं को वित्त पोषित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी हां, पीएफसी ने दिसम्बर, 2006 में असम पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (एपीजीसीएल) की लक्वा वेस्ट हीट रिकवरी परियोजना (1 x 37.2 मेगावाट) के लिए 165.48 करोड़ रुपये की राशि के ऋण को मंजूरी दी है। इसमें से 40.45 करोड़ रुपये की राशि का वितरण 31.7.2007 तक कर दिया गया है।

एपीजीसीएल को नामरूप गैस आधारित संयुक्त साइकल विद्युत परियोजना, फेज-I (100 मेगावाट) के लिए एक अन्य ऋण प्रस्ताव पीएफसी को प्राप्त हुआ है। वित्तीय मंजूरी एवं वितरण संबंधित राज्य से प्राप्त अनुरोध एवं विस्तृत मूल्यांकन पर निर्भर करता है।

विनिवेश खंड

2661. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कंपनियों के संबंध में विनिवेश खंड है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों पर विनिवेश खंड लागू करने की नीति की समीक्षा करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां। भारतीय भागीदार/जनता के पक्ष में 5 वर्ष के भीतर 26% इक्विटी जमा करने के लिए विनिवेश खंड निम्न क्षेत्रों/कार्यकलापों में प्रयोज्य है:—

(1) पेट्रोलियम उत्पादों का कारोबार तथा विपणन करने के लिए पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र में

(2) चाय बागान सहित चाय के क्षेत्र में

(3) (i) गेटवे के बिना आईएसपी, (ii) डार्क फाईबर, मार्गाधिकार, डक्ट स्पेस, टावर (श्रेणी-I) की व्यवस्था करने वाले अवसंरचना प्रदायक, तथा (iii) इलेक्ट्रॉनिक मेल तथा वायस मेल, के लिए दूरसंचार क्षेत्र में, यदि ये कंपनियां विश्व के अन्य भागों में सूचीबद्ध हों।

(ख) और (ग) सरकार ने उदार और पारदर्शी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति अपनाई है जिसके अनुसार अधिकांश क्षेत्रकों/कार्यपालकों में स्वतः मार्ग के अधीन 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति की विदेशी इक्विटी सीमाओं पर उच्चतम सीमाओं, अनिवार्य निर्वहन और प्रक्रियाओं सहित निरंतर समीक्षा की जाती है ताकि उच्चतर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाहों के लिए उन्नत निवेश व्यवस्था का सृजन किया जा सके। हाल ही में, जनवरी, 2006 में सरकार द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति की समीक्षा की गई थी। प्रेस विज्ञप्ति 4(2006), में यौक्तिकीरण के उपाय अंतर्निहित हैं, जो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) की वेबसाइट http://dipp.nic.in पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

जैव-प्रौद्योगिकी पार्क

2662. **प्रो. महादेवराव शिवनकर :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान, महाराष्ट्र, गोआ तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकारों से जैव-प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना के लिए राजस्थान, महाराष्ट्र, गोआ तथा मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

एनटीपीसी द्वारा प्राकृतिक गैस का आयात

2663. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) का विचार देश में अपने विद्युत संयंत्रों के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनटीपीसी ने इस संबंध में किसी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निकट भविष्य में विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी मात्रा में एलएनजी का आयात किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी हां

(ख) से (घ) नैशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन अपने विद्युत संयंत्रों के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयात की संभावना तलाश रहा है।

एनटीपीसी ने ऊर्जा मंत्रालय, संघीय सरकार नाइजीरिया (एफजीएन) के साथ नाइजीरिया में विद्युत संयंत्र लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर इस शर्त के साथ हस्ताक्षर किए हैं कि एफजीएन उपलब्धता के अनुसार अपने मौजूदा/भावी एलएनजी संयंत्रों से दीर्घकालिक आधार पर 25 वर्ष की अवधि तक उचित मूल्य पर कम से कम 3 मिलियन टन एलएनजी उपलब्ध कराएगी। एफजीएन द्वारा उक्त प्रतिबद्धता निभाने पर एनटीपीसी तकनीकी व्यवहार्यता के अनुसार नाइजीरिया में 500 मे.वा. का एक कोयला आधारित तथा 700 मे.वा. का एक गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करेगी। एलएनजी की वास्तविक मात्रा नाइजीरिया सरकार के साथ एलएनजी बिक्री एवं खरीद समझौता तथा रि-गैसिफिकेशन समझौतों के सफलतापूर्वक निष्पन्न हो जाने पर निर्भर करेगा।

(ङ) वर्ष 2006-07 के दौरान एनटीपीसी के स्टेशनों में लगभग 1090 मिलियन स्टैन्डर्ड क्युबिक मीटर (एमएमएससीएम) स्पॉट रिगैसिफाइड तरलीकृत गैस का उपयोग किया गया। चालू वर्ष के दौरान जुलाई, 2007 तक एनटीपीसी के स्टेशनों में लगभग 530 एमएमएससीएम स्पॉट आरएलएनजी का उपयोग किया गया। किन्तु भविष्य में उपयोग की जानेवाली एलएनजी की मात्रा मूल्य-निर्धारण तथा घरेलू/अंतर्राष्ट्रय बाजार में प्राकृतिक गैस/आरएलएनजी की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत घाटे

2664. **श्री मो. ताहिर :**
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों ने क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत घाटे उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान योजना की जगह कोई नई योजना शुरू की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या क्रेडिट कार्ड धारकों की बकाया धनराशि पर ब्याज दर बढ़ाई है/बढ़ाई जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक की विद्यमान सूचना प्रणाली में पूछे गए अनुसार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) बैंक समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों/अनुदेशों के अध्यधीन अपनी कारबार योजनाओं के अनुसार अपनी क्रेडिट कार्ड योजनाएं बना सकते हैं।

(ङ) और (च) दिनांक 2 जुलाई, 2007 के मास्टर परिपत्र के पैरा 3 के अनुसार, बैंकों को परामर्श दिया गया है कि क्रेडिट कार्ड संबंधी देयराशियां गैर-प्राथमिकता क्षेत्र वैयक्तिक ऋणों के स्वरूप की होती हैं और इसलिए बैंक अपनी आधार मूल उधार दर (बीपीएलआर) का संदर्भ दिए बिना और ऋण की राशि पर ध्यान दिए बिना क्रेडिट कार्ड संबंधी देयराशियों के संबंध में ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को परामर्श दिया है कि क्रेडिट कार्ड देयराशियों के संबंध में वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर), एपीआर के परिकलन का तरीका, परिकलन के तरीके सहित विलम्बित अदायगी प्रभार, ब्याज के परिकलन के लिए बकाया अदत्त राशि को शामिल करने का तरीका आदि कार्ड जारी करने वाले बैंकों द्वारा "वेलकम किट" और मासिक विवरण में दर्शाया जाना चाहिए। बैंकों को क्रेडिट कार्ड देय राशियों के संबंध में अपनी ब्याज दर/सेवा प्रभार निर्धारित करने में पारदर्शी होने और उसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्तों एवं निबंधनों में सम्मिलित करने का परामर्श भी दिया गया है। क्रेडिट कार्ड परिदृश्य की सख्त निगरानी की जा रही है और बैंकों को उनके क्रेडिट कार्ड परिचालनों के संबंध में अनुदेश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरंतर आधार पर जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम

2665. **श्री अनंत नायक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जीवन बीमा निगम के राज्य-वार कितने डिवीजन हैं;

(ख) राज्य में नया डिवीजन बनाए जाने की निर्धारित मानदंड क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास कुछ राज्यों विशेषकर उड़ीसा में जीवन बीमा निगम का नया डिवीजन बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि उसके देश में 106 मंडल कार्यालय हैं। राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्र.सं.	राज्य	मंडलों की संख्या
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	10
2	उत्तराखंड	02
3.	आंध्र प्रदेश	09
4	हिमाचल प्रदेश	01
5.	जम्मू और कश्मीर	01
6	मध्य प्रदेश	06
7.	राजस्थान	05
8	दिल्ली	013
9.	चंडीगढ़	01
10	केरल	04
11.	तमिलनाडु	08
12	हरियाणा	02
13.	कर्नाटक	08
14	महाराष्ट्र	15

1	2	3
15.	गोवा	01
16	गुजरात	07
17.	पंजाब	03
18	छत्तीसगढ़	01
19.	पश्चिम बंगाल	07
20	असम	04
21.	उड़ीसा	03
22	बिहार	03
23.	झारखण्ड	02

(ख) एलआईसी ने सूचित किया है कि नए मंडल कार्यालय कारोबार वृद्धि, प्रशासनिक अपेक्षाओं, वित्तीय लाभप्रदता और क्षेत्र की संभाव्यता के आधार पर खोले जाते हैं।

(ग) इस समय, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव एलआईसी के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एसबीआई अध्यक्ष के सरकारी आवास पर व्यय

2666. **श्री लाल मुनी चौबे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के सरकारी आवास के नवीकरण मरम्मत, देखभाल तथा साज-सज्जा पर व्यय की सीमा कितनी है;

(ख) इन कार्यों पर होने वाले व्यय हेतु क्या समय-अवधि निर्धारित की गई है;

(ग) तदर्थ व्यय की सीमा कितनी है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन शीर्षों के अंतर्गत हुए वार्षिक व्यय का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के सरकारी आवास के नवीकरण, मरम्मत, देखभाल तथा साज-सज्जा हेतु व्यय संबंधी सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की गई है तथा इन मदों पर, जब भी आवश्यकता हो, व्यय किया जाता है।

(ख) साज-सज्जा को छोड़कर, उपर्युक्त मदों पर व्यय करने हेतु कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई है, साज-सज्जा के लिए यह अवधि तीन वर्ष में एक बार अथवा नए पदाधिकारी के आने पर, पदधारी की पसन्द पर निर्भर करते हुए, जो भी पहले हो, है।

(ग) तदर्थ व्यय, जब भी आवश्यकता होती है, किया जाता है। अत: कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) तीन वर्षों के दौरान इन शीर्षों के अंतर्गत किया गया वार्षिक व्यय निम्नानुसार है:–

(लाख रुपये में)

वर्ष	मरम्मत एवं नवीकरण	देखभाल	साज-सज्जा	योग
2004-05	शून्य	6.38	0.12	6.50
2005-06	2.12	8.79	0.84	11.75
2006-07	111.27	9.09	5.12	125.48

यह देखा जा सकता है कि मुख्य व्यय मरम्मत एवं नवीकरण (वाटर वर्क्स, छत बनाने, नलसाजी, विद्युतीकरण, बाथरूम, रंगाई, फर्श आदि) पर हुआ था। वर्तमान मामले में 65000 वर्ग फुट क्षेत्रफल तथा 15000 वर्गफुट निर्मित क्षेत्र वाली यह सम्पत्ति 80 वर्ष से अधिक पुरानी है जिसमें मरम्मत, नवीकरण एवं रख-रखाव पर समय-समय पर व्यय अपेक्षित था, जो गत कई वर्षों से नहीं किया गया था।

[अनुवाद]

इंडिया एनर्जी आऊटलुक-2007 की रिपोर्ट

2667. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडिया एनर्जी आऊटलुक 2007 की रिपोर्ट का अध्ययन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) न तो विद्युत मंत्रालय, न ही योजना आयोग और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस प्रकार के अध्ययन/रिपोर्ट पर कार्य आरंभ किया है।

(ख) और (ग) उक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

अनुसंधान एवं विकास कार्य की आऊटसोर्सिंग

2668. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूएनसीटीएडी द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत में प्रौद्योगिकी के अद्यतन संबंधी जानकारी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अनुसंधान एवं विकास कार्य की आऊटसोर्सिंग विशेषज्ञता प्राप्त केन्द्रों को करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यूएनसीटीएडी द्वारा हाल ही में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के निष्कर्ष भारत में प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने में कितने उपयोगी होंगे?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) यूएनसीटीएडी द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2006 में भारत में प्रौद्योगिकी के अद्यतन से सम्बन्धित कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। फिर भी, यह विश्वव्यापी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन प्रणाली में विकासशील देशों और संक्राति अर्थव्यवस्था की बदलती हुई भूमिका पर प्रकाश डालती है। इसके अनुसार विकासशील अर्थव्यवस्था द्वारा बाह्य निवेशों में वृद्धि हो रही है। यह रिपोर्ट बाह्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में भारत की सीमित भूमिका पर प्रकाश डालती है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि रिपोर्ट में दी गई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सर्वोत्तम 100 ट्रांस नेशनल कारपोरेशनों (टीएनसी) की सूची में केवल एक भारतीय कम्पनी सम्मिलित है।

(ग) और (घ) अपनी प्रौद्योगिकी को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने विशिष्ट केन्द्रों को अनुसंधान और विकास कार्य कराने (आऊट सोर्सिंग) के बजाए सरकारी - निजी सहभागिता और अनुसंधान एवं विकास सहयोगों (राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय रूप से) को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीमें प्रारम्भ की हैं। उदाहरण के लिए, नई सहस्त्राब्दी भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एनएमआईटीएलआई) स्कीम के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ सहभागियों और सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित संस्थानों को ऐसी प्रौद्योगिकियां सृजित करने के लिए साथ-साथ प्रेरित करने का प्रयास किया जाता है जिससे देश प्रौद्योगिकीय नेतृत्व की स्थिति प्राप्त कर सके।

(ङ) यूएनसीटीएडी द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2006 विकासशील और संक्रांति अर्थव्यवस्थाओं से प्राप्त एफडीआई पर केन्द्रित है और इसका प्रमुख निष्कर्ष है — इन अर्थव्यवस्थाओं से ट्रांस नेशनल कारपोरेशनों का उद्भव विश्व अर्थव्यवस्था में गहन बदलाव का एक भाग है। इस रिपोर्ट में भारत के प्रधान मंत्री का एक संदर्भ सम्मिलित है, जिसके अनुसार भारत सरकार विकास की सभी बाधाएं दूर कर देगी और भारतीय कम्पनियों को विश्वव्यापी होने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह रिपोर्ट भारतीय व्यापार की की प्रतिस्पर्धात्मकता को उन्नत करने और उनकी सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ाने के लिए एफआईसीसीआई द्वारा प्रदान की जा रही सहायता का भी उल्लेख करती है।

इस प्रकार, विश्व निवेश रिपोर्ट 2006 के निष्कर्ष भारतीय मूल की ट्रांस नेशनल कारपोरेशनों के उद्भव और सृजन के लिए एक समर्थित क्रियाविधि की रचना की ओर संकेत करती है, जो अपने बाह्य निवेशों द्वारा व्यापार, प्राकृतिक संसाधनों, विदेशी पूंजी, प्रौद्योगिकी अथवा अप्रत्यक्ष सम्पत्तियों तक पहुंच बनाने में समर्थ होंगे, जो उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए आवश्यक होंगे।

[हिन्दी]

इंटरनेट पर भारत का संविधान

2669. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंटरनेट पर भारत के संविधान की मूल प्रति के साथ उसके चित्रों को प्रदर्शित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मौसम विभाग का आधुनिकीकरण

2670. **श्री संजय धोत्रे :**
श्री भावना पुंडलीकराव गवली :

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मौसम विभाग के आधुनिकीकरण की कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मौसम विभाग, मौसम संबंधी टेलीविजन चैनल शुरू करने की योजना बना रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए इस वर्ष चेतावनी केन्द्र आरम्भ किए जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां अत्याधुनिक प्रेक्षणात्मक और संचार संबंधी अवसंरचना के आधार पर विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों को सटीक और समय पर मौसम संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आधुनिकीकरण की योजना तैयार की गई है।

(ख) आधुनिकीकरण की योजना दो चरणों अर्थात चरण-I (2007-09) और चरण-II-XIवीं पंचवर्षीय योजना की उत्तरवर्ती अवधि में कार्यान्वित की जाएगी। इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :

(i) इस समय मौजूदा प्रेक्षणात्मक नेटवर्क को सुदृढ़ करना और नेटवर्क का विस्तार करना।

(ii) सिनॉप्टिक रीजनिंग वाले संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान (एन डब्ल्यू पी) मॉडल के आउटपुट को संयोजित करते हुए पूर्वानुमान की कार्यप्रणाली में सुधार लाना।

(iii) प्रयोक्ताओं के लिए वास्तविक समय में मौसम संबंधी सूचनाओं और चेतावनियों का तेजी से प्रसारण करना।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने जनसामान्य और अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली मौसम और जलवायु से संबंधित जानकारी प्रसारित करने के लिए सार्वजनिक-निजी-भागीदारी मोड में समर्पित मौसम चैनल की स्थापना करने की योजना बनाई है।

तीन चरणों में कार्यान्वित की जाने वाली कार्यनीति तैयार की जा रही है। छः घंटे के प्रसारण समय वाले चैनल का प्रथम चरण अगले वर्ष तक कार्यान्वित किया जाएगा। 12 और 24 घंटे के प्रसारण समय वाले अगले दो चरण वर्ष 2009 और वर्ष 2010 में कार्यान्वित किए जाएंगे।

(ङ) और (च) जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (इन्कॉइस), हैदराबाद में हिन्द महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली वास्तविक समय संबंधी प्रचालनों के लिए तैयार की जा रही है।

वर्तमान क्षेत्रीय चक्रवात चेतवानी केंद्रों, प्रादेशिक मौसम केंद्रों, बाढ़ मौसम कार्यालयों के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं के लिए विशिष्ट चेतावनी प्रसारित करने का कार्य किया जाता है। चक्रवातों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में अंकीय चक्रवात चेतावनी प्रसारण प्रणालियों (डी सी डब्ल्यू एस) का नेटवर्क कार्य कर रहा है।

[अनुवाद]

सहकारी बैंकों को ब्याज सहायता

2671. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार केन्द्र सरकार से सहकारी बैंकों की धनराशियों पर उचित ब्याज सहायता के संबंध में विचार करने तथा सहकारी बैंकों के कुल ऋण के 85% तक पुनः वित्तपोषण उपलब्ध कराने तथा उपर्युक्त योजना को डीसीसीबी के लिए लागू करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2006-07 के दौरान प्रति उधारकर्ता 7%

वार्षिक की दर पर 3.00 लाख रुपये तक के फसल ऋणों के संवितरण में सहकारी बैंकों के सम्मिलित होने पर उन्हें 2% की ब्याज सहायता प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय से पूर्व, गुजरात सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार सहकारी बैंकों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से पुनर्वित्त प्रदान करती है, जो पूरक स्वरूप का होता है। नाबार्ड, निधियों की कमी के कारण ग्राहक बैंकों की इस प्रकार की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आधार स्तरीय ऋण सुविधा वापस ले लिए जाने से, नाबार्ड अल्पावधिक-मौसमी कृषि परिचालन (एसटी-एसएओ) पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए भी बाजार दरों पर बाजार उधार राशियों पर पूर्णरूपेण निर्भर है। वर्ष 2007-08 के लिए, नाबार्ड ने देश में सहकारी बैंकों को एसटी-एसएओ पुनर्वित्त के लिए 18,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। इस प्रकार, इस समय नाबार्ड सहकारी बैंकों को अपना एसटी-एसएओ पुनर्वित्त अपने 40% के वर्तमान स्तर/वास्तविक उधार कार्यक्रम (आरएलपी) के 35% से बढ़ाने की स्थिति में नहीं है।

नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों को पात्र जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ओर से भारत सरकार से ब्याज सहायता के साथ 2.5% वार्षिक की रियायती ब्याज दरों पर एसटी-एसएओ पुनर्वित्त प्रदान किया है। यह पुनर्वित्त प्राप्त करने की शर्त यह है कि सहकारी बैंक प्रति उधारकर्ता 3.00 लाख रुपये तक के फसल ऋण, 7% वार्षिक की ब्याज दर पर प्रदान करें। वर्ष 2007-08 के लिए इस रियायती पुनर्वित्त पर ब्याज की दर 3% वार्षिक है।

आवासीय इकाइयों पर सट्टेबाजी

2672. श्री एस.के. खारवेंथन : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत सी संपत्तियों को खाली रखा जाता है तथा बाजार में सट्टेबाजी के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि कृत्रिम रूप से इनके मूल्य बढ़ जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आवासीय इकाइयों पर सट्टेबाजी बंद करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) भूमि तथा आवास राज्यों के विषय हैं और ये मामले राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। रिहायशी इकाइयों के बारे में सट्टेबाजी से संबंधित सूचना इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती।

गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान

2673. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ)/स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) गैर-सरकारी संगठनों (एन.जीओ.)/स्वयंसेवी संगठनों को देय सहायता अनुदान के प्रावधान के संबंध में 01.07.2005 से लागू और समय-समय पर यथा-संशोधित नियम, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 (एक प्रकाशित दस्तावेज) के अध्याय 9 में दिए गए हैं।

धन-कर अधिनियम में परिवर्तन

2674. श्री एल. राजगोपाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) ने धन-कर अधिनियम में परिवर्तनों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) फिक्की द्वारा किन अन्य परिवर्तनों की मांग की गई है; और

(घ) फिक्की द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमाणिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) से (ग) भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) ने वर्ष 2007 के केन्द्रीय बजट में विचार करने के लिए बजट पूर्व एक ज्ञापन दिया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ धन-कर अधिनियम में परिवर्तनों से संबंधित सुझावों को शामिल किया गया था। वर्ष 2007 के बजटीय प्रक्रिया के दौरान ज्ञापन की जांच की गई थी और सरकार द्वारा लिए गए तत्संबंधी निर्णयों को वित्त अधिनियम, 2007 में परिलक्षित किया गया है।

सेवा कर में राहत

2675. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय निर्यात संबंधी वस्तुओं पर सेवा कर से छूट/प्रतिदाय कटौती देने संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ कोई विचार-विमर्श किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न करों तथा शुल्कों को बनाए रखकर/छूट देने के जरिए देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) से (ग) निर्यातित माल के उत्पादन के लिए प्रयुक्त निविष्टि सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर की छूट विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है। निर्यात के माल के लिए विहित प्रति अदायगी दरों के कारण निर्यात के माल के लिए प्रयुक्त निविष्ट सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान किया जाता है। वाणिज्य मंत्रालय औेर भारतीय निर्यात संगठन संघ से अनुरोध किया गया है कि वे एसी कराधेय सेवाओं का ब्यौरा दें जो निविष्टि सेवाओं की प्रकृति की नहीं किन्तु निर्यात माल के लिए आरोप्य हो सकती है और ऐसी कराधेय सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर की वापसी अदायगी के उपयुक्त एवं सत्यापन योग्य उपायों का सुझाव दें।

एसबीआई में प्रोजेक्ट परिवर्तन

2676. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का विचार बेहतर ग्राहक संबंधों हेतु अपने कर्मचारियों के लिए ''प्रोजेक्ट परिवर्तन'' कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम पर कितना खर्च होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने 16.7.2007 को ''परियोजना परिवर्तन'' कार्यक्रम आरंभ किया है। यह मुख्य रूप से वर्तमान प्रशिक्षण प्रणाली और प्रशिक्षकों के माध्यम से शुरू किया गया एक दो-दिवसीय कार्यक्रम है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें लिपिक और अधिकारी दोनों शामिल हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक ग्राहक अनुकूल बनाने के लिए उनकी मानसिकता को बदलना है।

चूंकि कार्यक्रम को विभागीय (परामर्शकों द्वारा नहीं) रूप से तैयार किया गया है तथा मुख्यत: विभागीय प्रशिक्षण विद्यालयों के माध्यम से आरम्भ किया गया है इसलिए कार्यक्रम के संचालन में बैंक द्वारा कोई विशेष अतिरिक्त लागत वहन नहीं की गयी।

ब्याज दर में वृद्धि

2677. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राष्ट्रीयकृत/निजी बैंकों ने ग्राहकों द्वारा लिए गए ऋणों की ब्याज दर में, विशेषकर पिछले तीन वर्षों के दौरान लगातार वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) ग्राहकों की कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 अक्टूबर, 1994 से आवास ऋणों सहित 2 लाख रुपये से अधिक के अग्रिमों पर ब्याज-दरों को अविनियमित कर दिया है और बैंकों द्वारा ब्याज दरें अपने बोर्डों के अनुमोदन से स्वयं निर्धारित की जाती हैं। 2 लाख रु. की ऋण सीमा के लिए आधार मूल उधार दर (बीपीएलआर) को अधिकतम उधार दर के रूप में निर्धारित किया गया है। बैंकों की ऋण सेवाओं की

कीमत निर्धारित करने से पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने उनसे कहा है कि (i) निधियों की वास्तविक लागत, (ii) परिचालन खर्चों और (iii) प्रावधान करने/पूंजी प्रभार तथा लाभ मार्जिन की विनियामक अपेक्षा को शामिल करने के लिए न्यूनतम मार्जिन को ध्यान में रखकर अपना बीपीएलआर निर्धारित करें और यह सुनिश्चित करें कि बीपीएलआर से वास्तविक लागत का सही पता लगता हो। बैंकों को अब स्वतंत्र रूप से अपनी सेवाओं की कीमत अपने बीपीएलआर से कम या अधिक निर्धारित करने तथा बाजार आधारों का प्रयोग करके पारदर्शी तरीके से सेवाओं की अस्थायी दर का प्रस्ताव करने की अनुमति दे दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्ष के लिए सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बीपीएलआर का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक
2004-05	10.25-11.25	11.00-13.50
2005-06	10.25-11.25	11.00-14.00
2006-07	12.25-12.75	12.00-16.50

भारत में प्रचलित ऋण बाजार तथा छोटे ऋणकर्ताओं के लिए रियायत जारी रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बीपीएलआर को 2 लाख रु. तक के ऋणों के लिए उच्चतम सीमा मानने की प्रथा जारी रहेगी। तथापि, बैंक बीपीएलआर के संदर्भ के बिना तथा उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण शेयरों एवं डिबेन्चरों/बांडों पर अलग-अलग व्यक्तियों को ऋण, क्रेडिट कार्ड देय राशि, आदि सहित अन्य गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के वैयक्तिक ऋणों के संबंध में ऋण राशि को ध्यान में रखे बिना ब्याज-दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अग्रिमों पर ब्याज दर के संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी 2 जुलाई, 2007 के अपने मास्टर परिपत्र में बैंकों से कहा है कि उपयुक्त आंतरिक नियम एवं प्रक्रियाएं निर्धारित करें, ताकि वे कम मूल्य के ऋणों, विशेषकर वैयक्तिक ऋणों आदि सहित ऋणों एवं अग्रिमों पर कार्रवाई एवं अन्य प्रभारों को शामिल करते हुए अत्यधिक ब्याज न लगाएं। ऐसी प्रक्रियाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, भावी ऋणकर्ता को नकदी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पूर्वानुमोदन प्रक्रिया, उचित जोखिम प्रीमियम, प्रतिभूति एवं मूल्य का होना एवं न होना, ऋण पर लगाया गया तर्कसंगत ब्याज एवं अन्य प्रभार, ब्याज संबंधी उपयुक्त उच्चतम सीमा, लेन-देन से उचित प्रत्याशित आय, आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में ए.टी.एम. सुविधाएं

2678. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ए.टी.एम. सुविधाएं शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) विद्यमान शाखा प्राधिकरण नीति के तहत, बैंकों को ग्रामीण केन्द्रों तथा कम बैंक-सुविधा वाले जिलों में शाखा खोलने, एटीएम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शाखाओं और एटीएम के आवेदनों पर विचार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, विशेषकर कम बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों (जिलों) में, सामान्य वर्ग के लोगों को उपलब्ध करवाई गई सविधाओं का स्वरूप एवं व्याप्ति, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता और उपयुक्त नई सेवाओं की शुरुआत तथा बैंकिंग सेवा देने की तकनीक के बढ़े हुए प्रयोग सहित सेवाओं की कीमत का निर्धारण और वित्तीय सम्मिलन को बढ़ाने के प्रयास को महत्व देती है। विभिन्न केन्द्रों पर बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की आवश्यकता भी एक घटक है जिसका ध्यान रखा जाता है।

शाखा/एटीएम के केन्द्र/अवस्थिति का चुनाव बैंक के विवेक पर छोड़ दिया गया है, जिसका निर्णय बैंक व्यापारिक संभावना, वाणिज्यक लाभप्रदता, उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं, आदि के आधार पर करता है।

[हिन्दी]

गंगोत्री हिमनद का सिकुड़ना

2679. श्री मोहन सिंह : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय स्थित गंगोत्री हिमनद प्रतिवर्ष 120 फीट की गति से सिकुड़ा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि यह हिमनद एक दिन पूरी तरह से गायब हो जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इस हिमनद के गायब होने से क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग (जी एस आई) वर्ष 1935 से गंगोत्री हिमनद के कम होने पर अध्ययन कर रहा है। पिछले तीन दशकों में 30.2 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद के सिकुड़ने की गति पहले के दशकों में इसके सिकुड़ने की गति की तुलना में अधिक पाई गई है। 1985 टोपोशीट मानचित्र पर हिमनद के आगे निकले हुए भाग की स्थिति तथा वर्ष 2001 के उपग्रह चित्र की तुलना करने हुए हिमनद के कम होने की औसत गति का परिकलन किया गया है। इससे प्राप्त हुए परिणामों से यह पता चलता है कि इस अवधि में हिमनद के कम होने की औसत गति लगभग 25 मीटर प्रति वर्ष (83 फीट प्रति वर्ष) है।

(ख) हालंकि गंगोत्री हिमनद का सिकुड़ना चिंता का विषय है परंतु हिमनद के गायब होने की कोई संभावना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु विश्व बैंक से सहायता

2680. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की सहायता से शुरू की गई/शुरू की जा चुकी सड़क परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में ऐसे प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सूर्यकान्ता पाटील) : (क) ग्रामीण सड़क परियोजना (आरआरपी) I के अंतर्गत विश्व बैंक (डब्लयूबी) की सहायता से हिमाचल प्रदेश, झारखंड राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में शुरू की गई सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आरआरपी-II के अंतर्गत (विश्व बैंक की सहायता से) अरुणाचल प्रदेश, बिहार जम्मू व कश्मीर, मिजोरम और उत्तराखंड में सामाजिक और पर्यावरणीय कार्य किया जा रहा है। चरण-I और चरण-II में एडीबी की सहायता से शुरू की गई सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(ख) पिछले वर्षों तथा चालू वर्ष (17.8.2007 तक) के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए प्राप्त सहायता, रिलीज की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर दिया गया है।

विवरण-I

विश्व बैंक परियोजनाओं का ब्यौरा

(रु. करोड़ रु. में/लंबाई कि.मी. में)

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं का मूल्य	स्वीकृत सड़क कार्यों की लंबाई
1	2	3	4
1.	हिमाचल प्रदेश चरण-I	80.28	672.49
	चरण-II	176.10	767.37
2.	झारखण्ड	29.15	130.07
3.	राजस्थान शाखा-I	307.42	2261.83
	शाखा-II	130.18	804.84
	शाखा-III	295.40	1571.51
	शाखा-IV (बीएन)	160.41	589.18

1	2	3	4
4.	उत्तर प्रदेश चरण-I	343.94	1465.61
	चरण-II (बैच I & II)	276.31	935.06
	कुल योग	1799.19	9197.96

विवरण-II

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अंतर्गत सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा

(रु. करोड़ रु. में/ लंबाई कि.मी. में)

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं का मूल्य	स्वीकृत सड़क कार्यों की लंबाई
1.	असम बैच-I	501.42	999.24
	बैच-II	573.46	1000.78
2.	छत्तीसगढ़ बैच-I	98.24	513.41
	बैच-II	587.11	2516.13
	बैच-III	598.83	2145.08
3.	मध्य प्रदेश बैच-I	99.40	515.12
	बैच-I (भाग-II)	119.25	604.33
	बैच-II	456.81	2322.59
	बैच-III	560.71	2501.22
4.	उड़ीसा बैच-I	349.46	1189.17
	बैच-II	513.81	1612.22
5.	पश्चिम बंगाल	313.71	999.32
	कुल योग	4772.21	16918.61

विवरण-III

विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत राज्यों को की गई रिलीज/दी गई सहायता

विश्व बैंक

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	के दौरान रिलीज*			कुल
		2005-06	2006-07	2007-08 17.8.07 तक	
1.	हिमाचल प्रदेश	44.27	—	40.14	84.41
2.	झारखंड	16.78	—	—	16.78
3.	राजस्थान	9.68	524.81	80.00	614.49
4.	उत्तर प्रदेश	128.32	225.19	98.22	451.73
	कुल	199.05	750.00	218.36	1167.41

एशियाई विकास बैंक

1.	असम	20.00	140.00	90.00	250.00
2.	छत्तीसगढ़	72.50	300.00	200.00	572.50
3.	मध्य प्रदेश	75.00	325.00	502.37	902.37
4.	उड़ीसा	15.00	159.73	256.91	431.64
5.	पश्चिम बंगाल	10.00	75.27	71.58	156.85
	कुल	192.50	1000.00	1120.86	2313.36

विदेशों में निवेश

2681. श्री रेवती रमन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने किसी निवासी

भारतीय को एक वर्ष में कतिपय धनराशि विदेशों में निवेश करने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। "निवासी व्यष्टि हेतु उदारीकृत विप्रेषण योजना" के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी अनुमत चालू अथवा पूंजी खाता सौदों अथवा दोनों के संयोजन जैसे विदेश में बैंक जमाराशि, अचल संपत्ति का क्रय, इक्विटी/ऋण आदि में निवेश के लिए निवासी व्यष्टि को प्रति वित्तीय वर्ष 100,000 अमरीकी डालर तक के विप्रेषण की अनुमति देता है। इसी प्रकार, विदेश व्यापार नीति के अध्यधीन निवासी व्यष्टियों को चालू खाता सौदों जैसे उपहार, दान, चिकित्सा उपचार, शिक्षा, रोजगार, उत्प्रवासन, दवाईयों, पुस्तकों और पत्रिकाओं आदि के आयात हेतु विप्रेषण की अनुमति है। तथापि, उन सौदों के लिए विप्रेषणों को, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के अंतर्गत अन्यथा अनुमत नहीं हैं और जो विदेशी एक्सचेंजों/विदेशी प्रतिपक्षों को मार्जिनों अथवा मार्जिन कॉल हेतु विप्रेषणों के स्वरूप में हैं, योजना के अंतर्गत अनुमति नहीं दी गई है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में खामियां

2682. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री हेमलाल मुर्मू :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनके क्रियान्वयन में कोई खामियां पाई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को पूरा करने में कोई विलम्ब हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कार्यक्रमों की लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(च) सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रलाय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, हां। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। इस मंत्रालय ने हाल में अप्रैल, 2007 में निष्पादन समीक्षा समिति की आयोजित बैठक में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की।

(ख) से (ङ) भूमि, सामग्री उपलब्ध नहीं होने, संविदात्मक क्षमता में कमी, अपर्याप्त संस्थागत क्षमता, सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं इत्यादि की वजह से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यान्वियन में परियोजना पूरी होने में निर्धारित अवधि से अधिक विलम्ब जैसी कुछ कमियां पाई गई हैं। बंजर भूमि विकास परियोजनाओं के मामले में कुछ परियोजनाओं में परियोजना अवधि से अधिक देरी हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत कार्य स्थल सुविधाओं का अभाव, मजदूरी भुगतान में देरी और स्टाफ की कमी पाई गई। इसी तरह, इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के मामले में प्रखंड स्तर पर किस्त की रिलीज़ में विलम्ब, लाभार्थियों को सब्सिडी की पूरी राशि न दिया जाना, मकानों का ब्यौरा प्रदर्शित न किया जाना, कुछ घरों में धुआंरहित चूल्हे और स्वच्छता शौचालय सुविधाएं नहीं होना जैसी कुछ कमियां थीं।

(च) सुधारात्मक उपायों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वियन की कमियां राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ध्यान में शीघ्र लाई जाती हैं और कार्रवाई रिपोर्ट मांगी जाती है।

शिक्षा ऋण

2683. श्री एम. अप्पादुरई :
श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री के. सुब्बारायण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए प्रतिभूति/गारंटी की मांग करते हैं;

(ख) क्या यह सरकार द्वारा जारी निदेशों और अनुदेशों का उल्लंघन है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार आरक्षित श्रेणी के छात्रों को बैंकों के माध्यम से सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) भारतीय बैंक संघ द्वारा बैंकों का परिचालित आदर्श शिक्षा ऋण योजना 2004 के अनुसार शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए सिक्योरिटी/गारंटी मानदंड निम्नांकित है:—

4 लाख रु. तक	कोई सिक्योरिटी नहीं
4 लाख रु. से ऊपर और 7.5 लाख रुपये तक	उचित अन्य पक्ष गारंटी के रूप में संपार्शिवक/ "संयुक्त उधारकर्ता" दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले माता-पिता की निवल संपत्ति/साधनों से यदि बैंक संतुष्ट है तो अपने विवेकानुसार अन्य पक्ष गारंटी से छूट दे सकता है।
7.5 लाख रुपये ये ऊपर	उचित मूल्य का संपार्शिवक प्रतिभूति या किश्तों के भुगतान के लिए विद्यार्थी की संभावित आय के साथ अन्य पक्ष की उचित गारंटी

बैंकों से मिली सूचना से यह संकेत मिलता है कि बैंक आदर्श शिक्षा ऋण योजना में निहित सिक्योरिटी/गारंटी मानदंडों का पालन कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) आदर्श शिक्षा ऋण योजना 2004 के अनुसार 4 लाख रु. तक के ऋण पर बैंक आधार न्यूनतम ब्याज दर (बीपीएलआर) पर और 4 लाख रु. से ऊपर के ऋण पर आधार न्यूनतम उधार दर + 1 प्रतिशत की दर पर ऋण देंगे। आधार न्यूनतम उधार दर का निर्धारण, बैंक अपने बोर्डों के अनुमोदन से खुद ही करते हैं ना कि भारतीय रिजर्व बैंक या सरकार करती है। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ऊपर अंकित ब्याज दर के अलावा दूसरी दर पर ऋण देने का कोई प्रावधान आदर्श शिक्षा ऋण योजना, 2004 में नहीं है।

[हिन्दी]

ताप विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट लागत

2684. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ताप विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट लागत विद्युत के अन्य स्रोतों से उत्पादित विद्युत की प्रति यूनिट लागत से बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ताप विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट लागत को कम करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : (क) और (ख) विद्युत उत्पादन की यूनिट लागत मुख्यतः ईंधन के प्रकार एवं प्रयुक्त ईंधन, संयंत्र के स्थान, आकार, आयु एवं कार्यकुशलता के अनुसार विभिन्न स्टेशनों के लिए अलग-अलग होती है। ताप विद्युत संयंत्रों की तुलना में ऊंची पूंजीगत लागत होने के कारण जल विद्युत संयंत्रों की उत्पादन लागत आरंभिक वर्षों में सामान्यतः अधिक होती है और बाद के वर्षों में मुख्यतः ईंधन की लागत नहीं होने के कारण काफी कम हो जाती है। कुछ ताप (कोल, लिग्नाइट एवं गैस/तरल ईंधन), जल विद्युत स्टेशनों एवं नाभिकीय विद्युत केन्द्रों के टैरिफ के ब्यौरे (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार) क्रमशः विवरण I, II और विवरण III के रूप में दिए गए हैं।

(ग) विद्युत उत्पादन की लागत में कमी करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं—

विद्युत अधिनियम, 2003 विद्युत उत्पादन के लिए एक प्रतिस्पर्धी संरचना तैयार करता है, जिससे लागत में कमी आएगी।

राष्ट्रीय विद्युत नीति संभाव्य जल क्षमता के पूर्ण विकास पर अधिकतम जोर देती है। जल विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन लागत दीर्घकालिक रूप से काफी कम हो जाती है।

ताप विद्युत के बारे में नीति में कहा गया है कि उपलब्ध विकल्पों में से ईंधन का चयन विद्युत उत्पादन और आपूर्ति की मितव्ययिता पर आधारित होना चाहिए।

टैरिफ नीति, जो कि दिनांक 6.1.2006 को अधिसूचित की गई थी, में प्रावधान किया गया है कि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत की सभी भावी आवश्यकताएं प्रतिस्पर्धात्मक रूप में प्राप्त की जानी चाहिए सिवाय विद्यमान परियोजनाओं के विस्तार के मामले में या जहां अभिज्ञात विकासकर्त्ता के रूप में राज्य के नियंत्रण/स्वामित्व वाली कंपनी हो। सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए भी पांच वर्षों की अवधि के पश्चात् या जब विनियामक आयोग इस बात से संतुष्ट हो जाए कि स्थिति प्रतिस्पर्धा करने के अनुकूल है सभी नई विद्युत उत्पादन व पारेषण परियोजनाओं की टैरिफ प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के आधार पर निर्णीत की जानी है।

अन्य बातों के साथ-साथ कोयला दहन वाले स्टेशनों के लिए ईंधन लागत कम करने के उद्देश्य से ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए कैप्टिव खनन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम द्वारा खराब कार्यनिष्पादन करने वाले ताप विद्युत स्टेशनों की प्रचालनात्मक क्षमता में सुधार हुआ है।

वर्ष 2004-09 की अवधि के दौरान केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा जारी टैरिफ की शर्तें व निबंधन से प्रचालन मानकों में सुधार हुआ है।

मेगा विद्युत नीति में पूंजीगत उपस्कर के निर्यात हेतु जीरो सीमा शुल्क तथा इस नीति की पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए मान्य निर्यात लाभों का प्रावधान है।

सरकार ने विद्युत परियोजनाओं के लिए नाफ्था एवं प्राकृतिक गैस पर सीमा शुल्क और कोयले पर भी सीमा शुल्क की पहले ही कटौती कर ली है।

विवरण-I

80% पीएलएफ पर वर्ष 2007-08 के लिए दिनांक 1.4.2007 को एनटीपीसी के विद्यमान विद्युत उत्पादन स्टेशनों टैरिफ पैसे/कि.वा.घं. एक्स-बस (संशोधित मानकों के साथ टैरिफ की नई शर्तों व निबंधन) में

क्र. सं.	विद्युत उत्पादन स्टेशन का नाम	अधिष्ठापित क्षमता	स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	(पैस/कि.वा.घं.)
1	2	3	4	5
एनटीपीसी के कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्र				
A.	**पिटहैड उत्पादन केन्द्र**			
1.	विन्ध्याचल एसटपीएस चरण-I	1260.00	1.2.1992	131
2.	कोरबा एसटीपीएस	21.00.00	1.6.1990	83
3.	रामागुंडम एसटीपीएस	2100.00	1.4.1991	134
4.	तालचेर एसटपीएस चरण-I	1000.00	1.7.1997	125
5.	तालचेर टीपीएस*	460.00	1.7.1997	132
6.	विन्ध्याचल एसटपीएस चरण-II	1000.00	1.10.2000	161
B.	**नॉन पिटहैड उत्पादन स्टेशन**			
1.	एफजीयूटीपीपी चरण-II	420.00	1.1.2001	198

1	2	3	4	5
2.	एनसीटीपी दादरी	840.00	1.12.1995	336
3.	फरक्का एसटीपीएस	1600.00	1.7.1996	160
4.	बदरपुर टीपीएस	705.00	1.4.1982	307
5.	कहलगांव एसटीपीएस	840.00	1.8.1996	176
6.	सिम्हाद्री*	1000.00	1.3.2003	179
	लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत उत्पाद स्टेशन			
1.	टीपीएस-I	600.00	21.02.1970	182
2.	टीपीएस-II चरण-II	630.00	23.04.1988	153
3.	टीपीएस-II, चरण-II	840.00	09.04.1994	157
4.	टीपीएस-I (विस्तार)	420.00	05.09.2003	212
	एनटीपीसी व नीपको के गैस/तरल ईंधन आधारित स्टेशन			
A.	**ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग**			
1.	दादरी सीसीजीटी	829.78	01.04.1997	136
2.	फरीदाबाद	431.00	01.01.2001	357
3.	अंता सीसीजीटी	419.33	01.03.1990	125
4.	औरैया जीपीएस	663.36	01.12.1990	130
5.	गांधार जीपीएस	657.39	01.11.1995	196
6.	कवास जीपीएस	656.20	01.09.1993	158
7.	अगरतला जीपीएस*	84.00	01.08.1998	187
8.	असम जीपीएस*	291.00	01.04.1999	190
B.	**आरएलएनजी का ईंधन के रूप में प्रयोग**			
1.	दादरी सीसीजीटी	829.78	01.04.1997	431
2.	फरीदाबाद	431.00	01.01.2001	475

1	2	3	4	5
3.	अंता सीसीजीटी	419.33	01.03.1990	450
4.	औरैया जीपीएस	663.36	01.12.1990	429
5.	कवास जीपीएस	656.20	01.09.1993	414
C.	तरल ईंधन का ईंधन के रूप में प्रयोग (नाप्था/एचएसडी)			
1.	फरीदाबाद	431.00	01.01.2001	794
2.	औरैया जीपीएस	663.36	01.12.1990	768
3.	कायमकुलम सीसीजीटी	359.58	01.03.2000	741
4.	कवास जीपीएस*	656.20	01.09.1993	718

टिप्पणी- *2003-04 के लिए अनंतिम रूप से प्रभारित टैरिफ आदेश के अनुसार वार्षिक क्षमता प्रभर पर आधारित

विवरण-II

2006-07 के लिए जल विद्युत स्टेशनों की विद्युत टैरिफ

विद्युत स्टेशन का नाम	अधिष्ठापित क्षमता मेगावाट में	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	(पैसे/कि.वा.घं.) 2006-07 हेतु
1	2	3	4
(1) चमेरा-I एचईपी	540.0	01.05.1994	134
(2) टनकपुर एचईपी	94.2	01.04.1993	121
(3) रंगित एचईपी	60.0	15.02.2000	178
(4) चमेरा-II एचईपी	300.0	31.03.2004	256
(5) बैरास्यूल एचईपी	180.0	01.04.1982	73
(6) सलाल एचईपी	690.0	01.04.1995	6
(7) उड़ी एचईपी	480.0	01.06.1997	209
(8) लोकतक एचईपी	105.0	01.06.1983	127
(9) इंदिरा सागर एचईपी	1000	25.08.2005	210

विवरण-III

एनपीसीआईएल के विभिन्न परमाणु विद्युत स्टेशनों से विद्युत की बिक्री के लिए टैरिफ

क्र.सं.	विद्युत केन्द्र का नाम	क्षमता (मेगावाट)	पैसे/कि.वा.घं.	टैरिफ की वैधता
1	2	3	4	5
1.	काकरापार यूनिट 1 व 2	2x220	204.34	01.04.2006 से 31.03.2011

1	2	3	4	5
2.	तारापुर यूनिट 1 व 2	2x160	93.56	01.04.2006 से 31.03.2011
3.	तारापुर यूनिट 3 व 4	2x540	265.48*	01.04.2005 से 31.03.2010
4.	नरौरा यूनिट 1 व 2	2x220	191.49	01.04.2006 से 31.03.2011
5.	राजस्थान यूनिट 2,3 व 4	1x210 + 2x220	279.79	01.01.2004 से 31.01.2008
6.	मद्रास यूनिट 1 व 2	2x220	181.18	01.04.2006 से 31.03.2011
7.	कैगा यूनिट 1 व 2	2x220	279.50	01.07.2005 से 31.06.2010

एनपीसीआईएल- न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

टिप्पणी- अधिसूचित टैरिफ ईंधन और कठोर जल की मूल्य भिन्नता पर निर्भर है।

* अनंतिम

राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं के खिलाफ शिकायतें

2685. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी में सुधार के संबंध में प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं (एनएलएम) के कार्यकरण के खिलाफ कोई शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी एक बहु-स्तरीय और बहु-उद्देश्यीय तंत्र के माध्यम से की जाती है। निगरानी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति, संसदीय परामर्शदात्री समिति, राज्य/जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों, मंत्रालय की निष्पादन समीक्षा समिति के सदस्यों, संसद सदस्यों और आम जनता से समय-समय पर प्राप्त सुझावों को इस व्यवस्था में अंतर्विष्ट किया गया है। इनमें से कुछ सुझाव राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं, जिला स्तरीय निगरानीकर्ताओं की तैनाती, जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों को पुनः सक्रिय बनाने और परिसंपत्तियों के वास्तविक एवं गुणवत्ता संबंधी सत्यापन पर बल दिए जाने आदि से संबंधित है।

(ख) से (घ) वर्ष 2003-04 से 2006-07 के दौरान राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं (एनएलएम) ने विभिन्न जिलों के लगभग 1790 दौरे किए हैं। उस अवधि के दौरान एक एनएलएम के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत मिली है। संबंधित एनएलएम को एनएलएम के पैनल से हटा दिया गया है।

[अनुवाद]

नए आबंटियों को गैर-प्रामाणिक भुगतान की प्रतिपूर्ति

2686. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रघुनाथ झा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपदा निदेशालय बिजली, पानी और पी.एन.जी. के लंबित बिल का भुगतान सुनिश्चित किए बिना जबरन सरकारी मकान खाली करवाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये खाली कराए गए मकान बकाया राशि का भुगतान किए बिना सरकारी कर्मचारियों को आवंटित किए जा रहे है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या नए आवंटियों द्वारा ऐसी बकाया राशि का जबरदस्ती भुगतान किया जाता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) नए आबंटियों द्वारा किए गए ऐसे भुगतानों को वापस करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ज) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या विभागीय कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) सरकारी आवास के लिए हकदारी और/अथवा पात्रता समाप्त होने पर प्रारम्भिक लक्ष्य परिसरों का कब्जा पुनः प्राप्त करना है। बकाया देयताएं उसके बाद वसूल की जाती है। बेदखली और बकाया की वसूली क्रमशः सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 तथा आचरण नियम में दी गई यथोचित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) जब मकानों पर देनदारियां बकाया रहने पर भी नए आवंटी मकान स्वीकार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं, इस कारण भी मकानों के आबंटन के मामले में दबाव की स्थिति बनती है।

(ङ) जी, नहीं। पूर्व आबंटियों की लंबित देयताओं का भुगतान करने के लिए नए आवंटी न तो उत्तरदायी है न ही उन पर भुगतान करने का दबाव डाला जाता है।

(च) उपर्युक्त पैरा (ङ) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(छ) उपर्युक्त पैरा (ङ) और (च) के आलोक में लागू नहीं है।

(ज) सेवा प्रदाताओं के साथ परामर्श करके अब उपलब्ध प्रणालियां लागू की जा रही हैं ताकि मकानों में स्टोर्ड वेल्यू रिचार्जिबल प्रणालियां बनाई जा सकें और निक्षेप, वापसी, बकाया और वसूली प्रणाली को समाप्त किया जा सके।

पेंशन कोष प्रबंधक

2687. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ संगठनों को पेंशन कोष प्रबंधकों के रूप में नियुक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने बोली की प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के तीन निकायों यथा भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन निगम और यूटीआई की पहचान की है, परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी प्राइवेट लि. की पहचान, भारत सरकार के उन कर्मचारियों के संबंध में जो दि. 1.1.2004 को या उसके पश्चात सेवा में आए हैं, के संबंध में नई पेंशन प्रणाली की निधियों को प्रबंधन करने हेतु, पेंशन निधियों के प्रयोजकों के रूप में की है।

विदेशी सहायता

2688. **श्री के. सुब्बारायण :**
श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री सूरज सिंह :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार विदेशी सहायता हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित राज्यों के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे प्रस्तावों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम

(आईएफसी)/एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा परियोजना-वार/राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता उलपब्ध कराई गई;

(घ) ऐसी सहयता की निबंधन और शर्तें क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्यों द्वारा राज्य-वार कितनी सहायता राशि का उपयोग किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) केन्द्र सरकार के पास, विदेशी सहायता के लिए अनुवीक्षण के विभिन्न चरणों पर पड़े राज्यों के प्रस्तावों के ब्यौरे विवरण-I के रूप में संलग्न हैं।

(ख) भारत सरकार विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए और इन परियोजनाओं के शीघ्र निपटान, बेहतर प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी करती है। इन प्रस्तावों के शीघ्र निपटान के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रयास किए गए हैं जिनमें दाता एजेंसियों/देशों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करना और वार्षिक परामर्श करना शामिल हैं। जापानी ओडीए ऋणों के मामले में, प्रस्तावों के तीव्र मूल्यांकन के लिए जेबीआईसी के साथ ऋण करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए वर्ष 2007-08 में एक दोहरी प्रक्रिया लागू की गई है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों में विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई विदेशी सहायता के प्राधिकारों का राज्य-वार/परियोजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II के अंनुबध-I-IV में दिया गया है [अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), विश्व बैंक समूह का एक सदस्य, विकासशील राष्ट्रों में केवल निजी क्षेत्रों को ही सहायता मुहैया कराता है]।

(घ) विभिन्न विदेशी एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध करायी गई विदेशी सहायता की शर्तें संलग्ल विवरण-III में दी गई हैं।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गई विदेशी सहायता के उपयोग के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-IV अनुबंध-I-IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्र..सं.	राज्य	दाता एजेंसी	परियोजना का नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	डीएफआईडी (यू.के)	स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार में क्षेत्रवार पहुंच
2.	आंध्र प्रदेश	विश्व बैंक	आंध्र प्रदेश शहरी सुधार और नगरपालिका सफाई परियोजना
3.	आंध्र प्रदेश	विश्व बैंक	आंध्र प्रदेश जल क्षेत्र सुधार परियोजना
4.	आंध्र प्रदेश	विश्व बैंक	आंध्र प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई कार्यक्रम
5.	आंध्र प्रदेश	विश्व बैंक	आंध्र प्रदेश में 4286 कि.मी. की उच्च घनत्व कोर नेटवर्क सड़कों का सुधार
6.	आंध्र प्रदेश	जर्मनी	2x500 मेगावाट कृष्णापट्टनम थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करना
7.	आंध्र प्रदेश	जर्मनी	पारे हाइड्रो इलैक्ट्रिक (110 मेगावाट) परियोजना स्थापित करना
8.	आंध्र प्रदेश	जापान	आउटर रिंग रोड परियोजना, हैदराबाद

1	2	3	4
9.	आंध्र प्रदेश	जापान	हैदराबाद और सिकंदराबाद तथा आसपास के नगरपालिकाओं के जुड़वा शहरों के लिए जल आपूर्ति और सीवरेज क्षेत्र
10.	आंध्र प्रदेश	जापान	अंथेवेडिपल्लिपालेम में फिस लैंडिंग सेंटर का विकास करना और आंध्र प्रदेश में कोस्टल फिशर फोल्क का कौशल उन्नयन हेतु परियोजना
11.	आंध्र प्रदेश	जापान	गरीबी उन्मूलन के लिए समेकित जल संसाधन प्रबंधन और तकनीकी सहकारी कार्यक्रम के अंतर्गत चिरस्थायी विकास करना
12	आंध्र प्रदेश	जापान	आंध्र प्रदेश ट्रांको के लिए उच्च वोल्टेज वितरण परियोजना
13.	अरुणाचल प्रदेश	जापान	अरुणाचल प्रदेश वानिकी परियोजना
14.	अरुणाचल प्रदेश	जर्मनी	पारे हाइड्रो इलैक्ट्रिक (110 मेगावाट) परियोजना स्थापित करना
15.	असम	विश्व बैंक	असम में राज्य राजमार्गों और मुख्य जिला सड़कों का उन्नयन 8
16.	असम	जापान	ग्रेटर गुवाहाटी जल आपूर्ति स्कीम
17.	बिहार	विश्व बैंक	बिहार संरचनागत समायोजन ऋण
18.	बिहार	विश्व बैंक	बिहार विकेंद्रीकरण सहायता परियोजना
19.	बिहार	जापान	पटना सिटी, बिहार के लिए जल आपूर्ति, और ठोस कचरा प्रबंधन
20.	बिहार	जापान	नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना
21.	गुजरात	विश्व बैंक	गुजरात शहरी सुधार कार्यक्रम
22.	गुजरात	जापान	राज्य स्तरीय ट्रांसमिशन परियोजना का हिस्सा-1
23.	गुजरात	जापान	सुत्रापाडा जिला जूनागढ़ में फिशिंग हारबर का विकास करना
24.	गुजरात	जापान	जिला स्तर पर जूनागढ़ कृषि विश्व विद्यालय में प्लांट हेल्थ क्लीनिक की स्थापना करना
25.	गुजरात	जापान	गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के चयनित शहरों में, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय में कोल्ड स्टोरेज चेन की स्थापना करना
26.	गुजरात	जापान	गुजरात राज्य के सौराष्ट्र, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय में ग्रामीण कृषि-प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना करना

1	2	3	4
27.	गुजरात	जापान	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय में नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी अध्ययनों के लिए केंद्रो की स्थापना करना
28.	गुजरात	जापान	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय में नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी अध्ययनों के लिए केंद्रों की स्थापना करना
29.	गुजरात	जापान	आनंद कृषि विश्वविद्यालय के केन्द्रीय गुजरात में जनजातियों पर आधारित आर्थिक रूप से पिछड़े कृषि हेतु आय का आवर्धन करना
30.	गुजरात	जापान	आनंद कृषि विश्वविद्यालय में बायोफ्यूल में उत्कृष्टता के लिए केंद्रों की स्थापना
31.	गुजरात	जापान	आनंद कृषि विश्वविद्यालय में कृषि पण्य वस्तु के लिए कीटनाशी अवशेषों की जांच करने और भारी धातुओं के लिए प्रयोगशाला सुदृढ़ करना
32.	गुजरात	जापान	गुजरात राज्य में पंचमहल और दाहोद के पिछड़े और जनजातिय जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चिरस्थायी समुदाय प्रबंधित पेयजल आपूर्ति हेतु अवसंरचना
33.	गुजरात	जापान	हाई-टेक फ्लोरीकल्चर प्रोजेक्ट रिसर्च-कम-डेमोस्ट्रेशन-कम-ट्रेनिंग पोग्राम, आनंद कृषि विश्वविद्यालय
34.	गुजरात	जापान	सफेद प्याज की विविधता का विकास और इसका उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकी, आनंद कृषि विश्वविद्यालय
35.	हरियाणा	विश्व बैंक	हरियाणा में राज्य राजमार्गों का उन्नयन
36.	हरियाणा	विश्व बैंक	पीआरआई के गांवों और कैपेसिटी बिल्डिंग में हरियाणा अवसंरचना विकास
37.	हरियाणा	विश्व बैंक	हरियाणा विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना
38.	हरियाणा	विश्व बैंक	हरियाणा, शिवालिक के लिए इंडो-जर्मनी जल संभरक विकास परियोजना
39.	हरियाणा	जर्मनी	हरियाणा में सहकारी चीनी मिलों में खोई आधारित को-जेनरेशन प्रोजेक्ट
40.	हरियाणा	जर्मनी	संसाधन प्रबंधन और जीवनयापन परियोजना, हरियाणा
41.	हरियाणा	जर्मनी	हरियाणा राज्य मार्गों में पर्यावरण अनुकूल सीएनजी बसें शामिल करना

1	2	3	4
42.	हरियाणा	जर्मनी	हरियाणा में एक्वाकल्चर एंड पोस्ट हरवेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास
43.	हिमाचल प्रदेश	विश्व बैंक	हिमाचल प्रदेश 8 एएल
44.	हिमाचल प्रदेश	विश्व बैंक	विष्णुगढ़ पिप्पल कोठी (444 मेगावाट)
45.	हिमाचल प्रदेश	विश्व बैंक	रामपुर हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट
46.	जम्मू-कश्मीर	जापान	आर्ट ग्राउमा, राज्य हेतु सृजन सुविधाएं और शेर-1-कश्मीर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, सौरी री-प्रोडक्टिव टेक्नालाजी
47.	कर्नाटक	विश्व बैंक	कनार्टक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना
48.	केरल	जापान	कोट्टायाम-कुमारक्कम एको-सिटी प्रोजेक्ट
49.	केरल	जापान	केरल जलसंभरक विकास परियोजना
50.	केरल	जापान	जल आपूर्ति का आवर्धन और कोल्लम, कोच्वी, त्रिसूर, मालापुरम और मंजेरी कस्बों के लिए सीवरेज परियोजना
51	केरल	जापान	जल आपूर्ति परियोजना-भाग-3
52	केरल	जापान	ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना
53.	केरल	जापान	एसएटी अस्पताल, त्रिवेन्द्रम में आरसीएच सेवाओं के लिए अवसंरचना सुदृढ़ीकरण
54.	केरल	विश्व बैंक	केरल में स्थानीय शासन का सुदृढ़ीकरण
55.	केरल	जर्मनी	केरल में मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/प्लाटों के विकास के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन
56.	केरल	जर्मनी	केरल के छोटे औद्योगिक राज्यों के लिए अवसंरचना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन
57.	केरल	जर्मनी	केरल राज्य में अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और एसएमई का संवर्धन
58.	बहुराज्यीय	विश्व बैंक	पूर्वोत्तर क्षेत्र जीवनयापन परियोजना
59.	मध्य प्रदेश	डीएफआईटी (यू.के.)	स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार में क्षेत्रवार पहुंच
60.	मध्य प्रदेश	विश्व बैंक	मध्य प्रदेश जिला निर्धनता पहल परियोजना-2

1	2	3	4
61.	मध्य प्रदेश	जापान	भोपाल में झीलों के लिए संरक्षण और प्रबंधन
62.	मध्य प्रदेश	जापान	मध्य प्रदेश में एमडीआर सड़कों का उन्नयन
63.	मध्य प्रदेश	जापान	पेंच डाइवर्जन प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश सरकार
64.	मध्य प्रदेश	जापान	मध्य प्रदेश में अवसंरचना क्षेत्रों के लिए जेएनयूयूआरएस में शहरी स्थानीय निकायों के हिस्से का वित्तपोषण
65.	मध्य प्रदेश	जापान	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा (पीडीपीएम), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का पोषण और सुदृढ़ीकरण डिजाइन और विनिर्माण (क) जबलपुर द्वारा इसके विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराकर (ख) जापान-इंडिया सहयोग से आर एंड डी प्रयोगशालाओं का इसके स्टूडियों डिजायनों का विकास करना
66.	मणिपुर	जापान	लोकटक झील (मणिपुर) का संरक्षण और चिरस्थायी विकास
67.	महाराष्ट्र	जापान	महाराष्ट्र प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजना
68.	महाराष्ट्र	जापान	सांगली मिराज और कुपवाड़ा नगर निगम के लिए अवसंरचना विकास कार्यक्रम
69.	मिजोरम	एडीबी	मिजोरम सरकारी संसाधन प्रबंधन और विकास कार्यक्रम (संरचनागत समायोजन ऋण)
70.	मिजोरम	जापान	कोलासिब जिला में भूमि और जल संसाधनों का व्यापक विकास और प्रबंधन
71.	उड़ीसा	विश्व बैंक	महानदी घाटी विकास परियोजना
72.	उड़ीसा	विश्व बैंक	उड़ीसा समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना
73.	उड़ीसा	विश्व बैंक	उड़ीसा राज्य सड़क परियोजना
74.	उड़ीसा	विश्व बैंक	निर्धनता उन्मूलन और अवसंरचना/उड़ीसा ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन परियोजना के लिए लक्षित ग्रामीण पहलें
75.	उड़ीसा	विश्व बैंक	उड़ीसा में भूमि प्रशासन को सुदृढ़ करना (पाइलट फेज/फेज-1)
76.	उड़ीसा	डीएफआईडी (यूके)	स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार योजना

1	2	3	4
77.	उड़ीसा	डीएफआईडी (यूके)	उड़ीसा में भूमि प्रशासन को सुदृढ़ करना (पाइलट फेज/फेज-1)
78.	उड़ीसा	जापान	उड़ीसा में ब्रैकिस वाटर कल्चर एरिया के समूह का विकास तक पहुंच
79.	उड़ीसा	जापान	उड़ीसा के मेरीन मछुआरों के लिए समेकित प्रबंधन और प्रो-पूअर सहायता परियोजना
80.	उड़ीसा	जापान	ग्रेटर संबलपुर के लिए एकीकृत सीवरेज और ड्रीनेज प्रणाली
81.	उड़ीसा	जापान	ब्रह्मपुर कस्बा के लिए एकीकृत सीवेज और ड्रीनेज प्रणाली
82.	पंजाब	जापान	पंजाब में लघु हाइड्रो और बायोमास परियोजनाएं
83.	राजस्थान	जर्मनी	ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना चरण-II
84.	राजस्थान	जापान	एकीकृत भू-जल संसाधन विकास और प्रबंधन राजस्थान विश्वविद्यालय का एक प्रस्ताव
85.	सिक्किम	जर्मनी	सिक्किम में समुदाय वन में और आस-पास एकीकृत जलसंभरक प्रबंधन के जरिए ग्रामीण विकास
86.	सिक्किम	जापान	एसटीएनएम, अस्पताल गंगटोक में अवसंरचना सुधार और चिकित्सा
87.	तमिलनाडु	विश्व बैंक	तमिलनाडु रेलवे जलापूर्ति तथा सफाई परियोजना
88.	तमिलनाडु	जापान	तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना को ऋण की श्रृंखला
89.	तमिलनाडु	जापान	चेन्नई में बाहरी रिंग रोड
90.	तमिलनाडु	जापान	तमिलनाडु-धर्मपुरी-कृष्णागिरी जिला में होगानक्कल जलापूर्ति तथा सफाई परियोजना
91.	उत्तर प्रदेश	जापान	राज्य स्तरीय पारेषण परियोजना हेतु ट्रांश-1
92.	उत्तर प्रदेश	जापान	उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में तैलबीज और दाल का अधिक उत्पादन
93.	उत्तर प्रदेश और राजस्थान	विश्व बैंक	उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ग्रामीण विद्युत पहुंच कार्यक्रम
94.	उत्तर प्रदेश	विश्व बैंक	उत्तर प्रदेश—विविध कृषि सहायता परियोजना-II
95.	उत्तर प्रदेश	विश्व बैंक	उत्तर प्रदेश—एसएएल-II

1	2	3	4
96.	उत्तर प्रदेश	जापान	उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना
97.	उत्तराखंड	जापान	उत्तरांचल में चारधाम परियोजना
98.	उत्तराखंड	विश्व बैंक	लुहरी पनबिजली परियोजना (700 मेगावाट)
99.	पश्चिम बंगाल	विश्व बैंक	पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई का त्वरित विकास
100.	पश्चिम बंगाल	विश्व बैंक	पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना
101.	पश्चिम बंगाल	विश्व बैंक	पश्चिम बंगाल संरचनात्मक समायोजन ऋण
102.	पश्चिम बंगाल	जापान	बकरेश्वर टीपीपी विस्तार-VI
103.	पश्चिम बंगाल	जापान	राज्यस्तरीय पारेषण का परियोजना का ट्रांश-1
104.	पश्चिम बंगाल	जापान	मालदा के जिला अस्पताल में मां तथा शिशु स्वास्थ्य इकाई स्थापित करना
105.	पश्चिम बंगाल	डीएफआईडी (यूके)	पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की पुनर्संरचना।

विवरण-II

अनुबंध-I

2004-2005 से 2006-2007 तक सरकारी ऋण का अनुमोदन

(राशि हजारों में)

दाता/राज्य/परियोजना	ऋण मुद्रा	सरकारी ऋण का अनुमोदन		
		2004-2005	2005-2006	2006-2007
1	2	3	4	5
एडीबी एशियन डवलपमेंट बैंक	**यूएसडी**	**1,874,600.00**	**400,000.00**	**1,301,920.00**
	आईएनआर	**84,164,300.49**	**17,697,465.20**	**59,271,480.72**
असम	यूएसडी	150,000.00	0.00	0.00
	आईएनआर	6,734,580.75	0.00	0.00

1	2	3	4	5
2141-असम शासन एवं जन संसाधन प्रबंध	यूएसडी	125,000.00	0.00	0.00
	आईएनआर	5,612,150.63	0.00	0.00
2142-असम शासन एवं जन संसाधन विकास परियोजना	यूएसडी	25,000.00	0.00	0.00
	आईएनआर	1,122,430.13	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	यूएसडी	180,000.00	0.00	0.00
	आईएनआर	8,081,496.90	0.00	0.00
2050-छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास (क्षेत्र) परियोजना	यूएसडी	180,000.00	0.00	0.00
	आईएनआर	8,081,496.90	0.00	0.00
केन्द्र सरकार	यूएसडी	713,600.00	0.00	1,000,000.00
	आईएनआर	32,038,645.49	0.00	45,526,208.00
1981-रेलवे क्षेत्र सुधार परियोजना	यूएसडी	313,600.00	0.00	0.00
	आईएनआर	14,079,763.49	0.00	0.00
2029-राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र-I परि.	यूएसडी	400,000.00	0.00	0.00
	आईएनआर	17,958,882.00	[illegible].00	0.00
2281-ग्रामीण सहकारी ऋण पुनर्संरचना और विकास	यूएसडी	0.[illegible]	0.00	1,000,000.00
	आईएनआर	0.00	0.00	45,526,208.00
दिल्ली	यूएसडी	0.00	400,000.00	0.00
	आईएनआर	0.00	17,697,465.20	0.00
2154-राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र II परि.	यूएसडी	0.00	400,000.00	0.00
	आईएनआर	0.00	17,697,465.20	0.00
जम्मू व कश्मीर	यूएसडी	250,000.00	0.00	0.00
	आईएनआर	11,224,301.25	0.00	0.00

1	2	3	4	5
2151-जे. एंड के. अवसंरचना पुनर्वास परि.	यूएसडी	250,000.00	0.00	0.00
	आईएनआर	11,224,301.25	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	यूएसडी	181,000.00	0.00	0.00
	आईएनआर	8,126,394.11	0.00	0.00
2046-मध्य प्रदेश में शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार	यूएसडी	181,000.00	0.00	0.00
	आईएनआर	8,126,394.11	0.00	0.00
बहुराज्य	यूएसडी	400,000.00	0.00	180,000.00
	आईएनआर	17,958,882.00	0.00	8,194,717.44
2018-ग्रामीण सड़क क्षेत्र-I परि.	यूएसडी	400,000.00	0.00	0.00
	आईएनआर	17,958,882.00	0.00	0.00
2248-ग्रामीण सड़क क्षेत्र-II परि.	यूएसडी	0.00	0.00	180,000.00
	आईएनआर	0.00	0.00	8,194,717.44
उत्तरांचल	यूएसडी	0.00	0.00	41,920.00
	आईएनआर	0.00	0.00	1,908,458.64
2309-उत्तराखंड विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम परि.-I	यूएसडी	0.00	0.00	41,920.00
	आईएनआर	0.00	0.00	1,908,458.64
पश्चिम बंगाल	यूएसडी	0.00	0.00	80,000.00
	आईएनआर	0.00	0.00	3,642,096.64
2293-कोलकाता पर्यावरण सुधार परि. पूरक	यूएसडी	0.00	0.00	80,000.00
	आईएनआर	0.00	0.00	3,642,096.64
आईबीआरडी	यूएसडी	624,320.00	621,550.00	2,000.00
	आईएनआर	27,895,531.41	27,499,648.74	91,052.42

1	2	3	4	5
असम	यूएसडी	0.00	0.00	2,000.00
	आईएनआर	0.00	0.00	91,052.42
पी-4330-असम राज्य परि. की तैयारी	यूएसडी	0.00	0.00	2,000.00
	आईएनआर	0.00	0.00	91,052.42
केन्द्र सरकार	यूएसडी	100,300.00	620,000.00	0.00
	आईएनआर	4,503,189.66	27,431,071.06	0.00
4753-ग्रामीण सड़क परि.	यूएसडी	99,500.00	0.00	0.00
	आईएनआर	4,467,271.90	0.00	0.00
4764-लखनऊ-मुज्जफरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परि.	यूएसडी	0.00	620,000.00	0.00
	आईएनआर	0.00	27,431,071.06	0.00
पी4150-चक्रवात रोधी रोखिम शमन परि. की तैयारी	यूएसडी	800.00	0.00	0.00
	आईएनआर	35,917.76	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	यूएसडी	0.00	1,550.00	0.00
	आईएनआर	0.00	68,577.68	0.00
पी4240-हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परि. की तैयारी	यूएसडी	0.00	1,550.00	0.00
	आईएनआर	0.00	68,577.68	0.00
कर्नाटक	यूएसडी	40,000.00	0.00	0.00
	आईएनआर	1,795,888.20	0.00	0.00
4730-कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र सुधार	यूएसडी	39,500.00	0.00	0.00
	आईएनआर	1,773,439.60	0.00	0.00
पी4130-कर्नाटक नगरपालिका सुधार परि.	यूएसडी	500.00	0.00	0.00
	आईएनआर	22,448.60	0.00	0.00

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	यूएसडी	394,020.00	0.00	0.00
	आईएनआर	17,690,396.71	0.00	0.00
4750-मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुर्नसंरचना	यूएसडी	394,020.00	0.00	0.00
	आईएनआर	17,690,396.71	0.00	0.00
उड़ीसा	यूएसडी	85,000.00	0.00	0.00
	आईएनआर	3,816,262.43	0.00	0.00
4756-उड़ीसा सामाजिक आर्थिक विकास	यूएसडी	85,000.00	0.00	0.00
	आईएनआर	3,816,262.43	0.00	0.00
पंजाब	यूएसडी	2,000.00	0.00	0.00
	आईएनआर	89,794.41	0.00	0.00
पी4170-पंजाब राज्य सड़कों को अनुकूल बनाने की तैयारी	यूएसडी	2,000.00	0.00	0.00
	आईएनआर	89,794.41	0.00	0.00
आईडीएआईडीए	यूएसडी	514.80	1,000.00	570.00
	आईएनआर	23,113.08	44,243.66	25,949.94
केन्द्र सरकार	यूएसडी	0.00	1,000.00	570.00
	आईएनआर	0.00	44,243.66	25,949.94
क्यू-5040-राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण	यूएसडी	0.00	1,000.00	0.00
	आईएनआर	0.00	44,243.66	0.00
5270-औद्योगिक प्रदूषण प्रबंध कार्यक्रम के लिए क्षमता निर्माण	यूएसडी	0.00	0.00	570.00
	आईएनआर	0.00	0.00	25,949.94
झारखण्ड	यूएसडी	514.80	0.00	0.00
	आईएनआर	23.113.08	0.00	0.00

1	2	3	4	5
क्यू4420-झारखंड भागीदारी वन प्रबंधन	यूएसडी	514.80	0.00	0.00
	आईएनआर	23,113.08	0.00	0.00
आईएनएआईडीए	एक्सडीआर	982,500.00	41,400.00	582,300.00
	आईएनआर	60,411,002.60	2,670,030.40	39,177,045.01
असम	एक्सडीआर	105,000.00	0.00	0.00
	आईएनआर	7,028,426.90	0.00	0.00
4013-असम कृषि स्पर्धा परि.	एक्सडीआर	105,000.00	0.00	0.00
	आईएनआर	7,028,426.90	0.00	0.00
केन्द्र सरकार	एक्सडीआर	587,800.00	0.00	498,800.00
	आईएनआर	39,345,803.13	0.00	0.00
3882-प्रारंभिक शिक्षा परि. (सर्व शिक्षा अभियान)	एक्सडीआर	334,900.00	0.00	0.00
	आईएनआर	22,417,334.93	0.00	0.00
3952-एकीकृत रोग निगरानी परि.	एक्सडीआर	46,900.00	0.00	0.00
	आईएनआर	3,139,364.01	0.00	0.00
3987-ग्रामीण सड़क परि.	एक्सडीआर	206,000.00	0.00	0.00
	आईएनआर	13,789,104.19	0.00	0.00
4161-राष्ट्रीय कृषि नवीकरण परि.	एक्सडीआर	0.00	0.00	41,100.00
	आईएनआर	0.00	0.00	2,765,201.01
4162-राष्ट्रीय कृषि नवीकरण परि.	एक्सडीआर	0.00	0.00	97,000.00
	आईएनआर	0.00	0.00	6,526,143.51
4227-पुर्नजनन एवं बाल स्वास्थ्य परि. चरण-II	एक्सडीआर	0.00	0.00	245,000.00
	आईएनआर	0.00	0.00	16,483,558.35

1	2	3	4	5
4228-तपेदिक नियंत्रण परि. चरण-II	एक्सडीआर	0.00	0.00	115.700.00
	आईएनआर	0.00	0.00	7,784,276.33
हिमाचल प्रदेश	एक्सडीआर	0.00	41,400.00	0.00
	आईएनआर	0.00	2,670,030.40	0.00
4133-हि. प्रदेश हिमाचल मध्य जल संभर विकास परि.	एक्सडीआर	0.00	41,400.00	0.00
	आईएनआर	0.00	2,670,030.40	0.00
उड़ीसा	एक्सडीआर	27,400.00	0.00	0.00
	आईएनआर	1,834,084.73	0.00	0.00
3996-उड़ीसा सामाजिक आर्थिक विकास	एक्सडीआर	27,400.00	0.00	0.00
	आईएनआर	1,834,084.73	0.00	0.00
राजस्थान	एक्सडीआर	61,000.00	0.00	0.00
	आईएनआर	4,083,181.34	0.00	0.00
3867-राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास	एक्सडीआर	61,000.00	0.00	0.00
	आईएनआर	4,083,181.34	0.00	0.00
तमिलनाडु	एक्सडीआर	73,900.00	0.00	0.00
	आईएनआर	4,946,673.79	0.00	0.00
4018-तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली परि.	एक्सडीआर	73,900.00	0.00	0.00
	आईएनआर	4,946,673.79	0.00	0.00
उत्तरांचल	एक्सडीआर	47,400.00	0.00	83,500.00
	आईएनआर	3,172,832.71	0.00	5,617,865.81
3907-उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत जलसंभर विकास	एक्सडीआर	47,400.00	0.00	0.00
	आईएनआर	3,172,832.71	0.00	0.00
4232-उत्तरांचल ग्रामीण जलापूर्ति एवं सफाई परि.	एक्सडीआर	0.00	0.00	83,500.00
	आईएनआर	0.00	0.00	5,617,865.81

विवरण-II

अनुबंध-II

2004-2005 से 2006-2007 से सरकारी अनुदान का अनुमोदन

(राशि हजार में)

दाता/राज्य/ऋण	ऋण मुद्रा	सरकारी अनुदान का अनुमोदन		
		2004-2005	2005-2006	2006-2007
1	2	3	4	5
आईबीआरडी	**यूएसडी**	**4,867.83**	**976.00**	**1,929.19**
	आईएनआर	**218,551.96**	**43,270.30**	**87,828.71**
केन्द्रीय सरकार	यूएसडी	3,012.93	490.00	1,929.19
	आईएनआर	135,272.14	21,679.40	87,828.71
टीएफ-054401 एमओएफ का एएडी का संस्थागत सुदृढ़ीकरण	यूएसडी	385.00	0.00	0.00
	यूएसडी	17,285.42	0.00	0.00
टीएफ-053744 शहरी सुधार उपक्रम निधि परियोजना की तैयारी	आईएनआर	597.44	0.00	0.00
	यूएसडी	26,823.39	0.00	0.00
टीएफ-3745 मलिन बस्तियों के उन्नयन की तैयार और राष्ट्रीय सफाई परियोजना	आईएनआर	710.49	0.00	0.0
	यूएसडी	31,890.02	0.00	0.00
टीएफ-03954 जैव विविधता संरक्षण एवं ग्रामीण जीविका सुधार	आईएनआर	330.00	0.00	0.00
	यूएसडी	14,816.08	0.00	0.00
टीएफ-04184 भारतीय कम्प कमीशन को तकनीकी सहायता	आईएनआर	500.00	0.00	0.00
	यूएसडी	22,448.60	0.00	0.00
टीएफ-04877 सीजीए का आधुनिकीकरण	आईएनआर	490.00	0.00	0.00
	यूएसडी	21,99.63	0.00	0.00

1	2	3	4	5
टीएफ05145 चिर स्थायी विकास के लिए बायोमास के लिए पीएचआरडी अनुदान	आईएनआर	0.00	0.00	998.70
	यूएसडी	0.00	0.00	45,467.02
टीएफ05840 सीएण्डएजी की क्षमता निर्माण और आधुनिकीकरण	आईएनआर	0.00	490.00	0.00
	यूएसडी	0.00	21,679.40	0.00
टीएफ06585 सीएण्डएजी का आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण	आईएनआर	0.00	0.00	930.49
	आईएनआर	0.00	0.00	42,361.68
कर्नाटक	यूएसडी	0.00	488.00	0.00
	आईएनआर	0.00	21,590.91	0.00
टीएफ55732-कर्नाटक के लिए आईएन उपलब्धि क्षमता विकास कार्यक्रम	यूएसडी	0.00	488.00	0.00
	आईएनआर	0.00	21,590.91	0.00
महाराष्ट्र	यूएसडी	956.40	0.00	0.00
	आईएनआर	42,939.69	0.00	0.00
टीएफ01375 पुणे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक पाइलट आईसीटी कार्यक्रम	यूएसडी	956.40	0.00	0.00
	आईएनआर	42,939.69	0.00	0.00
उत्तरांचल	यूएसडी	898.50	0.00	0.00
	आईएनआर	40,340.14	0.00	0.00
टीएफ053147 उत्तरांचल ग्रामीण जिला आपूर्ति और पर्यावरण सफाई परियोजना	यूएसडी	898.50	0.00	0.00
	आईएनआर	40,340.14	0.00	0.00
आईडीए	यूएसडी	3,030.30	1,750.30	1,389.00
	आईएनआर	136,052.00	77,435.26	63,235.90
केन्द्रीय सरकार	यूएसडी	0.00	1,300.20	900.00
	आईएनआर	0.00	57,525.61	40,973.59

1	2	3	4	5
टीएफ054593 लिकिंग बॉयोडावर्सिटी कंस. एवं रूरल लिव्लीहुड प्रोज.	यूएसडी	0.00	412.20	0.00
	आईएनआर	0.00	18,237.24	0.00
टीएफ054595 भारत निर्माण के लिए जेप अनुदान एचआईवी/एड्स-3	यूएसडी	0.00	861.00	0.00
	आईएनआर	0.00	38,093.79	0.00
टीएफ056284 जल संसाधन मंत्रालय के क्षमता निर्माण के लिए डीएफआईडी अनुदान	यूएसडी	0.00	27.00	0.00
	आईएनआर	0.00	1,194.58	0.00
टीएफ057113 अवसंरचना में पीपीपी के लिए भारत सरकार की तकनीकी पहलें टीएफ	यूएसडी	0.00	0.00	450.00
	आईएनआर	0.00	0.00	20,486.79
टीएफ057503 मोड में शहरी टीपीटी योजना के लिए तकनीकी सहायता	यूएसडी	0.00	0.00	450.00
	आईएनआर	0.00	0.00	20,486.79
दिल्ली	यूएसडी	0.00	0.00	489.00
	आईएनआर	0.00	0.00	22,262.32
टीएफ57245-तीन दिल्ली भूमि भाराव को बंद करने के लिए गैस प्रतिपूर्ति पुनः उपयोग	यूएसडी	0.00	0.00	489.00
	आईएनआर	0.00	0.00	22,262.32
झारखंड	यूएसडी	432.00	0.00	0.00
	आईएनआर	19,395.59	0.00	0.00
टीएफ053445 झारखंड पार्टिसिपेटरी फोरेस्ट एमएएमटी कैपेसटी	यूएसडी	432.00	0.00	0.00
	आईएनआर	19,395.59	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	यूएसडी	1,915.90	0.00	0.00
	आईएनआर	86,018.56	0.00	0.00
टीएफ053826 सामुदायिक वन प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण	यूएसडी	1,915.90	0.00	0.00
	आईएनआर	86,018.56	0.00	0.00

1	2	3	4	5
बहु-राज्य	यूएसडी	196.50	0.00	0.00
	आईएनआर	8,822.30	0.00	0.00
टीएफ051704 ग्रामीण स्तर पर सहयोगी संस्थानों का क्षमता निर्माण	यूएसडी	196.50	0.00	0.00
	आईएनआर	8,822.30	0.00	0.00
पीवू पंजाब	यूएसडी	0.00	450.00	0.00
	आईएनआर	0.00	19,909.65	0.00
टीएफ054594 पंजाब जलापूर्ति	यूएसडी	0.00	450.00	0.00
	आईएनआर	0.00	19,909.65	0.00
तमिलनाडु	यूएसडी	485.90	0.00	0.00
	आईएनआर	21,815.55	0.00	0.00
टीएफ053162 तमिलनाडु अधिकारिता एवं गरीबी उन्मूलन परियोजना	यूएसडी	485.90	0.00	0.00
	आईएनआर	21,815.55	0.00	0.00

विवरण-II

अनुबंध-III

2004-05 से 2006-07 से बैंक टू बैंक ऋण का अनुमोदन

(राशि हजार में)

दाता/राज्य/परियोजना	ऋण करेंसी	बैंक टू बैंक ऋणों का अनुमोदन		
		2004-2005	2005-2006	2006-2007
1	2	3	4	5
एडीबी एशियाई विकास बैंक	यूएसडी	0.00	146,108.00	211,200.00
	आईएनआर	0.00	6,464,353.11	10,070,397.21

1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़	यूएसडी	0.00	46,108.00	0.00
	आईएनआर	0.00	2,039,986.81	0.00
2159-आईएमडी छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना	यूएसडी	0.00	46,108.00	0.00
	आईएनआर	0.00	2,039,986.81	0.00
केरल	यूएसडी	0.00	0.00	221,200.00
	आईएनआर	0.00	0.00	10,070,357.21
2226-आईएनडी केरल चिरस्थायी शहरी विकास परियोजना	यूएसडी	0.00	0.00	221,200.00
	आईएनआर	0.00	0.00	10,070,357.21
बहुराज्य	यूएसडी	0.00	100,000.00	0.00
	आईएनआर	0.00	4,424,366.30	0.00
2166-आईएनडी सुनामी आपातिक सहायता (क्षेत्र) परियोजना	यूएसडी	0.00	100,000.00	0.00
	आईएनआर	0.00	4,424,366.30	0.00
आईबीआरडी	**यूएसडी**	**0.00**	**733,980.00**	**1,101,000.00**
	आईएनआर	**0.00**	**32,473,963.77**	**50,124,355.01**
आंध्र प्रदेश	यूएसडी	0.00	0.00	150,000.00
	आईएनआर	0.00	0.00	6,828,931.20
4845-आईएन तृतीय प्रदेश आर्थिक सुधार कार्यक्रम (एपीईआर)	यूएसडी	0.00	0.00	150,000.00
	आईएनआर	0.00	0.00	6,828,931.20
गुजरात	यूएसडी	0.00	1,000.00	0.00
	आईएनआर	0.00	44,243.66	0.00
पी-4250 गुजरात शहरी विकास परियोजना	यूएसडी	0.00	1,000.00	0.00
	आईएनआर	0.00	44,243.66	0.00

1	2	3	4	5
कर्नाटक	यूएसडी	0.00	0.00	216,000.00
	आईएनआर	0.00	0.00	9,833,660.93
4818-आईएन कर्नाटक नगरपालिका सुधार परियोजना	यूएसडी	0.00	0.00	216,000.00
	आईएनआर	0.00	0.00	9,833,660.93
महाराष्ट्र	यूएसडी	0.00	325,000.00	0.00
	आईएनआर	0.00	14,379,190.48	0.00
4796-आईएन महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार	यूएसडी	0.00	325,000.00	0.00
	आईएनआर	0.00	14,379,190.48	0.00
बहुराज्य	यूएसडी	0.00	104,980.00	0.00
	आईएनआर	0.00	4,644,699.74	0.00
4749-आईएन भारत-हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट—चरण-2	यूएसडी	0.00	104,980.00	0.00
	आईएनआर	0.00	4,644,699.74	0.00
उड़ीसा	यूएसडी	0.00	3,000.00	150,000.00
	आईएनआर	0.00	132,730.99	6,828,931.20
4837-आईएन उड़ीसा सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय प्रचालन	यूएसडी	0.00	0.00	150,000.00
	आईएनआर	0.00	0.00	6,828,931.20
पी4270-आईएन उड़ीसा राज्य सड़कों की मरम्मत	यूएसडी	0.00	3,000.00	0.00
	आईएनआर	0.00	132,730.99	0.00
पंजाब	यूएसडी	0.00	0.00	250,000.00
	आईएनआर	0.00	0.00	11,381,552.00
4843-आईएन पंजाब राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना	यूएसडी	0.00	0.00	250,000.00
	आईएनआर	0.00	0.00	11,381,552.00

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	यूएसडी	0.00	300,000.00	335,000.00
	आईएनआर	0.00	13,273,098.90	15,251,279.68
4798-आईएन तृतीय तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना	यूएसडी	0.00	300,000.00	0.00
	आईएनआर	0.00	13,273,098.90	0.00
4846-आईएन तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण और जल निकाय संग्रहण	यूएसडी	0.00	0.00	335,000.00
	आईएनआर	0.00	0.00	15,251,279.68
आईडीए	**यूएसडी**	**0.00**	**0.00**	**822.83**
	आईएनआर	**0.00**	**0.00**	**37,460.15**
बिहार	यूएसडी	0.00	0.00	822.83
	आईएनआर	0.00	0.00	37,460.15
क्यू5310 बिहार ग्रामीण जीवनयापन विकास	यूएसडी	0.00	0.00	822.83
	आईएनआर	0.00	0.00	37,460.15
	आईएनआर	0.00	1,402,057.22	0.00
आईडीए	**एक्सडीआर**	**0.00**	**387,800.00**	**483,900.00**
	आईएनआर	**0.00**	**25,010,574.65**	**32,556,709.74**
आंध्र प्रदेश	एक्सडीआर	0.00	0.00	50,800.00
	आईएनआर	0.00	0.00	3,417,815.36
4254-आईएन तृतीय आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार कार्यक्रम	एक्सडीआर	0.00	0.00	50,800.00
	आईएनआर	0.00	0.00	3,417,815.36
कर्नाटक	एक्सडीआर	0.00	0.00	178,700.00
	आईएनआर	0.00	0.00	12,022,905.62
4211-आईएन कर्नाटक पंचायतों का सुदृढ़ीकरण	एक्सडीआर	0.00	0.00	82,200.00
	आईएनआर	0.00	0.00	5,530,402.03

1	2	3	4	5
4229-आईएन कर्नाटक स्वास्थ्य प्रणाली विकास और सुधार परियोजना	एक्सडीआर	0.00	0.00	96,500.00
	आईएनआर	0.00	0.00	6,492,503.60
उड़ीसा	एक्सडीआर	0.00	0.00	50,500.00
	आईएनआर	0.00	0.00	3,397,631.42
4225-आईएन उड़ीसा सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय प्रचालन	एक्सडीआर	0.00	0.00	50,500.00
	आईएनआर	0.00	0.00	3,397,631.42
पांडिचेरी	एक्सडीआर	0.00	24,672.00	0.00
	आईएनआर	0.00	1,591,183.34	0.00
4054-आईएन पीओ आपातिक सुनामी पुनर्निर्माण परियोजना (पीओ)	एक्सडीआर	0.00	24,672.00	0.00
	आईएनआर	0.00	1,591,183.34	0.00
पंजाब	एक्सडीआर	0.00	0.00	104,100.00
	आईएनआर	0.00	0.00	7,003,830.30
4251-आईएन पंजाब ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई परियोजना	एक्सडीआर	0.00	0.00	104,100.00
	आईएनआर	0.00	0.00	7,003,830.30
तमिलनाडु	एक्सडीआर	0.00	363,128.00	99,800.00
	आईएनआर	0.00	23,419,391.31	6,714,527.03
4054-आईएन टीएन आपातिक सुनामी पुनर्निर्माण परियोजना (टीएन)	एक्सडीआर	0.00	283,728.00	0.00
	आईएनआर	0.00	18,298,608.36	0.00
4103-आईएन टीएन अधिकारिता और गरीबी उन्मूलन वाजन्दू कटभोम परियोजना	एक्सडीआर	0.00	79,400.00	0.00
	आईएनआर	0.00	5,120,782.95	0.00
4255-आईएन तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण और जल निकायों का संग्रहण एवं प्रबंधन	एक्सडीआर	0.00	0.00	99,800.00
	आईएनआर	0.00	0.00	6,714,527.03

विवरण-II

अनुबंध-IV

2004-05 से 2006-07 से बैंक टू बैंक अनुदान का अनुमोदन

(राशि हजार में)

दाता/राज्य/परियोजना	ऋण करेंसी	बैंक टू बैंक अनुदान का अनुमोदन		
		2004-2005	2005-2006	2006-2007
1	2	3	4	5
एडीबी	**यूएसडी**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**
	आईएनआर	**0.00**	**4,424,366.30**	**0.00**
बहुराज्य	यूएसडी	0.00	100,000.00	0.00
	आईएनआर	0.00	4,424,366.30	0.00
0005-आईएनडी एशियाई सुनामी कोष अनुदान	यूएसडी	0.00	100,000.00	0.00
	आईएनआर	0.00	4,424,366.30	0.00
आईबीआरडी	**यूएसडी**	**0.00**	**1,304.47**	**597.00**
	आईएनआर	**0.00**	**57,714.62**	**27,179.15**
आंध्र प्रदेश	यूएसडी	0.00	0.00	430.00
	आईएनआर	0.00	0.00	19,576.27
टीएफ-056829 आंध्र प्रदेश में सरकारी वित्तीय प्रबंधन	यूएसडी	0.00	0.00	430.00
	आईएनआर	0.00	0.00	19,576.27
उड़ीसा	यूएसडी	0.00	1,304.47	0.00
	आईएनआर	0.00	57,714.62	0.00
टीएफ-055552 विकास पहल हेतु उड़ीसा कोष के लिए जापान एसडीएफ अनुदान	यूएसडी	0.00	1,304.47	0.00
	आईएनआर	0.00	57,714.62	0.00

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	यूएसडी	0.00	0.00	167.00
	आईएनआर	0.00	0.00	7,602.88
टीएफ-056882 उत्तर प्रदेश के लिए वित्त विभाग का क्षमता निर्माण	यूएसडी	0.00	0.00	167.00
	आईएनआर	0.00	0.00	7,602.88
आईडीए	यूएसडी	0.00	0.00	3,653.78
	आईएनआर	0.0	0.00	166,342.61
आंध्र प्रदेश	यूएसडी	0.00	0.00	1,641.98
	आईएनआर	0.00	0.00	74,752.99
टीएफ-57800 आंध्र प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई परियोजना	यूएसडी	0.00	0.00	680.00
	आईएनआर	0.00	0.00	30,957.82
टीएफ-057811 आंध्र प्रदेश सूखा पहल परियोजना (एपीडीआई)	यूएसडी	0.00	0.00	961.98
	आईएनआर	0.00	0.00	43,795.17
बिहार	यूएसडी	0.00	0.00	1,261.80
	आईएनआर	0.00	0.00	57,444.97
57619-आईएन बिहार सरकारी व्यय प्रबंधन क्षमता निर्माण	यूएसडी	0.00	0.00	250.00
	आईएनआर	0.00	0.00	11,381.55
टीएफ-056584 बिहार ग्रामीण जीवनयापन परियोजना तैयार करना	यूएसडी	0.00	0.00	535.00
	आईएनआर	0.00	0.00	24,356.52
टीएफ-057071 बिहार बाढ़ प्रबंधन इनफो प्रणाली	यूएसडी	0.00	0.00	476.80
	आईएनआर	0.00	0.00	21,706.90

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल	यूएसडी	0.00	0.00	750.00
	आईएनआर	0.00	0.00	34,144.66
टीएफ-57825-आईएन डीएफआईडी के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में विद्युत विभाग का क्षमता निर्माण	यूएसडी	0.00	0.00	750.00
	आईएनआर	0.00	0.00	34,144.66

विवरण-III

विदेशी ऋणों की सामान्य शर्तें

31.1.2007 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	देश/संस्था	मुद्रा	ऋण का प्रकार	छूट की अवधि (वर्षों में)	छूट अवधि के पश्चात् वापसी की अवधि (वर्षों में)	ब्याज की की (प्रतिशत)	वचनबद्धता प्रभार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	बहुपक्षीय							
1.	एडीबी	अम.डालर	बैंक भाग	3 से 5	12 से 20	परिवर्तनीय*	0.75	**
2.	आईबीआरडी	अम.डालर	बैंक भाग	5	15	परिवर्तनीय*	0.75	***
3.	आईडीए	एसडीआर	रियायती	10	25	0.75	0.3	****
4.	आईएफएडी	एसडीआर	रियायती	10	40	0.75		ब्याज कालम के तहत दिखाई गई 0.75% अदायगी सेवा प्रभार मानी जाए।
5.	ओपेक	अम.डालर	रियायती	5	12	3		
	द्विपक्षीय							
1.	ईईसी (एसएसी)	यूकेपौंड	रियायती	10	40	0.75		
2.	फ्रांस	यूरो	मिश्रित	5	17	2.8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	जर्मनी	यूरो	सरकारी भाग	10	30	0.75	0.25	
4.	जर्मनी	यूरो	बैंक भाग	2	10	5.07 से 6.79	0.25	
5.	जापान	येन	रियायती	10	30	1.3		प्रत्येक ऋण करार में दर्शाए गए निर्धारित दर पर ब्याज लगाया जाता है।
6.	रूसी फेडरेशन	अम.डालर	रियायती	6	14	4		
7.	स्विटजरलैंड	स्विस फ्रांक	निर्यात क्रेडिट	3	8.5	परिवर्तनीय		देय ब्याज स्विस निर्यात आधार दर पर 0.5 प्रतिशत जमा वार्षिक निर्यात जोखिम गारंटी। देय ब्याज उपयोग की अवधि के साथ 4% से 8.38% में रहता है।
8.	यूएसए	अम.डालर	रियायती	10	30	2.5		

टिप्पणी:

*प्रत्येक छिमाही में ब्याज दर परिवर्तनीय है।

**ब्याज दर लिबोर+उनकी संबंधित मुद्राओं में उधार की औसत लागत आधारित 0.40%। अवितरित राशि पर 0.75% वचनबद्धता प्रभार परियोजना ऋणों के संबंध में ग्रेड आधार पर लगाया जाता है। कार्यक्रम ऋणों के लिए यह कुल ऋण राशि पर लगता है।

*** (i) अमरीकी डालर परिवर्तनीय एकल मुद्रा

ब्याज दर 6 मास की लिबोर दर के आधार पर जमा परिवर्तनीय अंतराल पर निर्धारित किया जाता है।

15.2.2007 से 14.8.2007 तक ब्याज अदायगी की दर इस प्रकार है:-

— जहां पर वार्ता के लिए 31.7.1998 से पहले पत्र जारी किया गया -5.54% (0.14 बिन्दुओं के अन्तराल के साथ)।

— जब वार्ता के लिए पत्र 31.7.1998 अथवा बाद में जारी किया गया -5.78 प्रतिवर्ष (0.38 आधार बिन्दुओं के साथ परिवर्तनीय)

शीघ्र अदायगी के लिए ब्याज समाप्त करने की अधिसूचना बैंक द्वारा जारी की जाती है वर्ष 2007 के लिए लागू वेवर इस प्रकार है:

— ऋण जिनकी वार्ता के लिए निमंत्रण 31.7.1998 से पूर्व जारी किया गया था -0.05%

— ऋण जिनकी वार्ता के लिए निमंत्रण 31.7.1998 से पश्चात् जारी किया गया -0.25%

(ii) अवितरित ऋण पर 0.75% वचनबद्धता प्रभार देय है, जुलाई, 91 से बैंक 0.50 प्रतिशत हटाने को अधिसूचित करते रहे है।

**** (i) 1998 तक अंतिम रूप दिए क्रेडिटों के संबंध में 10 वर्ष की छूट अवधि सहित वापसी की अवधि 50 वर्ष थी। आईडीए क्रेडिट पर 10 वर्ष की छूट अवधि के साथ 25 वर्ष में वापसी करनी होती है।

(ii) वचनबद्धता प्रभार 1.7.2006 से 0.20% पर देय है।

(iii) कालम के तहत दर्शाया गया 0.75% सेवा प्रभार है।

विवरण-IV

2004-2005 से 2006-2007 तक सरकारी ऋण का राज्य-वार उपयोग

अनुबंध-I

(राशि हजारों में)

दाता/राज्य	ऋण मुद्रा	सरकारी ऋण का अनुमोदन		
		2004-2005	2005-2006	2006-2007
1	2	3	4	5
एशियाई विकास बैंक	**यूएसडी**	**414,978.01**	**479,061.68**	**829,989.24**
	आईएनआर	**18,454,958.74**	**21,280,402.00**	**37,208,315.24**
असम	यूएसडी	45,000.00	107,844.51	17,313.69
	आईएनआर	1,984,500.00	4,764,354.03	785,901.32
छत्तीसगढ़	यूएसडी	0.00	0.00	7,105.50
	आईएनआर	0.00	0.00	316,738.81
केन्द्र सरकार	यूएसडी	46,827.50	99,676.54	466,773.66
	आईएनआर	2,087,264.95	4,390,377.78	20,832,067.79
दिल्ली	यूएसडी	0.00	0.00	12,901.07
	आईएनआर	0.00	0.00	578,903.93
गुजरात	यूएसडी	87,813.58	105,107.70	20,149.47
	आईएनआर	3,943,151.93	4,685,017.72	912,519.26
जम्मू और कश्मीर	यूएसडी	0.00	2,530.00	6,950.20
	आईएनआर	0.00	116,284.50	311,325.65
कर्नाटक	यूएसडी	36,623.87	29,836.03	20,747.07
	आईएनआर	1,665,485.08	1,339,467.52	940,361.70

1	2	3	4	5
केरल	यूएसडी	100,000.00	0.00	0.00
	आईएनआर	4,352,000.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	यूएसडी	40,959.99	66,739.53	83,252.77
	आईएनआर	1,828,801.88	2,968,522.75	3,755,549.81
बहुराज्य	यूएसडी	0.00	10,622.09	167,456.67
	आईएनआर	0.00	482,234.29	7,547,379.43
राजस्थान	यूएसडी	49,686.58	41,985.36	856.60
	आईएनआर	2,232,716.83	1,877,215.28	38,517.45
तमिलनाडु	यूएसडी	0.00	0.00	0.00
	आईएनआर	0.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	यूएसडी	8,066.50	14,719.91	26,482.53
	आईएनआर	361,038.09	656,928.11	1,189,050.70
आईबीआरडी	यूएसडी	729,540.39	709,407.29	618,223.62
	आईएनआर	32,599,661.63	31,365,154.91	27,985,474.68
आंध्र प्रदेश	यूएसडी	47,737.55	15,335.63	13,951.11
	आईएनआर	2,164,111.42	676,074.76	642.927.08
केन्द्र सरकार	यूएसडी	297,281.73	329,918.63	262,556.06
	आईएनआर	13,325,072.90	14,543,502.37	11,870,680.14
दिल्ली	यूएसडी	111.35	220.65	0.00
	आईएनआर	4,988.68	9,685.68	0.00
गुजरात	यूएसडी	53,537.27	54,410.92	29,077.58
	आईएनआर	23,381,317.97	2,404,736.96	1,314,099.24

1	2	3	4	5
हरियाणा	यूएसडी	0.00	668.45	0.00
	आईएनआर	0.00	293,011.70	0.00
हिमाचल प्रदेश	यूएसडी	0.00	200.00	680.52
	आईएनआर	0.00	8,866.00	30,066.58
कर्नाटक	यूएसडी	77,614.15	104,779.89	100,709.72
	आईएनआर	3,460,851.31	4,634,283.29	4,552,509.63
केरल	यूएसडी	37,107.42	33,522.12	32,039.10
	आईएनआर	1,659,672.28	1,483,823.82	1,452,797.67
महाराष्ट्र	यूएसडी	4,276.17	62.595.00	24,883.71
	आईएनआर	181,115.09	2,786,802.93	1,116,750.71
मध्य प्रदेश	यूएसडी	21,970.10	465.70	7,773.29
	आईएनआर	960,808.59	20,808.65	347,294.63
बहुराज्य	यूएसडी	37,526.55	5,874.68	0.00
	आईएनआर	1,685,152.85	258,215.83	0.00
उड़ीसा	यूएसडी	75,333.39	0.00	0.00
	आईएनआर	3,326,740.90	0.00	0.00
पंजाब	यूएसडी	400.00	288.18	361.95
	आईएनआर	17,504.00	12,941.22	16,326.59
राजस्थान	यूएसडी	18,248.64	30,482.93	26,553.05
	आईएनआर	821,026.49	1,355,739.61	1,218,002.85
तमिलनाडु	यूएसडी	12,998.23	31,328.56	36,931.51
	आईएनआर	567,141.85	1,391,440.85	1,671,962.00
उत्तर प्रदेश	यूएसडी	45,397.83	39,315.95	82,706.04
	आईएनआर	2,044,107.80	1,748,921.24	3,752,057.58

1	2	3	4	5
आईडीए	**यूएसडी**	**0.00**	**160.66**	**837.75**
	आईएनआर	**0.00**	**7,048.96**	**37,809.73**
केन्द्र सरकार	यूएसडी	0.00	0.00	837.75
	आईएनआर	0.00	0.00	37,809.73
आईडीए	**एक्सडीआर**	**680,176.74**	**753,747.04**	**545,072.65**
	आईएनआर	**45,688,398.16**	**50,837,077.81**	**36,877,211.47**
आंध्र प्रदेश	एक्सडीआर	60,019.04	79,437.42	49,124.18
	आईएनआर	4,018,201.26	5,120,321.96	3,300,937.20
असम	एक्सडीआर	14,194.25	447.38	2,438.80
	आईएनआर	955,518.84	28,739.42	162,193.31
छत्तीसगढ़	एक्सडीआर	34.28	4,432.58	9,354.26
	आईएनआर	2,270.68	285,920.24	635,100.21
केन्द्र सरकार	एक्सडीआर	303,239.06	406,716.04	209,128.35
	आईएनआर	20,386,774.23	25,934,558.91	14,272,141.71
गुजरात	एक्सडीआर	41,334.87	38,915.06	17,223.89
	आईएनआर	2,776,140.32	2,509,905.95	1,155,959.07
हिमाचल प्रदेश	एक्सडीआर	0.00	3,489.70	2,050.15
	आईएनआर	0.00	221,500.00	138,453.42
कर्नाटक	एक्सडीआर	29,496.73	50,395.60	36,085.59
	आईएनआर	1,977,290.29	3,237639.95	2,424,360.65
केरल	एक्सडीआर	9,547.71	9,425.96	8,259.51
	आईएनआर	642,412.99	605,762.45	559309.17
महाराष्ट्र	एक्सडीआर	18,524.17	20,217.54	59,342.21
	आईएनआर	1,244,795.03	1,298,204.40	4,001,654.12

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	एक्सडीआर	12,996.31	23,269.83	12,588.78
	आईएनआर	875,649.42	1,499,305.79	843,125.74
बहुराज्य	एक्सडीआर	26,076.47	55,075.45	69,053.95
	आईएनआर	1,748,875.42	3,534,638.39	4,655,658.74
मिजोरम	एक्सडीआर	8,584.98	6,871.70	7,941.28
	आईएनआर	575,167.52	442,952.52	527,841.46
उड़ीसा	एक्सडीआर	61,751.50	6,924.49	6,519.83
	आईएनआर	4,149,376.78	440,417.50	450,654.12
राजस्थान	एक्सडीआर	35,928.96	42,955.15	36,392.23
	आईएनआर	2,407,581.98	2,767,033.68	2,439,392.30
तमिलनाडु	एक्सडीआर	10,767.13	223.04	2,897.31
	आईएनआर	717,357.90	14,782.62	191,416.31
उत्तर प्रदेश	एक्सडीआर	45,056.30	44,304.89	13,717.68
	आईएनआर	3,036,185.51	2,854,909.31	921,755.36
उत्तरांचल	एक्सडीआर	2,624.40	1,091.28	2,954.68
	आईएनआर	174,800.00	70,049.98	197,258.59

विवरण-IV

अनुबंध-II

2004-2005 से 2006-2007 तक सरकारी अनुदान का राज्यवार उपयोग

(हजारों में राशि)

दातावार/राज्यवार	ऋण मुद्रा	उपयोग		
		2004-2005	2005-2006	2006-2007
1	2	3	4	5
आईबीआरडी	यूएसडी	1,140.23	1,464.01	984.86
	आईएनआर	43,690.43	64,727.89	44,695.46

1	2	3	4	5
केन्द्र सरकार	यूएसडी	302.19	655.86	918.42
	आईएनआर	13,377.12	28,806.89	41,603.61
कर्नाटक	यूएसडी	0.00	100.00	0.00
	आईएनआर	0.00	4,437.00	0.00
महाराष्ट्र	यूएसडी	508.67	385.75	23.11
	आईएनआर	15,836.01	17,371.16	1,031.17
उत्तरांचल	यूएसडी	329.42	322.40	43.33
	आईएनआर	14,477.30	14,112.84	2,060.68
आईडीए	यूएसडी	5,902.96	2,356.62	3,084.91
	आईएनआर	265,748.96	103,624.52	138,534.35
केन्द्र सरकार	यूएसडी	0.00	337.91	321.24
	आईएनआर	0.00	14,858.30	14,665.66
गुजरात	यूएसडी	4,932.42	1,219.04	2,049.89
	आईएनआर	222,001.64	53,526.24	91,835.02
झारखंड	यूएसडी	100.00	43.64	-100.00
	आईएनआर	4,640.00	1,918.20	-4,599.00
कर्नाटक	यूएसडी	496.38	-1139	0.00
	आईएनआर	22,231.05	-495.86	0.00
मध्य प्रदेश	यूएसडी	0.00	300.43	132.55
	आईएनआर	0.00	13,122.95	5,998.82
बहुराज्य	यूएसडी	0.00	100.00	96.50
	आईएनआर	0.00	4,368.00	4,273.99

1	2	3	4	5
पंजाब	यूएसडी	0.00	120.09	324.46
	आईएनआर	0.00	5,236.28	14,681.00
तमिलनाडु	यूएसडी	373.26	246.90	260.28
	आईएनआर	16,876.26	11,090.41	11,678.87

विवरण-IV

अनुबंध-III

2004-2005 से 2006-2007 तक बैंक टू बैंक ऋण का राज्य उपयोग

(राशि हजारों में)

दातावार/राज्यवार	ऋण मुद्रा	बैंक टू बैंक ऋण का उपयोग		
		2004-2005	2005-2006	2006-2007
1	2	3	4	5
एशियाई विकास बैंक (एडीबी)	**यूएसडी**	**0.00**	**448.18**	**3,339.54**
	आईएनआर	**0.00**	**19,888.53**	**150,671.07**
एमएस बहुराज्य	यूएसडी	0.00	448.18	3,339.54
	आईएनआर	0.00	19,888.53	150,671.07
आईबीआरडी	**यूएसडी**	**0.00**	**48,553.34**	**251,106.68**
	आईएनआर	**0.00**	**2,196,851.52**	**11,209,994.19**
आंध्र प्रदेश	यूएसडी	0.00	0.00	100,000.00
	आईएनआर	0.00	0.00	4,414,000.00
गुजरात	यूएसडी	0.00	0.00	171.07
	आईएनआर	0.00	0.00	7,908.41
कर्नाटक	यूएसडी	0.00	440.40	17,303.93
	आईएनआर	0.00	19,349.00	788,346.21

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	यूएसडी	0.00	31,788.25	665.81
	आईएनआर	0.00	1,432,058.77	30,181.51
बहुराज्य	यूएसडी	0.00	0.00	10,936.92
	आईएनआर	0.00	0.00	487,915.18
उड़ीसा	यूएसडी	0.00	0.00	100,508.89
	आईएनआर	0.00	0.00	4,510,006.40
	आईएनआर	0.00	0.00	22,601.40
तमिलनाडु	यूएसडी	0.00	16,324.69	21,520.07
	आईएनआर	0.00	745,443.75	971,636.49
आईडीए	**यूएसडी**	**0.00**	**0.00**	**100.00**
	आईएनआर	**0.00**	**0.00**	**4,642.00**
बिहार	यूएसडी	0.00	0.00	100.00
	आईएनआर	0.00	0.00	4,642.00
आईडीए	**एक्सडीआर**	**0.00**	**40,438.87**	**89,606.43**
	आईएनआर	**0.00**	**2,625,272.71**	**5,994,360.98**
आंध्र प्रदेश	एक्सडीआर	0.00	0.00	33,840.00
	आईएनआर	0.00	0.00	2,261,073.94
कर्नाटक	एक्सडीआर	0.00	0.00	17,049.68
	आईएनआर	0.00	0.00	1,123,413.48
उड़ीसा	एक्सडीआर	0.00	0.00	33,650.00
	आईएनआर	0.00	0.00	2,268,908.05

1	2	3	4	5
पाण्डिचेरी	एक्सडीआर	0.00	2,776.04	774.72
	आईएनआर	0.00	180,440.00	52,722.50
तमिलनाडु	एक्सडीआर	0.00	37,662.83	4,292.03
	आईएनआर	0.00	2,444,832.71	288,243.01

विवरण-IV

अनुबंध-IV

2004-2005 से 2006-2007 तक बैंक टू बैंक अनुदान का उपयोग

(राशि हजारों में)

दाता/राज्य/ऋण	ऋण मुद्रा	बैक टू बैक अनुदान का उपयोग		
		2004-2005	2005-2006	2006-2007
1	2	3	4	5
एशियाई विकास बैंक (एडीबी)	**यूएसडी**	**0.00**	**236.23**	**23,765.96**
	आईएनआर	**0.00**	**10,499.30**	**1,069,224.75**
एमएस बहुराज्य	यूएसडी	0.00	236.23	23,765.96
	आईएनआर	0.00	10,499.30	1,069,224.75
	आईएनआर	0.00	0.00	17,006.62
एपी आंध्र प्रदेश	यूएसडी	0.00	0.00	100.00
	आईएनआर	0.00	0.00	4,487.00
ओआर उड़ीसा	यूएसडी	0.00	0.00	231.28
	आईएनआर	0.00	0.00	10,322.12
यूपी उत्तर प्रदेश	यूएसडी	0.00	0.00	50.00
	आईएनआर	0.00	0.00	2,197.50

1	2	3	4	5
आईडीए	यूएसडी	0.00	0.00	250.00
	आईएनआर	0.00	0.00	11,287.50
एपी आंध्र प्रदेश	यूएसडी	0.00	0.00	100.00
	आईएनआर	0.00	0.00	4,428.00
बीआई बिहार	यूएसडी	0.00	0.00	150.00
	आईएनआर	0.00	0.00	6,859.50

[हिन्दी]

मुद्रास्फीति

2689. श्री सूरज सिंह :
डा. चिन्ता मोहन :
श्री अधीर चौधरी :
श्री निखिल कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 2007 से मुद्रास्फीति की दर में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत वर्ष के दौरान सरकार ने इसके उच्चतर स्तर से मुद्रा की आपूर्ति को कम किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश के बाहर से विदेशी मुद्रा भंडार की आवक मुद्रा आपूर्ति के कारण मुद्रास्फीति पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) मुद्रास्फीति की दर को रोकने के लिए सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां। थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार मापित वर्षानुवर्ष मासिक मुद्रास्फीति अप्रैल, 2007 के 6.3 प्रतिशत से गिरकर जुलाई, 2007 में 4.4 प्रतिशत हो गई और 11 अगस्त, 2007 को समाप्त सप्ताह में बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति 4.1 प्रतिशत थी।

(ख) और (ग) "जनता के पास उपलब्ध मुद्रा" की वृद्धि में गिरावट हुई है। "जनता के पास उपलब्ध मुद्रा" में 31 मार्च, 2007 के स्तर से 3 अगस्त, 2007 तक हुई वृद्धि 1.5 प्रतिशत (7229 करोड़ रुपये) थी जबकि गत वर्ष की तद्नुरूप अवधि के दौरान5.3 प्रतिशत (21,700 करोड़ रुपये) की वृद्धि हुई थी।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक की विनिमय दर नीति लोचशीलता के साथ और किसी नियत या पूर्व घोषित लक्ष्य या सीमा के बिना विनिमय दरों की सजग मानीटरिंग और प्रबंधन तथा आवश्यकता पड़ने पर दखल कार्रवाई करने के सामर्थ्य के मुख्य सिद्धांतों से संचालित होती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की खरीद के जरिए की गई दखल कार्रवाई अर्थ-तंत्र में रुपया निधियों का समावेश कर सकती है जिसका नकदी की स्थिति एवं मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसका समाधान अवरुद्धता जैसी मौद्रिक लिखतों और नीतिगत दरों में परिवर्तन, जो नकदी को विनियमित करते हैं, के जरिए किया जाता है।

(च) सरकार मुद्रास्फीति को काबू में रखने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति संबंधी उपायों के अलावा, सरकार की मुद्रास्फीति-रोधी नीतियों में ये शामिल हैं- आवश्यक वस्तुओं के उत्पाद एवं आयात शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने जैसे उपयुक्त राजकोषीय उपाय, टैरिफ और व्यापार नीतियों के जरिए आवश्यक वस्तुओं का कारगर मांग-आपूर्ति प्रबंधन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना।

राष्ट्रीय विज्ञान नीति

2690. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) भारत सरकार नें वर्ष 2003 में एक नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति (एस.टी.पी.-2003) घोषित की है जो वर्ष 1958 के वैज्ञानिक नीति संकल्प (एस.पी.आर.-1958) और वर्ष 1993 के प्रौद्योगिकी नीति विवरण (टी.पी.एस.-1983) की सम्पूरक है।

एस.टी.पी. — 2003 के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

— यह सूनिश्चित करना कि विज्ञान का संदेश भारत के प्रत्येक नागरिक, पुरूष और महिला, युवा और और वृद्ध तक पहुंचे ताकि हम वैज्ञानिक प्रकृति विकसित कर सकें तथा प्रगतिशील और प्रबुद्ध समाज के रूप में उभर सकें।

— लोगों की खाद्य, कृषि, पोषण, पर्यावरण, जल, स्वास्थ्य और ऊर्जा संबंधी सुरक्षा सतत आधार पर सुनिश्चित करना।

— ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी उपशमन, जीविकोपार्जन सुरक्षा में वृद्धि, भूख और कुपोषण को दूर करना, बेगारी और क्षेत्रीय असन्तुलन में कमी तथा हमारे पारम्परिक ज्ञान भण्डार के साथ-साथ वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्षमताओं का प्रयोग करते हुए रोजगार सृजन।

— विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक, वैज्ञानिक और इंजीनियरी संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान को भरपूर बढ़ावा देना; तथा अत्यंत मेधावी युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कैरियर अपनाने के लिए आकर्षित करना।

— विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी कार्यकलापों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तथा उनकी पूर्ण और समान भागीदारी सुनिश्चित करना।

— सभी शैक्षिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के लिए आवश्यक स्वायत्तता और कार्य संचालन की स्वतंत्रता प्रदान करना।

— भारत की सभ्यता के दीर्घ अनुभव से प्राप्त व्यापक ज्ञान को सुरक्षित करने, संरक्षित करने, मूल्यांकन करने, अद्यतन करने, उनका मूल्य-संवर्धन करने और इस विस्तृत ज्ञान का उपयोग करने के लिए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पूर्ण क्षमता का उपयोग करना।

— विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकासों का उपयोग कर राष्ट्रीय सामरिक और सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों को पूरा करना।

— विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निजी और सार्वजनिक संस्थानों के बीच घनिष्ठ और उपयोगी अन्तः क्रिया को विशेष रूप से बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था और समाज के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुसंधान और नव्यशीलन को बढ़ावा देना।

— सक्षम तंत्रों को पर्याप्त सशक्त बनाना जो प्रौद्योगिकी विकास, मूल्यांकन, विलयन और संकल्पना से उपयोग में उन्नयन से संबंधित हैं।

— बौद्धिक संपदा अधिकार (आई.पी.आर.) व्यवस्था स्थापित करना जो सभी प्रकार के आविष्कारकों द्वारा बौद्धिक संपदा के निर्माण और सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन प्रदान करती है।

— प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ों, चक्रवातों, भूकंपों, सूखा और भूस्खलनों के पूर्वानुमान, रोकथाम और प्रशमन के लिए अनुसंधान और अनुप्रयोग को बढ़ावा देना।

— राष्ट्रीय विकास और सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देना और इसे हमारे अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का मुख्य तत्व बनाना।

— अन्य विषयों से पूरी जानकारी के साथ वैज्ञानिक जानकारी का एकीकरण करना, तथा राष्ट्रीय प्रशासन में वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना ताकि वैज्ञानिक अन्वेषण की भावना और पद्धतियां लोक नीति निर्माण के सभी क्षेत्रों में गहन रूप से व्याप्त हो सकें।

[अनुवाद]

सरल फार्मों को वापस लिया जाना

2691. डा. टोकचोम मैन्या :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ''सरल'' फार्मों (आई.टी.आर.) को वापस लिए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने आई.टी.आर. फार्मों में बदलाव लाने से पहले लोगों से फीडबैक लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) पूर्व 'सरल' प्रपत्र इस मिथ्या धारणा के आधार पर बनाया गया था कि करदाता कुल आय की संगणना एवं उस पर कर देयता से संबंधित विभिन्न चरणों से पूरी तरह परिचित था। इन प्रपत्रों में न तो आय की संगणना करने के चरण ही विहित थे और न ही उनमें करदाता की दर देयता की संगणना करने के लिए किसी भी प्रकार के दिशानिर्देश/सहायता ही उपलब्ध थी। इसलिए करदाता को आवश्यक रूप से प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों के संबंध में स्वयं की समझ के आधार पर एक पृथक शीट में संगणना करनी होती थी। दूसरी ओर, करदाता को प्रपत्र भरने के लिए विशेषज्ञ की राय लेने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सूचनाओं को भरने के लिए नियत स्थान भी काफी कम था। पूर्व सरल प्रपत्र में कई पृष्ठों की पृथक संगणना शीट, स्रोत पर कर की कटौती प्रमाण-पत्र, लेखा विवरण एवं अन्य दस्तावेत आवश्यक रूप से संलग्न करने पड़ते थे। प्रभावी रूप से प्रपत्र एक पृष्ठ का प्रपत्र नहीं रह गया एवं परिणामत: यह इलेक्ट्रानिक रूप से दायर की जाने वाली विवरणियों के अनुरूप नहीं था। इसलिए पूर्व में प्रचलित 'सरल' प्रपत्र को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

(ख) जी, हां। नई आयकर विवरणी प्रपत्र के मसौदे को जनता के समक्ष दिनांक 29.4.2007 को लाया गया था। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की टिप्पणियां भी आमंत्रित की गई थी।

(ग) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की टिप्पणियों/सुझावों की जांच की गई एवं इन्हें समुचित रूप से नए प्रपत्रों में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, कर निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए नए विवरणी प्रपत्रों को भी बनाया गया है, जिनमें वित्त संबंधी संसदीय स्थाई समिति की सिफारिशों को शामिल किया गया है। आयकर विवरणी प्रपत्रों को अंतिम रूप से दिनांक 14.5.2007 को अधिसूचित किया गया था।

[हिन्दी]

ए.पी.डी.आर.पी.

2692. श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री बसुदेव आचार्य :
प्रो. प्रेम कुमार धूमल :
डा. अरूण कुमार शर्मा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मौजूदा त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) में संशोधन करने का है जैसा कि दिनांक 8 अगस्त, 2007 के ''द इकोनॉमिक टाइम्स'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) दिल्ली संस्करण के दिनांक 8 अगस्त, 2007 का इकोनोमिक टाइम्स पढ़ने के बाद, वर्तमान त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के संशोधन के बारे में इस प्रकार का कोई भी समाचार नहीं पाया गया है। त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम सुधारों को प्रोत्साहित करने और सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए.टी.एंड.सी.) हानियों में कमी, विद्युत की आपूर्ति की गुणवता में सुधार करने तथा उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 2002-03 में शुरू किया गया था। सरकार ने स्वतंत्र एजेन्सियों के माध्यम से कार्यक्रम का स्वतंत्र मूल्यांकन शुरू किया। 10वीं योजना के बाद एपीडीआरपी को जारी रखने की सिफारिश करते हुए, मूल्यांकनकर्त्ताओं ने कार्यक्रम में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ सुझाव दिए। यूटिलिटियों और योजना आयोग ने भी कार्यक्रम में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए थे। इस पर विचार करते हुए, विद्युत मंत्रालय ने एपीडीआरपी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न एजेन्सियों द्वारा किए गए वर्तमान प्रयासों/सुझावों के मूल्यांकन तथा विश्लेषण और कार्यक्रम के पुनर्गठन के सुझाव हेतु श्री पी. अब्राहम, पूर्व सचिव, भारत सरकार द्वारा अध्यक्षित एक टास्क फोर्स का गठन किया था। एपीडीआरपी के कार्यान्वयन पर विभिन्न पणधारियों की शिकायतों/सुझावों को ध्यान में रखते हुए, कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संशोधित शर्तों एवं निबंधनों के साथ जारी रखा जाना प्रस्तावित है।

[अनुवाद]

भारतीय बाजार में वित्तीय बाधा

2693. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हीरे और जवाहरात पर कर ढांचे संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने रत्नों और आभूषण के क्षेत्र में संभावनाओं तथा भारत एवं विदेशों में मौजूद कराधान के मौजूदा कराधान संव्यवहारों की जांच-पड़ताल करने और इस क्षेत्र के लिए भारत को एक केन्द्र बनाने में समर्थ बनाने के लिए इस क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के संबंध में समुचित सिफारिशें करने के लिए दिनांक 31 मार्च, 2006 को एक विशेषज्ञ निकाय का गठन किया था।

(ग) जी, हां।

(घ)(i) कटे हुए और पालिश किये गये हीरों पर मूलभूत सीमा शुल्क को कम करके 5% से "शून्य" कर दिया गया है।

(ii) बिना तराशे सिथेंटिक रत्नों पर मूलभूत सीमा शुल्क को कम करके 12.5% से 5% कर दिया गया है।

(iii) आमतौर पर कारखानागत माल अर्थात् सिथेंटिक पत्थरों की कटाई और पालिश करने और प्रसंस्करण के लिए मशीनरी सहित, पर मूलभूत सीमा शुल्क को कम करके 12.5% से 7.5% कर दिया गया है।

(iv) सरकार ने हीरे के विनिर्माण और व्यापार में लगे निर्धारितियों जिन्होंने ऐसे कार्यकलापों के कारोबार से लाभों की एक विनिर्दिष्ट प्रतिशतता की घोषणा की है, के लिए एक हल्की फुल्की निर्धारण प्रक्रिया को आरंभ करने का निर्माण लिया है।

(v) भारतीय रिजर्व बैंक ने ए.पी. (डी.आई.आर. श्रृंखला) परिपत्र सं. 34, दिनांक 2.3.2007 के तहत भारत में निम्नलिखित कंपनियों अर्थात डायमंड ट्रेडिंग कंपनी प्रा. लि., यू.के., रियो टिन्टों, यू.के., वी.एच.पी. बिलियन, आस्ट्रेलिया, एन्डीयामा, ई.पी. अंगोला, अलरोसा, रूस और गोखरन, रूस से बिना तराशे हीरों के आयात के लिए अग्रिम प्रेषणों की अनुमति दी है।

(vi) सरकार इस समय प्रस्तावित राष्ट्रीय रत्न एवं जवाहिरात परिषद के गठन पर विचार-विमर्श कर रही है।

एनआरईजीएस के अंतर्गत ठेकदारों और मशीनों का उपयोग

2694. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत ठेकेदारों और मशीनों का उपयोग निषिद्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि एनआरईजीएस के अंतर्गत ठेकेदारों और मशीनों का उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, को एनआरईजीए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। चूंकिः अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार देना है, अतः जहां तक व्यावहारिक हो, अधिनियम के अंतर्गत मशीनरी का प्रयोग निषिद्ध है। अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 11 के अंतर्गत, अधिनियम के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसी भी ठेकेदार को शामिल करना भी निषिद्ध है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सम्भाव्यता

2695. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने अपार सम्भाव्यता दर्शाई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान हासिल की गई वृद्धि का प्रतिशत कितनी है; और

(ग) जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र के और अधिक विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी हां, जैवप्रौद्योगिकी उद्योग का पिछले वर्ष (2005-2006) के 6,500.00 करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व में 30% की वृद्धि को पंजीकृत करते हुए वर्ष 2006-2007 में लगभग 8,500.00 करोड़ रुपये (2 बिलियन डालर से अधिक) तक पहुंचने का अनुमान है।

(ग) सरकार ने जैवप्रौद्योगिकी उद्योग का संवर्धन करने और जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र की कुल बिक्री में वृद्धि को सुकर बनाए जाने के लिए विशेष उपाय किए हैं।, नियामक क्रियाविधियों को कारगार बनाने; जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र को अनिवार्य अनुज्ञप्तियों से छूट दिलाने; 100% एफडीआई की अनुमति देने; एसईजेड के क्षेत्र को आईटी क्षेत्र के बराबर लाए जाने के लिए एसईजेड क्षेत्र में घटौती करने; पूंजीगत सामान पर सीमा शुल्क में छूट देने आयात शुल्क में कमी लाने और अनुसंधान एवं विकास पर उपगत व्यय के प्रति 150% भार को कम करने के संदर्भ में उद्योगों के मान्यताप्राप्त घरेलू अनुसंधान एवं विकास को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने जैसे औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किए जाने जैसी पहलें की गई हैं।

संयुक्त अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) और भेषज-विज्ञान अनुसंधान एवं विकास सहायता निधि (पीआरडीएसएफ) और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) के अंतर्गत नवीन सहस्राब्दी भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एनएमआईटीएलआई) के माध्यम से योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। जैवप्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को और अधिक गति देने के उद्देश्य से ''लघु व्यापार नवीन अनुसंधान पहल'' नाम की नई सार्वजनिक-निजी योजना को भी शुरू किया है जिससे अनुसंधान एवं विकास को सुदृढ़ बनाए जाने और उत्पाद विकास के लिए अवधारणा के साक्ष्यांकनपूर्व तथा अवधारणा के साक्ष्यांकन उपरांत अवस्था में भी लघु और मझौले जैवप्रौद्योगिकी उद्योगों को अनुदान तथा आसान ऋण उपलब्ध कराया जा सके।

विदेशी वाणिज्यिक उधार हेतु मानदंड

2696. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :**
श्री अधीर चौधरी :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री निखिल कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विदेशी वाणिज्यिक उधार के संबंध में मानदंडों को सख्त कर दिया है, जैसा कि दिनांक 8 अगस्त, 2007 के ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी पूंजी बाजार में घरेलू कंपनियों द्वारा जुटाई गई धनराशि में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके सरकार ने विदेशी वाणिज्यिक उधारों संबंधी दिशानिर्देशों की पुनरीक्षा की थी। उक्त पुनरीक्षा के आधार पर सरकार ने निम्नानुसार निर्णय लिया है :-

- स्वचालित माध्यम और अनुमोदन माध्यम दोनों के अंतर्गत ही विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के अनुमत्य अंतिम उपयोगों के लिए केवल विदेशी मुद्रा व्यय हेतु उधार लेने वाली प्रत्येक कंपनी को 20 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के ईसीबी की अनुमति दी जाएगी।
- अनुमत्य अंतिम उपयोगों के लिए रुपए में व्यय करने हेतु 20 मिलियन अमरीकी डालर तक के ईसीबी प्राप्त करने का प्रस्ताव करने वाले उधारकर्ताओं को अनुमोदन रूट के अंतर्गत रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन लेना आवश्यक होगा।
- स्वचालित रूट और अनुमोदन रूट दोनों के अंतर्गत ही एकीकृत टाउनशिप के विकास के लिए ईसीबी की प्राप्तियों के उपयोग को बंद कर दिया गया है।
- तीन से पांच वर्ष की औसत परिपक्वता अवधि वाले ईसीबी के लिए 6 महीनों के ''लिबोर'' की तुलना में समग्र-अंत:-लागत सीमाओं को अधोगामी संशोधन करके 200 बीपीएस से 150 बीपीएस किया गया है और पांच वर्ष से अधिक की औसत परिपक्वता अवधि वाले ईसीबी के लिए 5 महीने के लिबोर की तुलना में इसे 350 बीपीएस से कम करके 250 बीपीएस किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। देशी कंपनियां विदेशी पूंजी बाजार में ईसीबी के माध्यम से अथवा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी) के माध्यम से या वैश्विक निक्षेपगारी प्राप्तियों (जीडीआर)

के माध्यम से और अमरीकी निक्षेपगारी प्राप्तियों (एडीआर) के माध्यम से निधियां जुटा सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुहैया करायी गयी सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त स्त्रोतों के माध्यम से भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी से जुटायी गयी धनराशि नीचे दी गयी है:

(राशि मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	ईसीबी/एफसीसीबी	एडीआर/जीडीआर
2004-05	9.084	613
2005-06	14547	2,552
2006-07	20.639	3,776

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके सरकार द्वारा ईसीबी/एफसीसीबी और एडीआर/जीडीआर संबंधी नीतियों की अनवरत पुनरीक्षा की जाती है।

जिला नियोजन गारंटी परिषदों का सृजन

2697. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री स्वदेश चक्रवर्ती :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के क्रियान्वयन की बेहतर निगरानी के लिए क्रमश: राज्य तथा जिला स्तर पर राज्य नियोजन गारंटी परिषदें तथा जिला नियोजन गारंटी परिषदें स्थापित किये जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार एनआरईजीएस के कार्यान्वयन में समस्याओं को दूर करने के लिए एक तकनीकी सचिवालय की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी कब तक स्थापना हो जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 12(1) में राज्य स्तर पर अधिनियम के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और समीक्षा के प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य द्वारा राज्य रोजगार गारंटी परिषद के गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत जिला रोजगार गारंटी परिषद के गठन का प्रावधान नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद नियमावली, 2006 के नियम 11 में केन्द्र सरकार द्वारा तकनीकी सचिवालय की स्थापना का प्रावधान है ताकि केन्द्रीय परिषद और कार्यकारी समिति को संभार-तंत्रीय तकनीकी सहायता देकर उनके कर्त्तव्यों और कार्यों के सम्पादन में मदद दी जा सके। तकनीकी सचिवालय कोई स्थानी निकाय नहीं है और जरूरत पड़ने पर केन्द्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना की जा सकती है।

मेकेडाटली विद्युत परियोजना

2698. श्री एम शिवन्ना : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक की सीमा पर मेकेडाटली में एक जल विद्युत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) मेकादातू जल विद्युत परियोजना (360 मेगावाट) के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) में उनकी टिप्पणियों हेतु अक्तूबर, 1996 में प्राप्त हुई थी। परियोजना में तमिलनाडु के साथ अंतर्राज्यीय पहलू निहित है और कावेरी जल के बंटवारे का मामला कावेरी जल विवाद अधिकरण के समक्ष निर्णयाधीन है।

(ग) कर्नाटक सरकार ने अब सूचित किया है कि चूंकि मेकादातू परियोजना विशेषत: कर्नाटक क्षेत्र में है इसलिए राज्य परियोजना का कार्यान्वयन कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि. (केपीसीएल) के जरिए प्रस्तावित करता है। कर्नाटक सरकार ने आगे सूचित किया है कि केपीसीएल कावेरी जल विवाद अधिकरण के आदेश पर डाउनस्ट्रीम रिलीज के पैटर्न के अनुसार सर्वेक्षण, भू-तकनीकी जांच, मृदा जांच और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी जैसे प्रारंभिक कार्य पहले ही आरंभ कर चुका है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निवेश की ऊपरि सीमा

2699. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए संयुक्त उद्यम बनाने हेतु निवेश की 1000 करोड़ रुपये की विद्यमान उपरि सीमा को समाप्त करने के एक प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे विद्युत क्षेत्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कितनी लाभ मिलेगा?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) एनटीपीसी लिमिटेड सहित नवरत्न कंपनियों पर लागू मौजूदा शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार, भारत या विदेश में वित्तीय संयुक्त उपक्रम तथा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना हेतु इक्विटी निवेश की सीमा एक परियोजना में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसई) की निवल संपत्ति की 15% होगी, जिसकी सीमा 1000 करोड़ रुपये होगी तथा सभी परियोजनाओं में ऐसे निवेश की समग्र सीमा कुल मिलाकर पीएसई लि. ने विद्युत मंत्रालय की पहल पर स्थापित की जा रही अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की बोली में हिस्सा लेने के प्रयोजनार्थ वित्तीय संयुक्त उपक्रम की स्थापना हेतु एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा 1000 करोड़ रुपये इक्विटी निवेश की सीमा से छूट देने के लिए अनुरोध किया था। सरकार ने अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की बोली में हिस्सा लेने के प्रयोजनार्थ वित्तीय संयुक्त उपक्रम तथा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की भारत में या विदेश में स्थापना करने हेतु एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा 1000 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश की सीमा के छूट के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। तथापि एक परियोजना में एनटीपीसी की कुल संपत्ति की 15% की सीमा तथा एनटीपीसी लिमिटेड की ऐसी सभी परियोजनाओं में कुल मिलाकर ऐसे निवेश की निवल संपत्ति की 30% की समग्र सीमा बनी रहेगी।

निजी बैंकों द्वारा विदर्भ पैकेज

2700. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदर्भ पैकेज निजी बैंकों द्वारा भी कार्यान्वित किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने में ऐसे बैंकों का निष्पादन क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। विदर्भ पैकेज निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भी कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक, नीचे लिखे बैंकों के पैकेज में भारत सरकार के हिस्से से प्रतिपूर्ति की गयी है:-

(राशि रुपये में)

बैंक का नाम	अधित्यागित ब्याज की राशि	भारत सरकार के 50% शेयर
सांगली बैंक	66028	33014.00
आईसीआईसीआई बैंक	4925129	2462564.50
यूटीआई बैंक लि.	39826545	19913272.50
कुल	44817702	22408851.00

(ग) निजी क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान देश में क्रमश 18854.53 करोड़ रुपये, 31199.22 करोड़ रुपये और 25902.37 करोड़ रुपये (आंकड़े अनंतिम) कृषि को संवितरित किए हैं।

भारत सरकार की योजना प्रति उधारकर्ता 3 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 7% की दर से अल्पकालिक उत्पादन ऋण 2% वार्षिक की ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान करने की निजी क्षेत्र के बैंकों को उपलब्ध नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक ने 2007-08 के दौरान विदर्भ क्षेत्र में 0.28 करोड़ रुपये का कृषि ऋण संवितरित किया है।

[हिन्दी]

बैंकों में सुरक्षा

2701. श्री रामदास आठवले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र गार्डों की सेवाएं प्रत्येक बैंक को उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) बैंक शाखाओं में सुरक्षा प्रबंध मुख्य रूप से संबद्ध बैंकों जिम्मेदारी होती है। प्रत्येक शाखा में सुरक्षाकर्मियों की संख्या मौजूदा कानून और व्यवस्था के हालात, क्षेत्र विशेष से जुड़े मुद्दों, शाखा की सुभेद्यता जैसी सुरक्षा खतरे की स्थिति पर निर्भर है। जहां तक मुद्रा पेटिका शाखाओं का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सशस्त्र पुलिस गार्ड की तैनाती निर्धारित कर रखी है तथा सभी मुद्रा पेटिका शाखाओं में सशस्त्र गार्डों द्वारा चौबीसों घंटे सुरक्षा प्रदान की जाती है। अन्य

शाखाओं में, एटीएम आदि में बैंक अपन-अपने बोर्डों के अनुमोदन से सुरक्षा प्रबंध कर सकता है।

[अनुवाद]

टोटल सेनिटेशन कैम्पेन

2702. **श्री पी. करुणाकरन :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टोटल सेनिटेशन कैम्पेन (टीएससी) की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कुछ राज्यों से सुझाव प्राप्त हुए है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (घ) देश में संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के कार्यान्वयन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए टीएससी कार्यक्रम का मध्यावधि मूल्यांकन कराने के लिए वर्ष 2004 में मैसर्स कृषि वित्त निगम लिमिटेड (एएफसीएल) को लगाया गया। देश में आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, त्रिपुरा, उड़ीसा, असम और झारखंड राज्यों के 20 टीएससी जिलों में यह अध्ययन कराया गया। अध्ययन में ग्रामीण स्वच्छता क्षेत्र और अपेक्षित मध्यावधि संशोधन में वर्ष 1999 में शुरू किए गए नीतिगत परिवर्तनों के प्रभाव के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस मूल्यांकन अध्ययन के अतिरिक्त, भारत सरकार तिमाही समीक्षा बैठकों, आवधिक समीक्षा मिशनों और परियोजनाओं से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्टों के जरिए टीएससी के कार्यान्वयन की भी समीक्षा करती है। साथ ही, राज्य के मंत्रियों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसमें राज्य प्राय: नीति और कार्यान्वयन के संबंध में अपने-अपने सुझाव देते हैं जिन पर सम्मेलन में चर्चा की जाती है ताकि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

कृषि क्षेत्र संबंधी कृतिक बल

2703. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि क्षेत्र को पुन: शक्ति प्रदान करने के संबंध में एक कृतिक बल की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) कृषि क्षेत्र में 4% की वार्षिक वृद्धि दर की योजना हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिशों के परिणामस्वरूप विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक विचारोत्तेजक बैठक आयोजित की जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी उन विचारों और जानकारी को आमंत्रित किया गया जो निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान कर सके। बैठक में एक कृतिक बल की स्थापना करने का निर्णय लिया गया जो निम्नलिखित पहलों को सुविधाजनक बना सके और इन्हें मानीटर कर सके; (i) सूचना प्रसार और कार्यक्रमों का विस्तार (ii) सफल/सिद्ध प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन, तथा (iii) अन्वेषणात्मक समयबद्ध अध्ययन/विकास कार्यक्रम।

अनुसंधान बजट पर कर की छूट

2704. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारायण हृदयालय के नवसृजित अनुसंधान अंग बंगलौर स्थित थ्राम्बोसिस अनुसंधान संस्थान ने हृदय आघात को रोकने के लिए एक टीके का विकास करने के लिए अपने 10 वर्षीय अनुसंधान बजट पर कर की छूट मांगने के लिए केन्द्र सरकार से बात की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं। तथापि, धर्मार्थ संगठन को उपलब्ध कर छूट के प्रयोजनार्थ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के अंतर्गत आयकर निदेशक (छूट), बंगलौर द्वारा दिनांक 6 फरवरी, 2004 को उक्त संगठन को रजिस्ट्रेशन प्रदान किया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, शून्य।

[हिन्दी]

पी.टी.सी. और आई.आईएफ.सी. के बीच समझौता ज्ञापन

2705. **श्री संजय धोत्रे :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र की एक अग्रणी कंपनी पी.टी.सी. इंडिया लिमिटेड ने देश में नई विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन कार्य में तेजी लाने के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आई.आई.एफ.सी.) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी हां। पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पीटीसी) एवं इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसी) के बीच निम्नलिखित प्रयोजन के लिए दिनांक 29.5.2007 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए:-

(i) थर्मल हाइड्रो एवं अन्य स्रोतों सहित विद्युत परियोजनाओं के विकास तथा निर्माण को प्रोत्साहित और संवर्धन करने हेतु सुगम बनाना।

(ii) उनके बीच सहयोग प्राप्त करने की एवं सूचना का आदान-प्रदान करने की दृष्टि से सामूहिक रूप से कार्य करना एवं आवश्यक व्यवस्था करना।

(iii) परियोजना विकासकर्ताओं उधारदाताओं एवं पणधारियों के बीच सहयोग प्राप्त करने के दृष्टिकोण से कार्य करना।

(iv) जहां परियोजना विकासकर्ता (विकासकर्ताओं) एवं पीटीसी के बीच विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर हुए हैं, आईआईएफसी द्वारा विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विधिवत प्रक्रिया एवं मूल्यांकन शुरू करना।

पौध रोपण कंपनियां

2706. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने पौध रोपण आधारित निवेश कंपनियों को उनके द्वारा जुटाई गई धनराशि को वापस करने का आदेश दिया था;

(ख) यदि हां, तो वापस की गई धनराशि का कंपनी-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ कंपनियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) सेबी ने सूचित किया है कि सभी सामूहिक निवेश योजनाएं (सीआईएस), जिनमें बागान कंपनियां शामिल हैं, अक्तूबर, 1999 में सीआईएस विनियमों की अधिसूचना से पूर्व आरंभ की गई थीं। तथापि, की तिथि के अनुसार, कोई भी सीआईएस कंपनी विनियम के अंतर्गत सेबी के पास पंजीकृत नहीं है। सेबी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 664 सीआईएस कंपनियों द्वारा निवेशकों से 3518 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। इनमें से 54 कंपनियों ने अपनी योजनाएं बंद कर दी हैं तथा निवेशकों को उनकी धनराशि लौटा दी है। सेबी ने शेष 610 कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे योजनाओं के अंतर्गत संग्रहीत धनराशि निवेशकों को देय प्रतिफलों सहित उन्हें लौटा दें। इसके अनुसरण में, 21 कंपनियों ने अपनी योजनाओं को बंद कर दिया है तथा निवेशकों को वापसी अदायगी कर दी है। इस प्रकार कुल 75 कंपनियों ने अपनी योजनाएं बंद की दी है तथा निवेशकों को उनकी धनराशि लौटा दी है। न्यायालयों ने 19 कंपनियों के संबंध में स्थगनादेश अधिरोपित किए हैं/सरकारी परिसमापकों/प्रशासकों की नियुक्ति की है। सेबी ने शेष 570 कंपनियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन शुरू किए हैं। इसने इन कंपनियों तथा इनके संबंधित पदाधिकारियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए पूंजी बाजार में प्रचालन करने से निषिद्ध करते हुए आदेश भी पारित कर दिए हैं।

[अनुवाद]

आई.एच.एस.डी.पी. तथा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत परियोजना

2707. श्री एस.के. खारवेनथन :
श्री हितेन बर्मन :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित आवास एंव मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं; और

(ख) लघु एवं मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) तथा छोटे तथा मझोले कस्बों की शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और II में हैं।

विवरण-I

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम

कुल अनुमोदित परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या	शहरी स्थानीय निकाय/ नगर पंचायत नगरपालिका	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (नई+ उन्नयन)	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश	प्रथम किस्त की राशि (केन्द्रीय अंश का 50%)	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ए.सी.ए. (10.08.07 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	12	26	26	357.28	29257	248.32	108.96	124.16	124.16
2.	असम	4	5	5	17.26	922	15.06	2.20	7.53	7.53
3.	बिहार	7	8	8	60.84	4719	45.30	15.54	22.65	22.65
4.	छत्तीसगढ़	7	13	14	176.50	14846	122.00	54.49	61.00	61.00
5.	गुजरात	8	11	11	109.18	8962	75.03	34.15	37.52	37.52
6.	हरियाणा	6	12	15	238.84	14641	182.96	55.88	91.48	91.48
7.	जम्मू-कश्मीर	6	10	10	42.40	2654	32.23	10.17	16.12	0.00
8.	कर्नाटक	14	20	20	161.04	10294	105.84	55.20	52.92	20.95
9.	केरल	11	22	22	107.19	9482	81.17	26.03	40.58	25.05
10.	मध्य प्रदेश	14	24	27	210.18	15236	148.25	61.93	74.12	69.00
11.	महाराष्ट्र	13	19	19	199.65	17095	154.25	45.39	77.13	77.13
12.	नागालैंड	1	1	1	87.74	2496	44.14	43.60	22.07	22.07
13.	राजस्थान	13	20	20	149.09	10895	117.30	31.79	58.65	58.65
14.	तमिलनाडु	18	28	28	199.78	18118	154.80	44.98	77.40	56.27
15.	उत्तर प्रदेश	5	8	8	29.01	2032	22.11	6.91	11.05	11.05
16.	पश्चिमी बंगाल	14	23	23	260.85	16170	194.31	66.54	97.16	75.28
	कुल	153	250	257	2406.83	177819	1743.06	663.77	871.53	759.79

विवरण-

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत 27.08.2007 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत और

क्र. सं.	राज्य	जल आपूर्ति		सीवरेज		वर्षा जल नाले		जल निकाय		ठोस कचरा प्रबंधन	
		स्वीकृत (कुल अनुमानित लागत)	जारी (प्रथम किस्त)	स्वीकृत (कुल अनुमानित लागत)	जारी (प्रथम किस्त)	स्वीकृत (कुल अनुमानित लागत)	जारी (प्रथम किस्त)	स्वीकृत (कुल अनुमानित लागत)	जारी (प्रथम किस्त)	स्वीकृत (कुल अनुमानित लागत)	जारी (प्रथम किस्त)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	111648.000	36062.710	34036.000	12246.350	14129.000	3554.060	0.000	0.000	361.000	149.820
	स्कीमों की संख्या	40	30	8	6	6	5	0	0	1	1
2.	असम	2330.160	490.820	0.000	0.000	3073.880	873.110	0.000	0.000	0.000	0.000
	स्कीमों की संख्या	2	1	0	0	5	3	0	0	0	0
3.	बिहार	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	स्कीमों की संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	छत्तीसगढ़	6118.650	2447.460	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	स्कीमों की संख्या	3	3	0	0	0.000	0	0	0	0	0
5.	गुजरात	27454.180	8560.260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	स्कीमों की संख्या	32	25	0		0		0		0	
6.	हिमाचल प्रदेश	0.000	0.000	0.000	0.000	1022.260	217.590	25.460	0.000	0.000	0.000
	स्कीमों की संख्या	0	0	0	0	3	2	1	0	0	
7.	जम्मू-कश्मीर	11642.890	5413.940	0.000	0.000	9409.700	4375.520	54.610	25.400	1033.770	480.700
	स्कीमों की संख्या	6	6			7	7	3	3	7	7
8.	कर्नाटक	12908.700	2003.160	6940.260	2754.460	7320.300	2100.020	0.000	0.000	0.000	0.000
	स्कीमों की संख्या	7	5	9	8	3	1				
9.	केरल	24277.000	5483.400	4978.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2429.000	1008.040
	स्कीमों की संख्या	3	2	1					6	6	

II

जारी परियोजना राशि की राज्य/सेक्टर-वार संचित स्थिति (आरंभ होने से)

(लाख रु. में)

यू.आर./विरासत		भूमि कटाव		पार्किंग		रोड		परियोजना की कुल संख्या		कुल अनुमानित लागत	जारी कुल ए.सी.ए.	जारी वर्ष
स्वीकृत (कुल अनुमानित लागत)	जारी (प्रथम किस्त)	स्वीकृत (कुल अनुमानित लागत)	जारी (प्रथम किस्त)	स्वीकृत (कुल अनुमानित लागत)	जारी (प्रथम किस्त)	स्वीकृत (कुल अनुमानित लागत)	जारी (प्रथम किस्त)	स्वीकृत	जारी			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4870.000	2021.050			165044.000	54033.990	2005-06, 2006-07, 2007-08
0	0	0	0	0	0	2	2	57	44			
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			5304.040	1363.930	2006-07, 2007-08
0	0	0	0	0	0	0	0	7	4			
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15257.320	3958.140			15257.320	3958.140	2006-07, 2007-08
0	0	0	0	0	0	9	4	9	4			
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			6118.650	2447.460	2006-07, 2007-08
0	0	0		0	0	0	0	3	3			
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			27454.180	8560.260	2005-06, 2006-07, 2007-08
0		0		0		0		32	25			
686.550	0.000	188.520	0.000	0.000	0.000	783.620		531.860		2706.410	749.450	2006-07, 2007-08
1		1				1	1	7	3			
1671.330	777.160	0.000	0.080	0.000	0.000	3766.780	1751.550			27579.080	12824.270	2006-07, 2007-08
4	4					7	7	34	34			
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7307.400	2860.770			34476.660	9718.410	2006-07, 2007-08
						4	3	23	17			
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			31684.000	6491.440	2006-07, 2007-08
							10	8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	मध्य प्रदेश	19134.890	6988.205	1559.210	623.682	27.600	11.040	53.000	21.200	0.000	0.000
	स्कीमों की संख्या	17	17	5	5	1	1	1	1	0	0
11.	महाराष्ट्र	138530.700	6482.006	50841.500	2932.595	25914.000	2212.400	0.000	0.000	0.000	0.000
	स्कीमों की संख्या	40	10	10	4	6	1	0	0	0	0
12.	मणिपुर	6277.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	स्कीमों की संख्या	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	नागालैंड	6265.46	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	स्कीमों की संख्या	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	राजस्थान	5395.000	2238.390	14146.070	1617.700	3284.220	503.620	670.535	268.210	0.000	0.000
	स्कीमों की संख्या	1	1	6	3	7	4	2	2	0	0
15.	तमिलनाडु	41229.070	10460.370	2204.700	393.200	343.000	137.200	0.000	0.000	358.250	143.300
	स्कीमों की संख्या	48	35	4	2	1	1	0	0	1	1
16.	उत्तर प्रदेश	28106.280	4341.263	18038.150	7485.830	0.000	0.000	0.000	0.000	16903.120	4948.937
	स्कीमों की संख्या	18	9	3	3	0	0	0	0	19	14
17.	पश्चिमी बंगाल	13084.190	5429.942	0.000	0.000	4922.290	2042.760	0.000	0.000	0.000	0.000
	स्कीमों की संख्या	11	11	0		2	2	0	0	0	
18.	दादरा एवं नगर हवेली	1864.730	0.000	1239.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	स्कीमों की संख्या	1		1							
19.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	942.370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	स्कीमों की संख्या	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	976.000	405.040	593.230	246.200				2199.550	912.810	
	स्कीमों की संख्या	1	1	1	1			2	2		
	लागत	457142.901	96806.966	135518.740	28300.017	69446.250	16027.320	3003.155	1227.620	21085.140	6730.797
	स्कीमों की संख्या	239	156	49	32	41	27	9	8	34	29

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	636.310	254.523			21411.010	7898.650	2006-07, 2007-08
0	0			0	0	3	3	27	27			
164.700	67.406	0.000	0.000	37.000	14.800	5226.000	2090.400			220713.900	13799.607	2006-07, 2007-08
2	2			1	1	1	1	60	19			
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15257.320	3958.140			6277.000	0.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	5	0			
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3973.890	0.000			10239.351	0.000	
0	0	0	0	0	0	4	0	8	0			
520.580	208.228	0.000	0.000	0.000	0.000	3003.350	1061.720			27019.755	5897.868	2005-06, 2006-07, 2007-08
1	1	0	0	0	0	12	11	29	22			
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9782.470	3912.990			53917.490	15047.060	2006-07, 2007-08
0	0	0	0	0	0	43	43	97	82			
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20422.610	7488.950			83470.160	24264.980	2006-07, 2007-08
0	0	0	0	0	0	3	2	43	28			
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	730.450	303.137			18736.930	7775.839	2006-07, 2007-08
0				0		1	1	14	14			
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			3103.980	0.000	
								2	0			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			942.370	0.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			
		2148.920				5074.120	2105.810			10991.820	3669.860	2006-07, 2007-08
						1	1	6	5			
5192.080	1052.794	188.520	0.000	37.000	14.800	80834.320	28340.900	0.000	0.000	772448.106	178501.215	
9	7	1	0	1	1	91	79	474	339			

तमिलनाडु में शिक्षा ऋणों के लिए आवेदन

2708. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में राष्ट्रीयकृत बैंकों में शिक्षा ऋणों के लिए भारी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक वर्ष-वार कितने आवेदनों पर विचार किया गया और मंजूरी दी गई तथा आज की तारीख तक कितने आवेदन लम्बित हैं; और

(घ) सभी लम्बित आवेदनों को जल्द निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) तमिलनाडु के बैंकरों की राज्य स्तरीय समिति के संयोजक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ने तमिलनाडु राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त शिक्षा ऋणों की स्वीकृत राशि की सूचना दी है।

वर्ष	स्वीकृत शिक्षा ऋणों की संख्या	ऋणों की स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
2004-05	38461	500.38
2005-06	56230	824.78
2006-07	83933	1196.74

ऐसी सूचना दी गई है कि इस संबंध में विद्यमान दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए बैंक शिक्षा ऋण के आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही करते हैं। जिला स्तर पर, अग्रणी बैंक, शिक्षा ऋण आवेदनों के लंबित और निपटान की निगरानी करता है।

राज्य सरकारों को कम लागत के फ्लैटों के लिए सहायता

2709. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को कम लागत के फ्लैट बनाने के लिए कोई सहायता प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को प्रदान की गई ऐसी सहायता का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार ने 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया। इस मिशन के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) तथा समेकित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) संबंधी उप मिशनों के तहत स्लम वासियों/शहरी गरीबों/ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणियों के लिए किफायती लागत पर मकानों का निर्माण करने हेतु राज्य सरकारों को सहायता मुहैया करायी जाती है। इस सहायता में आवास की लागत तथा जल आपूर्ति/सीवरेज/जल निकास/सामुदायिक शौचालय/स्नानघर आदि जैसी संबंधित अवस्थापनाएं शामिल हैं। बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को मुहैया करायी गई सहायता का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

समेकित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2005-06			2006-07			2007-08		
		अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश				25	301.92	210.57	1	55.36	37.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	असम				3	12.24	10.79	2	5.01	4.28
3.	बिहार				7	48.81	36.55	1	12.02	8.74
4.	छत्तीसगढ़				14	176.50	122.00			
5.	गुजरात				8	72.07	51.54	3	37.12	23.49
6.	हरियाणा				15	238.84	182.96			
7.	जम्मू-कश्मीर							10	42.40	32.23
8.	कर्नाटक				5	68.46	41.90	15	92.58	63.94
9.	केरल				15	65.25	50.10	7	41.95	31.07
10.	मध्य प्रदेश				23	197.16	138.00	4	13.02	10.24
11.	महाराष्ट्र				15	152.67	120.71	4	46.97	33.55
12.	नागालैंड				1	87.74	44.14			
13.	राजस्थान	3	9.03	7.22	17	140.06	110.08			
14.	तमिलनाडु				22	146.05	112.56	6	53.73	42.24
15.	उत्तर प्रदेश				8	29.01	22.11			
16.	पश्चिम बंगाल				16	201.20	150.57	7	59.65	43.75
	कुल	3	9.03	7.22	194	1937.99	1404.57	60	459.81	331.28

जे एन एन यू आर एम

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा (उप मिशन-II)

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2005-06			2006-07			2007-08		
		अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	5	623.90	311.95	9	572.61	284.34	2	192.31	94.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	चंडीगढ़ (यूटी)				2	564.94	396.13			
3.	छत्तीसगढ़				4	391.45	312.18			
4.	दिल्ली							3	617.28	268.23
5.	गुजरात				10	1028.32	497.36			
6.	हरियाणा				2	64.23	31.18			
7.	हिमाचल प्रदेश				1	9.99	7.05			
8.	कर्नाटक				3	238.84	125.40	2	56.22	25.65
9.	केरल				3	69.20	47.38			
10.	मध्य प्रदेश	4	75.05	37.38	14	428.22	206.02			
11.	महाराष्ट्र				31	2934.82	1299.50	1	120.81	37.07
12.	नागालैंड				1	134.50	105.60			
13.	राजस्थान			2	277.14	169.20				
14.	तमिलनाडु				19	830.26	359.58			
15.	त्रिपुरा							1	16.73	13.96
16.	उत्तर प्रदेश			5	85.13	38.58				
17.	पश्चिम बंगाल				45	1169.51	556.54			
	कुल	9	698.95	349.33	151	8796.14	4435.59	9	1003.36	439.83

बैंकिंग संबंधी धोखाधड़ी रोकने के लिए स्वतंत्र प्रणाली

2710. श्री एल. राजगोपाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ियों को कम करने में बैंकिंग सर्विसेज फ्राड सेल की क्या उपलब्धि है;

(ख) क्या सरकार को सभी सरकारी तथा निजी बैंकों में बैंकिंग संबंधी धोखाधड़ियों की जांच करने के लिए सरकारी नियंत्रण से मुक्त एक प्रभावी तथा स्वतंत्र प्रणाली बनाने के सुझाव मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उन्हें "बैंकिंग सेवाएं धोखाधड़ी कक्ष" विद्यमान होने की जानकारी नहीं है। तथापि, केन्द्रीय जांच ब्यूरों (सीबीआई) में एक "बैंकिंग सरक्षा एवं धोखाधड़ी कक्ष" (बीएस एंड एफसी) है जिसे सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 5 करोड़ रुपये एवं इससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी के सभी मामले जांच हेतु भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय क्षेत्र में धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु एकीकृत एप्रोच एवं संकेन्द्रित ध्यान देने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में जून, 2004 में धोखाधड़ी निगरानी कक्ष स्थापित किया गया था। कक्ष 1 लाख रुपये एवं इससे अधिक की अंतर्ग्रस्त राशि वाली उन सभी धोखाधड़ियों के मामलों की निगरानी करता है जिनकी सूचना वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, स्थानीय बैंकों शहरी सहकारी बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी जाती है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि कॉमन कॉज (एक पंजीकृत सोसायटी) बनाम भारत संघ एवं अन्य (1993 की डब्ल्यूपी सं. 291) शीर्षक वाला एक मामला सुनवाई हेतु 9 नवम्बर, 2006 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय ने यह पाया कि बैंकिंग एवं अन्य धोखाधड़ियों की जांच के लिए एक स्वतंत्र तंत्र की स्थापना करने के संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे। शीर्ष न्यायालय ने श्री हरीश साल्वे, वरिष्ठ एडवोकेट को, व्यक्तिगत तौर पर आवश्यक नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के लिए पेश हों, श्री शरण, लर्नेड अतिरिक्त महासालिसीटर को सुझावों पर एक टिप्पणी देने के निदेश दिए थे जो इसकी जांच करवाएंगे। शीर्ष न्यायालय के आदेश के अनुसरण में जब 28.3.2007 को यह मामला सुनवाई के लिए पेश हुआ था, तक श्री हरीश साल्वे ने शीर्ष न्यायालय के समक्ष बैंकिंग एवं अन्य संबद्ध धोखाधड़ियों की जांच हेतु एक स्वतंत्र तंत्र की स्थापना करने के लिए सुझावों से युक्त एक टिप्पणी प्रस्तुत की है।

पेयजल के नमूनों का विश्लेषण

2711. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को पेयजल के नमूनों के रूटीन विश्लेषण के संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी और जांच कार्यक्रम के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राज्यों को पेयजल के नमूने का रूटीन विश्लेषण कराए जाने की जरूरत है। मासिक प्रगति रिपोर्टों के जरिए प्रगति की निगरानी की जाती है। उन राज्यों जिनकी प्रगति ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति स्रोतों के नमूने के रूटीन विश्लेषण के कार्य में धीमी है, की, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर की जाने वाली समीक्षा बैठकों में समीक्षा की जाती है और उन्हें तदनुसार सुधारात्मक उपाय करने की सलाह दी जाती है।

फ्लाई ऐश से प्रदूषण

2712. **श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित फ्लाई ऐश जल, वायु और भूमि प्रदूषण का कारक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने फ्लाई ऐश के शीघ्र निपटान हेतु ताप विद्युत उत्पादन कंपनियों को कोई अनुदेश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) फ्लाई ऐश, बॉटम ऐश, पाण्ड ऐश और माऊण्ड ऐश के रूप में कोयला और लिग्नाइट थर्मल विद्युत स्टेशनों द्वारा उत्पादित ऐश जल, ताप और भूमि के प्रदूषण का कारक हो सकती है। किन्तु, बहुत सी आवश्यकताओं के लिए स्रोत पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

(ख) और (ग) विद्युत मंत्रालय/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण समय समय पर विद्युत यूटिलिटियों के साथ ऐश के उपयोग की प्रगति की समीक्षा करते हैं और उन्होंने दिनांक 27.8.2003 के संशोधन के साथ पठित दिनांक 14.9.1994 की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ)

की अधिसूचना के अनुसार बढ़े हुए गाद उपयोग स्तर का परामर्श दिया है तथा इस पर बल दिया है। थर्मल विद्युत स्टेशनों ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कार्य योजनाओं को प्रतिपादित किया है।

कापार्ट के पास लंबित परियोजनाएं

2713. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद (कापार्ट) के पास स्वीकृति हेतु कितनी परियोजनाएं लंबित हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं;

(ग) कापार्ट द्वारा लंबित परियोजनाओं को कब तक स्कीकृति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) आज की तारीख तक कपार्ट के पास कुल 1870 परियोजना प्रस्ताव मंजूरी के लिए लंबित हैं।

(ख) और (ग) परियोजना प्रस्तावों की जांच मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है जिसमें स्वैच्छिक संगठनों द्वारा हर दृष्टि से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों की प्रस्तुति, संस्थागत निगरानीकर्ताओं द्वारा वित्त-पोषण पूर्व मूल्यांकन तथा इस प्रयोजनार्थ गठित सक्षम समिति का अंतिम अनुमोदन शामिल है। परियोजना प्रस्तावों में अनिवार्य जानकारी/दस्तावेजों की कमी के कारण कभी-कभी परियोजनाओं की मंजूरी में विलंब होता है। आवश्यक दस्तावेजों/रिपोर्टों की पूर्ति किए जाने के पश्चात् परियोजनाओं को मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

ग्रामीण सड़कों हेतु अधिक धनराशि का आबंटन

2714. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु अधिक धनराशि जारी करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जारी की गई धनराशि के समुचित उपयोग हेतु जिम्मेदारी निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष (2007-08) के दौरान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निधियों की रिलीज के लिए आंध्र-प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम तथा कुछ अन्य राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/एजेंसियों को निधियां पीएमजीएसवाई कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के प्रावधान के अनुसार रिलीज की जाती हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजनाओं के स्वीकृत मूल्य अथवा वार्षिक आबंटन, इनमें से जो भी कम हो, की 50% धनराशि बशर्ते यदि कोई पहले निर्धारित की गई हो, पूरी किए जाने पर, पहली किस्त के रूप में रिलीज की जाती है। दूसरी किस्त उपयोग प्रमाण-पत्र, लेखा-परीक्षा रिपोर्ट इत्यादि प्रस्तुत किए जाने पर और कार्यों की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति के अनुसार रिलीज की जाती है।

(ग) वर्ष 2007-08 के दौरान राज्यों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं की निगरानी विभिन्न रिपोर्टों, ऑन लाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस), त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र, निष्पादन समीक्षा बैठकें इत्यादि के माध्यम से किया जाता है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान (17.08.2007 की स्थिति के अनुसार) की गई रिलीजों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	कार्यक्रम के लिए रिलीज	पीआईयू के लिए रिलीज	एडीबी सहायता के अंतर्गत रिलीज	डब्ल्यूबी सहायता के अंतर्गत रिलीज	वर्ष 2007-08 के दौरान कुल रिलीज
1	2	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	114.150				114.15
2.	अरुणाचल प्रदेश					0.00
3.	असम	65.00		90.00		155.00
4.	बिहार	191.37	9.32			200.69
5.	छत्तीसगढ़			200.00		200.00
6.	गोवा					0.00
7.	गुजरात	32.55				32.55
8.	हरियाणा	99.82				99.82
9.	हिमाचल प्रदेश				40.14	40.14
10.	जम्मू-कश्मीर	72.20				72.20
11.	झारखंड					0.00
12.	कर्नाटक	64.86				64.86
13.	केरल					0.00
14.	मध्य प्रदेश	258.05		502.37		760.42
15.	महाराष्ट्र	513.96				513.96
16.	मणिपुर	76.17				76.17
17.	मेघालय					0.00
18.	मिजोरम	19.39	2.57			21.96

1	2	5	6	7	8	9
19.	नागालैंड					0.00
20.	उड़ीसा	289.92		256.917		546.83
21.	पंजाब	150.00				150.00
22.	राजस्थान	576.51			80.00	656.51
23.	सिक्किम	64.50				64.50
24.	तमिलनाडु	71.03				71.03
25.	त्रिपुरा					0.00
26.	उत्तर प्रदेश	200.00	6.25		98.22	304.47
27.	उत्तरांचल	78.74				78.74
28.	पश्चिम बंगाल	446.58		71.58		518.16
	कुल (राज्य)	3384.80	18.14	1120.86	218.36	4742.16
	संघ राज्य क्षेत्र					
	(कुल संघ राज्य क्षेत्र)					
	कुल (राज्य+संघ राज्य क्षेत्र)	3384.80	18.14	1120.86	218.36	4742.16

एडीबी–एशिया विकास बैंक, पीआईयू–कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई, डब्ल्यूबी–विश्व बैंक

[हिन्दी]

देश में रूग्ण बैंक

2715. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक बैंक रूग्ण हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने बैंक हैं और इन्हें कितना घाटा होने का अनुमान है;

(ग) सरकार द्वारा रूग्ण बैंकों को लाभ अर्जित करने वाले बैंक बनाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक की पहचान रूग्ण बैंक के रूप में नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक सुदृढ़ व्यावसायिक सिद्धांतों पर कार्य करें, दिशा-निर्देश जारी किए हैं और विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए हैं। वह स्थल पर निरीक्षण करके और बैंकों द्वारा भेजी गई विवरणियों की जांच करके सतत आधार पर उनकी वित्तीय स्थिति की जांच भी करता है और सांविधिक निर्देश जारी करने सहित, जहां कहीं आवश्यक हो, वहां

सुधारात्मक कार्रवाई करता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सुदृढ़ पूंजी आधार, विविधीकृत स्वामित्व, समुचित प्रबंधन और प्रबंधन प्रथाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 28 फरवरी, 2005 को "गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व एवं अभिशासन" पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कमजोर वित्तीय स्थिति वाले बैंकों की गहन आवधिक निगरानी के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) की व्यवस्था शुरू की है, ताकि ऐसे बैंकों की वित्तीय स्थिति को और बिगड़ने से बचाया जा सके और जमाकर्ताओं सहित सभी पणधारकों के हितों की रक्षा की जा सके।

[अनुवाद]

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग

2716. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने क्रास कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग को सहायता प्रदान करने और पर्यावरण अनुकूल व्यवसाय में ग्राहकों को सलाह देने हेतु वित्तीय लिखतों का सृजन करने की योजना बनाई है, जैसा कि दिनांक 8 अगस्त, 2007 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। वैश्विक कार्बन ट्रेडिंग बाजार में उभरती संभावनाओं का फायदा उठाने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ऋणकर्ताओं को समुचित परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये तीन स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएम) परामर्शदाताओं यथा मिटकान कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, इकोसिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा कैंटर सीओ2ई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। बैंक ने एक नीति बनाई है जिसके जरिये उसकी सीडीएम संबंधी क्षेत्रों जैसे कि (i) परामर्शी सेवाएं, (ii) मध्यस्थता सेवाएं, (iii) कार्बन क्रेडिट प्राप्य वस्तुओं के सापेक्ष ऋण, (iv) कार्बन क्रेडिट सुपुर्दगी गारंटी, (v) सीडीएम लाभ प्राप्त करने के लिये लघु इकाइयों का समूहन, (vi) निलंब प्रणाली, आदि में स्वयं को शामिल करने की योजना है।

शेयरों का अंकित मूल्य और बाजार मूल्य

2717. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचीबद्ध कंपनियां अपने इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य का निर्णय उनके बाजार मूल्य की अनदेखी करके 100 रुपए अथवा 1 रुपए जैसी दर पर स्वयं अपनी सुविधा के अनुसार करती हैं;

(ख) यदि हां, तो स्टाक स्प्लीट के पीछे क्या औचित्य है;

(ग) क्या इसके कारण छोटे निवेशक अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में नए दिशानिर्देश जारी करने/नियम बनाने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) सूचीबद्ध कंपनियों को कुछ शर्तों के अध्यधीन किसी भी मूल्यवर्ग के शेयर जारी करने या विद्यमान शेयरों के विभाजन या समेकन द्वारा मूल्यवर्ग परिवर्तित करने की स्वतंत्रता है।

(ख) स्टाक विभाजन गतिशीलता का संवर्धन करता है और कम मूल्यवर्ग के शेयरों में निवेश करने के लिए लघु निवेशकों को समर्थ बनाता है।

(ग) और (घ) इस स्टाक विभाजन से कोई हानि नहीं होती है।

विदेशों में भारतीय बीमा कंपनियां

2718. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सरकारी बीमा कंपनियां विदेशों में अपना व्यवसाय कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। विदेशों में अपना व्यवसाय कर रही भारतीय बीमा कंपनियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(1) जीवन बीमा निगम (एलआईसी):छ: देशों में अर्थात् फिजी, मारिशस तथा युनाइटेड किंगडम में अपने शाखा कार्यालयों के माध्यम से तथा तीन संयुक्त उद्यमों नामत: (i) एलआईसी (अन्तर्राष्ट्रीय) बीएससी (सी), बहरीन (ii) एलआईसी (नेपाल) लि., नेपाल और (iii) एलआईसी (लंका) लि., श्री लंका।

(2) न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. (एनआईएसी): 19 शाखा कार्यालय अर्थात् जापान में 7, फिजी में 4, युनाइटेड किंगडम (यूके) में 2 और हांग कांग, फिलिपिंस, थाईलैंड, आस्ट्रेलिया, मारिशस तथा न्यूजीलैंड सभी में एक-एक। 12 एजेंसी कार्यालय अर्थात् सऊदी अरब में 3, युनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) में 2 और बहरीन, कुवैत, ओमान, डच कैरीबियन, नीदरलैंड, फ्रांस तथा कनाडा सभी में एक-एक। नाइजीरिया, त्रिनिडाड तथा टोबेगो, सेंट लूसिया, डोमिनिका, सेंट मान्नाटेन, सीरा लिओन, लाइबीरिया सभी में एक-एक तथा घाना में एक सहयोगी कंपनी।

(3) नेशनल इंश्योरेंस कं. (एनआईसी): नेपाल में तीन शाखा कार्यालयों सहित मंडल कार्यालय।

(4) ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. (ओआईसी): कुवैत, यूएई प्रत्येक में एक शाखा कार्यालय तथा नेपाल में 6 शाखाओं सहित एक मंडल कार्यालय।

(5) साधारण बीमा निगम (जीआईसी): दुबई में एक शाखा कार्यालय और लंदन तथा मास्को में एक-एक प्रतिनिधि कार्यालय।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र की चारों साधारण बीमा कंपनियां सिंगापुर (इंडिया इंटरनेशल इंश्योरेंस प्रा.लि.) और केन्या (केनिन्डिया एश्योरेंस कं. लि.) में संयुक्त रूप से परिचालन कर रही हैं।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों को ऋण में वृद्धि

2719. श्री रामदास आठवले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक लघु उद्योगों को राज्य-वार कुल कितना ऋण प्रदान किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों के लिए ऋणों में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान लघु उद्योगों को दिया गया राज्यवार बकाया ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा उपलब्ध संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने ''छोटे एवं मझोले उद्यम (एसएमई) क्षेत्र को ऋण में वर्षानुवर्ष 20% की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने परस्पर सहमति के परिचालनात्मक तौर-तरीकों पर एसएमई के सह-वित्तपोषण हेतु बैंकों को अपनी शाखाओं तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की शाखाओं के बीच बेहतर समन्वयन के लिए एक तंत्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन की एक योजना तैयार की है जो लघु पहचाने गए समूहों में स्थित है। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एसएमई क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किए गए अन्य कुछ उपाय हैं- एसएसआई क्षेत्र के उन्नयन हेतु ऋण संबंद्ध पंजी सब्सिडी योजना में संशोधन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा ऋण रेटिंग योजना का प्रारंभ तथा सिडबी द्वारा एसएमई रेटिंग एजेन्सी की स्थापना। इसके अतिरिक्त एसएमई क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सूक्ष्म, लघु तथा मझोले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 अधिनियमित कर दिया गया है।

विवरण

मार्च को समाप्त वर्ष 2004, 2005 तथा 2006 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों (एसएसआई) को दिए गए बकाये ऋण का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

राज्य	बकाया राशि		
	2004	2005	2006
1	2	3	4
हरियाणा	2307	2778	3528

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	291	306	409
जम्मू-कश्मीर	189	220	260
पंजाब	4551	4897	5838
राजस्थान	2086	2252	2639
चंडीगढ़	389	448	742
दिल्ली	4392	5771	6288
असम	326	388	580
मणिपुर	23	27	26
मेघालय	34	145	43
नागालैंड	23	37	38
त्रिपुरा	30	42	36
अरुणाचल प्रदेश	07	12	13
मिजोरम	10	40	12
सिक्किम	05	24	14
बिहार	593	646	712
झारखंड	636	730	945
उड़ीसा	858	1021	1277
पश्चिमी बंगाल	3847	3872	4895
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	23	33	11
मध्य प्रदेश	1715	1993	2462
छत्तीसगढ़	524	671	853
उत्तर प्रदेश	4652	5287	6502
उत्तराखंड	263	517	578
गुजरात	2982	3488	4720
महाराष्ट्र	10071	10769	15765
दमन व दीव	9	23	27
गोवा	188	146	300
दादरा व नगर हवेली	13	14	24
आंध्र प्रदेश	3659	3734	5089
कर्नाटक	2877	3469	4665
केरल	1607	1717	2416
तमिलनाडु	5933	7117	10639
पांडिचेरी	42	61	90
लक्षद्वीप	0.1	0.2	0.3

[अनुवाद]

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा धन जुटाना

2720. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अण्णासाहेब पाटील शिवाजीराव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक अगले पांच वर्षों में लगभग 180,000 करोड़ रुपये इस्तेमाल में लाने पर विचार कर रहा है जैसा कि दिनांक 14 अगस्त, 2007 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी लक्ष्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय स्टेट बैंक का विचार आवश्यक धनराशि जुटाने हेतु नीति में परिवर्तन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) अपनी पूंजी की स्थिति के संवेदनशील विश्लेषण के आधार पर, भारतीय स्टेट बैंक के पूंजी संवर्धन कार्यक्रम में, आगामी पांच वर्षों के दौरान पूंजी कोष के रूप में लगभग 89,600 करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) से (च) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड शेयर पूंजी जिसके लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है, को छोड़कर, पूंजी कोष जुटाने से संबंधित निर्णय लेने में सक्षम हैं।

बैंकों द्वारा विदेशों में कार्य

2721. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विदेशों में कार्य शुरू करने के प्रयास करने संबंधी अनुदेश सभी सरकारी बैंकों को जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर पाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, त्वरित और प्रभावी ढंग से निर्णय लेने तथा उनके निदेशक मंडलों को पर्याप्त प्रबंधीय स्वायत्तता देने के लिए, सरकार ने 22.02.2005 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिये एक स्वायत्तता पैकेज घोषित किया। यह पैकेज निदेशक मंडलों को, विभिन्न परिचालनात्मक मामलों में, जिनमें विदेशों में कार्यालय खोलना शामिल है, प्राधिकार प्रदान करता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2288. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री थावरचन्द गेहलोत :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) का और जिलों तक विस्तार करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को एनआरईजीएस के अंतर्गत दूसरी किस्त जारी करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। अपने कार्यान्वयन के दूसरे चरण के बाद एनआरईजीए के अंतर्गत जिन जिलों को सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ग) से (ङ) एनआरईजीए मांग आधारित कार्यक्रम है, आबंटन आधारित नहीं। जिलों को निधियां तक रिलीज की जाती हैं जब वे अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ, पूर्व में रिलीज की गई निधियों को कम से कम 60% उपयोग को दर्शाने वाला उपयोग प्रमाण-पत्र तथा एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान अब तक रिलीज की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण-I

उन जिलों की सूची जिन्हें एनआरईजीए के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के पश्चात योजना में शामिल किए जाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

क्र.सं.	राज्य	जिला
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	विशाखापतनम
2.	अरुणाचल प्रदेश	कुरूंग, कुमे और पूर्व कामेंग
3.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर जिले के मंगेली, पथरिया तथा लोरमी ब्लाक, रायपुर, दुर्ग और जंगी-चम्पा

1	2	3
4.	गुजरात	कच्छ, सौराष्ट्र, वडोदरा तथा सूरत
5.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश के शेष जिले
6.	जम्मू-कश्मीर	ऊधमपुर
7.	केरल	एलेप्पी
8.	कर्नाटक	कोप्पल, बीजापुर, गढग, हवेरी, तुमकुर, कोलार तथा चामराजनरगर
9.	मध्य प्रदेश	जबलपुर, नरसिंहपुर तथा इन्दौर
10.	मणिपुर	सभी पांच पहाड़ी जिले
11.	मिजोरम	शेष 4 जिले
12.	नागालैंड	पेरेन, लोंगलोग तथा किफारे
13.	पंजाब	तरनतारन, मुक्तसर, फरीदकोट, फिरोजपुर, संगरूर, मनसा, फतेहगढ़ साहिब
14.	राजस्थान	राजस्थान के सभी जिले
15.	तमिलनाडु	रामनाथपुरम, पेरम्बालूर, धरमपुरी, पुडुकोट्टई
16.	त्रिपुरा	शेष 3 जिले
17.	उत्तरांचल	शेष 8 जिले

विवरण-II

वर्ष 2007-08 के दौरान एनआरईजीए जिलों को रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां

क्र. सं.	राज्य	राशि (लाख रु. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	62808.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	105.38
3.	असम	36091.87
4.	बिहार	29319.08
5.	छत्तीसगढ़	52486.45
6.	गुजरात	2883.78
7.	हरियाणा	2751.97
8.	हिमाचल प्रदेश	5470.63
9.	जम्मू-कश्मीर	4176.29
10.	झारखंड	28423.99
11.	कर्नाटक	14772.67
12.	केरल	2784.05
13.	मध्य प्रदेश	147060.79
14.	महाराष्ट्र	1008.75
15.	मणिपुर	1088.13
16.	मेघालय	3669.15
17.	मिजोरम	865.25
18.	नागालैंड	2166.59
19.	उड़ीसा	32567.08
20.	पंजाब	1650.17
21.	राजस्थान	62030.51
22.	सिक्किम	364.75
23.	तमिलनाडु	33376.93
24.	त्रिपुरा	12451.45

1	2	3
25.	उत्तरांचल	6456.90
26.	उत्तर प्रदेश	33775.72
27.	पश्चिम बंगाल	72635.88
	कुल	653242.31

बांस से ऊर्जा

2723. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बांस से विद्युत सृजित करने वाले कोई उपकरण को बनाया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में बांस से विद्युत सृजित करने की अत्यधिक सम्भावना मौजूद है;

(ग) क्या सरकार के पास देश में बांस आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों की पहचान की गई है और इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) इन परियोजनाओं की स्थापना कब तक होने की सम्भावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग कच्ची सामग्री के रूप में बांस का उपयोग करते हुए मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकियों को विकसित करने, वैधीकृत करने और उनका प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय बांस अनुप्रयोग मिशन (एन.एम.बी.ए.) का कार्यान्वयन कर रहा है। मिशन के हिस्से के रूप में विद्युत उत्पादन हेतु कच्ची सामग्री के रूप में बांस का उपयोग करते हुए गैसीफायर विकसित किये गये हैं। इन गैसीफायरों में बांस अपशिष्ट और अन्य बायोमास का उपयोग किया जा सकता है।

(ख) बांस की अधिकता वाले सभी राज्य विद्युत उत्पादन के लिए इन गैसीफायरों का उपयोग कर सकते हैं। पूर्वोत्तर के सभी राज्य, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि इसके उदाहरण हैं।

(ग) राष्ट्रीय बांस अनुप्रयोग मिशन का विचारणीय विषय प्रौद्योगिकियों को विकसित करना, वैधीकृत करना और उनका प्रदर्शन करना है। सभी राज्यों में विद्युत उत्पादन यूनिटों की स्थापना करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। तथापि, इसमें रूचि रखने वाले राज्य इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संसद और विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण

2724. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संसद और विधान सभाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाने संबंधी कोई कार्यवाही कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विधेयक को कब तक पुर:स्थापित किये जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) से (ग) महिला आरक्षण विधेयक पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की अध्यक्ष द्वारा 22.08.2005 को एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यूपीए के घटक दलों और वाम दलों ने भाग लिया था, और तत्पश्चात् माननीय प्रधानमंत्री ने 24 अगस्त, 2005 को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेताओं और अन्य नेताओं के साथ एक बैठक की थी। तथापि, उपरोक्त दोनों बैठकों में विधेयक के उपबंधों पर कोई आम सहमति नहीं हो पाई थी। लोक सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की अवधारणा के प्रति मुख्य आक्षेप, चक्रानुक्रम प्रक्रिया से उद्भूत होता जान पड़ता है, जो कि संसद् सदस्य और उसके निर्वाचन क्षेत्र के बीच संबंध को तोड़ देगी। सरकार द्वारा संसद में एक नया विधेयक लाए जाने से पूर्व इन आशंकाओं को दूर करना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

राजसहायता संबंधी राष्ट्रीय नीति

2725. श्री असादूद्दीन ओवैसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में केन्द्र सरकार द्वारा राजसहायता रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राजसहायता संबंधी राष्ट्रीय नीति को अन्तिम रूप दे दिया हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) 'भारत में केन्द्र सरकार की सब्सिडियां' रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

1. हाल के वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राजसहायता (सब्सिडी) में तीन कारणों से बढ़ोतरी हुई है: (i) पेट्रोलियम क्षेत्र को बजटीय राजसहायता की एक पारदर्शी प्रणाली की ओर ले जाना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसिन तथा घरेलू एलपीजी पर राजसहायता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की घोषणा करने में विलम्ब; (ii) खाद्यान्न और उर्वरक पर सुनिश्चित बजटीय राजसहायता में बढ़ोतरी; और (iii) वसूली की दरों में किसी प्रकार के सुधार के बिना निवेश लागत में वृद्धि जिसके परिणामरूवरूप विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर दी जाने वाली निहित राजसहायता में भारी वृद्धि होना।

2. राजसहायता संबंधी सुधारों का लक्ष्य यह होना चाहिए (i) राजस्व प्राप्तियों के संबंध में उनकी मात्रा की घटना; (ii) गैर-गुणाधारित राजसहायता को समाप्त करते हुए इन्हें केवल गुणाधारित श्रेणी तक ही सीमित करना; (iii) और अधिक सीधे तौर पर लक्षित लाभकर्ताओं को राजसहायता देना; (iv) बजट में उन्हें स्पष्ट रूप से दर्शाकर राजसहायता को पारदर्शी बनाना; और (v) एक ही नीतिगत उद्देश्य की पूर्ति हेतु बहुविध राजसहायता देने से बचना।

3. किसी जनोपयोगी सुविधा अथवा सेवा की व्यवस्था में प्रचालनात्मक अकार्यकुशलता से उत्पादन की लागत अधिक और राजसहायता में अत्यधिक बढ़ोतरी होती है।

4. सेवा-व्यवस्था की उच्च लागत और प्रयोक्ता प्रभारों के माध्यम से की गई कम अथवा नगण्य वसूलियां राजसहायता के अत्यधिक होने के दो प्रमुख कारक हैं। उत्पादनकर्ता संबंधी अकुशलता को समाप्त करके लागतों को कम किए जाने की आवश्यकता है। राजसहायता संबंधी सुधारों में चुनिंदा क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करके प्राथमिकता तय करने की आवश्यकता है जिससे अधिकतम परिणाम प्राप्त होंगे।

(ख) से (घ) सरकार ने गरीबों और छोटे तथा सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों और शहरी गरीबों जैसे वास्तविक जरूरतमंदों को लक्ष्य बनाकर राजसहायता देने का प्रयास किया है इस संबंध में समय-समय पर आवश्यक नीतिगत उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

बीआईआरएसी की स्थापना

2726. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जैव प्रौद्योगिकी औद्योगिक अनुसंधान केन्द्र (बीआईआरएपी) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ लघु व्यापार नवाचार अनुसंधान प्रयास (एसबीआईआरआई) का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या लाभ होने की सम्भावना है;

(ङ) क्या इस संबंध में सरकारी अथवा निजी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा कोई समझौता/समझौता मसौदा तैयार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी हां, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान एवं विकास सहायता परिषद (बीआईआरसी) की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव कर रहा है जो प्रवतन का संवर्धन किए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच संबंधों को सुकर बनाए जाने के लिए एक सुदृढ़ परस्पर अंतरापृष्ठ एक अभिकरण स्वरूप कार्य करेगी। बीआईआरएसी प्रौद्योगिकी साधन/अनुज्ञप्ति, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन, प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान, प्रारंभिक चरण पर वित्त-पोषण, सामूहिक भवन निर्माण और जोखिमपूर्ण वित्त-पोषण इत्यादि के माध्यम से औद्योगिक विकास के संवर्धन में सहायता भी करेगा।

(ग) और (घ) जी नहीं, लघु व्यापार नवीन अनुसंधान पहल (एसबीआईआरआई) पर बीआईआरसी के प्रस्ताव के लिए विद्यमान योजना का विस्तार नहीं किया जा रहा है। फिर भी बीआईआरएसी विचार-सृजन बैठकों और एसबीआईआरआई प्रस्तावों के अनुवीक्षण को सुकर बनाएगा।

(ङ) और (च) इस समय, बीआईआरसी की स्थापना किए जाने के लिए एक व्यावहारिक प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है जो संबंधित विशेषज्ञों और साझेदारों के साथ विचार-विमर्श किए जाने के अधीन है। कोई समझौता तैयार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

क्रेडिट कार्ड कम्पनियों द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन

2727. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रेडिट कार्ड कम्पनियों के लिए कार्डधारकों की अदायगी क्षमता का आकलन करना और 'नो-यूअर कस्टमर' (अपने ग्राहक को जानिए) मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य है;

(ख) क्या आरबीआई के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बावजूद क्रेडिट कार्ड सम्पनियां ब्याज दर जैसी सूचनाओं को स्पष्ट रूप से बताने के लिए तैयार नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार के सामने कितने मामले आए हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उन बैंकों के विरूद्ध क्या कदम उठाए गए हैं जो ब्याज दर जैसी सूचना को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाते हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां। भारतीय बैंक ने बैंकों/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा क्रेडिट कार्ड परिचालनों के संबंध में 2 जुलाई, 2007 को मास्टर परिपत्र जारी किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है, कि बैंक को व्यक्तियों, विशेष रूप से विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों को, जिनके पास कोई स्वतंत्र वित्तीय साधन नहीं है, कार्ड जारी करते समय ऋण जोखिम का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करना चाहिये। इन मार्गनिर्देशों में यह प्रावधान भी है कि कार्ड जारी करने वाला बैंक/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी उन मामलों में भी, जहां सीधी बिक्री एजेन्ट (वीएसए)/सीधे विपणन एजेन्ट (डीएमए) या अन्य एजेन्ट उनकी ओर से कारोबार का अनुरोध करते हैं, अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगी।

(ख) से (घ) सरकार की वर्तमान प्रबंध सूचना प्रणाली से वांछित आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं। तथापि, बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 मई, 2006 को बैंकों को निर्धारित फार्मेट में विभिन्न सेवा प्रभारों के ब्यौरे अपनी वेबसाइटों पर और अपने कार्यालयों/शाखाओं में प्रदर्शित करने और उसे अद्यतन बनाने के लिए अनुदेश जारी किए हैं। सेवा प्रभार निर्धारित करते समय, बैंकों ये यह सुनिश्चित करने की आशा की जाती है कि प्रभार उचित हों, सेवाएं प्रदान करने की लागत के अनुरूप हों और कम मूल्य/मात्रा में लेन-देन करने वाले ग्राहकों को दण्डित न किया जाये। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 20 जुलाई, 2006 के अपने निर्देशों के तहत बैंकों को परामर्श दिया है कि सेवा प्रभारों और शुल्कों को उनकी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर 'सेवा प्रभार और शुल्क' शीर्षक के अंतर्गत प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाए ताकि बैंक ग्राहक यह जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें। बैंकों को शिकायत के निवारण के लिए मुख्य पृष्ठ पर ही नोडल अधिकारी के नाम के साथ-साथ शिकायत का फार्म भी उपलब्ध कराना होता है ताकि ग्राहकों को शिकायत करने में आसानी हो सके।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को परामर्श दिया है कि क्रेडिट कार्ड देयराशियों के संबंध में वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर), एपीआर

के परिकलन का तरीका, परिकलन के तरीके सहित विलम्बित अदायगी प्रभार, ब्याज के परिकलन के लिए बकाया अदत्त राशि को शामिल करने का तरीका आदि कार्ड जारी करने वाले बैंकों द्वारा 'वेलकम किट' और मासिक विवरण में दर्शाया जाना चाहिए। बैंकों को क्रेडिट कार्ड देय राशियों के संबंध में अपनी ब्याज दर/सेवा प्रभार निर्धारित करने में पारदर्शी होने और उसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्तों एव निबंधनों में सम्मिलित करने का परामर्श भी दिया गया है। इसके अलावा, क्रेडिट कार्ड परिदृश्य की सख्त निगरानी की जा रही है और बैंकों को उनके क्रेडिट कार्ड परिचालनों के संबंध में अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर आधार पर जारी किए जाते हैं।

बैंकिंग ओमड्समैन स्कीम, 2006 दिनांक 1 जनवरी, 2006 से अधिसूचित की गई है, जिसके तहत ग्राहक को पूर्व सूचना दिए बिना सेवा प्रभार वसूलने, बैंकों द्वारा अपनाई गई उचित व्यवहार संहिता का पालन न करने, क्रेडिट कार्ड संबंधी शिकायतों, बैंकों द्वारा अपने एजेन्टों के माध्यम से आश्वासित सेवाएं प्रदान करने में कमी आदि जैसे क्षेत्रों में ग्राहकों की शिकायतों को सम्मिलित करने के लिए योजना के क्षेत्र को व्यापक बनाया गया है।

एसबीआई द्वारा स्वच्छ विकास प्रणाली परियोजना

2728. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसबीआई ने स्वच्छ विकास प्रणाली परियोजनाओं के लिए उद्योगों को संयुक्त रूप से समाधान प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। वैशिक कार्बन ट्रेडिंग बाजार में उभरती संभावनाओं का फायदा उठाने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक ने स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएम) परियोजनाओं को संयुक्त रूप से समाधान उपलब्ध कराने के लिये तीन सीडीएम परामर्शदाताओं यथा मिटकान कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, इकोसिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा कैंटर सीओ2ई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। बैंक ने एक नीति बनाई है जिसके जरिये उसकी सीडीएम संबंध क्षेत्रों जैसे कि (i) परामर्शी सेवाए, (ii) मध्यस्थता सेवाएं, (iii) कार्बन क्रेडिट प्राप्य वस्तुओं के सापेक्ष ऋण (iv) कार्बन क्रेडिट सुपुर्दगी गारंटी, (v) सीडीएम लाभ प्राप्त करने के लिये लघु इकाइयों का समूहन, (vi) निलंब प्रणाली, आदि में स्वयं को शामिल करने की योजना है।

छोटे नगरों का शहरीकरण

2729. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अर्थव्यवस्था में वृद्धि को देखते हुए छोटे नगरों के संतुलित शहरीकरण के लिए योजनाएं बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

2730. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत की विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों में ये योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ग) जी, हां। उपलब्ध जानकारी तथा आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विश्व बैंक ने भारत में कई ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां आबंटित की हैं। योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(राशि: अमरीकी डालर मिलियन में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना अवधि		आबंटित निधियां	राज्य, जहां यह कार्यान्वित की जा रही है
1.	बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना-जीविका	1.9.2007	31.10.2012	63	बिहार
2.	आंध्र प्रदेश-ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन परियोजना	13.5.2003	30.9.2008	150	आंध्र प्रदेश
3.	छत्तीसंगढ़ जिला ग्रामीण निर्धनता परियोजना	13.11.2003	31.3.2009	92.56	छत्तीसगढ़
4.	कर्नाटक पंचायत सशक्तिकरण परियोजना	4.10.2006	31.3.2012	120	कर्नाटक
5.	मध्य प्रदेश जिला निर्धनता पहल परियोजना	27.2.2000	30.6.2008	90.1	मध्य प्रदेश
6.	राजस्थान जिला निर्धनता पहल परियोजना	7.8.2000	31.12.2007	100.5	राजस्थान
7.	तमिलनाडु सशक्तिकरण तथा गरीबी उन्मूलन परियोजना	24.10.2005	30.9.2011	120	तमिलनाडु
8.	ग्रामीण सड़क परियोजना (पीएमजीएसवाई-I)	16.3.2005	31.3.2010	399.5	हिमाचल प्रदेश राजस्थान झारखंड उत्तर प्रदेश

[अनुवाद]

शहरी सहकारी बैंकों संबंधी कृतिक बल

2731.. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात राज्य सरकार के साथ शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में किसी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या राज्य में शहरी सहकारी बैंक संबंधी एक राज्य-स्तरीय कृतिक बल का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात राज्य में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के संबंध में 28 जून, 2005 को गुजरात राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। चूंकि शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक और संबंधित राज्य सरकार के दोहरे नियंत्रण में रहते हैं, अतः समझौता ज्ञापन में एक ऐसी व्यवस्था करने की मांग की गई है, जिसके जरिए क्षेत्र के विकास को सुकर बनाने के लिए दृष्टिकोणात्मक एवं उपचारात्मक कार्रवाई को संकेन्द्रित किया जा सके। समझौता ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का प्रावधान है:-

(i) संभावित रूप से अर्थक्षम शहरी सहकारी बैंकों को पुन: अर्थक्षम बनाने तथा गैर-अर्थक्षम शहरी सहकारी बैंकों को व्यवस्था में व्यवधान डाले बिना हटाने के लिए समयबद्ध कार्य योजना की पहचान करना और ऐसी योजना बनाने हेतु राज्य स्तरीय कार्य बल का गठन करना।

(ii) शहरी सहकारी बैंकों में मानव संसाधन विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी पहल को सुकर बनाना।

(iii) लेखा परीक्षा का व्यवसायीकरण अर्थात 25 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि वाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए सनदी लेखाकार द्वारा सांविधिक लेखा-परीक्षा।

(iv) बैंक के मार्गनिर्देशों के आधार पर मुख्य कार्यपालकों के लिए उपयुक्त एवं समुचित मानदंड बनाना।

(ग) और (घ) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के परिणामस्वरूप गुजरात के लिए शहारी सहकारी बैंकों हेतु राज्य स्तरीय कार्य बल (टीएएफसीयूबी) का गठन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक गुजरात राज्य के लिए टीएएफसीयूबी के अध्यक्ष हैं, जबकि रजिस्ट्रार, सहकारी समिति (आरसीएस), गुजरात इसके सह-अध्यक्ष हैं, गुजरात राज्य सरकार का नामिती, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के शहरी बैंक विभाग, केन्द्रीय कार्यालय का प्रतिनिधि, शहरी सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय परिसंघ तथा शहरी सहकारी बैंकों के राज्य परिसंघ प्रत्येक से एक प्रतिनिधि टीएएफसीयूबी के अन्य सदस्य हैं।

नाबार्ड द्वारा बढ़ाई गई ब्याज दर को वापस लिया जाना

2732. **श्री नवीन जिन्दल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा कृषि ऋणों पर बढ़ाई गई ब्याज दर को वापस लिए जाने हेतु राज्य सरकार से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) किसानों को कम ब्याज दरों पर दीर्घ-कालिक ऋण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैक (नाबार्ड) किसानों को न तो सीधे उधार देता है और न ही उसके पास ऐसा कोई प्रस्ताव है क्योंकि ऐसा करने के लिए उसके पास आधारभूत एवं संगठनात्मक व्यवस्था नहीं है। तथापि, नाबार्ड बैंकों को कृषि उधार के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है। नाबार्ड ने वर्ष 2006-07 के दौरान, पात्र जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) की ओर से, राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) को भारत सरकार की ब्याज सहायता के साथ रियायती ब्याज दर पर अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन) (एसटी-एसएओ) प्रदान किया है। इस पुनर्वित्त को प्राप्त करने के लिए शर्त यह है कि सहकारी बैंक प्रत्येक उधारकर्त्ता को 3.00 लाख रुपये तक का फसल ऋण 7% वार्षिक की ब्याज दर पर प्रदान करें।

ब्याज सहायता योजना को अंतिम रूप देते समय यह निर्धारित किया गया था कि नाबार्ड सहकारी बैंकों को वर्ष 2006-07 में 2.5% पर पुनर्वित प्रदान करेगा तथा इस दर में प्रतिवर्ष 50 आधार बिन्दु की वृद्धि करके 2009-10 तक इसे 4% वार्षिक के स्तर पर लाया जरना है। परिणामस्वरूप, पुनर्वित्त पर ब्याज दर निम्नानुसार निर्धारित की गई थी: 2006-07 के दौरान 2.5%, 2007-08 के दौरान 3.0%, 2008-09 के दौरान 3.5% और 2009-10 के दौरान 4.0%। योजना के अनुसार, वर्ष 2007-08 के लिए इस रियायती पुनर्वित पर ब्याज दर 3% वार्षिक है। तथापि, किसानों के लिए 3,00,000/- रुपये तक के मूल फसल ऋण के लिए ब्याज 7% वार्षिक पर बनी हुई है।

इसके अतिरिक्त, दीर्घावधि कृषि ऋणों के लिए पुनर्वित्त देने पर ब्याज दर घटाने को कोई प्रस्ताव नहीं है।

लार्ड कृष्णा बैंक

2733. **डा. के.एस. मनोज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लार्ड कृष्णा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मासिक निगरानी के अंतर्गत है;

(ख) यदि हां, तो क्या लार्ड कृष्णा बैंक में प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी को घटाकर 10% के स्तर पर लाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) लार्ड कृष्णा बैंक को, 30 सितम्बर, 1997 को इसकी स्थिति

के संबंध में किए गए वार्षिक वित्तीय निरीक्षण में खराब वित्तीय एवं अन्य प्रतिकूल परिणामों के कारण तिमाही निगरानी प्रणाली तथा बाद में अप्रैल, 2001 से मासिक निगरानी के अधीन रखा गया था। बैंक दिसम्बर, 2003 से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किए गए "निदेशन" के अधीन भी था। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 44क के अंतर्गत लार्ड कृष्णा बैंक लिमिटेड का सेन्चुरियन बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड के साथ 29 अगस्त, 2007 से समामेलन की योजना मंजूर की है।

दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग सहकारी सोसाइटियों हेतु लाटरियों का ड्रा

2734. श्री मोहन जेना : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सहकारी सोसाइटियों के पंजीयक ने पिछले चार वर्षों में डीडीए द्वारा फ्लैटों के आवंटन हेतु किसी ग्रुप हाउसिंग सहकारी सोसाइटी को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो आवासीय इकाइयों के आवंटन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है;

(ग) क्या सीबीआई/न्यायालय/सरकार तथा किसी अन्य प्राधिकरण ने दिल्ली के सहकारी सोसाइटियों के पंजीयक को दिल्ली में सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को फ्लैटों के आवंटन की प्रक्रिया रोकने का निर्देश दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो लाटरियों के ड्रा को रोकने के क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त (क) में दिये गए उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रजिस्ट्रार, कापरेटिव सोसाइटी (आर.सी.एस.) ने यह सूचित किया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सी डब्ल्यू पी. सं. 10066/2004-योगीराज कृष्ण ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाम डीडीए एवं अन्य में सीबीआई को उन 101 कापरेटिव ग्रुप हासिंग सोसाइटियों की जांच का कार्य सौंपा है, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटित की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सी.पी.डब्ल्यू. सं. 19967/2004-नेहरू कापरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) में दिनांक 7-9-2006 के अपने आदेश के तहत डीसीएस नियम, 1973 के नियम 24(2) के उल्लंघन में बनाये गए सदस्यों को प्रारम्भ से ही अवैध घोषित किया है तथा सी.बी.आई./अपराध शाखा को भी निर्देश दिया है कि वे कथित उल्लंघन के संदर्भ में ऐसी सोसाइटियों की जांच करें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सी.पी.डब्ल्यू. सं. 1403-14/2006-राजीव मुखोपाध्याय बनाम आर.सी.एस. में दिनांक 2-7-2007 के अपने आदेश के तहत डीडीएस नियम, 1973 के नियम 24(2) की संवैधानिक वैधता को भी बरकरारी रखा है। सी.बी.आई. द्वारा जांच पूरी करने, सोसाइटियों द्वारा फ्लैटों के आवंटन के लिए आर सी.एस. के कार्यालय को अपेक्षित कागजात प्रस्तुत किए जाने तथा आर.सी.एस., राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा सदस्यता की स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद सदस्यों को कापरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी फ्लैटों के आवंटन पर विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

दिल्ली में भूमि का अतिक्रमण

2735. श्री पंकज चौधरी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्थानवार किन-किन क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है;

(ख) ऐसी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस भूमि को कब तक अतिक्रमण से मुक्त कराए जाने की संभावना है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि झुग्गी-झौपड़ी बस्तियों, अनधिकृत कालोनियों, व्यवसायिक संरचनाओं, धार्मिक भवनों आदि के रूप में लगभग 1398 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के स्लम और झुग्गी-झौपड़ी विभाग ने यह सूचित किया है कि उसकी लगभग 14,828 वर्ग मीटर भूमि पर झुग्गियों/धार्मिक संरचनाओं आदि के रूप में अतिक्रमण

है। दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पार्कों/गार्डनों/हरितक्षेत्रों के लगभग 67.68 एकड़ क्षेत्र पर धार्मिक अतिक्रमण है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने यह सूचित किया है कि एन.डी.एम.सी. क्षेत्र में लगभग 1.40 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र पर झुग्गी बस्तियों का अतिक्रमण है।

(ग) और (घ) सरकार भूमि स्वामित्व वाली एजेन्सियों पर अपनी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखने हेतु दबाव डालती रही है। संबंधित भूमि के प्रशासनिक नियंत्रण/स्वामित्व वाली एजेन्सियां कानून के अनुसार सार्वजनिक भूमि को पुनः प्राप्त करने हेतु उपयुक्त उपाय करती हैं; अर्थात स्थानीय पुलिए से शिकायत सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कार्रवाई, पात्र स्क्वेटरों को पुनः बसाने/पुर्नस्थापन, अनधिकृत संरचनाओं को गिराना आदि।

[अनुवाद]

शहरी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना

2736. **श्रीमती जयाप्रदा : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक शहरी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में प्रविष्ठि 5 के अनुसार "स्थानीय शासन" राज्यों का विषय है। निजी डेवेलपरों एवं बिल्डरों के कार्यकलापों का विनियमन राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों/विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्रों में आता है जो उनके क्रियाकलापों को राज्य नगर एवं ग्राम नियोजन/शहर विकास प्राधिकरण अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन नियंत्रित करते है। तथापि, सरकार स्थावर सम्पदा प्रबन्धन विनियमन एवं नियंत्रण विधेयक तैयार कर रही है जिसका मसौदा बनाया जा रहा है।

पी.एन. माध्यम का दुरूपयोग

2737. **श्री फ्रांसिस फैन्थम : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न वित्तीय विशेषज्ञों ने यह इंगित किया है कि बाजार में सटोरियों द्वारा पार्टिसिपेटरी नोट्स का दुरूपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि स्टाक एक्सचेंज में ट्रेडिंग हेतु पार्टिसिपेटरी नोट्स को वित्तीय लिखित के रूप में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए चूंकि लेनदेन के लाभार्थी अज्ञात रह जाते हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे किसी प्रस्ताव की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों द्वारा पी. नोट्स के प्रयोग पर कब तक प्रतिबंध लगाने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) भारतीय शेयर बाजारों में निवेश के लिए पार्टिसिपेट्री नोट्स (पी.एन्स) रूट के उपयोग पर वित्तीय विशेषज्ञों के बीच अलग-अलग राय है "विदेशी संस्थागत निवेशकों के प्रवाहों को प्रोत्साहित करने और सट्टात्मक प्रवाहों के प्रति पूंजी बाजारों की सुभेद्यता को नियंत्रित करने" हेतु भारत सरकार द्वारा डा. अशोक लाहिड़ी की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह ने पार्टिसिपेट्री नोटस के मुद्दे की जांच करके सिफारिश की कि पीएन के लिए वर्तमान व्यवस्था जारी रहे।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उत्पाद-शुल्क छूट को वापस लिया जाना

2738. **चौ. मुनव्वर हसन :**
श्री उदय सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेषज इकाइयों द्वारा ठेका विनिर्माण और ऋण लाइसेंसिंग में उत्पाद-शुल्क अपवंचन के मामले केन्द्र सरकार की जानकारी में आए है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ठेका विनिर्माताओं और ऋण

लाइसेंसों से उत्पाद-शुल्क छूट को वापस लेने का है जैसाकि 21 जुलाई, 2007 के "तहलका" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) सरकार को ऋण लाइसेंस धारियों और ठेका विनिर्माताओं को औषधियों के उत्पादन के लिए कर मुक्त राज्यों में प्राप्त उत्पादन शुल्क छूट की वापसी के संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की जा रही है।

नाबार्ड द्वारा किसानों का ब्याज माफ किया जाना

2739. श्री प्रतीक पी. पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को गत दो वर्षों के दौरान किसानों हेतु विशेष पैकेज के अंतर्गत भारी ब्याज भार को माफ करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) किसानों की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र (06), आंध्र प्रदेश (16), कर्नाटक (06) और केरल (03) के चार राज्यों के 31 ऋणग्रस्त जिलों में सरकार द्वारा किसानों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की गई थी। इसमें 1.7.2006 की स्थिति के अनुसार, अतिदेय ऋणों पर समस्त ब्याज को माफ करने की व्यवस्था है। योजना को अंतिम रूप देते समय, पहचाने गए 31 जिलों में अतिदेय ब्याज के रूप में 2720.93 करोड़ रुपये माफ करने का अनुमान लगाया गया था तथा, 27.7.2007 की स्थिति के अनुसार, इन जिलों में अतिदेय ब्याज के रूप में 3732.96 करोड़ रुपये की राशि माफ कर दी गई है। विशेष पैकेज में, 1.7.2006 की स्थिति के अनुसार किसानों के अतिदेय ऋणों को वर्ष के अधिस्थगन के साथ 3-5 वर्षों की अवधि में पुनर्निर्धारित किए जाने का भी प्रावधान है। पुनर्निधारित किए जाने वाले ऋण की अनुमति राशि 9051.81 करोड़ रुपये थी, जबकि 10967.98 करोड़ रुपये की ऋण राशि को 27.2.2007 के अनुसार पुनर्निर्धारित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

दूसरे आवास की खरीद के लिए ऋण पर ब्याज दर

2740. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री कीरेन रिजीजू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र के कतिपय बैंक उच्च ब्याज दर पर द्वितीय आवस ऋण मुहैय्या करा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में आवासीय इकाइयों की कमी के मद्देनजर दूसरे आवास की खरीद हेतु ऋण पर ब्याज दरें बढ़ाने का भी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) 18 अक्तूबर, 1994 से, आरबीआई ने 2 लाख रुपए से अधिक के अग्रिमों पर ब्याज दरें अविनियमित कर दी हैं और ऐसे अग्रिमों पर ब्याज दरें बैंकों द्वारा अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से स्वयं तय की जाती है, न कि आरबीआई अथवा सरकार द्वारा।

[अनुवाद]

लघु स्तरीय ऊर्जा योजना

2741. श्री आलोक कुमार मेहता :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गांवों/क्लस्टरों को लघु स्तरीय ऊर्जा योजनाओं के अंतर्गत लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लघु स्तरीय ऊर्जा योजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी बजट आबंटन किया गया है;

(ग) क्या यही योजना बिहार में भी क्रियान्वित की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2003-04 से राज्यों के साथ 50:50 लागत भागीदारी आधार पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'संशोधित एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी)' का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्यों द्वारा पहचाने गए जिलों में चुनिंदा ग्राम-समूहों हेतु माइक्रो स्तरीय ऊर्जा योजनाओं की तैयारी का प्रावधान है। इस योजना में ऐसी ऊर्जा योजनाओं की तैयारी के लिए प्रति जिला प्रति वर्ष 1 लाख रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान है। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मंजूर की गई आईआरईपी परियोजनाओं हेतु निधियों के राज्य-वार आबंटन की व्यवस्था नहीं है। वर्ष 2006-07 तक संशोधित आईआरईपी योजना का कार्यान्वयन 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किया गया है जिसमें देश के 323 जिलों को शामिल किया गया है। वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक माइक्रो स्तरीय ऊर्जा योजनाओं हेतु निधियों सहित संशोधित आईआरईपी योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान आईआरईपी को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अन्य कार्यक्रमों के साथ मिला दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) और (घ) बिहार राज्य द्वारा, संशोधित आईआरईपी योजना के कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए गए और इसीलिए बिहार राज्य में इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं किया गया।

विवरण

संशोधित आईआरईपी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	61.50	–	34.07	25.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.11	–	12.74	43.92
3.	छत्तीसगढ़	82.50	–	–	–
4.	गुजरात	–	12.00	–	–
	प्रशिक्षण केन्द्र, आनन्द	–	20.00	–	–
5.	हरियाणा	97.50	88.00	12.20	137.83
6.	हिमाचल प्रदेश	62.5	–	–	297.50
7.	जम्मू-कश्मीर	–	72.50	–	–

1	2	3	4	5	6
8.	झारखंड	27.66	—	—	—
9.	कर्नाटक	96.65	—	—	—
	प्रशिक्षण केन्द्र, बंगलौर	5.00	13.00	20.00	20.00
10.	केरल	142.50	—	—	—
11.	मध्य प्रदेश	52.52	203.25	—	—
12.	मणिपुर	34.64	—	—	—
13.	मेघालय	20.00	—	—	—
	प्रशिक्षण केन्द्र, शिलांग	—	25.50	4.20	—
14.	मिजोरम	32.50	4.36	16.25	—
15.	नागालैंड	32.50	—	—	—
16.	पांडिचेरी	3.66	—	—	—
17.	पंजाब	87.50	67.75	—	160.26
18.	तमिलनाडु	—	—	72.50	—
19.	त्रिपुरा	—	12.50	—	—
20.	उत्तरांचल	67.50	50.75	—	12.31
21.	उत्तर प्रदेश	250.00	264.50	182.00	291.29
	प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ	14.52	20.00	9.32	—
—	प्रशिक्षण केन्द्र, बकोली, दिल्ली	—	17.00	—	..

मुम्बई में मेट्रो ट्रेन सुविधा

2742. श्री रेवती रमन सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुम्बई तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में मेट्रो रेल शुरू करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में 9 कारीडोरो में मैट्रो रेल प्रणाली आरम्भ करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसे

3 चरणों में कार्यान्वित किया जाना है। 9 कारीडोरों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	कारीडोर	लम्बाई कि.मी. में
1.	वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर	11.07
2.	चारकोप-बान्द्रा-मनखुर्द	31.8
3.	कोलावा-महिम-बांद्रा	19.95
4.	चारकोप-दहीसर	7.5
5.	घाटकोपर-मुलुंद	12.4
6.	बी.के.सी. से कंजूर मार्ग वाया एयरपोर्ट	19.5
7.	अंधेरी (ईस्ट)-दहीसर (ईस्ट)	18
8.	हुतात्मा चौक-घाटकोपर	21.8
9.	सेवरी-प्रभादेवी	3.5

केन्द्र सरकार को दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराने हेतु प्रथम तीन कारीडोरों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था

2743. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 1.1 ट्रिलियन अमरीकी डालर तक हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे आर्थिक स्तर तक पहुंचाने वाले कारक कौन-कौन से हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी किए गए संशोधित अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2006-07 के संबंध में वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद 41,25,725 करोड़ रुपये था। यह 2006-07 में 24.25 रुपये प्रति अमरीकी डालर की औसत विनिमय दर पर 912 बिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य है। भारत हाल के वर्षों में तीव्र आर्थिक विकास करता रहा है। जो इसके सकल घरेलू उत्पाद में हुई वृद्धि में प्रतिबिम्बित होता है।

ऊर्जा क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक

2744. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऊर्जा क्षेत्र में बाजार तंत्र को एक स्वतंत्र विनियामक के अंतर्गत लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) के रूप में बिजली क्षेत्र में स्वतंत्र विनियामक पहले से ही मौजूद हैं। इनके अतिरिक्त, पेट्रोलियम क्षेत्र के विनियमन हेतु दिनांक 25 जून, 2007 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) का गठन किया गया है जिसके अंतर्गत पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक गैस की रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, परिवहन, वितरण, विपणन और बिक्री संबंधी कार्य देखें जाते हैं।

[हिन्दी]

गरीबों के लिए आवास की समस्या

2745. श्री वी.के. ठुम्मर :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिस एजेंसी को दिल्ली में गरीब और मध्य वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने का काम सौंपा गया था, उसने अपना काम पूरा नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जो दिल्ली में निर्धन तथा मध्यम वर्ग के लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसी है, रोहिणी रिहायशी स्कीम के अंतर्गत प्लाटों का आवंटन करके, सहकारी समितियों को भूमि का आवंटन करके तथा निर्मित

फ्लैटों का आवंटन करके मकान उपलब्ध कराता आ रहा है। डीडीए द्वारा सीधे निर्माण, डीडीए द्वारा आवंटित प्लाटों पर गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा निर्मित रिहायशी इकाइयों, पुनर्वास कालोनियों तथा सहकारी समितियों को आवंटित प्लाटों पर निर्माण द्वारा नियोजित विकास के अंग के रूप में सृजित कुल आवासीय स्टाक लगभग 10.5 लाख है। इसके अलावा, दिल्ली नगर निगम और डीडीए के स्लम एवं जेजे विंग द्वारा स्लम समूहों के पुनर्वास के रूप में करीब एक लाख इकाइयां सृजित की गई हैं। डीडीए द्वारा निर्मित करीब तीन लाख रिहायशी इकाइयों में से 1.83 लाख निम्न आय वर्ग (एलआईजी) तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ई डब्ल्यूएस) से संबंधित हैं। इस प्रकार एल.आई. जी तथा ई.डब्ल्यू.एस. के लिए सृजित मकान डीडीए द्वारा निर्मित कुल इकाइयों का लगभग 60% है।

[अनुवाद]

यातायात की भीड़-भाड़

2746. श्री दुष्यंत सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रमुख शहरों में यातायात की भीड़-भाड़ और प्रदूषण की कमी पर मै. विल्बर स्मिथ एसोसिएशन प्राइवेट लि. अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मौसम चैनल को आरम्भ करना

2747. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौसम चैनल को आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मौसम चैनल पर अनुमानतः कितना खर्च होगा; और

(घ) इसके कब तक स्थापित होने की सम्भावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (घ) जी हां। सरकार ने जनसामान्य और अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली मौसम और जलवायु से संबंधित जानकारी प्रसारित करने के लिए सार्वजनिक-निजी-भागीदारी मोड में समर्पित मौसम चैनल की स्थापना करने की योजना बनाई है।

तीन चरणों में कार्यान्वित की जाने वाली कार्यनीति तैयार की जा रही है। छः घंटे के प्रसारण समय वाले चैनल का प्रथम चरण अगले वर्ष तक कार्यान्वित किया जाएगा। 12 और 24 घंटे के प्रसारण समय वाले अगले दो चरण वर्ष 2009 और वर्ष 2010 में कार्यान्वित किए जाएंगे।

चैनल शुरू करने पर होने वाले व्यय का ब्यौरा अभी प्रस्तुत किया जाना है।

[हिन्दी]

झुग्गी-झोपड़ी की संख्या में वृद्धि

2748. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास की किसी योजना पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में शहर में झुग्गी-झोपड़ियों की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गये उपायों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) मौजूदा सरकारी नीति के अनुसार दिल्ली में पात्र स्लम/झुग्गी वासियों को वैकल्पिक प्लाट आवंटित करके अन्यत्र बसाया जाता है। 1990-से पूर्व के स्क्वेटरों को 18 वर्ग मी. के प्लाट और 1990-के बाद लेकिन 31.12.98 से पूर्व के स्क्वेटरों को 12.5 वर्ग मी. के प्लाट आबंटित किए जाते हैं।

दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी)-2021 में ऐसे स्लम तथा झुग्गी-झोपड़ी समूहों के भूमि पाकेटों के स्वस्थाने उन्नयन की संकल्पना

की गई है जो सार्वजनिक/प्राथमिकता उपयोग के लिए अप्रेक्षित नहीं है और यह स्क्वेटरों के पुनर्वास के लिए किफायती आवास के प्रावधान के लिए पहला विकल्प है। स्वस्थाने उन्नयन या पुनर्वास के रूप में पुनर्बसाव, क्षैतिज प्लाटेड विकास के माडल के बनाए मुख्यत: साझा क्षेत्रों और सविधाओं वाले लगभग 25 वर्ग मी. के निर्मित आवासों पर आधारित होना चाहिए।

दिल्ली में स्लमों की वृद्धि की रोकथाम के लिए मास्टर प्लान में मिश्रित दृष्टिकोण तथा बहु-आयामी आवास कार्यनीति अपनाकर शहरी गरीबों के लिए कुल आवास का 50% से अधिक के प्रावधान की व्यवस्था की गई है।

सभी समूह आवास स्कीमों में, फर्शी क्षेत्रफल अनुपात का 15% या रिहायशी यूनिटों के 35% जो भी अधिक हो, तक ईडब्ल्यूएस आवास स्लम पुनवार्स का अनिवार्य प्रावधान है।

[अनुवाद]

राज्य सरकारों को प्रोत्साहन

2749. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकारें समय पर निधियों का उपयोग नहीं कर रही हैं और इसलिए उनके पास नकदी शेष बना रहता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार वित्त के बेहतर प्रबंधन हेतु राज्यों को प्रोत्साहन देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. के लिए विदेशों से कार्य आदेश

2750. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.पी.डब्ल्यू.डी. को विदेशों से कार्य आदेश प्राप्त करने का अधिदेश हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.पी.डब्ल्यू.डी. विदेश में कार्य करने के लिए साधन सम्पन्न है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं।

(ग) से (घ) उपर्युक्त "क" के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सी.पी.डब्ल्यू.डी. में पदों में कमी

2751. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त पदों को भरने में 10 प्रतिशत कटौती संबंधी आदेश सी.पी.डब्ल्यू.डी. में लागू हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन आदेशों की वजह से कार्य की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) रिक्त पदों को भरने में 10% कटौती संबंधी कोई आदेश नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न 12.00 बजे के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.01 बजे

(लोक सभा अपराह्न बारह बजकर एक मिनट पर पुन: समवेत हुई)

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, पत्र सभा पटल पर रखें जाएं।

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : महोदय, अब मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) एनटीपीसी लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 6862/2007]

(2) (एक) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 6863/2007]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारत इम्यूनोलाजिकल्स एण्ड बायोलाजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (बीआईबीसीओएल) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन स्वीकार करने संबंधी विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 6864/2007]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : महोदय, मैं 8वीं, 10वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:

आठवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या पैतालीस — दसवां सत्र, 1988

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 6865/2007]

2. विवरण संख्या तीस — चौदहवां सत्र, 1990

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 6866/2007]

दसवीं लोक सभा

3. विवरण संख्या चालीस — पांचवां सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 6867/2007]

4. विवरण संख्या पैंतीस — सातवां सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 6868/2007]

5. विवरण संख्या उनतालीस — नौवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 6868/2007]

6. विवरण संख्या चौंतीस — ग्यारहवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 6870/2007]

बारहवीं लोक सभा

7. विवरण संख्या चालीस — दूसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 6871/2007]

8. विवरण संख्या चौंतीस तीसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6872/2007]

9. विवरण संख्या छत्तीस चौथा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6873/2007]

तेरहवीं लोक सभा

10. विवरण संख्या चालीस तीसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6874/2007]

11. विवरण संख्या चौंतीस चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6875/2007]

12. विवरण संख्या चालीस सातवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6876/2007]

13. विवरण संख्या सत्ताईस आठवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6877/2007]

14. विवरण संख्या छब्बीस नौवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6878/2007]

15. विवरण संख्या बाईस दसवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6879/2007]

16. विवरण संख्या इक्कीस ग्यारहवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6880/2007]

17. विवरण संख्यां उन्नीस बारहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6881/2007]

18. विवरण संख्या सोलह तेरहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6882/2007]

19. विवरण संख्या पन्द्रह चौदहवां सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6883/2007]

चौदहवीं लोक सभा

20. विवरण संख्या तेरह दूसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6884/2007]

21. विवरण संख्या ग्यारह तीसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 6885/2007]

22. विवरण संख्या नौ चौथा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 6886/2007]

23. विवरण संख्या आठ पांचवां सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6887/2007]

24. विवरण संख्या सात छठा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6888/2007]

25. विवरण संख्या छह सातवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6889/2007]

26. विवरण संख्या चार आठवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 6890/2007]

27. विवरण संख्या तीन नौवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6891/2007]

28. विवरण संख्या दो दसवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6892/2007]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

1. (क) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी

बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 6893/2007]

(ख) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्टेट बैंक आफ पटियाला, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 6894/2007]

(ग) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्टेट बैंक आफ मैसूर, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 6895/2007]

(घ) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्टेट बैंक आफ इंदौर, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 6896/2007]

(ङ) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 6897/2007]

(च) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 6898/2007]

(छ) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 6899/2007]

(2) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2006-2007 के लिए आंध्रा बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 6900/2007]

(दो) वर्ष 2006-2007 के लिए बैंक आफ बड़ौदा के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 6901/2007]

(तीन) वर्ष 2006-2007 के लिए सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 6902/2007]

(चार) वर्ष 2006-2007 के लिए कारपोरेशन बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 6903/2007]

(पांच) वर्ष 2006-2007 के लिए देना बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 6904/2007]

(छह) वर्ष 2006-2007 के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 6905/2007]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 319(अ) जो 5 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी. शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 378(अ) जो 15 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी. शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 586(अ) जो 16 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी. शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 838(अ) जो 28 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 839(अ) जो 28 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 1020(अ) जो 26 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 1021(अ) जो 26 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 1230(अ) जो 26 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात

के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 1231(अ) जो 26 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 6906/2007]

(4) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) धन शोधन निवारण (अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम, 2007 जो 1 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 519(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) धन शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम, 2007 जो 1 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 520(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 6907/2007]

(5) (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 30 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 6908/2007]

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (आस्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 30 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 400(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी एकाउंटस) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 30 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 455(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर स्थावर संपत्ति का अर्जन और अंतरण) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 30 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 456(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 23 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 495(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 6909/2007]

(7) संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अंतर्गत निम्ननिम्नलिखत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समझौता आयोग (अध्यक्ष, उपाध्यक्षों और सदस्यों की भर्ती और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2007 जो 11 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 340(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) समझौता आयोग (आय-कर/धन-कर) (अध्यक्ष, उपाध्यक्षों और सदस्यों की भर्ती और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2007 जो 11 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 341(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6910/2007]

(8) (एक) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक आफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक आफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6911/2007]

अपराह्न 12.01¼ बजे

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव महोदय : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेलवे)) संख्याक 3 विधेयक, 2007 को, जिससे लोक सभा द्वारा अपनी 23 अगस्त, 2007 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के अबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 30 अगस्त, 2007 को हुई अपनी बैठक में पारित शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 2007 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय, मैं राज्यसभा द्वारा 30 अगस्त, 2007 को यथा पारित शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 2007 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न, 12.01½

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

सभा की बैठक रद्द करना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को सूचित करना है कि कल (30.08.07) हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिए निर्णय के अनुसार, दिनांक 3 सितम्बर, 2007 को सभा की निर्धारित बैठक को रद्द कर दिया जाए।

मुझे आशा है कि सभा इस पर सहमत होगी।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

अपराह्न, 12.01¾ बजे

लोक लेखा समिति

विवरण

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय मैं, लोक लेखा समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले विवरणों के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं:-

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

(एक) "वस्त्र निर्माता द्वारा संयंत्र और मशीनरी का कथित अनधिकृत आयात, गलत-घोषणा और माल की अंडर-इन्वायसिंग" के बारे में लोक लेखा समिति (10वीं लोक सभा) का 61वां प्रतिवेदन।

(दो) "न्यूयार्क में स्थायी दूतावास के लिए भवन" के बारे में लोक लेखा समिति (11वीं लोक सभा) का 5वां प्रतिवेदन।

(तीन) "मोडवेट स्कीम-क्रेडिटों की कपटपूर्ण प्राप्ति" के बारे में लोक लेखा समिति (11वीं लोक सभा) का 8वां प्रतिवेदन।

(चार) "संघ सरकार विनियोग लेखाओं (सिविल) के प्ररूप में संशोधन" के बारे में लोक लेखा समिति (11वीं लोक सभा) का 21वां प्रतिवेदन।

(पांच) "अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम" के बारे में लोक समिति (13वीं लोक सभा) का चौथा प्रतिवेदन।

(छह) "भारतीय वायुसेना में विमान दुर्घटनाएं" के बारे में लोक समिति (13वीं लोक सभा) का 60वां प्रतिवेदन।

(सात) "दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों (2000-2001) पर अधिशेष" के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) का छठा प्रतिवेदन।

(आठ) "आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत रिफंड्स" के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) का 15वां प्रतिवेदन।

(नौ) "संघ सरकार विनियोग लेखा (सिविल) 1996-97" के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) का 17वां प्रतिवेदन।

(दस) "दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों (2001-2002) पर अधिशेष" के बारे में लोक समिति (14वीं लोक सभा) का 22वां प्रतिवेदन।

अपराह्न, 12.02 बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

बीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, मैं आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों के बारे में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02¼ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के बारे में न्यायमूर्ति रजिन्दर सच्चर की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट* सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में मुसलमान समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के बारे में चूंकि प्रमाणित सूचना का अभाव था, इस विषय पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में दिनांक 09 मार्च 2005 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों और शैक्षिक निकायों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, युवाओं और केन्द्र सरकार के विशेष संगठनों और निकायों के साथ व्यापक विचार-विमर्श कर रिपोर्ट तैयार की गई थी।

2. इस उच्च स्तरीय समिति (जिसे सच्चर समिति के रूप में जाना जाता है) ने अपनी रिपोर्ट 17 नवम्बर 2006 को प्रस्तुत की थी। ये रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में 30 नवम्बर 2006 को पेश की गई थी।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6912/2007

3. सच्चर समिति ने मुस्लिम समुदाय की स्थिति के बारे में एकदम वास्तविकता उजागर की थी। सच्चर के मुख्य निष्कर्ष अनुबंध में दिए गए हैं।

4. सच्चर समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में एक निर्णय लिया गया है। मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(एक) पहचान किए गए 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में जो विभिन्न विकासात्मक मानदंडों के अर्थों में पिछड़े हैं, उनमें मूल सुविधाओं और आर्थिक अवसरों में सुधार के लिए लक्षित हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव है।

(दो) अल्पसंख्यकों की जनसंख्या वाले पहचान किए गए 338 नगरों एवं शहरों में नागरिक सुविधाओं तथा आर्थिक अवसरों में कमी में सुधार करने के लिए समुचित उपाय किए जाएंगे। इस संबंध में समुचित कार्यनीतियों की सिफारिश करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी कार्यबल इस पर पहले ही काम कर रहा है।

(तीन) मुस्लिम समुदाय में कौशल और उद्यमीय विकास तथा अल्पसंख्यकों को आसान एवं सुचारू ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की योजना बनाने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समूह गठित किया गया है। मुसलमान समुदाय, विशेषकर जो शिल्पकारी कार्यकलापों में कार्यरत हैं, की पर्याप्त संख्या वाले कलस्टरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। समूह द्वारा विचार-विमर्श आरम्भ कर दिया गया है।

(चार) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, मुसलमानों की बहुलता वाले क्षेत्रों में अधिक शाखाएं खोलेंगे, वित्तीय संस्थाएं अल्पसंख्यकों में, विशेषकर महिलाओं में माइक्रो वित्त को बढ़ावा देंगी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अल्पसंख्यकों के ऋण आवेदनों के निष्पादन की निगरानी करेंगे और उन्हें अस्वीकार किए जाने के कारणों का रखरखाव करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक अपनी वेबसाइट पर आवेदनों के निष्पादन से संबंधित जिलावार और बैंकवार आंकड़े रखेगा तथा उसकी नियमित निगरानी करेगा। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इन आंकड़ों तक पहुंच की जा सकती है। इस बात के प्रयास किए जाएंगे कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र, अल्पसंख्यकों को तीन वर्ष के अंतर्गत वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 15% तक ऋण उपलब्ध कराएं।

(पांच) मुसलमान समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन की समस्या के समाधान के लिए एक बहु-आयामी कार्यनीति अपनाई जाएगी। उच्च प्राइमरी स्कूलों की आउटरीच को, विशेषकर मुस्लिम लड़कियों के लिए बढ़ाया जाएगा, और जहां आवश्यक होगा, ''केवल लड़कियों के स्कूल'' खोले जाएंगे, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में और अधिक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जाएंगे; मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल खोलने को प्राथमिकता दी जाएगी, मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले जिलों में एक विशेष साक्षरता अभियान चलाया जाएगा, ऐसे क्षेत्रों में प्राइमरी, उच्च प्राइमरी और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए खंड शिक्षक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जाएगी, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में महिला हास्टल खोलने के लिए अतिरिक्त आबंटन किया जाएगा, मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को संशोधित करके इसके सहायता के पात्र घटकों को बढ़ाया जाएगा, दोपहर के भोजन की योजना का, विशेषकर शैक्षिक रूप से पिछड़े मुस्लिम बहुल खंडों में, विस्तार किया जाएगा, और उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए मदरसों से प्राप्त योग्यता की समानता के प्रश्न का समाधान किया जाएगा।

(छह) अल्पसंख्यकों के लिए विशेषकर तीन छात्रवृत्ति योजनाओं का प्रस्ताव है। अल्पसंख्यक समुदायों के 20,000 विद्यार्थियों के लिए तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मैरिट-एवं-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर दो छात्रवृत्ति योजनाएं शीघ्र शुरू की जाएंगी। अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध बच्चों के नियोजन तथा शैक्षिक निष्पादन में सुधार के लिए एक संशोधित कोचिंग एवं उपचारी ट्यूशन योजना स्वीकृत कर दी गई है। सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों आदि में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए पहले ही दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संग्रह निधि को बढ़ाकर उसके कार्यों का विस्तार कर उसे कारगर बनाया जाएगा।

[श्री ए.आर. अंतुले]

(सात) अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिलों, खंडों, नगरों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजनाओं से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार उर्दू तथा क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाएगा।

(आठ) वर्तमान त्रुटियों/कमियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम का एक व्यापक संशोधन शीघ्र अति शीघ्र प्रस्तावित है।

(नौ) वक्फ संपत्तियों के विकास में एक उपयुक्त ऐजन्सी शीघ्र ही सहायता करेगी ताकि बढ़ी हुई आय का उपयोग अभिप्रेत प्रयोजनों के लिए किया जा सके।

(दस) सभी कार्मिकों, जैसे सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मचारियों को विविधता एवं सामाजिक समावेश के महत्त्व पर सुग्राही बनाया जाएगा।

(ग्यारह) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से शुरूआत करके, अन्य विश्वविद्यालयों में नागरिक अधिकार केन्द्र खोले जाएंगे।

(बारह) परिसीमन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और मुसलमानों के प्रतिनिधित्व में विसंगतियों के संबंध में सच्चर समिति द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताओं पर समिति द्वारा विचार किया गया है।

(तेरह) भेद-भाव संबंधी शिकायतों को देखने के लिए एक समान अवसर आयोग के गठन का सिद्धांत रूप से निर्णय किया गया है। एक विशेषज्ञ समूह इसका अध्ययन करेगा और इस समान अवसर आयोग के ढांचे एवं कार्यों की सिफारिश करेगा।

(चौदह) शैक्षिक संस्थानों, कार्यस्थलों और रहने के स्थानों में विविधता एवं सामाजिक समावेश बढ़ाने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन कर दिया गया है, जो एक समुचित ''विविधता सूचक'' का प्रस्ताव करेगा। ऐसा सूचक उक्त सभी तीनों क्षेत्रों में अच्छे प्रतिनिधित्व के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक आधार बन सकता है।

(पन्द्रह) एक राष्ट्रीय डाटा बैंक और एक स्वायत्त मूल्यांकन एवं निगरानी प्राधिकरण शीघ्र ही स्थापित किए जाएंगे जो इस प्रकार से सृजित डाटा का विश्लेषण करके निरंतर आधार पर सरकार को उचित नीतियों का सुझाव देंगे।

अनुबंध

सच्चर समिति के मुख्य निष्कर्ष

(I) **शिक्षा:**

(क) मुसलमानों में साक्षरता दर 59.1% थी जो 64.8% के राष्ट्रीय औसत से नीचे थी।

(ख) स्कूली शिक्षा के वर्ष, सभी बच्चों के स्कूली शिक्षा के वर्षों की तुलना में कम हैं।

(ग) 6-14 आयु वर्ग के मुसलमान बच्चों के 25% बच्चे या तो कभी भी स्कूल नहीं गए हैं अथवा स्कूल छोड़ दिया है।

(घ) अधिकांश मुसलमान लड़के और लड़कियां अपनी मैट्रिक परीक्षा में फेल हो जाते हैं अथवा उससे पहले छोड़ देते हैं।

(ङ) 20 वर्ष या अधिक की जनसंख्या के लगभग 7% की तुलना में 4% से भी कम मुसलमान स्नातक अथवा डिप्लोमाधारक हैं।

(च) सभी जगह मुसलमान महिलाओं और लड़कियों में शिक्षा प्राप्त करने की एक बड़ी इच्छा एवं उत्साह है।

(छ) मुसलमान इलाकों में प्राइमरी स्तर से अधिक के स्कूल बहुत कम हैं। लड़कियों के लिए अनन्य रूप से स्कूल भी कुछ ही हैं।

(ज) होस्टल सुविधाओं का अभाव, विशेषकर लड़कियों के लिए, एक सीमित करने वाला कारक है।

(झ) मुसलमान माता-पिता आधुनिक या मुख्य धारा की शिक्षा देने और समर्थ सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने के विरूद्ध नहीं हैं। वे आवश्यक रूप से बच्चों को मदरसों में भेजने को प्राथमिकता नहीं देते। तथापि,

मुसलमानों बच्चों की सरकारी स्कूलों तक पहुंच सीमित है।

(ii) कौशल विकासः

(क) स्कूली शिक्षा पूरी न करने वालों, विशेषरूप से मुसलमानों के कुछ वर्गों के व्यवसायिक ढ़ांचे को देखते हुए, के लिए कौशल विकास पहलें सहायक हो सकती हैं।

(ख) निर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में कौशल की मांग निरंतर बदल रही है और मिडिल शिक्षा प्राप्त युवा, इन आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

(ग) उदारीकरण को देखते हुए नवीन पुनः-कौशल तथा व्यवसायिक ढ़ाचे के उन्नयन के लिए एक पुनर्वास पैकेज को एक तत्काल आवश्यकता के रूप में देखा जाता है।

(iii) रोजगार और आर्थिक अवसरः

(क) मुसलमानों की आय का मुख्य स्रोत स्वरोजगार है। वे अन्यों की तुलना में स्वरोजगार निर्माण तथा ट्रेड कार्यकलापों से अधिक कार्यरत हैं।

(ख) फेरी के काम में कार्यरत मुसलमान कर्मचारियों का हिस्सा अधिकतम है। 8 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत की तुलना में 12 प्रतिशत से अधिक मुसलमान पुरुष कर्मचारी, फेरी के काम में कार्यरत हैं।

(ग) सभी कर्मचारियों की 51 प्रतिशत की तुलना में स्वयं अपने घरों में काम आरंभ करने वाली मुस्लिम महिला कर्मचारियों की प्रतिशतता 70 प्रतिशत तक है।

(घ) तम्बाकू और वस्त्र/आभूषण से संबंधित उद्योगों में कार्यरत कुल कर्मचारियों में मुसलमानों का हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है।

(ङ) उत्पादन में संबंधित कार्यकलापों और परिवहन उपकरण प्रचालन में सभी कर्मचारियों के 21% के मुकाबले में, मुसलमान कर्मचारियों का हिस्सा बहुत अधिक अर्थात 34% तक है।

(च) 16 प्रतिशत से अधिक मुसलमान बिक्री कर्मचारियों के रूप में कार्यरत थे, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग केवल 10 प्रतिशत थी।

(छ) उत्पादन और बिक्री से संबंधित व्यवसायों में मुसलमान कर्मचारियों की भागीदारी तुलनात्मक रूप से अधिक हैं, व्यवसायिक, तकनीकी, लिपिकीय तथा कुछ सीमा तक प्रबंधन कार्य में उनकी भागीदारी तुलनात्मक रूप से कम थी।

(ज) मुसलमान प्रायः, अर्थ व्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें उदारीकरण का समाघात सहन करना पड़ता है।

(झ) अन्य सामाजिक-धार्मिक वर्गों के कर्मचारियों की तुलना में नियमित वेतनभोगी नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी बहुत कम है।

(ञ) मुसलमान, काम की शर्तों के अर्थों में अधिक असुरक्षित हैं क्योंकि औपचारिक क्षेत्र रोजगार में उनका सकेन्द्रण अधिक है तथा नियमित कर्मचारियों में मुसलमानों की नौकरी की शर्तें अन्य सामाजिक-धार्मिक समुदायों से कम हैं।

(ट) बैंकिंग सुविधाओं का लाभ पाने वाले घरों की प्रतिशतता उन गांवों में बहुत कम है जहां मुसलमान जनसंख्या का हिस्सा अधिक है।

(iv) गरीबी और विकास

(क) शहरी क्षेत्रों में लगभग 38% और ग्रामीण क्षेत्रों में 27% मुसलमान, गरीबी स्तर से नीचे रहते हैं।

(ख) मुसलमान, कम ढ़ाचागत सुविधाओं वाले स्थानों में सकेन्द्रित हैं। यह उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, परिवहन आदि जैसी मूल सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित करता है।

(ग) अधिक मुसलमान जनसंख्या वाले छोटे गांवों के लगभग एक तिहाई ग्रामों में कोई शैक्षिक संस्थान नहीं है।

(घ) मुसलमान बहुलता वाले बड़े गांवों में चिकित्सा सुविधाओं की बहुत कमी है। पर्याप्त मुस्लिम जनसंख्या वाले बड़े

[श्री ए.आर. अंतुले]

गांवों के लगभग 40% गांवों में कोई चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं।

(ङ) मुस्लिम बहुल गांवों को पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा गया है।

(च) देश में मुसलमानों की तुलनात्मक वंचना से संबंधित नीतियों को, विविधता का सम्मान करते हुए, समावेशी विकास और समुदाय को मुख्य धारा में लाने पर केन्द्रित होना चाहिए।

(v) सामाजिक स्थितियां:

(क) कम शैक्षिक उपलब्धि के लिए एक समुदाय विशिष्ट कारण यह है कि मुसलमान शिक्षा को औपचारिक रोजगार के रूप में नहीं देखते हैं।

(ख) अन्य सामाजिक-धार्मिक समुदायों की तुलना में मुसलमान जनसंख्या एक अच्छे लिंग अनुपात को दर्शाती है।

(ग) मुसलमानों में शिशु और बाल मृत्यु दर औसत से थोड़ी नीचे है।

(घ) मुसलमानों सहित सभी धार्मिक समूह में प्रजनन में बहुत कमी आई है।

अपराह्न 12.02½ बजे

(दो) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित भारत निर्माण के घटकों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित भारत निर्माण के घटकों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत निर्माण को सरकार द्वारा समसबद्ध, लक्षित कार्य योजना के रूप में स्वीकारा गया है। इसे 1,74,000 करोड़ रु. के कुल अनुमानित निवेश से चार वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा। छ: घटकों अर्थात् सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा दूरभाष संपर्क में से तीन घटकों अर्थात् ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास तथा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को 85,000 करोड़ रु. के अनुमानित निवेश से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मैं सदन को भारत निर्माण के इन तीनों घटकों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं।

ग्रामीण सड़कें

वास्तविक प्रगति

भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 1000 या इससे अधिक की आबादी वाली तथा पहाड़ी राज्यों, जनजातीय क्षेत्रों और मरूभूमि क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक की आबादी वाली सभी बसावटों को 2009 तक बारहमासी सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है। 2005-09 की अवधि के दौरान 66,802 बसावटों को जोड़ने वाली 146185 कि.मी. ग्रामीण सड़कें बनाने तथा 194130 कि.मी. मौजूदा ग्रामीण सड़कों को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है। 2005-07 की अवधि के दौरान 13831 बसावटों को सड़क सम्पर्क मुहैया कराने वाली 39477 कि.मी. की ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा, 50056 कि.मी. मौजूदा ग्रामीण सड़कों को अपग्रेड किया गया है।

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्ग 2.38 लाख कि.मी. ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य के लिए 67713 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। जुलाई 2007 के अन्त तक 1.34 लाख कि.मी. ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा 1.04 लाख कि.मी. लम्बाई वाली ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय प्रगति

भारत निर्माण के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए योजना के अंतर्गत पर्याप्त निधियों का प्रावधान करने तथा राज्यों की उपयोग क्षमता को बढ़ाने के हरसंभव प्रयास किए गए हैं। हालांकि, 2000-05 की अवधि के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत औसत वार्षिक

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6913/2007

खर्च लगभग 1900 करोड़ रु. था जो बढ़कर 2005-06 के दौरान 4091.66 करोड़ रु. तथा 2006-07 के दौरान 7304.27 करोड़ रु. हो गया है। चालू वर्ष के दौरान आवंटन को और बढ़ाकर 11000 करोड़ रु. कर दिया गया है। योजना के संसाधनों को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से सहायता ली गई है। विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक की सहायता से लगभग 9000 करोड़ रु. उपलब्ध हो जाएंगे। पर्याप्त वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के अंतर्गत एक विशेष विन्डों बनाई गई है जिससे कि भारत निर्माण की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जा सके। नाबार्ड की विशेष विन्डो से लगभग 6500 करोड़ रु. जुटाए जाएंगे

परियोजनाओं का कार्यान्वयन

''ग्रामीण सड़कें'' राज्य का विषय होने के कारण कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं निगरानी, वित्तीय प्रबंधन तथा समन्वय के लिए राज्य स्तर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा उनकी एजेंसियों अथात् एसआरआरडीए (राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी) तथा जिला स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन एककों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। बिहार तथा त्रिपुरा में कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना के कार्यान्वयन में केन्द्रीय एजेंसियां भी शामिल की गई हैं।

पारदर्शिता तथा गुणवत्ता नियंत्रण

घोषित समय-सीमा अर्थात् 2009 तक भारत निर्माण (ग्रामीण सड़क घटक) के अंतर्गत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों को योजना के अंतर्गत परियोजना के कार्यान्वयन के कार्य में तेजी लाने के लिए अपनी संस्थागत तथा संविदात्मक क्षमता को बढ़ाने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना के कार्यान्वयन में गुणवत्ता तथा पारदर्शिता लाने के लिए भी पर्याप्त उपाय किए हैं। पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया गया है।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत खुली निविदा तथा कार्य के आवंटन को आसान बनाने के लिए मानक बोली दस्तावेज बनाए गए हैं। राज्यों में संविदात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए मानक बोली दस्तावेज में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत समय पर निगरानी करने के लिए वेब आधारित आन-लाइन निगरानी प्रणाली (www.omms.nic.in तथा www.pmgsyonline.nic.in) बनाई गई है। निगरानी प्रणाली में सड़क संपर्क की स्थिति, वास्तविक तथा वित्तीय, प्रगति, लेखा तथा गुणवत्ता निगरानी इत्यादि शामिल है। समग्र डाटा बेस को नागरिक क्षेत्र में डाला गया है।

लाभान्वित बसावटों में प्रमुख स्थानों पर स्थानीय भाषा में नागरिक सूचना बोर्ड लगाये जाते हैं जिसमें खडंजे की प्रत्येक परत में प्रयुक्त सामग्री की मात्रा का उल्लेख होता है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को कारगर बनाने के लिए सभी राज्य सरकारों को हाल ही में यह सलाह दी गई है कि वे माननीय संसद सदस्य, माननीय विधायकों तथा पंचायती राज संस्थाओं के कर्मियों से पीएमजीएसवाई के अंतर्गत चल रहे और पूरे हो चुके कार्यों का संयुक्त निरीक्षण कराएं।

ग्रामीण आवास

भारत निर्माण का ग्रामीण आवास घटक इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है तथा संस्थाधनों के आवंटन को केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है। संसाधनों के राज्यस्तरीय आवंटन के लिए आवास की कमी को 75% तथा योजना आयोग द्वारा निर्धारित गरीबी अनुपात को 25% की वेटेज दी जाती है। जिला स्तरीय आवंटन के लिए आवास की कमी को फिर से 75% तथा संबंधित जिलों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी को 25% की वेटेज दी जाती है। मैदानी क्षेत्रों में प्रत्येक आवासीय इकाई के लिए 25,000 रु. तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 27,500 रु. की वित्तीय सहायता दी जाती है। भारत निर्माण के अंतर्गत चार वर्षों की अवधि अर्थात 2005-06 से 2008-09 तक 60 लाख मकान बनाए जाने का प्रस्ताव है।

यह जानकारी दी गई है कि वर्ष 2005-2007 के प्रथम 2 वर्षों के दौरान 7907.42 करोड़ रुपए के कुल उपयोग से 29.74 लाख मकानों के लक्ष्य की तुलना में 30.50 लाख मकान बनाए गए हैं।

चालू वर्ष 2007-08 के दौरान केन्द्रीय आबंटन को विगत वर्ष के 2907 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4032.70 करोड़ रुपए कर

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

दिया गया है तथा इस बढ़े हुए आबंटन से 21.27 लाख मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय अंश के रूप में 1885.80 करोड़ रुपए की राशि पहली किस्त के रूप में पहले ही रिलीज कर दी गई है और राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्ट से यह पता चलता है कि 2.44 लाख मकान बनाए जा चुके हैं।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति

भारत निर्माण अवधि (2005-06 से 2008-09) के दौरान 55067 कवर न की गई बसावटों को कवर करने, स्रोत के खराब हो जाने के कारण पूर्णत: कवर की श्रेणी से आंशिक रूप से कवर की गई की श्रेणी में लौट आई 2.8 लाख बसावटों (इन आंकड़ों का अब 3.31 लाख बसावटों के रूप में पुनर्मूल्यांकन किया गया है) की समस्या को दूर करने और जल गुणवत्ता समस्याओं वाली 216968 बसावटों की समस्या को दूर करने का लक्ष्य है।

भारत निर्माण के प्रथम 2 वर्षों के दौरान 8658 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटन के केन्द्रीय अंश के रू में रिलीज की गई है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए 6500 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान 2627 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई है। वर्ष 2005-06 के दौरान वास्तविक उपलब्धियों के संबंध में 25561 कवर न की गई बसावटों, 168752 निचली श्रेणी में लौट आई बसावटों और 26485 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर किए जाने की जानकारी दी गई है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 21.8% ग्रामीण बासावटों में स्वच्छता सुविधाएं थीं जो कि अब बढ़कर 46% हो गई हैं। सरकार ने वर्ष 2012 तक संपूर्ण स्वच्छता कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने की योजना बनाई है। विगत 2 वर्षों के दौरान संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत इस लक्ष्य की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान 2.20 लाख विद्यालय शौचालय बनाने के अलावा अलग-अलग परिवारों के लिए 195.39 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। चालू वर्ष के दौरान अलग-अलग परिवारों के लिए 23.83 लाख से अधिक शौचालय पहले ही बनाए जा चुके हैं।

भावी कार्य

राज्य द्वारा 1.4.2007 तक दी गई जानकारी के अनुसार कवर न की गई शेष बसावटें 29534 हैं। वर्ष 2007-08 के लिए कवर न की गई बसावटों का लक्ष्य 27664 बसावटें और वर्ष 2008-09 के लिए 1870 बसावटें हैं। वर्ष 2003 के सर्वेक्षण के आधार पर 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार निचली श्रेणी में लौट आई बसावटों का बैकलॉग 175154 बसावटें हैं और वर्ष 2007-08 के दौरान 90 हजार ऐसी बसावटों को कवर करने का लक्ष्य और शेष 85154 बसावटों को वर्ष 2008-09 के दौरान कवर किया जाएगा। इसी तरह, राज्य से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार गुणवत्ता प्रभावित बसावटों का बैकलाग 166693 बसावटें हैं और वर्ष 2007-08 के दौरान 100000 बसावटों को कवर किए जाने का प्रस्ताव है तथा शेष 66693 बसावटों को वर्ष 2008-09 के दौरान कवर किया जाएगा।

यह निर्णय लिया गया है कि स्थायित्व संबंधी घटक एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत स्वीकृत सभी परियोजनाओं का अभिन्न हिस्सा होगा। राज्यों को यह भी सलाह दी जा रही है कि वे पेयजल के लिए वर्षा जल संग्रहण और जल संरक्षण तथा किफायती प्रौद्योगिकी विकल्पों का उपयोग करें। बसावटों को निचली श्रेणी में लौटने से बचाने के लिए पेयजल स्रोतों और प्रणालियों के स्थायित्व को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

अपराह्न 12.02½ बजे

(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एन.आर.ई.जी.ए.) के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : महोदय, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एन.आर.ई.जी.ए.) के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सदन पर रखता हूं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रत्येक परिवार को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6914/2007

शारीरिक श्रम वाले कार्य करना चाहते हैं, कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार मुहैया कराकर देश के निर्धारित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका संबंधी सुरक्षा को बढ़ाना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को इसके कार्यान्वयन के पहले चरण में 27 राज्यों में 200 निर्धारित जिलों में 2 फरवरी, 2006 को अधिसूचित किया गया था। अधिनियम की धारा 1 (3) में दिया गया है कि यह अधिनियम इसके अधिनियमन से पांच वर्ष की अवधि के अंदर पूरे देश में लागू किया जाएगा। तदनुसार, दूसरे चरण में 130 और जिलों को शामिल किया गया है और इस प्रकार जिलों की कुल संख्या 330 हो गई है। इन 130 अतिरिक्त जिलों को दो चरणों में अधिसूचित किया गया है। 26 मार्च, 2007 को इन 130 अतिरिक्त जिलों में से 113 जिले 1 अप्रैल से अधिसूचित किए गए थे तथा उत्तर प्रदेश के शेष 17 जिले बाद में 15 मई, 2007 को अधिसूचित किए गए थे क्योंकि राज्य विधान सभा चुनाव को देखते हुए 113 जिलों की अधिसूचना के समय राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू थी।

2. **वित्तीय प्रगति**

(क) 2006-07

जिले में रोजगार मांग के आधार पर एनआरईजीए के लिए निधियां रिलीज की जाती हैं। केन्द्र सरकार प्रारंभिक अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए बजट प्रावधान करती है। वर्ष 2006-07 के लिए एनआरईजीए के लिए 11,300 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। वर्ष के दौरान एनआरईजीए के कार्यान्वयन के लिए चरण-1 के 200 जिलों के पास 12073.56 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध थी। इस राशि में केन्द्रीय रिलीज के रूप में 8263.66 करोड़ रुपए, राज्य अंश के रूप में 802.92 करोड़ रुपए और 1.4.2006 की स्थिति के अनुसार 2052.92 करोड़ रुपए का अथशेष शामिल था। इसके अलावा चरण-2 के 113 एनआरईजीए जिलों को प्रारंभिक व्यवस्थाओं तथा खर्च के लिए 377.20 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई थी। वर्ष 2006-07 के दौरान एनआरईजीए के अंतर्गत 313 जिलों को 8640.86 करोड़ रुपए का कुल केन्द्रीय अंश रिलीज किया गया था।

वर्ष 2006-07 के दौरान राज्यों के पास कुल 12073.56 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध थी जिसमें से कार्यक्रम के अंतर्गत 8823.36 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया था। 2006-07 में प्रति जिला निधियों का औसत उपयोग 44.12 करोड़ रुपए था जबकि एसजीआरवाई के अंतर्गत 2005-06 के लिए प्रति जिला निधियों का औसत उपयोग 12 करोड़ रुपए था।

(ख) 2007-08 (जुलाई, 2007 तक)

केन्द्र सरकार ने अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए 12000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है जिसमें से 27 अगस्त, 07 तक 6432.13 करोड़ रुपए की राशि रिलीज कर दी गई हैं। वर्ष के दौरान एनआरईजीए के कार्यान्वयन के लिए 330 जिलों के पास 10065.37 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध थी। इस राशि में केन्द्रीय रिलीज के रूप में 5775.79 करोड़ रुपए (जुलाई, 07 तक जिलों को प्राप्त), राज्य अंश के रूप में 556.79 करोड़ रुपए और 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार 3470.19 करोड़ रुपए का अथशेष शामिल था।

चालू वर्ष (जुलाई तक) के दौरान राज्यों के पास कुल 10065.37 करोड़ रुपए कर राशि उपलब्ध थी जिसमें से कार्यक्रम के अंतर्गत 3487.96 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया था।

3. **कार्यक्रम के परिणाम:**

(क) 2006-07

(एक) चूंकि कार्यक्रम मांग आधारित है, इसलिए 2.12 करोड़ परिवारों ने रोजगार की मांग की थी जिनमें से 2.10 करोड़ परिवारों को वर्ष 2006-07 के दौरान रोजगार उपलब्ध कराए गए थे और कार्यक्रम के तहत कुल 90.51 करोड़ रोजगार श्रम दिवस उपलब्ध कराए गए थे। एनआरईजीए के अंतर्गत प्रति जिला औसतन 45.2 लाख रोजगार श्रमदिवस सृजित किए गए थे जबकि एसजीआरवाई के अंतर्गत 2005-06 में सृजित औसत श्रम दिवस प्रति जिला 14.02 लाख था।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

(दो) कुल 90.51 करोड़ श्रम दिवस में अनुसूचित जातियों का अंश 22.95 करोड़ श्रम दिवस (25.36%) और अनुसूचित जनजातियों का 32.99 (36.45%) था जो कुल मिलाकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 55.94 करोड़ श्रम दिवस बनता है जो कि लगभग 62 प्रतिशत है।

(तीन) एनआरईजी अधिनियम के अनुसार महिला श्रम दिवसों का अंश एक तिहाई होना चाहिए और यह 36.79 करोड़ श्रम दिवस था जो एसजीआरवाई के अंतर्गत 2006-07 के दौरान 24 प्रतिशत की तुलना में लगभग 41 प्रतिशत है।

(चार) 5842.37 करोड़ रुपए की धनराशि का भुगतान अकुशल मजदूरी के रूप में किया गया था जो कि उपयोग में लायी गई कुल 8823.36 करोड़ रुपए का 62.21% था।

(पांच) कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 8.35 लाख कार्य शुरू किए गए थे जिनमें से 3.87 लाख कार्य कर लिए गए थे। श्रेणी-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

गतिविधियां	संख्या लाख में (%)
जल संरक्षण और जल एकत्रीकरण	4.52 (54%)
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भूमि में उपलब्ध कराई गई सिंचाई सुविधाएं	0.81 (9%)
भूमि विकास	0.89 (11%)
ग्रामीण संपर्क	1.80 (22%)
अन्य	0.33 (4%)

(ख) 2007-08 (जुलाई, 07 तक)

(एक) वर्ष 2007-08 (जुलाई, 07 तक) के दौरान अब तक 1.6 करोड़ परिवारों ने रोजगार की मांग की है और 1.56 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 40.73 करोड़ रोजगार श्रमदिवस सृजित किए गए हैं।

(दो) कुल 40.73 करोड़ श्रम दिवस में अनुसूचित जातियों का अंश 10.3 करोड़ श्रमदिवस (25.29%) है और अनुसूचित जन जातियों का अंश 13.87 करोड़ श्रमदिवस (34.05%) है जो कुल मिलाकर 24.17 करोड़ श्रमदिवस बनता है जो कि लगभग 59 प्रतिशत है।

(तीन) महिलाओं का अंश 19.44 करोड़ श्रमदिवस है जो कि एसजीआरवाई के अंतर्गत 2006-07 के दौरान 24 प्रतिशत की तुलना में चालू वर्ष के दौरान 48 प्रतिशत से अधिक है।

(चार) उपयोग में लाई गई कुल राशि में दी गई अकुशल मजदूरी का अंश 70.41 प्रतिशत था।

(पांच) कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 7.82 लाख कार्य शुरू किए गए हैं जिनमें से 1.48 लाख कार्य पूरे कर लिए गए हैं। श्रेणीवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

गतिविधियां	संख्या लाख में (%)
जल संरक्षण और जल एकत्रीकरण	4.39 (56%)
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भूमि में उपलब्ध कराई गई सिंचाई सुविधाएं	0.92 (12%)
भूमि विकास	1.00 (13%)
ग्रामीण संपर्क	1.09 (14%)
अन्य	0.42 (5%)

4. मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित उपायों का उपयोग करके कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना है।

(क) कड़ी सतर्कता और निगरानी

(एक) राज्यों को यह निदेश दिया गया है कि एनआरईजीए के प्रत्येक कार्य की सामाजिक लेखा-परीक्षा कार्य तीन महीने के भीतर पूरे किए जाने चाहिए और मंत्रालय को सामाजिक लेखा-परीक्षा के परिणामों से अवगत कराया जाना चाहिए।

(दो) मस्टर रोलों का सत्यापन अभियान के रूप में किया जाना चाहिए और मंत्रालय को समेकित रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। अब तक आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक तथा गुजरात से जानकारी प्राप्त हो चुकी है। मंत्रालय द्वारा इसकी जांच की जा रही है। कुल 25.03 लाख मस्टर रोलों का सत्यापन कर दिया गया है।

(तीन) क्रमशः ब्लाक स्तर पर 100% जिला स्तर पर 10% और राज्य स्तर पर 2% कार्यों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(ख) जन भागीदारी

(एक) ग्राम स्तरीय निगरानी-समितियां बनाई जानी चाहिए और उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

(दो) नियमित आधार पर ग्राम सभा आयोजित की जानी चाहिए तथा कार्यों के चयन के संबंध में निर्णय लेने और एनआरईजीए के कार्यान्वयन में उनकी सक्रिय भूमिका होनी चाहिए।

(ग) पारदर्शिता

राज्यों को यह निदेश दिए गए हैं कि एनआरईजीए के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी ग्राम पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी और जिला कार्यक्रम समन्वयक के कार्यालयों में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए। मजदूरी का भुगतान करते समय मस्टर रोल को सबके सामने पढ़ा जाना चाहिए तथा लोगों द्वारा मांग किए जाने पर सार्वजनिक संवीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(घ) जागरूकता : अधिनियम के बारे में जानकारी का प्रचार-प्रसार करने के लिए ग्राम स्तर पर सक्रिय रूप से अभियान चलाए जाएंगे।

अपराह्न 12.03 बजे

(चार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के एक सौ सत्तरवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : महोदय, मैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति (पी.एस.सी.) की एक सौ सत्तरवीं (170वीं) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य लोक सभा बुलेटिन-भाग-II, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 द्वारा जारी लोक सभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 389 के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश पर दे रहा हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी स्थायी समिति ने लोक सभा में 24 अप्रैल, 2006 को अपनी एक सौ सत्तरवीं (170वीं) रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की 170वीं रिपोर्ट में कुल 10 (दस) सिफारिशें की गई थीं। कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न अनुबंध में दिया गया है, जिसे सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की जाए।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा) : महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6915/2007

अपराह्न 12.04½ बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि बुधवार, 5 सितम्बर, 2007 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा:

1. आज की कार्य सूची के शेष किसी भी सरकारी कार्य की मद पर विचार करना।

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना तथा पारित करना।

    (क) वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2006

    (ख) संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक 2006; और

    (ग) शिशु (संशोधन) विधेयक, 2006 राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2007 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2007 पर विचार करना तथा पारित करना।

अध्यक्ष महोदय : माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अगले सप्ताह होने वाले कार्यों के संबंध में दिए गए वक्तव्य पर प्रस्तुत किए गए नोटिस को सभा-पटल पर रखा माना जाए।

[हिन्दी]

***श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना)** : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित कार्य को शामिल किया जाये जो लोकहित में है।

क. प्राकृतिक गैस एवं तेल आयोग जिन क्षेत्रों से तेल या गैस निकालता है उन्हीं क्षेत्र में रॉयलटी से प्राप्त राशि द्वारा विकास किया जाना चाहिए क्योंकि इन क्षेत्रों में तेल एवं प्राकृतिक गैस निकालने के बाद कई दिक्कत आती है और राज्य सरकार द्वारा यहां पर कोई पैसा इस रॉयल्टी से नहीं दिया जाता है अंत जिन क्षेत्रों में ओ एन जी सी तेल या गैस निकालती है उन्हें क्षेत्रों में रॉयल्टी का पैसा लगाये जाने का कार्य

ख. मेहसाणा जिले में पेयजल का काफी अभाव है और पानी में तेल की मात्रा की मिलावट होने के कारण पानी में फलोराईड तत्व मिलते हैं जिसके कारण कई गांव में लोग विकलांगता के शिकार हो रहे हैं अंत: मेहसाणा जिले में पेयजल की आपूर्ति के लिए अलग से पैकेज दिये जाने का कार्य।

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए।

(1) दक्षिण रेलवे के अंतर्गत कोलिंगुड से त्रिसूर तक नई रेल लाइन के निर्माण का कार्य आरम्भ करना। दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों जैसे गुरूव्यूर पझानी मदुरै, रामेश्वरम में इस परियोजना से सम्पूर्ण रेल संपर्क होगा।

(2) प्रधानमंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान) केरल के पालक्कड में एक नए एल.आई.टी. की स्थापना करना।

[हिन्दी]

***डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन)** : महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित दो विषय सम्मिलित करने का आग्रह कर रहा हूं।

1. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र तथा अन्य ऐसी ही सम्बद्ध बैंकों का स्टेट बैंक आफ इण्डिया में संविलियन न करने हेतु जिससे कि बैंकिंग के कार्यकरण में इन बैंक द्वारा अर्जित विश्वसनीयता और बैंक सेवाओं से सम्बद्ध कर्मचारी-अधिकारियों पर विपरीत प्रभाव हो। ऐसा संविलियन नहीं किया जाये।

---

*वक्तव्य सभा-पटल पर रखा गया।

*वक्तव्य सभा-पटल पर रखा गया।

2. अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये। अनुसूचित जाति की सूची में धर्मान्तरित लोगों को सम्मिलित न किया जाए तथा देश में अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार को तत्काल रोकने के प्रभावी उपाय किये जाए। हरियाणा के गोहाना में घटित घटना के प्रभावितों को संरक्षा और राहत दी जाए।

***श्री टेक लाल महतो** (गिरिडीह) : महोदय,

1. सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि झारखंड राज्य के राजधानी रांची से उप-राजधानी दुमका तक नेशनल हाइवे की सड़क नं. 33 जो रांची से हजारीबाग तक सड़क नं. 100 हजारीबाग से बगोदर तक सड़क नं. 2 बगोदर से मैथन मोड़ तक सड़क की हालत अति जर्जर है। इसमें राज्य के कई महत्वपूर्ण शहर एवं प्रतिष्ठान जैसे रामगढ़ कैन्ट, सीमा सुरक्षा बल मेरू कैम्प, विश्व प्रसिद्ध जैन धर्म तीर्थस्थल पार्श्वनाथ तथा देश की प्रमुख नगरी धनबाद डी.वी.सी. का प्रतिष्ठान मैथन आदि है।

   अतः इस सड़क को चार लेन की सड़क बनाने के साथ साथ मजबूत करण अविलंब कराई जाये।

2. झारखंड राज्य स्थित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद के द्वारा कोयला खनन कराये जाने के कारण वहां जलस्तर काफी नीचे चला गया है जिससे बाघमारा, कतरास, कतरासगढ़, गुहीबांध, झीझीपहाड़ी, मुरलीडीह, मुरायडीह, रूदी, कपूरिया, खरखी से लोयाबाद, छाताबाद, सिजुवा, भेलाटांड, देवधरा, छतरूटाड, तिलाटांड, सोनारडीह, खानोडीह, पार्डेडीह, रामकनाली, बरोरा, रघुनाथपुर, तेतुलमुरी, मधुवन, मधुवन बाशरी, डूमरा, लाहना, केन्दुआ, करकेन्द, कांको, काकोमढ़, हरिना, सिंहपुर, लोहपीटी, सदरयाडीह, पतराकुलीह, भलगजरी आदि सेकड़ों गांवों में पेयजल आपूर्ति के बिना हाहाकार मचा हुआ है। बी.सी.सी.एल. के द्वारा सामुदायिक विकास मद (सी.सी. फंड) के माध्यम से एक भी कार्य सम्पादन नहीं हो रहा है।

   अतः सदन के माध्यम में मेरी मांग है कि इस क्षेत्रों में अविलम्ब सी.डी. फंड द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जाये।

***श्री हरिकेवल प्रसाद** (सलेमपुर) : महोदय, निम्न विषय को लोक सभा की अगले सप्ताह में शामिल करने का कष्ट करें।

1. मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के अंतर्गत भाटपारानी रेलवे स्टेशन का सौन्दर्यकरण एवं इस रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन घोषित किये जाने का कार्य

2. मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर अंतर्गत भटनी में रेलवे स्वास्थ्य केन्द्र को भटनी से देवरिया स्थानांतरि कर दिया है जबकि भटनी में रेलवे कर्मचारियों की संख्या देवरिया शहर के रेलवे कर्मचारियों से ज्यादा है उसे भटनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए उसे भटनी में लाया जाने का कार्य

***श्री हेमलाल मुर्मू** (राजमहल) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने की कृपा की जाये।

1. झारखंड राज्य के पिछड़े क्षेत्रों खासकर राज्य के ऐतिहासिक एवं पर्यटक स्थल राजमहल के संरक्षण एवं विकास के लिए राष्ट्रीय राजमर्ग 80 के अनुरक्षण, मरम्मत, चौड़ीकरण, उन्नयन एवं विकास सहित उक्त राजमार्ग पर प्रस्तावित पुल निर्माण हेतु समयबद्ध परियोजनाएं शुरू करने और विशेष आर्थिक पैकेज जारी करने की अपेक्षा।

2. झारखंड के राजमहल, उधवा, बरहरवा और पाकुड़ आदि क्षेत्रों को बाढ़ वर्षा एवं मिट्टी कटाव से बचाव और इस प्राकृतिक आपदाओं से प्रतिवर्ष पांच लाख लोगों के जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हाल में साहिबगंज जिला के रामपुर में बाढ़ के कारण नाव दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिजनों को केन्द्र सरकार द्वारा उचित मुआवजा आदि की व्यवस्था और इस कार्य हेतु समयबद्ध कार्यक्रम चलाने एवं झारखंड राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करने की अपेक्षा।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:-

*वक्तव्य सभा-पटल पर रखा गया।

*वक्तव्य सभा-पटल पर रखा गया।

[श्री सुनील खां]

(1) असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए एक व्यापक विधान लाया जाये जिससे कि कृषि श्रमिकों, बीड़ी मजदूरों, रिक्शा चालक, ईट मजदूरों, निर्माण कार्य में लगे मजदूर, मटिया मजदूर जैसे क्षेत्रों में कार्यरत 40 करोड़ लोगों तथा नैमेत्तिक श्रमिकों के रूप में कार्यरत श्रमिक भी अन्य व्यक्तियों के समान सम्मानपूर्ण जीवन जी सकें।

(2) बी.ओ.जी.एल. को बंद घोषित कर दिया है परन्तु वे कर्मचारी जो 60 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त हुए है उन्हें दो वर्ष का वेतन वापस करने के लिए क्यों बाध्य किया जा रहा है? और शेष कर्मचारी जिन्होंने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति नहीं ली है उन्हें अभी तक पूरा वेतन नहीं दिया गया है। तथा 1990 से अब तक उनके वेतनमानों को संशोधित नहीं किया गया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इस प्रकार का भेद-भाव क्यों हो रहा है। अधिकारियों तथा उनसे बड़े अधिकारियों के वेतन मान में 7 से 21 लाख रु. का अन्तर हैं।

[हिन्दी]

*श्री शिशुपाल एन. पटले (भन्डारा) : महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाये।

1. महाराष्ट्र के भंडारा जिले का विभाजन कर गौंदिया जिले का निर्माण किया गया। लेकिन टेलीकाम दृष्टि से इस जिले को अलग नहीं किया गया है। जिसके कारण गौंदिया जिले को टेलीफोन सेवाएं देने में दिक्कतें आ रही हैं। मेरी मांग है कि टेलीकाम दृष्टि से गौंदिया जिला स्वतंत्र किया जाये।

2. विदर्भ के भंडारा जिले का राष्ट्रीय फलबाग मिशन में समावेश नहीं किया गया है। भंडारा जिला वह जिला है जिसमें आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि भंडारा जिले का राष्ट्रीय फलबाग मिशन में समावेश करेंगे।

*वक्तव्य सभा-पटल पर रखा गया।

*श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की अधिसूची में शामिल किया जाये।

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहित अनेक राज्यों में गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले परिवार को 35 किलो चावल दिए जा रहे हैं, उसे कटौती कर 20 किलो किया गया है जिससे गरीब वर्ग में असंतोष है क्योंकि उतने चावल में परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ है। कटौती समाप्त कर 35 किलो चावल दिया जाए जिससे परिवार सही ढंग से जीवन जी सके।

2. छत्तीसगढ़ राज्य सहित उनके राज्यों में विद्युत कटौती 288 मेगावाट करने से एवं अनेक राज्यों में कटौती करने के कारण लगभग 4 से 8 घंटे प्रतिदिन कटौती हो रही है। जिससे किसानों को ट्यूबवेल से पीने के पानी की समस्या एवं उद्योगपतियों के उद्योग तथा छोटे लघु उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। करोड़ों रुपये का घाटा प्रतिदिन हो रहा है। विद्युत संकट पैदा हो गया है। विद्युत कटौती केन्द्र सरकार समाप्त करे।

*प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यवाही में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें।

1. राजस्थान में हजारों लोगों को रोजगार देने वाली राष्ट्रीय सूती वस्त्र कपड़ा निगम (राष्ट्रीय वस्त्र निगम) के अंतर्गत संचालित ब्यावर, विजयनगर तथा उदयपुर में स्थित सूती कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण किए जाने तथा उनकी क्षमता का पूरा उपयोग करने हेतु इन्हें नियमित रूप से संचालित किए जाने की आवश्यकता।

2. वर्तमान में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने तथा निरंतर वर्षा की कमी और अकालग्रस्त होने वाले राज्य के सभी जिलों को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, हमने सुबह भी प्रिविलेज मोशन का मामला उठाया था। बाद में सदन के

*वक्तव्य सभा-पटल पर रखा गया।

नेता ने एक स्टेटमेंट दिया। वह स्टेटमेंट बहुत ही असंतोषजनक है और यह कहना कि सदन को कॉफिडेंस में लेने की कोई जरूरत नहीं है, यह सदन का अपमान है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी जेपीसी या अन्य कमेटी नहीं बनेगी। हम चाहते हैं कि इस मामले में सरकार ने जो बाहर कमेटी बनाने संबंधी बयान दिया है, उसे वापस ले। इसके अलावा उस कमेटी के बारे में जो यहां स्टेटमेंट सदन के नेता ने दिया है, उसे विदड्रा किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)* सदन का ऐसा अपमान आज तक नहीं हुआ कि सदन के अंदर कोई मामला आए और सदन की कमेटी न बनाकर उसे इंटरनल मामला बना दिया जाए। अगर कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों में कोई तलाक होना है, वह इनके घर का मामला है और वे बाहर जाकर कुछ भी बनाते रहें, परंतु इस तरह सदन का अपमान करना और राष्ट्रीय सवाल को पार्टी का सवाल बना देना, यह हमें स्वीकार्य नहीं है। हमें इस बारे में घोर आपत्ति है।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : हाउस को नहीं चलने देना सदन का सबसे बड़ा अपमान है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, वे अपना वक्तव्य वापस लें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी को बाध्य नहीं कर सकता उन्होंने वक्व्य दे दिया हैं। मैं सभा के नेता को बाध्य नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : सरकारी समिति किस प्रकार गठित की जा सकती हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह सरकारी समिति नहीं है...*(व्यवधान)*

कृपया आप वक्तव्य ठीक से पढ़ें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आपकी पार्टी में क्या चल रहा है इसलिए बीजेपी के अंदर जो त्रिशुंक की स्थिति आई है, ठीक करने के लिए आपको कमेटी बनानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी पक्षों से अपील करता हूं कि कृपया सभा में सहयोग करें। इस विषय पर चर्चा होगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कृपया यहां मत आएं, यह शोभा नहीं देता है।

अपराह्न 12.08 बजे

(इस समय श्री श्रीचन्द कृपलानी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 3.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.08½ बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 3.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.38 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.38 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

(एक) व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना तैयार करना और उसे लागू करना

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, अब हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों पर चर्चा आरम्भ करेगें। कृपया सहयोग करें। गैर सरकारी

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सदस्यों का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम वर्ष में 100 दिन बैठकों की मांग कर रहे हैं। यदि हम प्रत्येक दिन सभा का कार्य नहीं कर सकते हैं तो वर्ष में 100 दिन बैठक की मांग करने का कोई अर्थ नहीं है प्रत्येक शुक्रवार की बैठक का महत्वपूर्ण भाग गैर सरकारी सदस्यों के कार्य सम्पादित करना है। इस सभा के प्रत्येक सदस्य के हित में है कि यह कार्य सम्पादित हो इसलिए इस दिन के महत्व को जानिए। यह सरकारी कार्यों पर चर्चा करने का दिन नहीं है। यह हमारे कार्य सम्पादित करने का दिन है गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को सफलता पूर्वक पूरा करना प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है। हम वर्ष में 100 दिन की बैठकों की मांग कर रहे हैं। यदि हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते, तो हम वर्ष में 100 दिनों की बैठक की मांग सफलतापूवर्क कैसे कर सकते हैं?

अब हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों पर चर्चा करेगें। श्री फ्रांसिस फैन्थम अपना भाषण जारी रखें।

श्री फ्रांसिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि सरकार से देश में भुखमरी समाप्त करने के लिए एक व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना तैयार करने और लागू करने का आग्रह करने के लिए माननीय सदस्य श्री नवीन जिन्दल द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करने के लिए आपने मुझे अनुमति दी। सरकार का ध्यान इस संकल्प के महत्व पर पहले ही जा चुका है जैसे कि प्रधान मंत्री ने राष्ट्र की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर 15 अगस्त को राष्ट्र के नाम अपने अभिभाषण में इस चिंता को रेखांकित किया है।

मैं उद्धृत करता हूं:

"कुपोषण का विषय राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। दोपहर के भोजन को सार्वभौमिक बनाकर हमने इसे हल करने का प्रयास किया है। मैं राष्ट्र से अपील करता हूं कि वह पांच वर्ष के अंदर कुपोषण को मिटाने के लिए संकल्प लें और इस दिशा में कड़ा प्रयास करें।"

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री का यह भाषण आते ही, हमने देश से कुपोषण को मिटाने के संकल्प को पहले ही लागू कर दिया है। भुखमरी, अकाल और बीमारी के भय से मुक्ति लोक तंत्र की मौलिक अपेक्षाओं का आधार हैं और निश्चित रूप से इसे प्राप्त कर लेंगे क्योंकि हम 10 प्रतिशत वृद्धि दर की दहलीज पर है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि समस्त देशवासियों को इस सरकार के कार्यकाल में भोजन और पोषण मिले।

इसकी प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के साथ-साथ पंचायती राज, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण रोजगार योजना और समेकित बाल विकास योजना से संबंधित वितरण प्रणाली को भी मजबूत बनाएं। इस समेकित और व्यापक दृष्टिकोण तरीके से ही हम इस देश से भूख मिटाने में सफल होंगे।

देश की लगभग 22 प्रतिशत जनसंख्या के जीवन-निर्वाह के स्तर से नीचे रहने और वैश्विक भूख सूचकांक में 119 देशों में से भारत का 96वें स्थान पर होने से भी ज्यादा चिंता जनक बात यह है कि 1997 से 2003 के बीच यह सूचकांक सूची स्थिर रहा। इस संदर्भ में हमें ज्ञान अर्थव्यवस्था की तरह एक हरित अर्थव्यवस्था के निर्माण के प्रति राष्ट्रीय जागरूकता लानी होगी जिससे राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में कृषि, गरीबी उपशमन, खाद्य और पोषण के महत्व की आवश्यकता पर जोर देते हुए फसलों और अन्य आवश्यकताओं पर ध्यान जाएगा।

महोदय, लोगों को भूख और कुपोषण से उबारने के लिए, हमें अनुशात्मक प्रावधानों को मजबूत करने की आवश्यकता है, उत्पाद अधिशेष का व्यापार करने से पहले हमें अपने घर को सुरक्षित करना होगा। यह तभी संभव होगा जब हम कृषि उत्पादों के व्यापार को उदारीकृत करने से पहले एक खाद्य सुरक्षा तंत्र तैयार करें तथा कृषि अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी और आण्विक मोलीक्यूलर जीव विज्ञान की प्रगति को समेकित करें। वायदा बाजारों में कृषि व्यापार को संस्थागत बनाया जाए ताकि कृषि उत्पादन के वैश्विक व्यापार का लाभ इस देश के किसानों को मिल सके।

अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा कि खाद्य और पोषण सुरक्षा तथा भुखमरी का उपशमन उच्च स्तर पर बनी योजनाओं से नहीं हो सकता है? कृषक समुदाय के साथ साझेदारी और व्यवस्थित प्रणाली बनाने तथा बेहतर प्रौद्योगिकी निवेश के साथ उत्तम कृषि पद्धतियों की उभरती हुई समझ के साथ उनके ज्ञान का प्रयोग करने की आवश्यकता है। एक राष्ट्र के रूप में, हमारी और हमारे ग्रामीण भाइयों की एक ही नियति है; उनके कल्याण में ही हमारी भलाई है और खाद्य और पोषण सुरक्षा तंत्र में उनकी सहभागिता ही इस देश में भुखमरी का सामना कर रहे लगभग 2.2 करोड़ लोगों की समस्या का हल कर सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य श्री नवीन जिन्दल द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं और इस बातचीत को धैयपूर्वक सुनने के मंत्री महोदय की प्रशंसा करता हूं।

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, माननीय सदस्य, श्री नवीन जिन्दल द्वारा व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए प्रस्तुत संकल्प में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

यह अत्यंत चिंता का विषय है कि स्वतंत्रता के 60 वर्ष के पश्चात् भी हमारे देश में अनेक लोग अत्यधिक गरीबी में रह रहे हैं और भुखमरी से मर रहे हैं। किसानों द्वारा आत्महत्या रोजमर्रा की बात हो गई है। अब समय आ गया है कि हम एक साथ मिलकर बैठें और हमारी व्यवस्था में व्याप्त कमियों का पता लगाने के लिए गंभीरता पूर्वक आत्ममंथन करें।

गरीबी और भूख मानव के लिए अभिशाप हैं। हमारे देश में कुपोषण और खाद्य सुरक्षा की कमी मुख्य समस्याएं हैं। एन.एफ.एच.एस. द्वारा किए गए सर्वेक्षण में एक चिंताजनक रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया है कि हमारे देश में तीन वर्ष से कम आयु वाले लगभग 50 प्रतिशत बच्चों का वजन कम है अथवा वे कुपोषण से ग्रस्त हैं। सर्वेक्षण में बताया गया है कि हमारी लगभग 60 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं रक्ताल्पता से ग्रस्त हैं। कोई भी कल्पना कर सकता है कि रक्ताल्पता और कुपोषण ग्रस्त हमारे देश के बच्चों का भविष्य क्या होगा।

महान अर्थशास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रो. अमर्त्य सेन ने कहा है कि बंगाल में अकाल जिसमें लाखों लोगों की जाने गईं, मानव निर्मित था। उन्होंने आंकड़े दिखाए कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पर्याप्त खाद्यान्न उत्पन्न होता था; और यदि उस खाद्यान्न को लोगों में वितरित किया जाता तो न भुखमरी होती, न सूखा पड़ता और न ही लोग भूखे रहते। उन्होंने इंगित किया है कि वितरण प्रणाली इस प्रकार की थी कि खाद्यान्न भूखे लोगों तक पहुंचा ही नहीं। यह खाद्यान्न जमाखोरों के गोदामों में चला गया। आज भी, हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमारे समाज के गरीब लोगों की सहायता करने में सफल नहीं हो पाई है।

वैज्ञानिक और बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबंधन के जरिए देश में मौजूद गरीबी और कुपोषण से लड़ा जा सकता है। उदाहरणार्थ, उड़ीसा का कालाहांडी जिला जो भुखमरी से होने वाली मौतों के लिए जाना जाता था, वर्तमान में एक खाद्यान्न अधिशेष वाला जिला बन गया है। इस संबंध में भरसक प्रयासों के लिए श्री नवीन पटनायक सरकार का धन्यवाद जिन्होंने उड़ीसा में एक व्यवस्था विकसित की है। जिसके अंतर्गत सरपंचों को भुखमरी से पीड़ित लोगों को सभी प्रकार की सहायता देने के लिए शक्तियां दी गई हैं। इसके बदले में वे जिला कलेक्टर से प्रतिपूर्ति ले सकते हैं। जिम्मेदारी तय करके कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

हमारा देश मुख्यत: कृषि पर निर्भर है। यद्यपि हमारी सरकार ने लोगों को दो श्रेणियों में बांटा हैं- गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे-यह सपाट वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। सूखा, बाढ़ अथवा कोई अन्य प्राकृतिक आपदा गरीबी रेखा से ऊपर की निचली श्रेणी में रहने वाले किसानों की स्थितिगरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की स्थिति से भी दयनीय कर सकती है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि किसानों को मदद देने में नियम कठोर होने की बजाय नम्य होने चाहिए।

बात समाप्त करते समय मैं निम्नलिखित विषयों की तरफ सरकार का विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गरीब लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि से ही गरीबी और कुपोषण से लड़ा जा सकता है। अधिक श्रम प्रधान कार्यक्रम शुरू किए जाएं ताकि रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। राज्यों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली कोटा में वृद्धि की जानी चाहिए। आंगनवाड़ियों के लिए भी खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि की जानी चाहिए। कृषि क्षेत्र और परंपरागत उद्योगों में कार्यरत लोगों की भूख, बेरोजगारी और गरीबी की समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से हल निकाला जाए। उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों और उर्वरकों पर किया गया अनुसंधान का लाभ प्रयोगशाला में रहने के स्थान पर किसानों तक पहुंचना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर किसानों के हाथ मजबूत किए जाने चाहिए। हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाना चाहिए। देश में कुपोषण से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं और बच्चों को और निःशुल्क अधिक पोषक भोजन दिया जाना चाहिए। मैं श्री नवीन जिन्दल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो देश में भूखमरी की समस्या के उन्मूलन के बारे में है, का जोरदार समर्थन करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के लाखों लोगों की भूख और गरीबी मिटाकर ही एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जा सकता है।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने बंधु और सहयोगी माननीय संसद सदस्य श्री जिन्दल की मुक्तकंठ से प्रशंसा करता हूं क्यों कि उन्होंने हमारे देश में खाद्य और पोषण सुरक्षा संबंधी संकल्प प्रस्तुत किया हैं।

महोदय, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मानव की प्रमुख आवश्यकताओं में भोजन का प्रथम स्थान माना जाता है। हमने साठ

[श्री अधीर चौधरी]

वर्ष पूर्व स्वतंत्रता प्राप्त की है। हम अत्यंत धूमधाम से और शानदार ढंग से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह सही है कि जहां हमारे देश के एक हिस्से में भारत दमक रहा है वहीं दूसरे हिस्से में भारत अंधकारमय हो रहा है।

महोदय, हमारे लिए यह शर्म की बात है कि क्रय शक्ति समानता के अनुसार विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त करने के बावजूद, मानव विकास सूची में हम अभी भी 126वें स्थान पर हैं। हमारे आर्थिक विकास का खराब पक्ष यह है कि हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अभी भी अभावों और गरीबों से जूझ रहा है।

महोदय, किसी भी आधुनिक समाज के लिए खाद्य सुरक्षा अत्यधिक आधारभूत पूर्वापेक्षा है। हमने काफी पहले, मैं समझता हूं, 36 वर्ष पूर्व खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली थी, लेकिन अभी भी हमारी 35 प्रतिशत जनसंख्या सतत् असुरक्षित खाद्य स्थिति में रह निर्वाहकर रही है।

महोदय, गांधी जी ने एक बार कहा था कि परमात्मा हमारे देश के प्रत्येक घर और झौपड़ी में वास करता है। लेकिन विडंबना यह है कि भगवान रूपी यह जनता पर्याप्त भोजन से वंचित हैं। गरीबी से पीड़ित और खाद्यान्नों के मामले में असुरक्षित अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं।

यदि हमारी पीढ़ी में कोई ऐसी कमी रह जाती है जो हमारे उत्तराधिकारियों के जीवन यापन को प्रभावित करे, तो उसका हमें अपनी भावी पीढ़ियों को जवाब देना होगा।

महोदय, बच्चे खुशी के लिए पैदा किए जाने चाहिएं, न कि केवल अस्तित्व के लिए इसलिए हमें एक व्यापक खाद्य और पोषण कार्यक्रम तैयार करना होगा और उसे एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर प्राप्त करने के लिए हमें अपने देश में एक 'भूख रहित' समाज विकसित करना होगा। 'भूख रहित' को एक नारा और एक आंदोलन बनाया जाना चाहिए।

महोदय, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता के बावजूद, हमारे लोग भूख से क्यों मर रहे हैं? यह एक अभिशाप है। यही हमारे देश की नियति है।

जब भोजन हर समय उपलब्ध हो, जब सब लोग इसे खरीद सकें, जब भोजन पर्याप्त गुणवत्ता, मात्रा और किस्म में उपलब्ध हो और जब लोग अपनी सांस्कृतिक पसंद और प्राथमिकताओं के अनुसार आसानी से भोजन प्राप्त कर सकें, तब खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती है।

दूसरी बात यह है कि भोजन और पोषण के बीच बहुत बड़ा अंतर है। निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा का यह अर्थ नहीं है कि हमने पोषण संबंधी सुरक्षा प्राप्त कर ली है। हमारी वर्तमान प्रणाली में, प्रोटीन के आधार पर जितनी कैलोरी का हम उपयोग करते हैं उसी के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। लेकिन, हमें जीने के लिए प्रोटीन, विटामिनों, खनिजों और अन्य खाद्य पदार्थों की भी आवश्यकता होती है। इसलिए हमें खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा दोनों प्राप्त करनी होंगी।

महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही यह कह चुके हैं कि हमें अपनी खाद्य सुरक्षा को पोषण सुरक्षा में बदलना होगा। हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त भूख के बारे में यहां अक्सर चर्चा होती है। लेकिन हमें इस मर्ज, इस समस्या के मूल कारणों में जाने की आवश्यकता है। भारत अभी भी गांवों का देश है। इसलिए, हमें कृषि के विकास पर विशेष जोर देना चाहिए।

हरित क्रांति के युग से जब हमने खाद्यान्नों के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त की, तभी से यह सत्य है कि हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं और आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित कृषि उत्पादन के ऐसे अधिक व्यवहार्य और वैकल्पिक तरीके नहीं अपना पाए हैं जिनसे कि हमारी कृषि भूमि के प्रति इकाई उत्पादन में वृद्धि हो सके।

महोदय, हमने मैक्सिको से जो कुछ प्राप्त किया, उसने खाद्य उत्पादन में हमें आत्मनिर्भर बना दिया है। उस समय, अनुसंधान और विकास में सार्वजनिक निवेश इतना अधिक था कि गरीब किसान को हरित क्रांति के अवसर से लाभ उठाने में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब, स्थिति अत्यधिक बदलती जा रही है। अब, कृषि अनुसंधान और विकास का कार्य काफी हद तक निजी उद्यमियों के हाथ में जा चुका है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, दो-तीन मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

इसलिए गरीब किसानों के लिए आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों की लागत अधिक हो गई है। अब वे मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं अब वे इस स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की अत्यधिक कमी है।

जहां तक खाद्य असुरक्षा और खाद्य असुरक्षा की गंभीरता का संबंध है, संयुक्त राष्ट्र ने विकासशील विश्व को तीन हिस्सों वर्गीकृत किया है। ये तीन श्रेणियां गंभीर, चिंताजनक और अत्यंत चिंताजनक हैं। भारत को 'खाद्य सुरक्षा की चिंताजनक स्थिति' में श्रेणीबद्ध किया गया है।

मेरे पास योजना आयोग की एक रिपोर्ट है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि ''भारत विश्व के उन देशों में से एक है जिसमें कम वजन वाले बच्चों की संख्या सर्वाधिक है और यह उप-सहारा अफ्रीका से लगभग दोगुनी है।'' हम उप-सहारा अफ्रीका से भी पीछे हैं और यही कारण कि हमारे देश को दुनिया के सबसे गरीब हिस्सा माना जाता है।

''प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण और सूक्ष्मपोषक तत्वों की कमी दोनों ही प्रकार का अल्प पोषण बच्चों के विकास के कई पहलुओं पर सीधा प्रभाव डालता है। विशेषतः, यह उनके शारीरिक और मानसिक विकास को अवरूद्ध करता है और संक्रमण फैलने की संभाव्यता में वृद्धि करता है, जिससे कुपोषण की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। बच्चों में कुपोषण निम्न उत्पादकता के साथ आय और आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव के लिए जिम्मेदार है।''

''अल्प वजन की स्थिति शहरी क्षेत्रों (38 प्रतिशत) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में (50 प्रतिशत) अधिक व्यापत है; यह लड़कों (45.5 प्रतिशत) की तुलना में लड़कियों में (48.9 प्रतिशत) अधिक है; अन्य जातियों की तुलना में अनुसूचित जातियों में (53.2 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजातियों में (56.2 प्रतिशत) अधिक है; यद्यपि अल्प-वजन की स्थिति सभी आय-वर्गों में मौजूद है, लेकिन निम्न आय वर्ग में यह 60 प्रतिशत तक हो जाती है।''

''सूक्ष्म पोषक-तत्वों की कमी भी भारत में व्यापक रूप से फैली हुई है। विद्यालय-पूर्व के 75 प्रतिशत बच्चे आयरन की कमी से होने वाली रक्ताल्पता से पीड़ित हैं और इसी आयुवर्ग के 57 प्रतिशत बच्चे उप-नैदानिक विटामिन 'ए' की कमी से पीड़ित हैं। आयोडीन की कमी की महामारी 85 प्रतिशत जिलों व्यापत है। भारत में व्याप्त सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर करने की गति धीमी रही है क्योंकि अल्प वजन के मामले में विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है।''

''नवजात शिशुओं, बच्चों और माताओं की मृत्यु और रूग्णता के लिए मुख्यतः कुपोषण जिम्मेदार है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि बच्चों की कुल मौतों में से लगभग आधी मौतों में कुपोषण और आधी से अधिक मौतों में मलेरिया, अतिसार और न्यूमोनिया जैसी प्रमुख बीमारियों तथा 45 प्रतिशत मौतों में खसरे की भूमिका होती है।''

महोदय, यह हमारे देश की तस्वीर है। हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं। सामाजिक सुरक्षा संजाल के नाम पर हम पहले ही समेकित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम (आईसीडीसी), दोपहर का भोजन कार्यक्रम ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आदि जैसे अनेक कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं जो लगातार जारी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हमने अकाल संहिता का अनुभव किया और स्वतंत्रता के बाद हम 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम आरंभ करते आ रहे हैं। लेकिन तथ्य यही है कि व्यापारी बाजार में अब भी हेराफेरी कर रहे है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गरीब लोगों की आय अधिक और खाद्य पदार्थों के मूल्य कम होने चाहिए। खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि व्यापारियों की हेराफेरी से हुआ करती थी। इसलिए, हमें अपने देश की एक खाद्य गारंटी अधिनियम और खाद्य संप्रभुता तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि हमें उन बेईमान व्यापारियों के हाथों में न खेलना पड़े। सामाजिक सुरक्षा संजाल का विस्तार किया जाना चाहिए। कार्यान्वयन तंत्र और वितरण तंत्र को मजबूत तथा और अधिक प्रभावी बनाया जाए ताकि लाभार्थियों को हमारे वर्षों से चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ मिल सके।

हम आशा करते हैं कि हमारे देश के लोगों और इस सरकार के प्रयासों से, हम अपने देश के लोगों को खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ होंगे।

इन्ही शब्दों के साथ, मैं अपना बात समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती करूणा शुक्ला (जांजगीर) : माननीय सभापति महोदय, इस सदन के सदस्य, माननीय श्री नवीन जिन्दल ने जो संकल्प प्रस्तुत

[श्रीमती करूणा शुक्ला]

किया है कि—यह सभा संकल्प करती है कि वह देश से पूरी तरह से भुखमरी को मिटाने के लिए एक व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना तैयार करे और उसे लागू करे—मैं उनकी भावनाओं का समर्थन करती हूं। संवेदनशीलता और मानवता, यदि हम सब में कूट-कूट कर भर जाए, तो आजादी के 60 साल बाद, ऐसा संकल्प लाने की हम सदस्यों को आवश्यकता नहीं पड़ती।

माननीय सभापति महोदय, वर्षों से बढ़ते, सुनते और देखते आए हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांधी का भारत समृद्ध हो, सुरक्षित हो, सम्पन्न हो। वहां भूख से किसी की मौत न हो, किसी गरीब का घर ऐसा न हो जहां चूल्हा न जले। ये सब बातें ऐसा लगता है कि सिर्फ कागज पर रह गई हैं। आंकड़ों में आ गई हैं। यथार्थ के धरातल पर यदि देखें, तो सच्चाई इसके ठीक विपरीत है।

महोदय, देश में सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की रही हों, कोई भी सरकारें काम कर रही हो, हम उनके गुणगान और विरोध पर नहीं जाएंगे, लेकिन हालात ये हैं कि जब हम सांसद क्षेत्र के दौरे पर जाते हैं, तो 8-10 वृद्ध महिलाएं जरूर हमें यह कहते मिलती हैं कि दीदी मेरा गरीबी रेखा में नाम नहीं जुड़ा है, दीदी मुझे वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है या दीदी मेरे बच्चों को ठीक से पोषण आहार नहीं मिल रहा है। योजनाएं तो बहुत बनी हैं। पिछले 60 वर्षों से योजनाएं ही बनती चली जा रही हैं, उनका नया नाम होता है, नया रूप होता है, लेकिन उनका क्रियान्वयन कौन करेगा?

महोदय, नवीन जिन्दल जी ने जो विषय रखा है, उसमें यह है कि "योजना बनाकर उसे लागू किया जाए" यह महत्वपूर्ण है। जहां तक खाद्यान्न की बात है, किसानों की अच्छी-अच्छी जमीनों पर बड़े-बड़े उद्योगपतियों की निगाहें लगी हुई हैं कि कैसे वहां अट्टालिकाएं बन जाएं और जो किसान उस जमीन पर खेती करते हैं, उनकी खेती समाप्त हो जाए और आने वाले समय में भारत, जो खाद्यान्न में आत्म-निर्भर है, धीरे-धीरे वह समाप्त हो जाए।

आज हम आस्ट्रेलिया से गेहूं खरीद रहे है, कल हो सकता है कि हम धान भी खरीदना शुरू कर दें। यहां का जो मुख्य अनाज चावल और गेहूं है, जिसमें हम आत्मनिर्भर हो चुके थे, उसमें कहां कमी आ गई कि हमें विदेशों से गेहूं आयात करना पड़ रहा है। लोग उसे खाने के लिए तैयार नहीं हैं, जानवर भी उस गेहूं को खाने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों किसानों की जमीनें मौल भाव करके, उनकी मानसिकता को बदल कर कि तुम्हें इतना पैसा मिल रहा है, ले ली गई। क्यों किसानों से जमीनें ली जा रही हैं?

महोदय, मैंने उन लोगों को भी देखा है, जो सौ-सौ एकड़ जमीन के मालकिन थीं, आज वे महिलाएं कंडे थाप रही हैं। कंडे थापने और जंगल से लकड़ी बीनने को उनको मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि उनके रिश्तेदारों ने और उनके बेटों ने, उनके परिवार के सदस्यों ने उनका पैसा हड़प लिया, सौ एकड़ जमीन का उनका जो पैसा था, जिसकी कीमत साठ लाख, सत्तर लाख, अस्सी लाख रुपए थी, वह पैसा कहां खत्म हो गया, यह यह उन्हें पता नहीं है और वे फिर से बदतर स्थिति में पहुंच गई हैं। इसके लिए हम सब जिम्मेदार है, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। नवीन जिन्दल जी ने शायद इस बात का एहसास करते हुए ही यह संकल्प रखा है।

हमारी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना चल रही है, बहुत अच्छी योजना चल रही है। जिन राज्यों में अच्छा काम हो रहा है, निश्चित रूप से वहां के लोगों को इससे मदद मिली है। मैं छत्तीसगढ़ के बारे में कह सकती हूं। छत्तीसगढ़ से लोगों का जीविका कमाने के लिए पलायन होता था। रोजगार गारंटी योजना के चलने से वह पलायन रूक गया है। छत्तीसगढ़ के लिए हम कहते थे कि हमारे पास भरपूर सम्पदा है, वन है, पानी है, फिर भी पेट भरने के लिए लोगों को दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता था, लेकिन इस योजना के बाद पलायन रूक गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस योजना से छत्तीसगढ़ को लाभ हुआ है। इस योजना को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने एक और योजना तैयार की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि गरीब हो, अमीर हो, किसी जाति धर्म का हो, यदि उसे खाद्यान्न की आवश्यकता है और उसके घर में यदि चावल के अभाव में चूल्हा नहीं जल रहा है, तो मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना से उसके घर चूल्हा जरूर जलेगा और भूख के कारण वह बीमार नहीं पड़ेगा, उसकी मौत नहीं होगी।

दूसरा विषय पोषण का है। पोषण के मामले में महिलाओं और बच्चों की स्थिति बहुत खराब है। गरीब महिलाएं जो गर्भ धारण करती हैं, उन्हें गर्भ धारण करने के साथ ही अच्छा पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। गरीबी के कारण उन्हें वह पोषण नहीं मिलता है। उसे मजदूरी में इतना कम पैसा मिलता है कि पूरे परिवार के लिए केवल सामान्य

भोजन ही मिल पाता है, लेकिन जो पोषण चाहिए, जैसे बी-काम्पलेक्स, आयरन की गोलियां, दूसरे विटामिंस, वे नहीं मिल पाते हैं। अस्पतालों की हालत आपको पता है। किसी से छिपी नहीं है कि कितनी मात्रा में उन्हें दवाई दी जाती है, इसे आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पूरे विटामिंस नहीं मिल पाते हैं। पहले उनका स्वयं का स्वास्थ्य खराब होता है और फिर वे कुपोषित होती हैं। उसके बाद उनका जो बच्चा जन्म लेता है, उसके पोषण की तो बात ही बाद में आती है। शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों में कमी जरूर आई है, लेकिन जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, उनका स्वास्थ्य कितना अच्छा है, इस बारे में जब चौधरी जी बोल रहे थे, तब उन्होंने इस विषय को सदन में रखा था। बच्चे देश के भावी निर्माता हैं, हम ऐसा भाषण में जरूर कहते हैं। जब हम जनप्रतिनिधि के नाते भाषण देने जाते हैं, तो भाषण में ऐसा प्रतीत होता है कि यही बच्चे देश के भावी कर्णधार हैं, लेकिन उन बच्चों के चेहरों को देखें, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखें, तो ऐसा लगता है कि शायद इस बच्चे को दिन-भर कुछ खाने को नहीं मिला है। मध्याहन भोजन की योजना चल रही है, उसके तहत कहीं-कहीं अनाज देते हैं, कहीं भोजन बना कर देते हैं, लेकिन उस भोजन में बच्चों के लिए क्या पूरा पोषण है? बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, भाग-दौड़ करते हैं, उन्हें जो पोषण मिलना चाहिए, क्या इस भोजन में उन्हें वह पोषण मिलता है? वह पोषण नहीं मिल रहा है। आज देश की हालत यह हो गई है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है। अमीर और गरीब के बीच की खाई कुछ दिनों में इतनी लम्बी हो जाएगी कि शायद इसे पाट पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं पर हम अच्छी तरह से काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो संकल्प नवीन जिन्दल जी लाए हैं, सरकार उसे गंभीरता से लेगी। उस पर मनन करेगी, चिन्तन करेगी, अध्ययन करेगी और एक ऐसी बनाएगी, जो सारी योजनाओं का निचोड़ हो। योजनाएं बहुत सी चल रही हैं। हमारा पी.डी.एस. कहीं बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं फैल्योर है, कहीं कोआपरेटिव के माध्यम से चल रहा है, कहीं पंचायतों के माध्यम से चल रहा है। कहीं कोआपरेटिव के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं पंचायत के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। पर पूरा सिस्टम कैसे अच्छा हो, पूरे देश में व्यवस्था कैसे अच्छी बने, उसके लिए हम अपना खाद्यान्न उत्पादन अच्छा करें, उसको अच्छी तरह से बचायें, उसकी क्वालिटी अच्छी हो और उसके साथ-साथ अच्छी वितरण व्यवस्था हो, ताकि वह गरीबों तक अच्छी मात्रा में पहुंचे।

पंडित दीनदयाल उपाध्यक्ष जी कहा करते थे कि जब तक अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा, तब तक गांधी जी का भारत, जैसा गांधी जी चाहते थे, वह सपना साकार नहीं होगा। अगर पंडित दीनदयाल उपाध्यक्ष जी के भारत को, महात्मा गांधी के भारत को, उनके सपनों को अगर हमें साकार करना है तो हमें यथार्थ के धरातल पर खड़ा होना पड़ेगा। हम सच्चाई से कोसों दूर भागें नहीं, अधिकारियों के दिये गये आंकड़ों के मायाजाल में हम फंसे नहीं, हम स्वयं जब धरती पर जाकर उसका निरीक्षण करते हैं तो वस्तु-स्थिति कुछ और होती है। इसमें जो भी सरकार जहां बैठी हो, जिस रूप में बैठी हो, वह अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अगर भारत को बचाना है, भारत को खुशहाल बनाना है, भारत को सम्पन्न और भारत के भावी कर्णधारों को अगर देशभक्त और बाहुबली भारत के योग्य बनाना है तो हमें निश्चित रूप से इस संकल्प पर विचार करके इस पर काम करना होगा।

मैं फिर एक बार इस संकल्प का समर्थन करती हूं और जिन्दल जी को बहुत बधाई देती हूं, जिन्होंने मानवीय संवेदनाओं का यह संकल्प यहां प्रस्तुत किया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : महोदय, यह एक अच्छा भाषण रहा। अब मैं श्री राम कृपाल यादव को बोलने का अवसर प्रदान करता हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, क्या मैं इस अगली पंक्ति से बोल सकता हूं?

सभापति महोदय : अगली पंक्ति से आपको बोलने की अनुमति है, लेकिन आपका भाषण बहुत संक्षिप्त होना चाहिए।

श्री राम कृपाल यादव : मैं संक्षेप में बोलने की कोशिश करूंगा लेकिन मैं इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं हूं।

[हिन्दी]

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ज्वलन्त समस्या जो देश के सामने है, उस पर बोलने की मुझे अनुमति दी है।

मैं अपने मित्र और भाई नवीन जिन्दल जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके द्वारा यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है। देश की समस्याओं को देखकर व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना तैयार

[श्री राम कृपाल यादव]

करना और उसे लागू करना, यह संकल्प वे लाये हैं। निजी तौर पर मैं उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

लगातार कई माननीय सदस्यों ने इस पर विस्तार से चर्चा की है, जो देश की ज्वलन्त समस्या के संदर्भ में है। मैं समझता हूं कि पूरा सदन इसका समर्थन करेगा कि आज जो देश के हालात हैं, वे हालात ठीक नहीं हैं। हमारा देश बड़ा देश है, हमारे देश की आबादी 100 करोड़ से भी अधिक है और देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या और गरीब से गरीबी स्तर पर जीवन जीने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर है। कुछ ऐसे राज्य हैं, जहां के हालात और भी खराब हैं। उन प्रदेशों के संदर्भ में माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं भी जानते हैं, जिसकी चर्चा आम तौर पर होती रही है। वह प्रदेश हमारा बिहार है, वह प्रदेश उड़ीसा है, वह प्रदेश राजस्थान है। वह प्रदेश मध्य प्रदेश है, वह प्रदेश उत्तर प्रदेश है, वह प्रदेश पश्चिम बंगाल है। कई ऐसे प्रदेश हैं, जिनके हालात ठीक नहीं हैं।

महोदय, आजादी के 61 वर्ष बीत चुके हैं। आजादी के इतने साल बाद भी कई करोड़ ऐसे लोग हैं, जिनको आज भी भूखे सोना पड़ता है, चाहे वे दिन में भूखे सो जाएं या रात में भूखे सो जाएं। कई करोड़ लोग और परिवार ऐसे हैं जो दिन भर कमाने के बाद भी अपने बच्चों को दो वक्त रोटी मुहैय्या नहीं करा पाते हैं। देश को जब आजादी मिली थी, तब हमारे पुरखों ने आजाद भारत में रहने वाले लोगों का सपना देखा था और आजादी के बाद हमें संवैधानिक अधिकार भी मिल गया कि रहने की सुविधा मिलेगी, खाने की सुविधा मिलेगी, पढ़ने की सुविधा मिलेगी, इलाज की सुविधा मिलेगी और पीने के लिए पानी मिलेगा, यह संवैधानिक अधिकार हमें मिला था। मैं समझता हूं कि आज जो स्थिति हमारे सामने है, वह विकराल रूप ले रही है। आज भी 61 वर्ष की आजादी के बाद आपको सुनने और देखने को मिलता होगा कि कई ऐसे प्रदेश हैं, जहां लोग भूख से मर रहे हैं। लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। उन्हें पुष्ट भोजन मिले, यह तो अलग बात है, जिस तरह से लोग भुखमरी से मर रहे हैं, वह भी अपने आप में एक चिंता का विषय है।

महोदय, मैं समझता हूं कि देश की आजादी के बाद आज तक जो भी सरकारें आयीं, सभी ने इस देश के लोगों को आश्वस्त किया कि हम आपको रोटी, कपड़ा और मकान देंगे, मगर मैं नहीं समझता कि उनका जो आश्वासन देश के आवाम के लिए था, वह सरजमीं पर आया और लोग भूख से नहीं मरे, ऐसा कोई नहीं कर पाया। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी या सरकार के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता। हमारे देश में नीतियां तो बहुत बनती रहीं कि गरीबी दूर करो, गरीब को आगे लाओ, अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति या समाज है, उसे आगे लाओ। मैं समझता हूं कि ये नारे खोखले साबित हुए और सिर्फ कागजों पर रहे। यह सब सरजमीं पर नहीं आया।

महोदय, योजनाओं की चर्चा मैं नहीं करना चाहता, योजनाएं तो बहुत सी बनती रही हैं। वर्तमान सरकार ने भी कई योजनाएं गरीबों के लिए बनायी हैं, मगर योजना का जो स्वरूप और उसका लाभ है, निश्चित तौर पर वह सरजमीं पर नहीं आया। माननीय मंत्री जी जब अपना जवाब देंगे, तब 10 योजनाओं का नाम बता देंगे, पर मैं समझता हूं कि उन योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पाया, जो सरजमीं पर आकर आम-गरीबों तक पहुंच पातीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में जो गरीबों के हालात हैं, वह बहुत विकराल रूप लेते जा रहे हैं और लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच रहे हैं। कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में चर्चा की है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता।

महोदय, मैं खासतौर पर कुछ स्कीम्स की चर्चा करना चाहता हूं। जन-वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों को राशन उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की गयी है। जन-वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो राशन उपलब्ध कराये जाते हैं, उसकी उपलब्धता गरीबों तक नहीं हो पा रही है। इस संबंध में एक रिपोर्ट आयी है। मैं स्वयं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं। जो रिपोर्ट आयी, उसके अनुसार मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि सरकार ने अपनी एजेंसी प्लानिंग कमीशन के माध्यम से एक सर्वे कराया था, जिस सर्वे को पीईओ कहते हैं।

इतना ही नहीं, ओआर के माध्यम से भी एक सर्वे हुआ। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत सरकार गरीबों के लिए जो राशन उपलब्ध करना रही है, उसका सदर्न इंडिया, जैसे केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को छोड़कर बाकी जगह सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, बड़े पैमाने पर उसका दुरूपयोग हो रहा है, कालाबाजारी हो रही है। भारत सरकार अपने सिस्टम और योजनाओं के माध्यम से गरीबों तक जो हजारों हजार करोड़ रुपये पहुंचाना चाहती है, उसकी सीधे तौर पर कालाबाजारी और लूट हो रही है।

मैं अपने प्रदेश बिहार के बारे में बाताना चाहता हूं। बिहार की सरकार जो अपने आपको सुशासन वाली सरकार कहती है, वह गरीबों के लिए राशन कार्ड उपलब्ध नहीं करवा सकी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब तक राशन कार्ड उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक गरीब लोग भारत सरकार से राशन और पैसे कैसे ले पाएंगे। हालांकि भारत सरकार ने यह कृपा की है कि वहां गरीबों के लिए पहले जो राशन मुहैया होता था, उसे डबल करने का काम किया है। लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अन्त्योदय योजना जो बहुत पौपुलर योजना है, उसके माध्यम से भारत सरकार जो राशि आबंटित कर रही है, बिहार के गरीब लोगों को उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है। बिहार में जो गरीबी और फटेहाली है, वह आप सबको मालूम है, उसे कहने की जरूरत नहीं है। आज गरीबी फटेहाली की वजह से वहां के लोग पलायन कर रहे हैं, देश के अन्य भागों में जाकर अपनी जीविका उपार्जन करने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उन्हें कैसे कोपभाजन में पड़ना पड़ रहा है। वे असम जाते हैं तो वहां उन्हें मौत झेलनी पड़ती है। देश का कोई ऐसा भाग नहीं हैं जहां बिहार के लोग अपनी जीविका उपार्जन के लिए, अपने पेट को पालने के लिए, दो वक्त की रोटी के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर भी न जाते हों। हमारे वहां लाल कार्ड नहीं बन पा रहा है। अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत समाज के अंतिम वर्ग के व्यक्तियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस संकल्प पर चर्चा दिसम्बर, 2006 में शुरू हुई थी। हम इसे अब तक समाप्त नहीं कर सके।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : इसमें रोक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें मैम्बर जितना चाहे; उसे बोलने की इजाजत है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रत्येक व्यक्ति इस विषय पर बोलने चाहता है।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में बोलें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : यदि आप चाहते हैं तो मैं अपनी बात जल्दी समाप्त कर दूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपकी अनुमति से आज एक अन्य संकल्प पर विचार किया जाएगा। इसलिए, मैंने आपको बात समाप्त करने को कहा है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि आप चाहते है कि आपके संकल्प पर विचार हो तो आप को अभी अपना भाषण समाप्त करना होगा।

श्री राम कृपाल यादव : मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। मैं आपके साथ सहयोग करता हूं।

सभापति महोदय : अगला संकल्प आपके ही नाम से है। मैं आपके संकल्प पर चर्चा करने का बहुत ध्यान रखता हूं। कृपया भाषण के समय को सीमित करते हुए मेरे साथ सहयोग कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : मैं भाषण समाप्त करने की कोशिश करूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : मुझे उनका भाषण पूरा करने दें।

सभापति महोदय : मैं उनको केवल स्थिति के बारे में याद दिला रहा था।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : आज देश में अनेक ऐसे लोग हैं जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : चर्चा के लिए बढ़ाया गया समय समाप्त हो गया है। इस लिए सभा की अनुमति से मुझे समय पुनः बढ़ाना पड़ेगा। क्या सभा समय बढ़ाना चाहती है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : ठीक है मंत्री जी के उत्तर के साथ।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : इस देश में जो बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उसका क्या कारण है। गरीब महिला, मां जब अपने पेट में बच्चा पालती है, तो उसे सही ढंग से खाना नहीं मिल पाता। ...*(व्यवधान)* भारत की ताकत श्रमशक्ति है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब भाषण समाप्त कीजिए। अन्यथा आपका संकल्प व्यपगत हो जाएगा।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : इसका उत्तर आज ही दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : जी हां, माननीय सदस्य इस बात को अवश्य समझें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैं बता रहा था कि कुपोषण के शिकार जो बच्चे होते हैं, उसका कारण यह है कि गरीब गर्भवती महिलाओं को ठीक ढंग से भोजन नहीं मिल पाता है। इस कारण जब बच्चे का जन्म होता है तो कोई लंगड़ा, लूला होता है या पोलियो का शिकार हो जाता है। कहते है कि भगवान की कृपा के कारण ऐसा बच्चा हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। उस गरीब गर्भवती महिला को जो फूड मिलना चाहिए, वह नहीं मिलने के कारण स्वस्थ बच्चा पैदा नहीं हो सका।

हमारे देश की ताकत श्रम शक्ति है, मानव शक्ति है। देश का भविष्य उज्जवल हो, मजबूत हो, उसके लिए स्वस्थ बच्चा जब तक जन्म नहीं लेगा, तो हम कैसे देश को आगे ले जा सकेंगे। भारत को आजाद हुए 60 साल हो गए हैं। अगर कोई मां अपने बच्चे को ठीक से दूध नहीं पिला पा रही है, तो यह हम सबके लिए चिंता का विषय है। आज भी गरीब महिलाओं के स्तनों में दूध नहीं है, जबकि हर जगह यह प्रचार किया जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद उसे मां का दूध अवश्य पिलाएं। लेकिन होता यह है कि गरीब महिलाओं द्वारा बच्चा पैदा करने के बाद उनके स्तनों में दूध ही नहीं होता इसलिए वह बच्चा केवल पानी पीकर ही बड़ा होता है। कई ऐसे घर हैं, जहां खाने को रोटी नहीं है और जब मां काम से लौट कर आती है, तो बच्चा कहता है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे। मां के पास उस समय कुछ नहीं होता और वह आक्रोश में आकर बच्चे को थप्पड़ मारती है, तब वह बच्चा आंसू पीकर रह जाता है। यह भारत की स्थिति है। हमारे महान भारत की आजादी के लिए न जाने कितने लोगों ने शहादत दी थी, लेकिन उन्होंने भी यह कल्पना नहीं की थी कि भारत आजाद होकर ऐसी परिस्थिति से गुजरेगा।

आज भी हमारे देश में कई लोग खानाबदोश की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिन्हें खाने के लिए अनाज नहीं मिलता इसलिए वे पत्ते खाकर जीवन जी रहे हैं। मंत्री जी को इस बात की जानकारी होगी और वे बताएंगे कि ऐसे लोगों के लिए वे क्या करने जा रहे हैं? देश को मजबूत और उन्नत बनाने के लिए हमें इस पर गौर करना होगा। आजादी का सही मतलब तब तक नहीं निकलेगा, जब तक इस मुल्क का अवाम भुखमरी, गरीबी और फटेहाली में रहेगा। हमने देश की तरक्की का जो सपना देखा है, गरीबी के रहते हुए वह साकार नहीं हो सकता।

देश में बीपीएल के तहत 40 प्रतिशत आबादी आती है, लेकिन योजना आयोग के अनुसार देश में 28 प्रतिशत लोग बीपीएल के तहत आते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उनका यह आंकड़ा सही नहीं है। इसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा। आज भी भारत में कई लोग बिना दवा के मर जाते हैं। आप गांवों में, सुदूरवर्ती इलाकों में चले जाएं, आप देखेंगे कि वहां कई लोग इलाज और दवा के अभाव में मर जाते हैं। इसलिए स्वस्थ भारत के लिए यह आवश्यक है कि हर बच्चे को, चाहे वह कितना ही गरीब क्यों न हो, खाने की, पानी की और दवा की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि सरकार इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन वह पैसा जमीन पर नहीं उतरता है। आज गरीबी और अमीरी के बीच खाई बढ़ती जा रही है और दोनों के लिए अलग-अलग प्रकार की व्यवस्था हो गई है। सभापति महोदय, आप कामरेड हैं, आपकी पूरी जिन्दगी गरीबों के लिए संघर्ष में बीती है। आपको एहसास होगा कि आज भी भारत में ऐसे लोग हैं, ऐसे गरीब तबके के लोग हैं, जिन्हें खाने को अनाज नसीब नहीं होता है। देश में आज जो आंदोलन हो रहा है, दिनों-दिन नक्सलवाद का प्रभाव बढ़ रहा है। जगह जगह एक्सप्लाएटेशन हो रहा है। नक्सलवाद का प्रभाव दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है, उसके खिलाफ लोग मजबूरी में हथियार थामने को मजबूर हो रहे हैं। हमें देश को संगठित रखने का काम करना पड़ेगा। अमीरी और गरीबी की खाई को जब तक पाटने का काम हम नहीं करेंगे, जब तक लोगों को

खाना नहीं मिलेगा, पानी की सुविधा नहीं मिलेगी, तब तक यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। गृह मंत्री जी का उत्तर आया कि हमने नक्सलाइट मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए आर्म्स की व्यवस्था की, बुलेटप्रूफ कार की व्यवस्था की, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आजादी के बाद से जो लोग सामाजिक तौर पीड़ित और शोषित रहे हैं, ऐसे लोगों को अपलिफ्ट करना पड़ेगा और सिर्फ कागजों पर ही उनके लिए कार्य नहीं होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों के लिए कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं?

महोदय, हमने देश की आजादी की 61वीं वर्षगांठ भी मना ली है, मगर क्या देश के गरीबों के हालात ऐसे ही रहेंगे? क्या गरीबों के बच्चों, किसानों के बच्चों के हालात ऐसे ही रहेंगे? क्या वे ऐसे ही मरते रहेंगे और कुपोषण के शिकार होते रहेंगे? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब तक इस देश के जो दलित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, ऐसे मजदूरों को, किसानों को, गरीब लोगों को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, तब तक देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता है। जब तक देश के बच्चे कुपोषित रहेंगे, तब तक देश की खुशहाली के बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। आज देश में अमीर और अमीर होता जा रहा है तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है। जो दादा ठेला चलाता था, आज उसका पोता भी ठेला ही चला रहा है। जिसका दादा रिक्शा चलाता था आज उसका पोता भी रिक्शा ही चला रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। सरकार की नीतियां सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं, इसलिए अमीरी तथा गरीबी की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है। *[अनुवाद]* आप सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते। आप यह अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए, मैं अनुरोध कर रहा हूं इस विषय पर विचार करेंगे।

सभापति महोदय : अगले संकल्प पर चर्चा शुरू करनी हे और यह आपके नाम से है।

श्री राम कृपाल यादव : कृपया दलितों और गरीबों के लिए कुछ कीजिए।

[हिन्दी]

देश की तरक्की और खुशहाली तभी हो सकती है, जब हम देश के सबसे गरीब आदमी को ऊपर उठाने का काम करें। उधर के लोगों से हम किसी प्रकार की आशा नहीं रखते हैं, यह तो बड़े लोगों की पार्टी है। मुझे भारतीय जनता पार्टी से किसी प्रकार की आशा नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि यूपीए सरकार ने आम आदमी के लिए काम किया है और आगे भी निचले तबके के लिए काम करती रहेगी। मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि केवल पैसा आवंटित करने से कुछ नहीं होगा, हमें ठोस कार्यवाही करने की जरूरत है। केवल जिम्मेदारी खत्म करने से काम चलने वाला नहीं है। अगर आप राशि देते हैं तो इंश्योर करिए कि वह गरीबों तक जाएगी। आप हजारों-करोड़ रुपया देने का काम कर रहे हैं, वह गरीबों तक अवश्य जाए, इसकी जरूर व्यवस्था करने का काम करें। हम लोगों द्वारा दिए जाने वाले टैक्स से ही सब काम हो रहे हैं। आप गरीबों से टैक्स ले रहे हैं। आपके खजाने का वह पैसा नहीं है, गरीबों का पैसा है। वह गरीबों के बीच जाए, ऐसी व्यवस्था करके देश में खुशहाली लाने का काम करें।

आप बिहार में जो पैसा दे रहे हैं, उस पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है। आप उसके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मैं संघीय व्यवस्था के बारे में जानता हूं। राज्यों और केन्द्र सरकार के दायित्व अलग-अलग हैं। खुले-आम छूट मत दीजिए। आपके द्वारा दी जाने वाली राशि का सही वितरण नहीं होगा और वह गरीबों तक नहीं जाएगा तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। आप पीडीएस सिस्टम को सुदृढ़ करिए। पीडीएस में मिलने वाले अनाज में भी बड़ी गड़बड़ी होती है जिस की आपको भी जानकारी है। वहां मिलने वाले अनाज के बारे में शिकायत करते हैं तो आपके अधिकारी कहते है कि यह सब-स्टैंडर्ड है। बिहार की जमीन बहुत उपजाऊ है। किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। इसलिए वे भुखमरी के कगार पर हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, फिर भी आप समर्थन कर रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव : आपकी भी बोलने की बारी आ रही है। मैं आपकी बात बहुत धैर्य से सुनूंगा।

आप फूड सिक्योरिटी की व्यवस्था सुनिश्चित करें आज किसानों के हाथ पीछे जा रहे हैं। आने वाले दिनों में और भुखमरी होगी। देश में कहीं अकाल पड़ता है, कहीं बाढ़ आती हैं और कहीं सुखाड़ आता है। बिहार में किसान बेमौत मर रहे हैं क्योंकि वहां अनाज नहीं है। इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और भी कई राज्य हैं जहां बाढ़ आई है। प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। भगवान की कृपा दूसरे-दूसरे ढंग से होती रहती है। इन तमाम चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम में उत्पादन करने की क्षमता है क्योंकि हमारे पास जमीन भी

[श्री राम कृपाल यादव]

है लेकिन किसानों को ठीक से सहायता देने की आवश्यकता है। आप किसानों को उत्साहित करिए। बेचारे किसान हतोत्साहित हो रहा हैं इसलिए काम नहीं कर रहे हैं। उनके हाथ में ताकत है, क्षमता है, उनको समर्थन मूल्य दीजिए, सिंचाई की व्यवस्था कीजिए। इन सब की व्यवस्था करने के बाद देश के लोग खुशहाल हो सकते हैं, किसान खुशहाल हो सकते हैं। इससे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अगर आप सोचते हैं कि मल्टी-नेशनल कम्पनियों के माध्यम से बेरोजगारी दूर होगी, यह असम्भव है। पढ़े-लिखे लोगों को काम दे सकते हैं लेकिन आम लोगों के लिए वही खेत, वही खलिहान हैं। इससे ही अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। जब तक लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत नहीं हो सकती है। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। रोज वित्त मंत्री जी का भाषण होता है कि सैंसक्स इतना हो गया, यह हो गया, वह हो गया, लेकिन उसका जमीन पर असर दिखायी नहीं दे रहा है। इन बातों की तरफ माननीय मंत्री जी ध्यान दें क्योंकि वह स्वयं किसान वर्ग से हैं।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : थोड़े शब्द मंत्री जी के लिए कह दें।

श्री राम कृपाल यादव : मैंने मंत्री जी के लिए बहुत सारे शब्द रखे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह और आगे बढ़ें लेकिन गरीब किसानों के लिए कुछ करें। अगर गरीबों के लिए कुछ नहीं करेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। केवल लंबी-चौड़ी बातों से काम बनने वाला नहीं है। आप नीति बनाइए। आप नीति बना भी रहे हैं लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। जब तक देश के गरीब लोग आगे नहीं बढ़ेंगे देश तरक्की नहीं करेगा। कुपोषण से लोग मर रहे हैं। जब तक गरीबी और अमीरी की खाई नहीं पटेगी तक तक देश खुशहाल नहीं हो सकता।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं जिन्दल साहब के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं और माननीय चेयरमैन साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी कृपा की और मुझे बोलने का अवसर दिया।

मुझे विश्वास है कि जब जवाब देंगे तो मजबूती के साथ जवाब देंगे कि अब देश का आने वाला भविष्य किसान हो, मजदूर हो, ये लोग खुशहाल रहेंगे और इस देश में कोई भूखों नहीं मरेगा, कोई कुपोषण का शिकार नहीं होगा और देश की आजादी आम लोगों तक दिखेगी।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं भाई जिन्दल जी, माननीय चेयरमैन साहब और आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री देवव्रत सिंह (राजनंदगांव) : सभापति महोदय, इस देश के सबसे महत्वपूर्ण विषय को इस देश का सबसे मजबूत लोहा और इस्पात निर्णय करने वाले व्यक्ति के संवेदनशील हृदय ने सदन में छेड़ा है, निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं। श्री नवीन जिन्दल जी को हम सभी इस देश में लौह और इस्पात के निर्माणकर्ता के रूप में जानते हैं। लेकिन जिस संवेदनशीलता के साथ नवीन जी ने पहले तिरंगे की लड़ाई लड़ी और आज गरीबी और भुखमरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे हमें इस बात का विश्वास होता है कि सदन के माध्यम से उनके इस प्रयास को जब कानूनी स्वरूप मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारे देश से भुखमरी और कुपोषण गायब हो जायेगा।

अपराह्न 4.46 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

माननीय सभापति महोदय, मैंने अमेरिकन टी.वी. में भारत के बारे में एक छोटी सी फिल्म देखी। उसकी शुरूआत में जब भारत के बारे में बताते हैं तो कचरे के एक ढेर में एक बच्चा कुछ खोजता रहता है और खोजते हुए वह खड़ा रहता है, देखता रहता है और अचानक उसे उसमें एक रोटी का टुकड़ा मिलता है, जिसे वह कचरे के ढेर से निकालता है, उसके बाद वह आसपास देखता है और फिर उसे खाना शुरू कर देता है। विश्व स्तर पर चाहे अमरीका हो या अन्य कोई देश हो, भारत की इस तस्वीर को बार-बार दिखाया जाता है। निश्चित रूप से हमारे देश के साथ यह बहुत बड़ी विसंगति है कि इसी देश के महानगरों में जो फाइव स्टार होटल हैं, इन होटलों में जो व्यक्ति खाना खाने जाते हैं, वे दो हजार रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से बुफे का खाना खाते हैं और उस खाने को बाद में फेंक दिया जाता है। यह बड़े-बड़े पंचतारा होटलों की पालिसी होती है कि एक बार जो खाना बुफे की टेबल पर लग जाता है, उसे खाने को बाद में फेंक दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। यानी दो हजार रुपये प्रति व्यक्ति का भोज फेंक दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमारे देश में ऐसे भी हैं, जिन्हें पांच रुपये का भोजन दोनों समय उपलब्ध नहीं हो पाता है। यह हमारे देश की बहुत बड़ी विसंगति है।

महोदय, आज जब हम विश्व स्तर पर बात करते हैं तो आधुनिक

भारत के निर्माण की बात होती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे शहर हैं, उनके रेलवे स्टेशनों से जब ट्रेन बाहर निकलती है, तब देखिये कि हमारे देश में भुखमरी का क्या आलम है। छोटे-छोटे बच्चे प्लास्टिक और पोलिथीन के बीच में से खाना ढूंढते रहते हैं। यह हमारे देश का बहुत ही मार्मिक विषय है। आदरणीय जिन्दल जी ने इस पर जो योजना बनाने की बात की है, निश्चित रूप से इस सदन की और हम सभी की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसे सफल बनायें। आज हमारे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूर्ण रूप से चरमरा गई है और इस तरह से चरमराई है कि आज अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को, जिसे हमने अन्न देने की योजना बनाई थी और संविधान में इस बात का प्रावधान भी किया था कि हर व्यक्ति को हम कम से कम दो वक्त की रोटी दे पायेंगे। उस व्यक्ति को संविधान के माध्यम से हम दो वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हैं। निश्चित रूप से यह हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। आज देश की आजादी के साठ वर्ष के बाद भी इस बात की समीक्षा नहीं हो पा रही है कि हमने जो फूड कारपोरेशन आफ इंडिया और वेयर हाउसिंग कारपोरेशन जैसी बड़ी-बड़ी संस्थाएं बनाई थीं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वे केन्द्र सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गांव के और शहर के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के मुंह तक निवाले के रूप में अनाज पहुंचाएं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और सबसे ज्यादा परेशानी अगर कहीं है तो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हैं और एफ.सी.आई. जैसी संस्थाओं में हैं। इनके अलावा वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के गोदामों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके कारण आम आदमियों तक अनाज नहीं पहुंच पा रहा है।

महोदय, हमारे देश में भूखा कौन है? हमारे देश में वह व्यक्ति भूखा है जो खेतों में जाकर काम करता है। जो खेतों में फसल को लगाता है, फसल का उत्पादन करता है, फसल लगाने में जो किसान जाकर मेहनत करता है, उस तक ही अनाज का दाना नहीं पहुंच पाता है। यह बड़ी विसंगति है कि छत्तीसगढ़ की आत आप करें तो देखेंगे कि हमारा किसान धान पैदा करता है, धान उसके लिए सस्ता है और चावल महंगा हो गया है। धान उत्पादन करने के बाद भी वह दो वक्त का चावल इकट्ठा नहीं कर पाता है। यह दुर्भाग्य है कि जो हमारा खाद्य प्रसंस्करण का विभाग है, जो हमारी राइस मिल है, जो हमारी संस्थाएं हैं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनाज प्रदान करती हैं, उनके भ्रष्टाचार के चलते समाज में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को अनाज नहीं मिल पाता।

आज मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहूंगा कि भारत सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइन्स भेजी। राशन कार्ड के कई-कई नमूने बनाये गये लेकिन राशन कार्ड जो वितरित होता है, उसमें जो सबसे गरीब व्यक्ति होता है, उस तक न राशन कार्ड पहुंच पाता है और न उसका राशन कार्ड बन पाता है। वह दो वक्त की रोटी के लिए उसके बाद भी परेशान होता है। इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि देश स्तर पर राशन कार्ड की कोई न कोई नयी प्रक्रिया चालू की जाए जिससे हर व्यक्ति को अनाज उपलब्ध हो सके।

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहूंगा कि इस बात का प्रयोग कई देशों में होता है। कई राज्यों ने भी इस बात का प्रयास किया कि जिस राज्य में जिस अनाज का उत्पादन होता है, वहां उस अनाज का बैंक बनाया जाए। यदि हम ग्रामीण स्तर पर अनाज बैंक बनाएं और ग्राम पंचायतों को अनाज बैंक बनाने के लिए नियुक्त करें और देश में कानून बनाकर उसी ग्राम में यदि अनाज बैंक चले तो मैं समझता हूं कि समाज के सबसे गरीब आदमी की जो अनाज की मूल आवश्यकता है, वह उस व्यक्ति की पूरी हो सकती है। हर ग्राम पंचायत में जब हम अनाज बैंक चलाएंगे तो जो व्यक्ति वहां मजदूर होगा, वह वहां आवेदन करेगा और उसे वहीं की वहीं अनाज मिल जाएगा और इस अनाज बैंक की स्थापना होने से कम से कम भुखमरी से मृत्यु तक आदमी नहीं पहुंच पाएगा।

मैं एक अन्य बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राशन में शक्कर देने की योजना है। निश्चित रूप से शरीर को शक्कर से काफी लाभ होता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि राशन की दुकानों में शक्कर गायब हो जाती है। आप इस देश की फिर विसंगति देखिए कि हमारे जितने भी गन्ना उगाने वाले किसान हैं, वे गन्ने को आग लगा रहे हैं, गन्ना खरीदने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। जितने गन्ने को शक्कर कारखाने हैं, वे सब घाटे में चल रहे हैं और वे बंद होने की स्थिति में हैं। आम आदमी को शक्कर नहीं मिल पाती। आज पाकिस्तान से शक्कर मंगाने की बात हो रही है। हमारे गन्ने के किसान को राशन में कभी शक्कर नहीं मिल पाती। निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं एक लम्बी बातचीत होने की आवश्यकता है। अगर देश की आजादी के 60 साल बाद भी जो किसान अनाज उत्पादन कर रहा है और जिसके लिए वह मजदूर मेहनत कर रहा है, अगर वही अनाज उसके पेट तक और उसके मुंह का निवाला अगर वह अनाज नहीं बन पा रहा है तो बीच की जो व्यवस्था है, उसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं दोष है।

[श्री देवव्रत सिंह]

कु-पोषण की बात निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा विषय है। आदरणीय जिन्दल जी ने इस विषय को बड़ी गंभरता से उठाया है। जिस गर्भवती स्त्री को खाने को अनाज नहीं मिल पाता, पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, वह अपने पैदा होने वाले शिशु को क्या दे पाएगी? आज आंगनवाड़ी केन्द्र के नाम से करोड़ों रुपया केन्द्र से राज्य सरकारों को जा रहा है लेकिन अगर कभी भी कोई समिति जाकर जांच कर ले, तो वह पाएगी कि आंगनवाड़ी में दलिया इत्यादि जो चीजें दी जाती हैं, अगर आप उसकी पौष्टिकता की जांच करा लें तो पता लगेगा कि उसमें पूरी मिलावट है। जो हम दलिया जैसी चीज गरीब बच्चों को दे रहे हैं, उसमें अगर पौष्टिकता नहीं है, उसमें अगर कैल्शियम नहीं है या आयरन नहीं है तो निश्चित रूप से जो हमारा शिशु जन्म लेगा, जो आगे चलकर भारत का नागरिक बनने वाला है, वह कु-पोषण होकर इतना कमजोर बनेगा कि एक मजबूत भारत के निर्माण में बहुत बड़ी परेशानी सामने आएगी। मैं यह भी यहां कहना चाहूंगा कि ये जो आंगनवाड़ी केन्द्र होते हैं, इन केन्द्रों के संचालन की जो जिम्मेदारी है, इसका सरकारीकरण करने की बजाए अगर महिला समूह के माध्यम से किया जाए तो वह बेहतर होगा। मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि जो गांवों में राशन की दुकानें चलती हैं, इनमें एक व्यक्ति के स्थान पर अगर महिला समूह को हम दे देंगे तो निश्चित रूप से ये महिलाएं बहुत ईमानदारी से इन राशन दुकानों को चलाएंगी और अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को राशन मिल जाएगा।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री देवव्रत सिंह : महोदय, आदरणीय करूणा शुक्ला जी कह रही थीं कि हमारे छत्तीसगडढ़ में मुख्य मंत्री खाद्यान्न योजना प्रारम्भ हुई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि खाद्यान्न योजना प्रारम्भ करने की यह सोच अच्छी है लेकिन हम लोगों ने यह देखा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार यह योजना चालू की गई है। गरीब आदमी को 5 रुपये में सार्वजनिक वितरण सिस्टम से चावल और अनाज मिलता था। उनके लिये दाल-भात केन्द्र चालू किये गये जो गरीबों के दाल-भात खिलाने का काम करते थे ताकि वे भुखमरी से न मरे लेकिन दुख की बात है कि ये केन्द्र वहां बंद कर दिये गये हैं। जिन लोगों के हाथों में इन दाल-भात केन्द्रों का संचालन था, वे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के केन्द्र बन गयो।...*(व्यवधान)*

श्रीमती करूणा शुक्ला : सभापति महोदय, वे खत्म नहीं हुये हैं और जो अच्छे से चल रहे हैं, वे चालू हैं लेकिन जहां इच्छा शक्ति नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्लीज, नो इंटरप्शन। आप बैठ जाइये।

श्री देवव्रत सिंह : सभापति जी, श्री जिन्दल जी ने अपने संकल्प के द्वारा जिन योजनाओं को बनाने की बात कही है, मेरा सरकार से निवेदन है कि वह संकल्प को एक योजना के रूप में लेकर आये क्योंकि आज हम स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसलिये इस संबंध में एक कानून बनाये जाने की आवश्यकता है। अगर हमारी नीयत और नीति ठीक होगी, तभी हमारी नियति ठीक होगी।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो) : माननीय सभापति महोदय, यह प्रसन्नता की बात है कि श्री जिन्दल जी ने इस देश की दुखती रग को समझने का काम किया है। उन्होंने अपने संकल्प में गरीबों के पोषण और उसके आहार के लिये एक योजना बनाकर उसे एक्जीक्यूट करने की बात कही है। हमारे यहां योजनायें अनके हैं लेकिन समस्या यह है कि उन्हें एक्जीक्यूट करना बहुत कठिन काम है। इसलिये उन्होंने इस बात पर जोर दिया है। आजादी के पहले ही गांधी जी ने जिन सपनों को देखा था, उसी के आधार पर उन्होंने कहा था कि हम भारतवर्ष में राम राज्य लाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा:

"सर्वेभवन्तु सुखिनाः सर्वे संतु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्यभवेत्"

इस भाव के साथ उन्होंने राम राज्य की कल्पना की थी। इसी राम राज्य की कल्पना में गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रामायण में तत्वों को बताया है-

"दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहिं काहू व्यापा।
न हि कोई दुखी, न दारिद दीना, न हि कोई अवधु न विद्याहीना।।

सभापति जी, गांधी जी ने इस प्रकार के राम राज्य की कल्पना की थी लेकिन इन वर्षों में आज देश में यदि कोई प्रताड़ित है तो वह गरीब आदमी है। यदि हम जड़ में जायें तो मालूम होगा कि यह गरीबी की समस्या कैसे पैदा हुई? जो भुखमरी है, बेरोजगारी के कारण गरीबी और गरीबी के कारण भुखमरी। यह भी कहा है कि "नहीं दरिद्र सम दुख जग मांहि, करि विचार देखो मन मांहि।" इसलिये दरिद्रता और गरीबी सब से बड़ा और भयानक दुख है। इसे

दूर करने के लिये आप जब तक रोजगार उन्मुखी योजनायें नहीं बनायेंगे, तब तक गरीब लोगों की गरीबी दूर नहीं हो सकती। यदि गरीबी दूर नहीं होगी, तो भुखमरी दूर नहीं हो सकती। इसलिये ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।

सभापति जी, हमने सुरक्षित खाद्य योजना की बात कही है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है जहां 80 प्रतिशत जनता खेती करती है लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमें विदेशों से गल्ला आयात करना पड़ रहा है। हम विदेशों से गल्ला 1500 रुपये क्विंटल के भाव खरीद रहे हैं लेकिन किसानों को 850 रुपये भाव नहीं दे सकते।

अपराह्न 5.00 बजे

इसी का परिणाम है कि हमारे देश में आज गल्ले की कमी हो रही है। पीडीएस की बात यहां की गई। मैं मानता हूं कि अनेक योजनाएं बनीं। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में लगातार चार वर्षों से सूखा पड़ रहा है। माननीय रघुवंश जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि यदि मान्यवर ने रोजगार गारंटी योजना लागू नहीं की होती तो पूरे बुंदेलखंड का आदमी पलायन करके दिल्ली आ जाता। वैसे अभी टीकमगढ़, छतरपुर और साथ में लगे हुए महू आदि के इलाकों के लगभग पांच लाख से ज्यादा लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं जो अपने-अपने गांव छोड़कर आए हैं। जो योजनाएं हैं, आज उनको लागू करने की आवश्यकता है। हम गांव-गांव में जाते हैं। हमारी बहन अभी बोल रही थीं कि हम जब जाते हैं तो वृद्ध लोग आ जाते हैं कि हमारा नाम गरीबी रेखा की सूची में नहीं है। यहां से जो गरीबी रेखा में नाम जोड़ने का पत्रक गया है, वह बहुत डिफैक्टिव है। यदि किसी के पास दो जोड़ी कपड़े हैं तो उसका नाम गरीबी रेखा से कट जाएगा। हमारे मछुआरे भाई बरसात में कभी-कभी मछली मारकर खा लेते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप वैजिटेरियन हैं या नान वैजिटेरियन? वे कहते हैं कि हम कभी कभी नान वेज का भी सेवन करते हैं, तो उनका नाम भी गरीबी रेखा सूची से कट जाता है। सर्वे का जो 14 पाइंट्स का पत्रक आपने भेजा है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। यदि वास्तव में गरीबी को आप दूर करना चाहते हैं तो फिर उसका एक दूसरा डाक्यूमैंट आपको तैयार करना पड़ेगा जिससे वास्तविक गरीब लोगों का नाम उसमें आए और उन योजनाओं का लाभ उनको मिल सके।

हमारे मध्य प्रदेश में कई गरीब लोगों के नाम गरीबी रेखा सूची से कट गए। जो आपके यहां से हमें राशन मिलता है, खाद्यान्न मिलता है, वह उन कार्डों के आधार पर मिलता है। जब वे गरीबी रेखा में नहीं होंगे, तो उनका कार्ड नहीं बनेगा और उनको काम नहीं मिलेगा और ऐसे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। इसलिए यह गलत बात कि गरीबों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठा लिया है, इस नाम कमाने की वजह से जो गलत डाक्यूमैंटेशन हो रहा है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, आज जो योजनाएं आपने लागू की हैं, रोजगार गारंटी योजना आपने लागू की, उसमें मात्र 100 दिन के काम के लिए आपने प्रावधान किया है। जब अकाल जैसी स्थिति पड़ जाती है तो उसमें उनको पूरे समय काम देने की आवश्यकता है। मैं माननीय रघुवंश जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे स्थानों पर जहां अकाल की स्थिति है, सूखे की स्थिति है, 100 दिन की गारंटी योजना है, इसमें पूरे समय काम देने का काम आप करेंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों को राहत मिलेगी।

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव (गोपालगंज) : रोजगार गारंटी योजना तो फेल हो गई।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : मेरा कहना है कि यदि हमें गरीबी दूर करनी है तो फिर जैसे अभी हमारे राम कृपाल जी बोल रहे थे कि ये जो गरीबी और अमीरी की बहुत बड़ी खाई है, इसको पाटने की आवश्यकता है। जब तक यह खाई नहीं पटेगी, तब तक गरीबी दूर करना बहुत मुश्किल है। अभी मध्य प्रदेश में हमारे मुख्य मंत्री जी ने गरीबों के लिए अंत्योदय योजना के तहत बहुत से काम शुरू किये हैं। अंत्योदन अन्न योजना शुरू की है। अंत्योदन उपचार योजना गरीबों को राहत दे रही है। कन्यादान योजना शुरू की है, जिसमें गरीबों की जो कन्याएं हैं जिनकी बेटियां भारस्वरूप हो गई हैं, उनके मां-बाप उनकी शादी नहीं कर पा रहे हैं, उन तमाम बच्चियों का कन्यादान करने का बीड़ा मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया है। इस प्रकार गरीबों को काफी राहत देने का काम उन्होंने किया है। मैं यह निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा किये जो योजनाएं आपने दी हैं, इनको ग्रामीण स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा होगा तो निश्चित रूप से माननीय नवीन जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसके कारण निश्चित रूप से गरीबों को राहत मिलेगी।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : सभापति महोदय, मैं श्री नवीन जिन्दल जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना तैयार करने और उसे लागू करने से संबंधित रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया है। मैं उन्हें इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि न केवल वे यह रेजोल्यूशन लाए हैं, बल्कि पूरी तत्परता के साथ श्री शरद पवार साहब से मिल कर, मुझ से मिल कर और कई बड़े-बडे मंत्रियों से मिल कर इस संकल्प के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है, उसके लिए मैं उन्हें ह्रदय से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जो बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, उनसे निश्चित रूप से मेरे मंत्रालय एवं सरकार को अपनी नीति बनाने में और इस सवाल का समाधान करने में सहूलियत मिलेगी, मैं यह अच्छी तरह समझता हूं।

महोदय, श्री नवीन जिन्दल साहब की जो पृष्ठभूमि है, एक बड़े औद्योगिक एवं प्रतिष्ठित घराने से आने के बावजूद जिस सवाल को इन्होंने अपने संकल्प के माध्यम से उठाया है, उसकी सदन के सभी साथियों ने चर्चा करने के दौरान प्रशंसा की है, मैं भी अपने को उन सभी साथियों से सम्बद्ध करता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं।

महोदय, आपने भी इस सवाल पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है और जो सुझाव दिए हैं, उन्हें भी हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं। आपके साथ-साथ श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री हन्नान मोल्लाह, श्री सुखदेव पासवान, श्री सी.के. चन्द्रप्पन, श्री कीरेन रिजीजू, श्री एस.के. खारवेनथन, श्री बी. महताब, श्री आर.एस. रावत, श्री फ्रांसिस फैन्थम, श्रीमती अर्चना नायक, श्री अधीर चौधरी, श्रीमती करूणा शुक्ला, हमारी पार्टी के सम्मानित नेता, भाई राम कृपाल यादव जी, देवव्रत सिंह जी और डा. रामकृष्ण कुसमरिया जी ने इस संकल्प पर अपने विचार व्यक्त किए। यह चर्चा दिसम्बर में प्रारम्भ हुई थी, आप सभी माननीय सदस्यों ने जितने विचारपूर्ण और भावपूर्ण शब्दों में इस संकल्प के बारे में जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, उन पर सरकार निश्चित रूप से गंभीरता पूर्वक विचार करने के उपरांत लाभ उठाएगी। सरकार निश्चितरूप से गम्भीरता पूर्वक विचार करने के उपरान्त इनका लाभ उठाएगी और अपनी नीतियों के निर्धारण में इन सुझावों को समाहित करने की कोशिश करेगी।

सभापति महोदय, फूड सिक्योरिटी से हमारा तात्पर्य सभी व्यक्तियों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। भारत सरकार द्वारा इसके लिए कई नीतियां और कार्यक्रम समय-समय पर बनाए गए हैं। भारत सरकार यह अच्छी तरह समझती है कि देश में सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, एफोर्डेबल मूल्य पर मिले। देश में खाद्यान्न उत्पादन में लगातार वृद्धि होती रहे और इसके लिए हमारा मंत्रालय हमेशा प्रयासरत और प्रयत्नशील है।

महोदय, यू.पी.ए. की सरकार आने के बाद, सभी पार्टियों में जो सहमति बनी, उसमें सबसे पहले नैशनल कामन मिनीमम प्रोग्राम में यह तह हुआ कि हम सबसे पहले बजट में रूरल क्रेडिट को तीन साल में दुगना करेंगे। इस बात से पूरा सदन वाकिफ है कि जहां वर्ष 2004 में रूरल क्रेडिट 84 हजार करोड़ रुपए था, वहां तीन साल के अंदर उसे 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। कोआपरेटिव स्ट्रक्चर के माध्यम से इर्रीगेशन एवं डायवर्सीफिकेशन आफ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, यू.पी.ए. सरकार आने के बाद, विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमने जितने वायदे किए थे, वे सब पूरे कर दिए हैं, अभी भी बहुत काम करने बाकी हैं। इसके साथ-साथ सरकार ने बेहतर तरीके से फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए गरीब और कमजोर तबकों के लिए टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है।...*(व्यवधान)*

चौधरी लाल सिंह : सर, आप हमारे यहां के प्रक्योरमेंट सेंटर की बात भी बता दीजिए।

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह : अभी तो मैं टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कर रहा हूं।

सभापति महोदय : चौधरी लाल सिंह जी, आप बैठ जाइए। जब तक मंत्री जी यील्ड नहीं करते हैं, तब तक आपको बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह : महोदय, केन्द सरकार टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत तीन श्रेणियों के माध्यम से देश के सभी लोगों को अनाज मुहैय्या कराने का काम करती है। वे कैटेगरी हैं- ए.पी.एल., बी.पी.एल और ए.ए.वाई.। ए.पी.एल. का मतलब है एबव पावर्टी लाइन के लोग। उन परिवारों की संख्या देश में 11.52 करोड़ है। उन्हें हम 8.30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल और 6.10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं उपलब्ध कराते हैं। बिलो पावर्टी लाइन के लोगों के परिवारों की संख्या 5.2 करोड़ है। उन्हें हमने 5.65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल और 4.15 रुपए के

हिसाब से गेहूं उपलब्ध कराते हैं। अन्तयोदय अन्न योजना की चर्चा श्री राम कृपाल यादव ने अपने सम्बोधन में की है। इस योजना के तहत तीन रुपये किलो के हिसाब से चावल और दो रुपये किलो के हिसाब से गेहूं उपलब्ध कराया जाता है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि बहुसंख्यक सदस्य मेरी बात से सहमत होंगे कि 11.52 करोड़ एपीएल परिवार और 6.52 करोड़ बीपीएल और एएवाई के परिवारों को यदि एक साथ जोड़कर देखा जाए तो लगभग 18.04 करोड़ परिवारों को टारगेटिड पीडीएस के नेट में भारत सरकार अगर रखे और प्रत्येक परिवार के लिए 5.5 से यदि मल्टीपलाई करें तो लगभग सौ करोड़ लोग टारगेटिड पीडीएस में कवर होंगें। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अनाज उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम परिवार को सारी जरूरतों को हम पूरा करते हैं।

महोदय, न्यूट्रीशनल सिक्योरिटी की भी सवाल यहां उठाया गया है। लेकिन टारगेटिड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उद्देश्य था, वह न्यूट्रीशिनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया बल्कि सप्लीमेंटरी नैचर का रखा गया था। उसको मद्देनजर रखते हुए ही यह स्कीम चलाई गई थी।

महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का ध्यान इस जन वितरण प्रणाली की व्यापकता की तरफा भी आकर्षित करना चाहूंगा। सब्सीडाइज दर पर जो अन्न मुहैया कराया जाता हे, उसमें बीपीएल परिवार और गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड धारक लोगों को जोड़ा जाए तो 42-43 करोड़ लोगों को इस जन वितरण प्रणाली के तहत लाभान्वित किया जा रहा है।

अपराह्न 5.19 बजे

[डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

इसके अलावा भारत में गरीब तबके के लोगों के न्यूट्रीशनल फीडींग के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जैसे एसजीआरवाई, डब्ल्यूबीएनपी योजना, एनपीएजी योजना, मिड डे मील योजना, इमरजेन्सी फीडींग प्रोग्राम, इनके तहत रोजगार के माध्यम से खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। जिसके पास रोजगार न होने के कारण परचेजिंग पावर नहीं है, उनके लिए भी हमारी सरकार ने एनआरईजीपी योजना के तहत रोजगार कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप दिया है, जो कि समाहित तरीके से जनमानस का इकानामिक इम्पावरमेंट भी करती है। इससे न केवल फूड अपितु न्यूट्रीशनल सिक्योरिटी एक तरह से सुनिश्चित होती है। यू.पी.ए. सरकार आकस्मिक रूप से उत्पन्न संकटों, प्राकृतिक आपदाओं आदि के दौरान बी.पी.एल. और ए.ए.वाई. परिवारों को फूड सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए अलग से विलेज ग्रेन बैंक स्कीम भी चला रही है।

इसके अलावा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा समाज के वलनरेबल वर्गों, जैसे वृद्धों, विधवाओं, अपंगों, निराश्रितों, असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, आदिम, आदिवासी परियोजना के लिए आवश्यकतानुसार ऐसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। उदाहरण के लिए आई.सी.डी.एम. स्कीम, जिसके तहत 6 माह से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती स्त्रियों, लैक्टेटिंग मदर्स को सप्लीमेंटरी फूड भी दिया जाता है। इस समय इस योजना से 467 लाख बच्चे और 95 लाख प्रिगनेंट एण्ड लैक्टेटिंग महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। एन.पी.ए.जी. योजनाओं के तहत कुपोषित किशोरियों को 6 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त वितरित किया जा रहा है। इसी तरह किशोरी शक्ति योजना के तहत किशोरियों को कौशल विकास तथा स्वास्थ्य और पोषाहार संबंधी जानकारी भी दी जाती है।

मिड डे मील स्कीम के तहत देश के प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 12 करोड़ बच्चों को गर्म पका हुआ खाना दिया जाता है, जिसमें आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हरी सब्जियां और आयोडीनयुक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। रूरल हैल्थ मिशन के तहत आर.सी.एच. मिशन चलाया जा रहा है, जिसमें प्रिगनेंट तथा लैक्टेटिंग महिलाओं को प्री स्कूली बच्चों को आयरन तथा फोलिक एसिडयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।...*(व्यवधान)* विलायती नहीं, सब इंडियन दिया जाता है।

इसी तरह 9 महीने से 3 साल के बच्चों को विटामिन ए की गोली भी दी जाती है। महिला तथा बाल विकास विभाग हॉट बेस्ड न्यूट्रीशन प्रोग्राम चलाता है, जिसके तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और प्रिगनेंट तथा लेक्टेटिंग मदर्स के लिए न्यूट्रीशन खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों या 65 वर्ष से ऊपर की उम्र के ऐसे नागरिक, जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना के तहत पेंशन के पात्र तो हैं, पर पेंशन नहीं पा रहे हैं, उनको अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है। इसके अलावा सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के होस्टलों, कल्याण संस्थाओं को खाद्यान्नों की आपूर्ति करने की योजनाओं के तहत विभिन्न राज्यों को 15 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के हिसाब से आबंटित किया जा रहा है।

[डा. अखिलेश प्रसाद सिंह]

सरकार के इमरजेंसी फूड प्रोग्राम के तहत बी.पी.एल. परिवार के वृद्ध, कमजोर और असहाय परिस्थितियों के लिए खराब परिस्थितियों में फूड सिक्योरिटी प्रदान की जाती है।...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : आपकी आज्ञा हो तो मैं इस सन्दर्भ में एक बात जानना चाहता हूं।

सभापति महोदय : उन्हें जवाब पूरा कर लेने दीजिए।

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह : न्यूट्रीशनल सिक्योरिटी के बाबत भी मैं कुछ बात रखना चाहूंगा। हालांकि इसकी चर्चा मैंने पहले भी की है, लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आयोडीन साल्ट कम से कम चार राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने अभी शुरू किया है। इसी तरह व्हीट फोर्टीफिकेशन पर भी पायलट प्रोजैक्ट आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। गुजरात में भी इसका प्रचलन जोर पकड़ रहा है। गुजरात में फोर्टीफिकेशन आफ एडिबल आयल्स विटामिन ए और डी के लिए काफी पहले से पहल की गयी है, इसके अलावा खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार बफर नार्म्स बनाती है। टीपीडीएस के तहत गेहूं और चावल की आवश्यकताओं के अलावा, सेंट्रल पूल में इनका पर्याप्त स्टाक होना अपेक्षित है, ताकि सूखे और क्राप फेल्योर्स आदि जैसी किन्हीं आकस्मिकताओं को पूरा किया जा सके और मूल्य वृद्धि की स्थिति में ओपन मार्केट इंटरवेंशन किया जा सके। चारों तिमाहियों की शुरूआत में केन्द्रीय पूल में जो न्यूनतम स्टॉक रहना चाहिए, उसका ब्योरा इस प्रकार है।

यह अप्रैल 2005 से प्रभावी है। पहली अप्रैल को चावल 122 लाख टन होना चाहिए, जबकि बफर नार्म्स के अनुसार गेहूं 40 लाख टन होना चाहिए, दोनों को अगर जोड़ें तो 162 लाख टन का बफर नार्म्स हम लोगों के पास होना चाहिए। पहली जुलाई को चावल के लिए 98 लाख टन, गेहूं के लिए 171 लाख टन होना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर 269 लाख टन होता है। पहली अक्टूबर को 52 लाख टन चावल, 110 लाख टन गेहूं होना चाहिए, यानी टोटल 162 लाख टन होना चाहिए। पहली जनवरी को 118 लाख टन चावल और 82 लाख टन गेहूं बफर नार्म्स के अनुसार होना चाहिए, इस तरह से पहली जनवरी को कुल 200 लाख टन अनाज केंद्रीय पूल में होना चाहिए। वर्तमान में, वर्ष 2007 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय पूल में चावल 167.67 लाख टन है, जबकि गेहूं का स्टाक 91.61 लाख टन है, दोनों मिलाकर 259.28 लाख टन चावल और गेहूं अभी केंद्रीय पूल में मौजूद है, जो बफर नार्म्स से 10 लाख टन कम है।

सभी माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाए हैं, उनकी पूरी तैयारी मेरे पास है, लेकिन मैं सभी का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। अगर अलग से सभी सदस्य चाहें, तो मैं उनका उत्तर भेज सकता हूं। नवीन जिन्दल जी, जिनके माध्यम ये सह संकल्प सदन में आया है और जिस पर विचार हुआ, उन्होंने जो सवाल उठाए थे, जिसमें उन्होंने ब्राजील के जीरो हंगर प्रोग्राम का जिक्र किया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय और माननीय सदस्य गण, इस संकल्प के लिए आंवटित समय अपराह्न 5.30 बजे समाप्त हो जाएगा। यदि सभा सहमत हो तो हम इस मद पर चर्चा पूरी होने तक सभा का समय बढ़ा सकते हैं।

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र) : महोदय, कृपया सभा का समय एक घंटा और बढ़ा दीजिए।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, अब उत्तर दे रहे हैं, इसलिए सभा के समय को एक घंटे के लिए बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, हमारा रेजोल्यूशन मीटेक-अप कियाजाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसके बाद सभा आपके संकल्प पर विचार करेगी।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि इसके बाद सभा को अगले संकल्प पर विचार करना चाहिए और तत्पश्चात आप सभा को स्थगित कर सकते है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, माननीय नवीन जिन्दल को उत्तर देने का अधिकार है।

[हिन्दी]

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह : नवीन जी ने ब्राजील के जीरो हंगर प्रोग्राम का, यूएस एंटी हंगर इंपावरमेंट एक्ट, 2007 का एवं अन्य

समाचार-पत्रों का संकलन देते हुए, "आन राइट टू फूड", एक मसौदा बिल शरद पवार जी को और मुझे दिया था आपने जिस एक्ट का हवाला दिया, श्री शरद पवार के साथ मैंने और पूरे विभाग ने बड़ी गहराई से उन दस्तावेजों का अध्ययन किया। उसके आलोक में उन बिन्दुओं पर मैं बताना चाहता हूं, शायद सदन को जानकारी हो या नहीं, लेकिन मैंने पहले भी चर्चा में कहा कि हम लोग अकेले केवल टारगैटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से लगभग सौ करोड़ लोगों को उस नेट में रखते हैं। ब्राजील में उस तरह की कोई जन-वितरण प्रणाली नहीं है। जीरो हंगर प्रोग्राम, जिसे प्रोजैक्टो फेमो जीरो भी कहते हैं, मूलत: यह उनकी रणनीति है। ब्राजील जहां लगभग साठ प्रोग्राम हैं, वहां के गरीब नागरिकों, जो वहां की 33 प्रतिशत पौपूलेशन है, उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार ने एक रणनीति बनाई। उसे पढ़ने के बाद जो बेसिक कौन्सैप्ट है, रोम प्लान आफ एक्शन, 1996 वर्ल्ड फूड समिट में जो हुआ था, उसी को ब्राजील ने अपने हिसाब से अमल करने के लिए एडाप्ट किया था।

दूसरी बात जो आपने उठाई, ब्राजील सरकार अपने जीरो हंगर प्रोग्राम को ज्यादा इनटाइटलमैंट रादर दैन राइट के रूप में क्रियान्वित करने में प्रयासरत है।

तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है ब्राजील और भारत के क्रियान्वयन स्तर पर भी बहुत भिन्नता है। जैसे मैंने अपने प्रारंभिक भाषण में चर्चा की थी कि जहां हम जन-वितरण प्रणाली में लगभग 42-43 करोड़ की अन्तयोदय व बी.पी.एल. आबादी को कवर कर रहे हैं, कई करोड़ ए.पी.एल. परिवार भी कवर कर रहे हैं, वहीं ब्राजील अभी मात्र 6.2 करोड़ गरीबी की रेखा से नीचे वाली जनसंख्या को कवर करने के लिए जूझ रहा है।

चौथी बात, अनलाइक इंडिया फूड सिक्युरिटी में ब्राजील में सरकारी क्षेत्र की बहुतायत नहीं है, निजी क्षेत्र की है।

पांचवी बात, जहां तक यूएस के एंटी-हंगर इम्पावरमैंट एक्ट, 2007 की बात है, मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि यह अभी बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर है और दरअसल एक फूड स्टैम्प एक्ट 1977 का है जिसे संशोधित कर यह नाम दिया जा रहा है और इस संशोधन को मात्र 3.5 करोड़ की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट प्रोवीजन फूड स्टैम्प प्रोग्राम की थी, उसे बढ़ाकर सैक्रेटरी आफ एग्रीकल्चर, यूएसए को 75 प्रतिशत रीएम्बर्समैंट फार विशिष्ट राज्य कार्यक्रमों के लिए आथोराइज किया जा रहा है ताकि यूएस हाउस आफ रिप्रैजैंटेटिव्ज के दस्तावेज के अनुसार मात्र 200 मिलियन यूएस डालर यानी 800 करोड़ रुपये प्रति वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक होगा, जबकि भारतवर्ष में आलरेडी इस वर्ष फूड सबसिडी का बर्डन 25 हजार करोड़ रुपये से ऊपर है।

मैं इन तथ्यों को इसलिए रख रहा हूं कि भारत की ब्राजील और अमरीकी की तुलना में पीडीएस की जो रिलेटिव सक्सैस है, मुझे लगता है कि सदन इसे एप्रीशिएट करेगा कि इन देशों के मुकाबले भारत का पीडीए सिस्टम और उसका जो फैलाव है, वह इन देशों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है।

अंत में, मैं यह बात सदन के नालेज में लाना चाहूंगा कि नैशनल कमीशन एंड फार्मर्स, जो एन.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में फूड एवं न्यूट्रीशन सिक्योरिटी पर विचार करने के लिए बनाया गया था, उस पर उन्होंने कुछ व्यापक विचार दिये हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, कृपया संक्षेप में उत्तर दें।

[हिन्दी]

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह : खासकर उस कमीशन ने इस बात पर विचार किया कि कम संसाधन वाले किसानों और कम संसाधन वाले उपभोक्ताओं, दोनों की खाद्य सुरक्षा की आवश्यकताओं की सुरक्षा करने की जरूरत का सामना कर रहा था। श्री स्वामीनाथन आयोग का यह विचार था कि कम संसाधन वाले उपभोक्ताओं में से अधिकांश लघु अथवा सीमांत किसान और असींचित क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि श्रमिक थे। अत: उसने सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और स्वायत्ता बोर्ड पवित्र तरीक से इन जटिल सम्पर्कों पर ध्यान देगा और देश के सभी क्षेत्रों ...*(व्यवधान)* हमारी आबादी के सभी वर्गों के हितों की जरूरत पूरी करने वाले सामाजिक और आर्थिक रूप से चलाये जाने वाले खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का विकास करने और कार्यान्वित करने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश प्रदान करेगा। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने पहले ही इन सुझावों पर उचित कार्रवाई हेतु कैबिनेट कमेटी आन फूड सिक्योरिटी के गठन का प्रस्ताव किया है।

इसके साथ ही साथ इन प्रस्तावों के रहते हुए, जैसा कि हमने शुरू के सम्बोधन में कहा कि जो 15 कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा से संबंधित न्यूट्रीशनल सिक्योरिटी से संबंधित चलाये जा रहे हैं, उससे एक बात स्पष्ट होगी कि इस देश में बच्चे जब मां के पेट में रहते हैं तब से लेकर 75 साल तक कोई न कोई ऐसी योजना है, जिससे लोगों को खाद्यान्न मुहैया कराया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

चौधरी लाल सिंह : 75 साल के बाद क्या भूख नहीं लगती?

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह : 75 साल के बाद भी है।...*(व्यवधान)* लाल सिंह जी, मेरे कहने का मतलब यह था कि मां के गर्भ से लेकर मरने तक यानी जीवनपर्यंत कोई न कोई योजना है, जिससे आपको खाद्यान्न मुहैया कराया जा रहा है। इन सबके अलावा नवीन जी का जो सुझाव था, उस पर पहले से योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में एक वर्किंग ग्रुप आन फूड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी गठित किया है। आप सभी के विचारों और बहुमूल्य सुझावों को हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय, योजना आयोग के इस वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट आनी है, उस रिपोर्ट के आने के बाद अगर जरूरत पड़े, तो सरकार उस पर विचार करेगी। सभी कार्यक्रमों जिनका हमने अपने सम्बोधन में जिक्र किया, उन कार्यक्रमों के मद्देनजर किसी एक व्यापक कार्यक्रम की आवश्यकता सरकार को महसूस नहीं होती है, क्योंकि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों की सभी श्रेणियां जैसे महिलाएं, बच्चे, गरीब, छात्र, बेघर तथा असहाय लोग, अपंग व्यक्ति, किशोरियां, बेरोजगार आदि कवर हो जाते हैं। फिर भी सभी माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए प्रस्तावों और सुझावों का मैं स्वागत करता हूं और नवीन जी से आग्रह करता हूं कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, एपीएल और बीपीएल के जो आंकड़े बताए गए हैं, राज्य सरकारें उसके अनुपात में गेहूं और चावल की मांग कर रही हैं कि एपीएल के लिए उन्हें कितना गेहूं और चावल चाहिए एवं बीपीएल के लिए उनको कितना गेहूं और चावल चाहिए। माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि उस अनुपात में अनाज उनको क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? इसकी वजह से राज्य सरकारों को बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है।

श्री लक्ष्मण सिंह : महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर से और श्री शरद पवार जी की क्रिकेट में व्यस्तता से नहीं लगता है कि यह सरकार देश में भुखमरी और कुपोषण को हटाने में सफल होगी। आपकी सरकार ने घोषणा की थी और जहां तक मुझे याद है माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि आप बिहार जैसे उन राज्यों में एक फूड कूपन योजना चलाएंगे जहां गरीब लोगों की संख्या ज्यादा है। जहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की अधिक संख्या रहती है, उनको फूड कूपन दिया जाएगा और अगर उनको सरकारी दुकान से अच्छा समान नहीं मिलता है तो वे उस कूपन के द्वारा प्राइवेट दुकान से अनाज ले सकते हैं। आपकी सरकार को कार्य करते हुए लगभग साढ़े तीन साल का समय हो गया है, लेकिन इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आगे पता नहीं आपकी सरकार कितने महीने रहे, इसलिए मैं आपसे स्पेशिफिकली यह जानना चाहता हूं कि यह योजना कब तक लागू करने वाले हैं?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री कीरेन रिजीजू, कृपया आप विशिष्ट प्रश्न पूछिए क्योंकि आप पहले भी चर्चा में भाग ले चुके हैं

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) : महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिस कार्यक्रम का जिक्र किया मैं उसकी सराहना करता हूं, लेकिन हम लोग यह सच्चाई भी देख रहे हैं कि उस पर कितना अमल हो रहा है और हमें कितनी सफलता मिली है। मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि इतने कार्यक्रम होने के बावजूद हम फेल हो जाते हैं, कोई व्यक्ति भूख से मर जाता है, उस तक अनाज नहीं पहुंचता है। उसके बारे में आपके बयान में कहीं भी दिखाई नहीं देता है कि आपके मन में ऐसी कोई बात है और आप कोई ऐसा ठोस कदम उठाने वाले हैं कि यदि किसी अधिकारी या राजनेता, जिसके कारण उस कार्यक्रम को लागू करने में विफलता आई है, उसको जिम्मेदार ठहराकर उसे कोई सजा देने का आप प्रावधान करेंगे। क्या आप कोई ऐसा कानून बनाएंगे जिससे ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिल सके?

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : पहला प्रश्न जो भोजन के कूपन से संबंधित है, पहले ही पूछा जा चुका है। जहां तक मैं समझता हूं और माननीय सदस्य चौधरी लाल सिंह भी जानते है, यह कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर में बहुत सफल रहा है। जम्मू और कश्मीर में भोजन कूपन प्रणाली बहुत सफल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह कार्यक्रम पूरे देश में क्रियान्वित होगी और यदि हां, तो कब?

लेकिन मूल प्रश्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है जिसके बारे में आपने विस्तार से चर्चा की है। आज बड़ी समस्या गरीबी की है, लोग गांवों से पलायन कर शहरों में आ रहे है और उन्हें सस्ता खाद्य पदार्थ नहीं मिल पा रहा है। क्या आपके पास उन लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कार्ड देने का कोई कार्यक्रम

या योजना है जो शहरों में पलायन कर गए हैं? प्रवासी लोगों को ये कार्ड दिए जाने चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा किया जा सकता है।

अंत में, केन्द्र सरकार की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची तथा राज्य की गरीबी रेखा की सूची में अंतर है। क्या हमारे पास इस संबंध में कोई एक सूची नहीं हो सकता? क्या इस संबंध में कुछ प्रगति हुई है?

[हिन्दी]

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव : भारत सरकार खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर करोड़ों रुपया खर्च करती है, फिर भी आम लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आम लोगों को इसका फायदा मिले, इसके लिए सरकार कौन सी व्यवस्था कर रही है?

श्रीमती करूणा शुक्ला : मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उस संदर्भ में मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष 1,630 मीट्रिक टन चावल बीपीएल के तहत आने वाले लोगों के लिए आबंटित किया गया था, जबकि इस वर्ष उसकी मात्रा घटाकर सिर्फ 740 मीट्रिक टन कर दी गई है। एक तरफ तो आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार ने इतने परिवारों को खाद्यान्न सहायता उपलब्ध कराई है और दूसरी तरफ आप छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न के कोटे में कमी कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह पीडीएस से संबंधित नहीं है। यह खाद्य सुरक्षा से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, भाई जिन्दल जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने सदन में बहुत ही अच्छे विषय को संकल्प के रूप में पेश किया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : इस विषय पर सदन में सभी पक्षों की तरफ से मूल्यवान सुझाव आए हैं। मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जो गरीब प्रदेश हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि, वहां पर कुपोषण की समस्या ज्यादा है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों और शहरों में स्लम बस्तियां में भी कुपोषण ज्यादा है। खासकर शहरों में जहां अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग अधिक संख्या में रहते हैं, वहां कुपोषण और खाद्यान्न की समस्या अधिक है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वे कराएं कि वहां यह समस्या क्यों है। इसके अलावा जहां अल्पसंख्यकों की आबादी है वहां भी यह समस्या काफी है। उनके छोटे-छोटे बच्चे बचपन में ही काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बच्चों को विशेष अभियान के तहत सहायता देने के लिए सरकार कौन से कारगर कदम उठा रही है, जिससे उन्हें मदद मिल सके और वे कुपोषण तथा भूख के शिकार न हो पाएं।

[अनुवाद]

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद सुझाव के रूप में मेरा एक छोटा सा प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

डा. रामचन्द्र डोम : जिन्दल जी ने जिन सवालों को उठाया, वे बहुत ही अहम् हैं। मंत्री जी ने बाद में उनका जवाब दिया और रूटीन जवाब दिया।

[अनुवाद]

चिकित्सीय दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण घटक है जिसका मैं सुझाव देना चाहता हूं। अधिकांश कुपोषित बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। सामान्यत: हमारे बच्चे कुपोषण से पीडित होते है, जिससे वे अतिसार और अन्य बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, जो क्रिमी संक्रमण के कारण होती हैं। यह एक अत्यंत आम समस्या है, जिसके लिए नियमित आधार पर 'डी-वोरमिग' कार्यक्रम चलाया जाना जरूरी है।

सभापति महोदय : आपका सुझाव अथवा प्रश्न क्या है?

डा. रामचन्द्र डोम : हमारे आईसीडीएस केन्द्रों में 'डी-वोरमिग' की गोलियों की आपूर्ति किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। यह एक अत्यंत सामान्य व महत्वपूर्ण घटक हैं। हमारे बच्चों को यदि 'डी-वोरमिग' की गोलियां और लौह (आयरन) चिकित्सा नि:शुल्क प्रदान की जाए, तो कुपोषण से लड़ने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : राम कृपाल जी, अगला संकल्प आपका है। आप इस विषय पर भी बोल चुके हैं। अगर और प्रश्न पूछेंगे तो फिर आपको अपने संकल्प के लिए समय नहीं मिलेगा।

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को आप 25 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। इसमें से 32 प्रतिशत पैसा गरीबों तक पहुंचता है और 68 प्रतिशत रखरखाव में, पंखे-एसी में, बिजली में, कार में, लोडिंग-अनलोडिंग में खर्च होता है। इसलिए क्या आप सब्सिडी दे रहे हैं? गरीबों के नाम पर, जो यह पैसे की बर्बादी हो रही है उसको कम करने के लिए आप स्थापना व्यय में, लोडिंग-अनलोडिंग में जो व्यय हो रहा है, इसे आप कम करेंगे और जो 32 प्रतिशत पैसा है और आप 60 प्रतिशत करने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे। एपीएल में जो पैसा है उसे काट कर बीपीएल में देने का काम करेंगे। गरीबों को बिजली, कोयला और पानी दीजिए।

श्री सचिन पायलट (दौसा) : नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई और यह सर्वे 60 साल के बाद दुबारा हुआ। इसमें मालूम पड़ा कि देश में 47 प्रतिशत बच्चे जो पांच साल की उम्र से कम हैं, वे कुपोषित हैं। यह संख्या पिछले 60 सालों में केवल एक प्रतिशत कम हुई है। हिंदुस्तान का हर दूसरा बच्चा,? जो पांच साल से कम उम्र का है, वह कुपोषित है। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में सदन को जानकारी दी कि कितना पैसा हम लोग राज्य सरकारों को इस काम के लिए देते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि हर साल बजट में खाद्य सामग्री के लिए पैसों का आवंटन करते हैं वह राशि हर साल बढ़ रही है। माननीय राम कृपाल यादव जी ने सही बात कही है कि पैसा इसलिए राज्य सरकारों को दे रहे हैं क्योंकि इसमें कार्यक्षेत्र राज्य सरकारों का है। ऐसी राज्य सरकारें जो काम नहीं कर पाती हैं, जहां पैसों का गबन हो रहा है, जहां जमाखोर उन पैसों को खा रहे हैं, उन राज्य सरकारों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे, यह मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहता हूं।

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने जो अलग-अलग सवाल उठाए हैं, खास करके माननीय शैलेन्द्र जी ने जो सवाल उठाया, उस पर मुझे यह कहना है कि जब एनडीए की सरकार थी तो नेशनल सेम्पल सर्वे ने एक सर्वे कराया था। उस सर्वे की नतीजा या आंकलन था कि पांच करोड़ व्यक्ति इस देश में दोनों वक्त का खाना नहीं खाते हैं। उसी को ध्यान में रखकर यूपीए सरकार का जो कामन मिनिमम प्रोग्राम बना, उसमें यह फैसला किया गया कि हम जो एएवाई की फैमिली जो पहले 1.5 करोड़ थीं, उसमें हम एक करोड़ फैमिली बीपीएल परिवारों में से इजाफा करने का काम करेंगे। आज एएवाई परिवारों की संख्या जहां एनडीए की सरकार में 1.5 करोड़ थी वह आज 2.5 करोड़ हो गयी है। इस 2.5 करोड़ में अगर 2.5 करोड़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 13 करोड़ लोगों को इस देश में दो रुपये किलो गेहूं, तीन रुपये किलो चावल हम भारत सरकार के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। सर्वे के अनुसार जिनकी संख्या 5 करोड़ है। बीपीएल परिवारों को हम 35 किलो के हिसाब से चावल और गेहूं उपलब्ध कराते हैं। माननीय लक्ष्मण सिंह जी एपीएल परिवारों के बारे में जो सवाल था वह उपलब्धता के आधार पर और जो पिछले तीन वर्ष के आधार पर...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह : मेरा सवाल यह नहीं था।...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत : यह सवाल मेरा था।

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह : ठीक है, यह श्री रासा सिंह रावत के प्रश्न का उत्तर है। तीन साल के आफटेक के एवरेज या मिनीमम आफटेक के आधार पर राज्य सरकारों को आवंटन किया जाता है। लक्ष्मण सिंह जी ने जो बात कही, मैं उस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन उसमें कई कठिनाइयां देखी गई। अभी तत्काल इसे प्रारम्भ करने की योजना नहीं है।

महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पीडीएस राज्य और केन्द्र की सामूहिक जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और संबंधित राज्य सरकारों को बीपीएल, एपीएल, एएवाई कार्ड के आधार पर 35 किलो के हिसाब से अनाज उपलब्ध कराने की है। कार्ड धारकों की पहचान करना, कार्ड बनाने की जिम्मेदारी और लाभार्थी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।...*(व्यवधान)* मैं बोल चुका हूं कि पहले यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, लेकिन उसमें कठिनाइयां थीं, इसलिए हम उसे अभी शुरू नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय एक-एक करके उत्तर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह : कुछ राज्य सरकारें अपने स्तर पर यह कार्यक्रम चला रही हैं। उनमें जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश की सरकार है। केन्द्र सरकार की तरफ से इस पर कहीं कोई रोक नहीं है। आप जिस राज्य से आते हैं, वहां आपकी पार्टी की सरकार है, यदि वह इस योजना को लागू करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भारत सरकार का पैसा किसी न किसी योजना में जा रहा है। भारत सरकार 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का पैसा इस काम पर खर्च कर रही है। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम पब्लिक डिकस्ट्रब्यूशन सिस्टम को अपने इलाके में कैसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और संबंधित राज्य सरकारों से मदद ले कर कैसे लाभार्थी को फायदा पहुंचा सकें, इसके लिए आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके लाभार्थी को फायदा पहुंचाने का काम करें।

माननीय सदस्य राम कृपाल जी ने जो सवाल उठाया है, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा जो आएगा, अभी कम्यूनिस्ट साथी उपस्थित नहीं हैं, हमने कई प्रकार की योजनाएं लागू की थीं, कुछ माननीय सदस्यों को इसमें आपत्ति होती है कि क्यों लोग वालेंटरी रिटायरमेंट लें। वेलफेयर स्टेट में मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है। कई जगह लोग संख्या से ज्यादा काम करते हैं। उनकी जरूरत नहीं है। हमारे संविधान की रूप रेखा बनी थी, वेलफेयर स्टेट की जो परिकल्पना की गई थी, उस आधार पर हम सब को एक साथ नहीं हटा सकते हैं, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट का जो खर्चा है, वो तो रहेगा ही। मैं उसे नकार नहीं सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह : चौधरी लाल सिंह जी, हम नई भर्ती कम कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* सभी चीजों पर काम हो रहा है। जिन साथियों का जबाव अनुत्तरित रह गया है, उनके उत्तर भेज दिए जाएंगे।

मैं आग्रह करता हूं कि सरकार के उत्तर के आलोक में नवीन जी अपना रैजोल्यूशन वापस ले लें।

सायं 6.00 बजे

श्री नवीन जिन्दल (कुरूक्षेत्र) : माननीय सभापति जी, यह मेरी सीट नहीं है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यहां से बोल लूं?

सभापति महोदय : आप बोल सकते हैं।

श्री नवीन जिन्दल : इस विषय को उठाने का मेरा उद्देश्य था कि आपके तथा इस गरिमामय सदन के द्वारा मैं सरकार, सभी नेताओं और देशवासियों का ध्यान भुखमरी और कुपोषण की ज्वलंत समस्या की ओर आकर्षित कर सकूं। मुझे प्रसन्नता है कि इस उद्देश्य में मैं कुछ हद तक सफल रहा क्योंकि सभी माननीय सदस्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर इस प्रस्ताव का पूर्णतः समर्थन किया है। मैं विशेष कर उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, इस प्रस्ताव का समर्थन किया और बहुमूल्य सुझाव दिए। मैं बहुत अभारी हूं, मेरे भाई श्री शैलेन्द्र कुमार जी, श्री हन्नान मोल्लाह जी, श्री सुखदेव पासवान जी, आदरणीय श्री देवेन्द्र प्रसाद जी का, जिन्होंने बहुत प्ररेणापूर्वक भाषण दिया। डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी जी, श्री सी.के. चन्द्रप्पन जी, मेरे मित्र कीरेन रिजीजू जी, श्री एस.के. खारवेनथन जी और श्री महताब जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए। प्रो. रासा सिंह रावत जी हम मुद्दे पर बहुत जोर से अच्छे सुझाव देते हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूं। श्री फ्रांसिस फैन्थम जी बहुत तैयारी करके आए, उनका बीच में भाषण अधूरा भी रहा लेकिन आज फाइनली बोलने का मौका मिला। मैं श्रीमती अर्चना नायक जी और मेरे मित्र श्री अधीर चौधरी जी का बहुत आभारी हूं,। श्रीमती करूणा शुक्ला जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और खास तौर पर मुझे उनकी वह बात बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने कहा कि सरकारी अफसर अपने आंकड़ों से मायाजाल में हमें फंसा लेते हैं और कनविंस करते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हमें उस माया जाल में नहीं फंसना चाहिए, उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। मेरे बड़े भाई श्री राम कृपाल जी ने बहुत खूबसूरती से कहा कि किस तरह भुखमरी और कुपोषण का मुकाबला किया जाए और कुपोषण किस तरह से हमारे मेहनतकश लोगों को कमजोर बना रहा है, आने वाले भारत के भविष्य

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री नवीन जिन्दल]

को, बच्चों को कमजोर बना रहा है, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया, मैं इसके लिए उनका बहुत आभारी हूं। मेरे भाई चाहे लक्ष्मण सिंह जी हों, चाहे महताब जी हों या लाल सिंह जी हो या साधु यादव जी हों, सचिन पायलट जी हों या देवव्रत जी हों, मैं सभी का बहुत आभारी हूं।

सभापति जी, किसी भी व्यक्ति की मुख्य मांग रोटी, कपड़ा, और मकान है। इसके अन्दर भी मुख्य मांग दो वक्त की रोटी है। आजादी के 60 वर्ष बाद जब हमारी जीडीपी की डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है, उसके बाद देश में लोग भूखे सोएं तो मैं समझता हूं कि उनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार और अन्याय होगा। मेरा यह रैजोल्यूशन जो साढ़े तीन बजे था, मैं घर से निकलने लगा तो मुझे भूख लग गई, मैं पहले दो रोटी खाकर आया, इसके कारण आने में एक-दो मिनट का विलम्ब भी हुआ लेकिन जब आदमी भूखा होता है तो उसकी सोच बदल जाती है। इसलिए कहा गया है कि ''भूखे पेट भजन न होय गोपाला, ये पकड़ अपनी कंठी और माला'' पंजाबी में कहावत है ''पेट न पाईयां रोटियां, सबे गल्लां खोटियां'' देश में भूखे पेट सोने वालों के उदाहरण बहुत से राज्यों में हैं। देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग भूख, गरीबी, बीमारी, कुपोषण और अशिक्षा की चपेट में है। यह स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

15 अगस्त 2007, को माननीय प्रधान मंत्री जी ने लाल किले से अपने भाषण में माना कि कुपोषण की समस्या देश के लिए शर्म का विषय है। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि वे कुपोषण की समस्या को पांच साल में पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए कमर कस कर जुट जाएं लेकिन इससे कहीं अधिक दुर्भाग्यपूर्ण वह उपेक्षा है जो प्रांतीय सरकारें इन समस्याओं के प्रति अपनाए हुए हैं। कभी-कभी भी देखने में आया है कि जो पैसा केन्द्र सरकार से प्रांतीय सरकारों को दिया जाता है, वे पूर्ण रूप से उसे खर्च नहीं कर पाती हैं।

मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु में वर्ष 1982 में कुपोषण पर पहला प्रहार मिड-डे मील योजना द्वारा स्कूलों में प्रारंभ करके किया गया। आज वहां छः महीने से पांच साल के सत्रह लाख बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाता है क्योंकि यही आयु है जिसमें पौष्टिक आहार की बहुत आवश्यकता होती है। हम सब इस बात को जानते हैं कि जो नुकसान बचपन में हो जाता है उस नुकसान की जीवन भर भरपाई नहीं हो सकती।

मेरा मानना है कि सत्ता एक माध्यम है बेहतर समाज बनाने का, जिसमें कोई भूखा न सोए, हर तन पर कपड़ा हो, हर सिर के ऊपर एक छत हो, जिंदगी जीने लायक बनाने के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था हो, इलाज के अभाव में कोई बीमार न मरे, इस सब के लिए सत्ता होती है, इस सबके लिए सत्ता की लड़ाई होनी चाहिए। मुझे यह कहते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार द्वारा चलाई गई ग्रामीण रोजगार योजना महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रही है, जिससे पूरे देश में युवाओं को अपने गांवों में रोजगार के साधन मुहैया हो रहे हैं। श्रीमती करूणा शुक्ला जी ने भी वर्णन किया कि इसका युवाओं को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि नेशनल रूरल एम्पलाएमेंट गारंटी एक्ट पूरे देश में लागू किया जाए। मैं अपने बड़े भाई माननीय कृषि खाद्य राज्य मंत्री, डा. अखिलेश प्रसाद सिंह का बहुत आभारी हूं और उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव की मूल भावना का समर्थन करते हुए सरकार की स्थिति स्पष्ट की। मेरा उनसे आग्रह है कि इस दिशा में जो भी योजनाएं सरकारी स्तर पर चलाई जा रही हैं, उनके क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाए।

सभापति महोदय : टाइम ओवर हो गया है।

श्री नवीन जिन्दल : मैं प्रार्थना करता हूं कि पांच मिनट का समय दिया जाए।

सभापति महोदय : एक्सटेंडेड टाइम भी खत्म हो गया है। अब राम कृपाल जी के रिजाल्यूशन का समय है।

श्री नवीन जिन्दल : महोदय, मैं नौ महीने से इसकी तैयारी कर रहा हूं। जैसा इन्होंने बताया है कि 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा इन योजनाओं का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए। इन योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए जाएं क्योंकि जो व्यक्ति भूखे के मुंह से निवाला छीनता है, वह मानवता के प्रति सबसे बड़ा अपराध करता है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कड़े से कड़ा दंड दिया जाए और अगर आवश्यक हो तो कानून भी बदला जाए। अभी कुछ महीने पहले केंद्रीय खाद्य मंत्री ने कहा था कि नार्थ-ईस्ट में जितना गेहूं जाता है, वह 100 प्रतिशत डाइवर्ट हो जाता है। मैं समझता हूं कि यह बहुत दुख की बात है। यह हमारी सरकार भी समझती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बहुत सी त्रुटियां हैं, इसमें बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं समरूता हूं कि जब हम इस बात को मानते हैं तो बहुत से कदम उठाने की जरूरत है।

सभापति महोदय : टाइम ओवर हो गया है।

श्री नवीन जिन्दल : महोदय, मुझे तीन मिनट का टाइम और दीजिए। फूड सब्सिडी पर हमारी सरकार खर्च कर रही है लेकिन बहुत आवश्यक है कि इसमें भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। यह बात सभी सदस्यों ने उठाई कि बीपीएल फैमिलीज का जो सर्वे होता है, उसमें भी बहुत सी त्रुटियां पाई जाती हैं।

सभापति महोदय : मैं हाउस को रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने राम कृपाल जी को चेयर से कहा है कि उनका रिजाल्यूशन लेंगे और अब टाइम समाप्त हो रहा है इसलिए मैं चाहता हूं कि दो-तीन मिनट और बोल लें। इसके बाद राम कृपालजी का रिजाल्यूशन लेना है, मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा।

कुछ माननीय सदस्य : सदन इससे सहमत है।

श्री नवीन जिन्दल : हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात हो जाती है जब हम गांवों में जाते हैं और कोई गरीब कहता है कि अमीरों के घर तो बने हुए हैं लेकिन गरीबों के नहीं बने हैं। इसके अलावा बुजुर्ग आते हैं और कहते हैं कि हमें बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल रही, तब हमें बहुत शर्म आती है। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि बीपीएल परिवारों के घरों के दरवाजे अलग रंग के बना दिए जाएं जिससे हम या कोई भी सरकारी अफसर जाए तो उसे दूर से देखने से पता चल जाए कि यहां गरीबी रेखा से नीचे का परिवार रहता है। अगर उसमें हमें मालूम होगा कि यह पक्के मकान पर है और झोंपड़ी पर नहीं है तो हमें खुद पता लगेगा कि इसके अंदर कोई न कोई कमी है और इसका जो लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी गिरावट आयेगी। माननीय मंत्री जी ने भी इसका वर्णन किया कि ब्राजील के अंदर हंगर एक्ट ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप माननीय मंत्री महोदय को अपने सुझाव दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नवीन जिन्दल : सर, केवल तीन-चार मिनट की बात है, मैं खत्म कर रहा हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

सभापति महोदय : टाइम नहीं बढ़ाया जा सकता।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं समय नहीं बढ़ा सकता।

[हिन्दी]

श्री नवीन जिन्दल : केवल तीन-चार मिनट की बात है।...*(व्यवधान)* इतनी देर में मैं खत्म कर दूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जैसाकि माननीय मंत्री महोदय ने अनुरोध किया है आप अपना संकल्प वापस ले रहे है या नहीं?

[हिन्दी]

श्री नवीन जिन्दल : सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, मैं इस पर निर्णय लूंगा। लेकिन आप कृपा करके मुझे बोलने का मौका दें। उन्होंने मुझसे आग्रह किया था, मैं इस रिजोल्यूशन का मूवर हूं, इसलिए मुझे तीन-चार मिनट अपनी बात रखने का मौका दिया जाए।

महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि ब्राजील जैसा देश, जो चार सबसे बड़े अनाज निर्यातक देशों में से एक है, वहां लगभग चालीस मिलियन लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। वहां उन्होंने जीरो हंगर प्रोग्राम चलाया, जिसे तहत देश के अंदर कहीं भी कोई व्यक्ति भूखा न रहे। ब्राजील का अनुसरण करते हुए इजिप्ट, फिलीपीन्स, निकारागुआ और मोरक्को जैसे देश इसे लागू करने जा रहे हैं। अमरीका के अंदर कई सदियों से यह फूड स्टैम्पस के द्वारा चला आ रहा है। वे इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि कोई व्यक्ति वहां भूखा न रहे। कुछ समय पहले ब्राजील के राष्ट्रपति भारत आये थे, तो हमने उन्हें एक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। भुखमरी को मिटाने के लिए यदि हम किसी विशिष्ट विदेशी नेता का सम्मान कर सकते हैं, तो मैं कोई कारण नहीं समझता कि हमारी सरकार उस विषय से न जुड़े, मेरे संकल्प को स्वीकार न करे और यह घोषणा न करे कि सरकार भुखमरी को मिटाने के लिए कटिबद्ध है।

[श्री नवीन जिन्दल]

इस अवसर पर मैं एक ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस दिशा में प्रेरित किया कि इस प्रस्ताव को मैं सदन में लेकर आऊं। जिस व्यक्ति ने इसे शुरू किया था, इस दौरान उनका स्वर्गवास भी हो गया है। उस दिवंगत व्यक्ति का नाम ग्रैंड मास्टर चुआकाक्सुई है। वह फिलीपीन्स के रहने बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने ही मुझे इस बात की प्रेरणा दी। अपने देश में भी उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया और इस मामले में वे मेरे प्रेरणास्रोत थे। इस प्रस्ताव पर चर्चा करते समय, मैं उन्हेंने श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा।

सर, मेरा यह मानना है और यह ध्यान देने वाली बात है कि जिस प्रकार सरकार डिजास्टर मैनेजमैन्ट एक्ट लेकर आई, डिजास्टर पहले भी हैंडल होते थे, कहीं पर बाढ़ आती थी या अन्य कोई विपदा आती थी जो उसे हैंडल किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार डिजास्टर मैनेजमैन्ट एक्ट लाई, जिससे कि व्यापक ढंग से उसका सामना किया जा सके। इसी तरह से प्रिवैंशन आफ कम्युनल वायलैंस बिल भी हम लेकर आये। कम्युनल वायलैन्स का पहले भी मुकाबला किया जा रहा था, लेकिन उसका व्यापक ढंग से मुकाबला किया जाए और जिन व्यक्तियों को उसमें न्याय नहीं मिलता, उनके पास क्या विकल्प हो, किस तरह से उन्हें न्याय मिल सके, इन सबका उसमें प्रावधान हैं। इसी तरह से, इसी तर्ज पर जीरो हंगर एक्ट अगर बनाया जाता है तो जो मंत्री जी ने कहा कि बच्चे से लेकर जब तक व्यक्ति का स्वर्गवास नहीं हो जाता, सरकार की ऐसी बहुत सी स्कीम हैं, जिनमें 25 हजार से 30 हजार करोड़ रुपये हमारी केन्द्र सरकार लगा रही है, लेकिन हम सब इस बात को मानते हैं कि उसका पूरा फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अगर हम जीरो हंगर एक्ट बनाते हैं तो जिन व्यक्तियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा, वे फूड कोर्ट में जा सकते हैं। इसी प्रकार जहां इसमें भ्रष्टाचार होगा, वहां अफसरों पर आप कड़ी कार्रवाई कर पायेंगे और लोगों को आप एक ताकत देंगे कि वे अपने स्वयं फैसला कर सकें।

सायं 6.14 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुए*]

सभापति जी, मेरी जानकारी के अनुसार इस सदन में 33 प्राइवेट मैम्बर रिजोल्यूशन्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर स्वीकार किये जा चुके हैं। मुझे इस बात पर बहुत खुशी होती है कि मेरे द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, उस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता। मेरा प्रस्ताव था "कि यह सभा संकल्प करती है कि सरकार देश में से पूरी तरह भुखमरी को मिटाने के लिए एक व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना तैयार करे और उसे लागू करें"।

माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस बारे में बहुत से कदम उठाये जा रहे हैं। या विश्वास भी दिलाया कि जो इसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है और जो माननीय सदस्यों ने इस पर अपने सुझाव दिये हैं, उनके ऊपर ध्यान देते हुए इस बारे में आप जरूर कुछ कदम उठाएंगे। मैं एक बार फिर से आग्रह करना चाहूंगा कि...*(व्यवधान)* इस तरह के जीरो हंगर एक्ट को लागू करने के लिए, मैं नहीं समझता कि हम, जो जनता के यहां पर नुमाइंदे हैं, हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि सरकारी अफसर हमें कहेंगे कि इस तरह कानून लाया जाए क्योंकि इस तरह के कानून को लाने से उनकी खुद की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री नवीन जिन्दल : सभापति महोदय, फिर फूड कोर्ट में उनकी जवाबदेही बढ़ जाएगी। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि जो फूड कूपन की बात कही गई और जो वितरण प्रणाली के अंदर जितना पैसा होता है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को कम दें लेकिन अगर डाइरेक्टली जो लास्ट व्यक्ति है, जो गरीब है, अगर उसे पैसा दिया जाता है या फूड कूपन्स दिये जाते हैं, ताकि कहीं से भी वह अपना खाने का सामान खरीद सके तो मैं समझता हूं कि वह ज्यादा लाभदायी होगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, अब विदड्राअल करने के बारे में बोलिए।

श्री नवीन जिन्दल : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहूंगा कि सम्पूर्ण देश में भूख से एक भी आदमी न मरे, इसकी गारंटी के लिए सरकार के पास क्या वर्किंग प्लान है?...*(व्यवधान)* सर, अभी नहीं। आप राइटिंग में बाद में दे दीजिएगा। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के पास क्या कोई वर्किंग प्लान बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है? इसके बारे में आप कृपा करके स्थिति स्पष्ट करें। फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा सेन्ट्रल पूल हेतु आवश्यक फूड ग्रेन्स के भंडार की नियमित रूप से उपलब्धता बनाये रखने के लिए, नार्म्स को मेनटेन रखने की दशा में सरकार समय-समय पर

क्या पाजीटिव स्टैप्स इसमें उठा रही है? इस बारे में भी कृपया आप हमें बताएं और हमारे डामैस्टिक कंजम्पशन के लिए जो गेहूं बाहर से मंगवाना पड़ा, उसके लिए भी हमारी क्या मजबूरियां थीं? इस बारे में भी बताने की कृपा करें। कुपोषण के बारे में हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि भुखमरी से भी ज्यादा एक बड़ी समस्या कुपोषण की है और खासकर वे बच्चे जो हमारा भविष्य हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह आप रिपीट न करें।

श्री नवीन जिन्दल : सभापति महोदय, बच्चे जो हमारे देश का भविष्य होंगे, इस कुपोषण को सरकार पूरी तरह से मिटाए। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा तथा जो माननीय मंत्री ने सदन में विश्वास दिलाया है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि ये जो हमारे युवा मंत्री हैं हमेशा इनके मन में भी यह बात है कि गरीबी और भुखमरी से हमें छुटकारा पाना है और भुखमरी और कुपोषण से छुटकारा दिलाने के लिए इन्होंने पूरे हाउस को विश्वास दिलाया है। मैं इनकी भावना के प्रति और सरकार के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते हुए, क्योंकि मैं मानता हूं कि यू.पी.ए. सरकार जिसने कि गरीबी देश से हटाने के लिए, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में और श्रीमती सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में गरीबों और आम आदमी के लिए इतने कदम उठाये हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी और यह सरकार पूरे कदम उठाएगी। इसीलिए इन सब आश्वासनों के कारण मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी न सम्मिलित करें।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : क्या सभा श्री नवीन जिन्दल द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प को वापस लेने की अनुमति देती है?

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सायं 6.18 बजे

(दो) देश में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा उपलब्ध कराना

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इससे पूर्व कि सभा श्री राम कृपाल यादव द्वारा प्रस्तुत उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में कार्यसूची के अगले संकल्प पर चर्चा करें सभा द्वारा संकल्प पर चर्चा के लिए समय दिया जाए।

यदि सभा सहमत हो तो संकल्प पर चर्चा करने के लिए दो घंटे का समय दिया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य : हां, ठीक है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

"यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह देश में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुलक, अनिवार्य और एक समान शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए।

सभापति महोदय : हम इसे नेक्टस टाइम कंटिन्यू करेंगे। अब हम दूसरा आइटम लेते हैं। दूसरे दिन आप अपनी बात कहेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, आपके निर्देश को हम स्वीकार करते हैं और आपके निर्देशानुसार मैं अपनी बात बाद में विस्तार से रखूंगा। अगर आप कहें तो अभी मैं अपनी बात प्रारम्भ कर दूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं, हम शून्य काल लेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक अति महत्वपूर्ण पर बोलने का मौका दिया।

मैं आपके माध्यम से सरकार ध्यान ओर दिलाना चाहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय मिनी आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहलाया जाता था जहां से न केवल आईसीएस बल्कि अन्य प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी निकले हुये हैं। सदन से इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने का बिल पास हो चुका है लेकिन तब से वहां शैक्षणिक व्यवस्था बहुत दयनीय हो गई है। वहां के छात्र फीस को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं क्योंकि कहीं फीस कम है और किसी डिग्री कालेजों में फीस ज्यादा है। छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उन पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है। छात्र प्रोटैक्टर के पास गये लेकिन एक व्यक्ति ने जो वहीं का कर्मचारी है, ने रिवाल्वर निकाल लिया जिसे टी.वी. पर दिखाया गया है। यह कल की घटना है। माननीय फातमी साहब बैठे हुये हैं। मैं उन से गुजारिश करूंगा कि यहां से एक संसदीय दल भेजा जाये जो इस बात की जांच करे ताकि वहां शैक्षणिक व्यवस्था ठीक ढंग से चल सके और छात्र पठन-पाठन के कार्यक्रम में भाग लेते हुये आगे बढ़ सकें।

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.) : सभापति महोदय, दिनांक 23.08.07 और 30.08.07 को माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद जी ने रेल की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान सदन में बैरकपुर से कानपुर-झांसी के बीच चलने वाली गदर एक्सप्रेस का नाम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक्सप्रेस करने की घोषणा की है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वालों के लिये सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है लेकिन मैं समझता हूं कि बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी सांसदों एवं उपस्थित सदन के सदस्यों की मांग यह होनी चाहिये कि गदर एक्सप्रेस चूंकि झांसी तक चलाई जा रही है, जहां की प्रात: स्मरणीय वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति अंग्रेजों से लड़ते हुये दी थी जिनके बारे में कहा जाता है। कि-

बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।।

इसलिये, सभापति महोदय, बुंदेलखंड की जनता की भावनाओं का आदर करते हुये आपके माध्यम से मेरी माननीय रेल मंत्री जी से यही प्रार्थना है कि गदर एक्सप्रेस/प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक्सप्रेस के नाम में परिवर्तन कर पुन: संशोधन करते हुये इस ट्रेन का नाम "वीरांगना लक्ष्मीबाई एक्सप्रेस" करने की अवश्य कृपा करें। यही महारानी लक्ष्मीबाई के प्रति स्वतंत्रता की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथ ही मेरी यह भी मांग है कि उनकी प्रतिमा अन्य महापुरूषों की तरह संसद भवन परिसर में स्थापित हो।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति जी, मैं भी अपने आपको श्री बुधौलिया की मांग से सम्बद्ध करता हूं।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : सभापति जी, मैं भी अपने आपको श्री बुधौलिया की मांग से सम्बद्ध करता हूं।

चौ. लाल सिंह (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, मैं एक अहम मसले की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। भदरवाह में लक्ष्मी नारायण मन्दिर मैं जून के महीने में एक डिप्टी एस.पी. को मार दिया गया था। जब वह एक मकान के अंदर वह पूछने गये कि वहां मिलिटैंट्स तो नहीं हैं, इतनी देर में मिलिटैंट्स ने उसे मार दिया। यह वाकया जून महीने का है। उसके बाद जुलाई माह में हुआ और चार दिन पहले 28 तारीख को जब लोग पूजा करने जा रहे थे, लोगों की काफी भीड़ थी, उस समय एक ग्रेनेड फैंका गया। इस हमले से 8-10 लोग जख्मी हो गये। इसके बाद फिर ग्रेनेड फैंका गया। लोग इनसिक्योर हैं, परेशान हैं लोग बहुत अधिक निराश है लोगों ने भदरवाह शहर में बंद किया। मेरा कहना है कि शाली सिंह, डीएसपी एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी थी और एक बहुत ही आनेस्ट आफिर था। उनके मरने के बाद जिस आदमी को वे पकड़ने गए थे, पुलिस ने उसको अरैस्ट किया। अभी पता चला कि थोड़े दिन पहले उसको छोड़ दिया गया है। कहने का मकसद है कि इस मसले पर भारत सरकार की तरफ से इंटरवैन्शन होना चाहिए और इस मामले पर सीरियस नोट लिया जाना चाहिए ताकि भदरवाह में जो भाई-चारा खराब होने जा रहा है, वह बचाया जा सके और वहां अमन-चैन रहे।

श्री नवीन जिन्दल (कुरूक्षेत्र) : माननीय सभापति जी, बीजिंग ओलम्पिक्स शुरू होने में एक साल से कम समय रह गया है। भारत की जनता को आज भी यह मालूम नहीं कि भारत के जो खिलाड़ी हैं, किन-किन खेलों में हिस्सा लेने वाले हैं और उनकी तैयारियां किस

तरह से चल रही हैं, जिससे हम सुनिश्चित कर सकें कि बीजिंग ओलम्पिक्स में हमारे देश का प्रदर्शन अच्छा हो और हम वहां से बहुत से मैडल्स जीतकर आएं। आप जानते हैं कि आज ओलम्पिक्स में प्रतिस्पर्द्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ओलम्पिक्स में मैडल जीतना किसी भी देश के लिए बहुत गर्व की बात होती है। अगर वहां पर परफार्मेन्स अच्छी होती है तो उससे देश का मारैल बढ़ता है। अगर वहां पर देश की परफारमैन्स खराब रहती है तो इससे हमारे देश का मारैल कमजोर भी होता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि ओलम्पिक में मैडल जीतने के लिए बहुत कुछ सरकार को करने की आवश्यकता होती है। 1984 के बाद से चीन ने 300 से ज्यादा मैडल जीते हैं और हमने केवल तीन मैडल ओलम्पिक्स में जीते हैं। एक तरफ हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हमारे स्पोर्ट्स का जो बजट है, वह मात्र 0.073 प्रतिशत है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है और कम से कम 1 प्रतिशत करने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वह पूरे देश की जनता को और सदन को बताने का कष्ट करेंगे कि आने वाले ओलम्पिक्स में किन किन खेलों में हमारे खिलाड़ी भाग लेंगे और उनके मैडल्स जीतने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा (बोब्बिली) : महोदय, मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि देश में अपराध की दर को कम करने के लिए तुरंत एक कानून अधिनियमित किया जाए। डी.एन.ए. डाटा बैंक बनाए जाने तथा साक्ष्यों के संग्रहण तथा संरक्षण के तरीकों में सुधार लाने इन डी.एन.ए. साक्ष्यों का प्रयोग प्रतिवादियों द्वारा स्वयं को निर्दोष साबित करने में सहायक होगा।

जैसा कि हम सब जानते हैं डी.एन.ए. साक्ष्य को आमतौर पर अपराधियों को पहचानने में सबसे प्रभावी तरीका समझा जाता है। इसलिए संबंधित विभाग को प्रत्येक दोषसिद्ध व्यक्ति के साथ-साथ परिवीक्षाधीन अभियुक्तों, करा मुक्ति प्रर्यवेक्षण अथवा यौन अपराधी के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों के डी.एन.ए. के नमूने एकत्र करने चाहिए। मैं महसूस करती हूं कि डी.एन.ए. डाटा बैंक का विस्तार किए जाने से और डी.एन.ए. का मिलान करने के लिए और समय उपलब्ध करने से अधिक अपराधियों को पहचाना जा सकेगा, उन पर अभियोजन चलाया जा सकेगा तथा दोष सिद्ध हो सकेगा। इससे विशेषरूप से ऐसे क्षेत्र जहां अपराध ज्यादा होते हैं सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ेगी।

इसलिए मैं भारत सरकार से विनम्र निवेदन करती हूं कि डी.एन.ए. डाटा बैंक तैयार करने के लिए एक विधेयक लाया जाए।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैं इस सभा का ध्यान संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार का कार्यालय कटक से स्थानांतरित किए जाने की ओर आकर्षित करता हूं। आयात तथा निर्यात नियंत्रक का कार्यालय 1977 में उड़ीसा के कटक में खोला गया था। बाद में, राज्य से होने वाले निर्यात में बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए इसका उन्नयन कर दिया गया था। इस राज्य से प्रति वर्ष होने वाला निर्यात अब बढ़ कर 5,500 करोड़ रु. हो गया है। राज्य में तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण के कारण निर्यात में और बढ़ेत्तरी होने की आशा है। मुझे संयुक्त निदेशक विदेश व्यापार के कार्यालय को कटक से स्थानांतिरित करने का कोई कारण समझ में नहीं आता है। कटक न केवल उड़ीसा की वाणिज्यक राजधानी है बल्कि अनुकूल स्थान पर स्थित है। यह हवाई अड्डे तथा बंदरगाह के समीप स्थित है। उद्योगों का स्थापित करने तथा उनके विकास से संबंधित सभी कार्यालय कटक के आसपास स्थित हैं।

अतः, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि कटक से इस कार्यालय का प्रस्तावित स्थानान्तरण रद्द किया जाए।

[हिन्दी]

श्री देवव्रत सिंह (राजनंदगांव) : माननीय सभापति महोदय, मैं भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग और परिवहन मंत्रालय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला मुख्यालय राजनंद गांव, जोकि एक नगर-निगम क्षेत्र है, जहां लगभग तीन-साढ़े तीन लाख की आबादी निवास करती है। वहां राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक छः का फोर लेनिंग का कार्य प्रारम्भ होने वाला है, जो पहले प्रस्तावित था। राजनंद गांव शहर का जो बाईपास है, उसमें से वह फोर लाईन बनाया जाना था। वहां जो राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी और ठेकेदार हैं, उनकी मिलीभगत की वजह से उसका जो ओरिजनल नक्शा था, जो प्लान था, उसे चैंज करके बाईपास के स्थान पर शहर के मध्य में से चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। वहां लगभग चार सौ से अधिक भवन टूटने की संभावना है, जिसमें कि दूर संचार का कार्यालय है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, स्कूल-कालेज एवं अस्पताल है, जिला कलेक्टरेट है। यदि वहां चौड़ीकरण का काम शहर के मध्य में किया जाएगा तो बड़े पैमाने पर दुर्घटनाएं घटेंगी और दो हिस्सों में बंट जाएगा और लोगों को आर-पार जाने में कठिनाई होगी।...*(व्यवधान)*

[श्री देवव्रत सिंह]

महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि वहां जो पेयजल की लाइन दो साल पहले बिछाई गई थी, उसे बदलना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को आदेशित किया जाए कि बाईपास का निर्माण किया जाए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान में तेल शोधक रिफायनरी अविलंब स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। राजस्थान के सीमावर्ती जैसलमेर, बाड़मेर तथा जालौर आदि जिलों में तेल व प्राकृतिक गैस की खोज एवं खुदाई करने वाली सरकारी तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों को तेल एवं प्राकृतिक गैस के बहुत बड़े-बड़े भंडार मिले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यहां पाया जाने वाला तेल बहुत अच्छा एवं उच्च श्रेणी का है। केयर एनर्जी कंपनी के द्वारा उसका दोहन कार्य भी प्रारंभ हो गया है और शीघ्र ही वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा। पिछले वर्षों में देश के जिन-जिन राज्यों में सरकारी कम्पनियों अथवा प्राइवेट एजेंसियों द्वारा जहां-जहां तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं, उन राज्यों में तेल शोधक केन्द्र (रिफायनरीज) स्थापित किए गए हैं। जैसे असम, गुजरात, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश आदि। इस दृष्टि से राजस्थान में भी रिफायनरी स्थापित करने का हक बनता है। सरकारी कंपनी और नवरत्नों में से एक ओएनजीसी ने इस बात को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया था, परन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उसे अभी तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई न कोई बहाना बना कर टाला जा रहा है।

मोदय, जब हरियाणा के पानीपत में, पंजाब के भंटिडा में, यूपी के मथुरा में तथा मध्य प्रदेश में तेल एवं गैस उत्पादन नहीं होने पर भी हजारों कि.मी. लम्बी पाइप लाइनें बिछा कर करोड़ों रुपए खर्च कर रिफायनरी स्थापित की जा सकती हैं, राजस्थान में तेल और गैस के भंडार भी पाए गए हैं और उनका वाणिज्यिक उत्पादन भी शुरू होने को है, ऐसी स्थिति में यहां रिफायनरी बननी ही चाहिए।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि बिना राजनैतिक भेदभाव किए तथा बिना देरी किए अविलम्ब राजस्थान राज्य के आर्थिक विकास एवं संवृद्धि हेतु हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए राजस्थान में ही उपयुक्त स्थान पर तेल शोधक संस्थान, रिफायनरी स्थापित करने की अविलम्ब घोषणा कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। धन्यवाद।

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम के अंतर्गत विधवा निराश्रित, वृद्धा पेंशन, कृत्रिम अंग वगैरह, छोटे बच्चों के लिए पोषण-आहार आदि समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। निराश्रितों और वृद्धाओं को दो सौ रुपए मिलते हैं। ये जो इन्हें महीने में दो सौ रुपए मिलते हैं तो रोज के लगभग छः रुपए 80 पैसे बनते हैं। इतने पैसे में एक व्यक्ति नाश्ता भी मुश्किल से कर पाता है। एक गरीब आदमी किस तरह से इतने पैसों में अपना गुजर-बसर करें। सरकार छत्तीसगढ़ में 35 किलो चावल की जगह 20 किलो चावल दे रही है 15 किलो चावल की कटौती कर रही है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ये दो सौ रुपए इनके लिए बहुत कम हैं। जिसके पति ने उसे छोड़ दिया है तो क्या ऐसे में वह दो सौ रुपए में अपना गुजारा कर सकती है?...*(व्यवधान)* वह मुश्किल से अपनी रोजी-रोटी चला पाती है, बीमारी में वह अपना इलाज कैसे करा पाएगी? कृत्रिम अंग वाले, जो बधिर हैं, जिसका पैर नहीं है, वे नारकीय जीवन जीते हैं, उनका दो सौ रुपए में कुछ नहीं होता। उनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी नहीं हो पाती।. ..*(व्यवधान)* जिनके माता-पिता मर चुके हैं। उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था सरकार निःशुल्क करे और उनकी चिकित्सा के लिए भी व्यवस्था करे। इनके दो सौ रुपए से बढ़ा कर पांच सौ रुपए करे और उसे 35 किलो चावल की जगह 50 किलो चावल दिया जाए।...*(व्यवधान)* जिसके अंग नहीं हैं, उसे मुफ्त में कृत्रिम अंग दिए जाएं।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब जो आप बोलेंगे, वह आपका रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव (गोपालगंज) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान बिहार के अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के प्रखंडों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां बाढ़ के कारण काफी तबाही हुई है। अभी भी वहां सात प्रखंडों में पानी पूरी तरह भरा हुआ है। इसके कारण गन्ना और धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। सारे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। उनकी सारी पूंजी बर्बाद हो गई है। सभी किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। वहां अकाल की भयावह स्थिति बनती

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जा रही है। राज्य सरकार किसानों और बाढ़ पीड़ितों को सहायता करने में पूरी तरह विफल रही है। अत: मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वहां की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, किसानों की विशेष आर्थिक मदद की जाए, जिससे उन्हें तबाही से कुछ राहत मिल सके।

महोदय, इस लोक महत्व के विषय पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्रीमती करूणा शुक्ला (जांजगीर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री, श्री लालू प्रसाद जी का ध्यान छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। कोरबा जिला मिनी भारत के नाम से जाना जाता है, जहां सभी राज्यों के लोग रहते हैं। वहां रेल सुविधाओं की कमी है। वहां से 12 करोड़ रुपए यात्री टिकिट और 3000 करोड़ रुपए माल भाड़ा, राजस्व के रूप में बिलासपुर मंडल को मिलते हैं, लेकिन कोरबा स्टेशन से सिर्फ तीन लोकल, एक लिंक और हफ्ते में दो दिन कोचीन एक्सप्रैस चलती है। हमारे उस स्टेशन को "बी" की जगह "डी" श्रेणी का कर दिया गया है, जिसके कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त है। चैम्बर आफ कामर्स के लोगों ने एक 'रेल एक्शन कमेटी' बनाई है, जो विभिन्न चरणों में आन्दोलन, धरना और प्रदर्शन कर रही है। कमेटी ने 9 सितम्बर को प्रात: 9.00 बजे से लेकर सायं 5.00 बजे तक 'रेल रोको आन्दोलन' का कार्यक्रम रखा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : केन्द्र सरकार से आपकी क्या मांग है, वह बताइए?

श्रीमत करूणा शुक्ला : सभापति जी, मैं वही बता रही हूं। माननीय रेल मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगी कि उनका आन्दोलन कहीं उग्र रूप धारण न कर ले, कोई दुर्घटना घटित न हो जाए तथा लोगों का आक्रोश इस हद तक न बढ़ जाए कि रेल संपत्ति का नुकसान हो, जन हानि हो, इसलिए कमेटी की मांगों की ओर तत्काल ध्यान दिया जाए। यदि वहां कोई दुर्घटना घटित होती है, तो इसके लिए जिम्मेदार निश्चित रूप से रेल विभाग होगा। इस आक्रोश को रोकने के लिए वहां रेल सुविधाएं बढ़ाई जाएं और जो रेल एक्शन कमेटी बनी है, उसकी मांगों को तत्काल पूरा किया जाए।

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) : सभापति महोदय, दिल्ली के बगल में, बाजियाबाद में केन्द्र सरकार का एक विशेष केन्द्रीय विद्यालय है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले के ट्रायबल विद्यार्थियों को एडमीशन दिया जाता है। 25 तारीख को कम से कम 80 गुंडा प्रवृत्ति के लोग बंदूक और पिस्तौल लेकर होस्टल में घुस गए और वहां बार्डर एरिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबों की गन पाइंट पर पिटाई की, सबके बाल कटवा दिए हैं तथा बहुत खराब हालत की। इस कारण जितने भी स्टूडेंट हैं, वे सब होस्टल से बाहर हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से यह मांग करना चाहता हूं कि वहां के प्रिंसीपल को, जिनके सामने यह घटना घटित हुई है, उन्हें और जितने भी गुंडा प्रवृत्ति के लोग होस्टल में घुसे थे उन सभी को इमीडिएटली अरैस्ट किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, तो मैं इस मैसेज को अरुणाचल और लद्दाख में जाकर फ्लैश करूंगा। यह देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा होगा। मेरी मांग है कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन होना चाहिए।

सभापति महोदय : अब केवलमात्र दो माननीय सदस्य जो यहां प्रेजेंट हैं, उनका और कतिपय अन्य माननीय सदस्य का मैटर नोटिस्ड है तथा स्टेट से संबंधित मैटर है, लेकिन मैं विशेष रूप से, एज ए स्पेशल केस, इन दोनों माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने के लिए एलाऊ करता हूं।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : सभापति महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र के कौंच नगर में एक सागर तालाब है जो करीब 200 साल पुराना है और वह 10 एकड़ में है। वह तालाब हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है। एक तरफ कलन्दर शाह की ताखिया है, दरगाह है, जो हिन्दुओं की गद्दी है और दूसरी तरफ बलदाऊ जी का विशाल मंदिर है। उपर्युक्त तालाब के चारों और 15-12 सीढ़ियां गहरी बनी हुई हैं। वे टूटने की स्थिति में हैं। उस तालाब में पानी भरने की कोई व्यवस्था नहीं है। रामलीला के समय, मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसी तालाब को पार करते हैं और वहां इस अवसर पर विशाल मेला लगता है।

महोदय, वहां हर साल उर्स की व्यवस्था की जाती है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि तालाब की जो सीढ़ियां टूट गई हैं, उनकी मरम्मत की जाए, पानी भरने की व्यवस्था की जाए और केन्द्रीय पुरातत्व विभाग इसको अपने अंडर लेकर इसकी व्यवस्था देखे।

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, मैं आपके प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण सवाल पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

[श्री राम कृपाल यादव]

महोदय, मैं जो बात यहां उठाने जा रहा हूं, वह बहुत ही संवेदनशील और समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। निजी चैनल लाइव इंडिया पर दिखाया गया कि दिल्ली जो देश की राजधानी है और हमारे देश की नाक है, इस पर देश के लोगों की निगाह रहती है। यहां एक स्कूल की शिक्षिका ने अपनी छात्राओं से जो अश्लील हरकत की है, उससे सिर शर्म से झुक जाता है। छात्रा और शिक्षिका का संबंध मां और बेटी का होता, जिसे कलंकित करने का काम किया है। सर्वोदय कन्या विद्यालय, आसफ अली रोड की यह शिक्षिका है। जिसने अपनी छात्राओं के साथ जो हरकत की है, वह किसी भी समाज, राज्य और देश के लिए असहनीय है।

महोदय, मासूम लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनके अश्लील चित्र बनाए जा रहे हैं, ब्लू फिल्म बनाई जा रही है और उसको दिखाकर के छात्राओं को गलत काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। सौदा किया जा रहा है, यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है। क्या होगा इस समाज का? यदि इस तरह की हरकत स्कूल में शिक्षा और शिक्षक के माध्यम से की जाएगी तो क्या कोई मां-बाप अपनी पुत्री को स्कूल भेजेगा? यह मासूमों के साथ क्या हो रहा है? समाज कहां जा रहा है? यह हम सभी के लिए चिन्ता का विषय है। जबरन गलत धन्धा करने के लिए मजबूर किया गया, उन्हें गलत काम करने के लिए मजबूर किया गया। क्या ऐसा किसी समाज में होता है?

महोदय, यह केवल दिल्ली की ही बात नहीं है चूंकि यह घटना प्रकाशित हो गई। मैं लाइव इंडिया के पत्रकार को स्टिंग आपरेशन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इस कुकृत्य को देश और समाज के सामने लाने का काम किया है। इस तरह का काम तो पूरे देश में हो रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं के ऐसे कुकृत्य करने वाली शिक्षिका, जिनका नाम लेना पर्मीसिबल है या नहीं, वे उनका नाम* है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राम कृपाल यादव : मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उसके खिलाफ ठोस कार्यवाही की जानी चाहिए। सरकार को इस तरह की अपवित्र घटना जो कि विद्या के मंदिर में हो रही है, उस पर ठोस कार्यवाही करनी चाहिए। यहां मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे मांग करूंगा कि इस पर ठोस से ठोस कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में इस तरह का कार्य करने का किसी को साहस न हो।...*(व्यवधान)* इस तरह का कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ ठोस कार्यवाही होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

महोदय, इस पर सरकार की तरफ से कोई जवाब आना चाहिए।

सभापति महोदय : श्रीमती करूणा शुक्ला, श्री साधु यादव और डा. करण सिंह यादव अपने को इस बात से सम्बद्ध करते हैं।

यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। मंत्री जी क्या आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं?

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं श्री राम कृपाल यादव द्वारा उठाए गए विषय से भी स्वयं को सम्बद्ध करता हूं...*(व्यवधान)* मैं इस विषय को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के ध्यान में लाऊंगा। मैं इस विषय को न केवल मानव संसाधन विकास मंत्री के ध्यान में लाऊंगा बल्कि मैं इसे गृह मंत्रालय के ध्यान में भी लाऊंगा जिससे कि तत्काल उचित कदम उठाया जा सके।

सभापति महोदय : सभा बुधवार, 5 सितम्बर, 2007 पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.44 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार 5 सितम्बर 2007/
14 भाद्रपद 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह
बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री राम कृपाल यादव	261
2.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री सुग्रीव सिंह	262
3.	श्री वरकला राधाकृष्णन	263
4	श्री सुब्रत बोस	264
5.	श्री मोहन रावले	265
6.	श्रीमती निवेदिता माने श्री के.एस. राव	266
7.	डा. एम. जगन्नाथ	267
8.	श्री अजय चक्रवर्ती श्री दुष्यंत सिंह	268
9.	श्री संजय धोत्रे श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली	269
10.	श्री आलोक कुमार मेहता श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख	270
11.	श्री उदय सिंह श्री अधीर चौधरी	271
12.	श्री अनंत कुमार श्री असादूद्दीन ओवेसी	272
13.	श्री के. फ्रांसिस जार्ज श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	273
14.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	274
15.	डा. राजेश मिश्रा श्री जे.एम. आरून रशीद	275
16.	श्री एम. राजामोहन रेड्डी श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	276
17.	श्री इकबाल अहमद सरडगी श्री रघुनाथ झा	277
18.	श्री मोहन सिंह श्री सज्जन कुमार	278
19.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	279
20.	श्री एम. अप्पादुरई	280

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	2661, 2692
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2642, 2663, 2703, 2721, 2727
3.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2595, 2685
4.	अजय कुमार, श्री एस	2645

1	2	3
5.	अप्पादुरई श्री एम.	2683
6.	आठवले, श्री रामदास	2658, 2701, 2719
7.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2622, 2696, 2716
8.	बर्मन, श्री हितेन	2707
9.	भडाना, श्री अवतार सिंह	2640
10.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	2651
11.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	2697
12.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	2620
13.	चिन्ता मोहन, डा.	2689
14.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	2682
15.	चौबे, श्री लाल मुनी	2666
16.	चौधरी, श्री पंकज	2735
17.	चौधरी, श्री अधीर	2689, 2696, 2738
18.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	2690, 2715, 2724, 2730
19.	धोत्रे, श्री संजय	2670, 2705
20.	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	2692
21.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	2737
22.	गद्दीगौडर, श्री पी.सी.	2614
23.	गंगवार, श्री संतोष	2627
24.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	2670
25.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2722
26.	गुढ़े, श्री अनंत	2624
27.	हसन, चौ. मुनव्वर	2738

1	2	3
28.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	2630
29.	जैन, श्री पुष्प	2643
30.	जयाप्रदा, श्रीमती	2736
31.	जेना, श्री मोहन	2734
32.	झा, श्री रघुनाथ	2686
33.	जिन्दल, श्री नवीन	2732
34.	जोशी, श्री प्रहलाद	2596
35.	कलमाडी, श्री सुरेश	2657
36.	करूणाकरन, श्री पी.	2659, 2702
37.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2598, 2676
38.	खां, श्री सुनील	2637
39.	खारबेनथन, श्री एस.के.	2602, 2672, 2707, 2750
40.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2599, 2669, 2706, 2726, 2751
41.	कृष्ण, श्री विजय	2629
42.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	2653, 2700, 2718
43.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2684, 2688
44.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारू	2623
45.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2641, 2692
46.	महरिया, श्री सुभाष	2636
47.	महतो, श्री नरहरि	2652
48.	मनोज, डा. के.एस.	2733
49.	मसूद, श्री रशीद	2618
50.	मेहता, श्री आलोक कुमार	2741

1	2	3
51.	मैन्या, डा. टोकचोम	2640, 2691
52.	मो. ताहिर, श्री	2664
53.	मोल्लाह, श्री हन्नान	2617, 2694
54.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2682, 2683
55.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	2632
56.	नायक, श्री अनन्त	2665
57.	निहाल चन्द, श्री	2623
58.	निखिल कुमार, श्री	2689, 2696
59.	आवेसी, श्री असादूद्दीन	2673, 2688, 2712, 2725
60.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	2608, 2677, 2709, 2723
61.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2628
62.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2626, 2630, 2740
63.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	2634
64.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2680, 2713, 2728, 2731
65.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	2597, 2739
66.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	2606
67.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	2610, 2696, 2716
68.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	2615, 2630
69.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2601
70.	राई, श्री नकुल दास	2660
71.	राजगोपाल, श्री एल.	2603, 2674, 2710
72.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	2607
73.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2612, 2743

1	2	3
74.	राणा, श्री काशीराम	2625
75.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2649, 2697, 2747, 2748
76.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	2648
77.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	2604, 2678
78.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2639, 2744
79.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	2620
80.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2745
81.	रिजीजू, श्री कीरेन	2632, 2740
82.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2667, 2704, 2722, 2729
83.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	2609, 2692
84.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	2656
85.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2626, 2631
86.	सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे	2646, 2697, 2749
87.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2638, 2655
88.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2642, 2663, 2693, 2703, 2720
89.	शिवन्ना, श्री एम.	2614, 2619, 2698
90.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2662
91.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2626, 2640, 2668, 2711
92.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	2616
93.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2633, 2685
94.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2635, 2687, 2714
95.	सिंह, श्री दुष्यंत	2636, 2746
96.	सिंह, श्री गणेश	2654

1	2	3
97.	सिंह, श्री मोहन	2679
98.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2613, 2686, 2748
99.	सिंह, श्री रेवती रमन	2681, 2742
100.	सिंह, श्री सुग्रीव	2680, 2713, 2728
101.	सिंह, श्री सूरज	2621, 2626, 2688, 2689
102.	सिंह, श्री उदय	2738
103.	सुब्बारायण, श्री के.	2638, 2683, 2688
104.	सुगावनम, श्री ई.जी.	2605, 2675, 2708
105.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	2600
106.	सुमन, श्री रामजीलाल	2621, 2626, 2684
107.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2671
108.	तुम्मर, श्री वी.के.	2611, 2633, 2634, 2745
109.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2626
110.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2647
111.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2644, 2691, 2695
112.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2625
113.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2642, 2663, 2693, 2703, 2720
114.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	2664
115.	यादव, श्री राम कृपाल	2741
116.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2650, 2699, 2717

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कार्पोरेट कार्य	:	
पृथ्वी विज्ञान	:	269
वित्त	:	263, 264, 265, 266, 273, 274, 275, 278, 279, 280
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	
विधि और न्याय	:	
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	272
विद्युत	:	267, 270, 276
ग्रामीण विकास	:	261, 262, 277
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
शहरी विकास	:	268, 271.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कार्पोरेट कार्य	:	2633
पृथ्वी विज्ञान	:	2620, 2656, 2670, 2679, 2747
वित्त	:	2596, 2600, 2601, 2603, 2605, 2607, 2609, 2610, 2611, 2612, 2615, 2616, 2617, 2618, 2625, 2628, 2629, 2632, 2635, 2636, 2638, 2639, 2642, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2653, 2657, 2658, 2661, 2664, 2665, 2666, 2671, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2681, 2683, 2687, 2688, 2689, 2691, 2693, 2696, 2700, 2701, 2704, 2706, 2708, 2710, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2725, 2727, 2728, 2731, 2732, 2733, 2737, 2738, 2739, 2740, 2743, 2749
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	2604, 2630, 2651, 2652, 2672, 2707, 2709, 2745

विधि और न्याय	:	2606, 2613, 2659, 2669, 2724
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	2621, 2741, 2744
विद्युत	:	2608, 2623, 2626, 2631, 2641, 2654, 2660, 2663, 2667, 2684, 2692, 2698, 2699, 2705, 2712
ग्रामीण विकास	:	2595, 2599, 2624, 2637, 2640, 2655, 2680, 2682, 2685, 2694, 2697, 2702, 2711, 2713, 2714, 2722, 2730
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	2622, 2644, 2662, 2668, 2690, 2695, 2703, 2723, 2726
शहरी विकास	:	2597, 2598, 2602, 2614, 2619, 2627, 2634, 2643, 2686, 2729, 2734, 2735, 2736,2742, 2746, 2748, 2750, 2751.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/29/13/2007 (एन०)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।